राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 7] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का २५ वां दिवस [संख्या २१

बृहस्पतिवार,

दिनांक २ अप्रेल, १९७०,

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, नियुक्ति, जनस्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, गृह, स्वायत्त शासन, सहकारिता, आयुर्वेद, सामान्य प्रशासन, उपनिवेशन, जनसम्पर्क, विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

प्रश्न संख्या ४६९ ।

श्री शंकरलाल ।

(कृपया आगे देखिये अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी ।

भूतपूर्व रजिस्ट्रार सहकारी विभाग के विरुद्ध जांच

४७०. **श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा):** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(१) क्या यह सही है कि राजा श्री निरंजन सिंह, भूतपूर्व रजिस्ट्रार सहकारी विभाग के विरुद्ध राज्य विधान सभा में गम्भीर आरोप लगाये गये थे तथा उनकी जांच पुलिस द्वारा की जाने पर वे आरोप सिद्ध पाये गये ?

(२) क्या यह भी सही है कि अब उक्त श्री निरंजनसिंह आई० ए० एस० अधिकारी की नियुक्ति राजस्थान राजस्व मंडल में की गई ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कोओपरेटिव डिपार्टमेंट को ट्रान्सफर हो गया है इसलिये इसका उत्तर आज उपलब्ध नहीं है, आगे दे दूंगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर इसी सेशन में दिया जाना चाहिये । जिन अधिकारी के खिलाफ इस तरह के गम्भीर आरोप सिद्ध हो गये हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न करके उन को प्रोमोशन दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी सुविधा देख लूंगा, इस प्रश्न पर । प्रश्न संख्या ४७१ ।

श्री नथमल चोहला ।

(कृपया आगे देखिये अनुपस्थित)

श्री बालसिंह सोढ़ा ।

जैसलमेर जिले में ट्यूबवेल का समीक्षण कार्य

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में यू० एन० डी० पी० द्वारा ट्यूब वैल का समीक्षण करते समय जो ट्यूब वैल खोदे जाते हैं उन्हें

Page No. 2

(श्री बालसिंह सोढा)

सरकार की तरफ से लेने की तैयारी नहीं है इसलिये वे खोदे हुए कुए खत्म कर दिये जाते हैं ? अगर हां, तो सरकार द्वारा खुदे हुए ट्यूब वैल नहीं लेने के क्या करण हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि माह जून, १९७० में उपरोक्त जिले का समीक्षण कार्य अपूर्ण छोड़कर यह विभाग जा रहा है ? अगर हां, तो पूर्ण जिले के भू-तल का पूर्ण समीक्षण क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उप-मंत्री (खेतसिंह : (१) जी हां यू० एन० डी० पी० द्वारा जैसलमेर जिले में भू जल सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा जो नलकूप इस प्रोग्राम के अन्तंगत खोदे जाते हैं। उनमें से सफल नलकूप जिनका कि उपयोग सिंचाई आदि साधनों के लिये किया जा सकता है, उन्हें सरकार द्वारा लेने के लिये कार्यवाही की जा रही है। इनके अतिरिक्त जो प्रायोगिक छिद्रण ....

(कुछ अटकने पर)

श्री अध्यक्ष : आपकी भी टाइप्ड काफी खराब है क्या ? मुझे तो दिक्कत उठानी पड़ती है पर आपको भी उठानी पड़ती है ? आरम्भ रखिये।

खेतसिंह : . . . . छिद्रण, ओब्जर्वेशन होल के बतौर बनाये जाते हैं जिनका उपयोग सिंचाई आदि साधनों के लिये नहीं किया जा सकता उन्हें एबन्डन कर दिया जाता है।

(२) यू.एन डी पी. का प्रोग्राम जून १९७० तक का है तथा जितना सर्वेक्षण का कार्य उनको अपने प्रोजेक्ट के अनुसार करना है वह कार्य जून, १९७० तक समाप्त करके उसकी रिपोर्ट इस वर्ष के अन्त तक देने का कार्यक्रम है। अपने प्रोजेक्ट को जैसलमेर मे अपूर्ण छोड़ने का उनका अभी कोई विचार नहीं प्रतीत होता है।

बालसिंह सोढ़ा : क्या सही है कि उनके द्वारा जो सर्वे कराई जा रही है वह पूर्ण जिले की नहीं कराई जा रही है ?

श्री खेतसिंह : हां, यह सही है। फिर आवश्यक भी नहीं है कि पूर्ण जिले की सर्वे कराई जावे।

श्री बालसिंह सोढ़ा : किस क्षेत्र की सर्वे कराई जा रही है और किस आधार पर आधे क्षेत्र को छोड़ा जा रहा है ?

श्री खेतसिंह : उन्होंने कुल मिलाकर १८-१९ टैस्टिंग बोर किये हैं, उनमें से चार पांच ऐसे निकले हैं जिनको सिंचाई के उपयुक्त समझा है। बाकी को उपयुक्त नहीं समझा।

श्री बालसिंह सोढा : मेरा प्रश्न तो यह है कि किस आधार पर ये क्षेत्र सर्वे के लिये तय किये गये हैं कि इन इन क्षेत्रों का सर्वे किया जाय और इन इन क्षेत्रों का सर्वे नहीं किया जाय ? इसका आधार क्या है ?

श्री खेतसिंह : यह जियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया की रिपोर्ट है। उसके अनुसार यूनाइटेड नेशन्स डवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से यह है। इस लिये जहां उन्होंने उपयुक्त समझा, वहां किया।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : शेरगढ़ में यह कार्य करवाया है क्या ?

श्री बृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : हाइड्रो-जियोलोजिकल सर्वे बाड़मेर जिले में कब कराया जायगा ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : यूनाइटेड नेशन्स का डवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कौन से क्षेत्र तय किये गये हैं और क्या राज्य सरकार को मालूम है वे कि किस किस क्षेत्र की सर्वे कर रहे हैं?

Page No. 3

श्री खेतसिंह : कौन से क्षेत्र लिये गये हैं, यह मेरे पास अभी नहीं है, पर आपके जिले में कुछ जगह इसके टैस्टिंग और किये हैं।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : मन्त्री महोदय को क्षेत्रों का भी मालूम नहीं है तो आधार और दूसरी बातों का तो क्या मालूम होगा ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्री खेतसिंह : जैसलमेर में छाड़, रजवऊ, मैरवा, अजासर आदि गांव हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : जहां ट्यूब वैल डिग किये हैं वह बता दिया। कौनसा क्षेत्र ईयर मार्क किया है जिसका सर्वे किया जावेगा।

श्री खेतसिंह : ये गांव आ गये हैं, वह ही क्षेत्र हैं। आप ज्यादा वाकिफ हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या राज्य सरकार और यू. एन डी. पी. के बीच में कन्टेक्ट या निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार इन चीजों से बाध्य है और यह सर्वे इस प्रकार से किया जायगा ?

श्री खेतसिंह : इस एग्रीमेन्ट का प्रश्न नहीं है। युनाइटेड नेशन्स की तरफ से उन्होंने जिन क्षेत्रों में आवश्यक समझा टैस्टिंग बोर किया। पांच गांव इसलिये बताये गये थे।

श्री आईदान सिंह : झाड़ोल की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कहां ट्यूब-वैल काम आये और कहां नहीं आये। लेकिन मकान बना देते हैं और युटिलिटि का सवाल आ जाय तो ठप्प हो जाय इसका ध्यान राज्य सरकार जरूर रखे।

श्री बालसिंह सोढ़ा : युनाइटेड नेशन्स का डवलपमेन्ट प्रोग्राम चालू है। राज्य सरकार को नहीं मालूम है कि कहां क्या करेंगे तो उसके लिये तो अफसोस और खेद की ही बात है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४७३

श्री मदनसिंह (सिरोही)

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखिये)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमानुदीन अहमद) : प्रश्नकर्ता हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विजयसिंह।

मकान जलाने की घटना

४७४. **श्री विजयसिंह (मकराना) :** (१) क्या यह सही है कि श्री नारायण सिंह पुत्र श्री भीमसिंह निवासी पादू कलां, तहसील मेड़ता जिला नागौर के थानेदार राधाकृष्ण वोहरा को एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें अपने मकान को कुछ व्यक्तियों द्वारा २२-१२-६९ को जलाने का उल्लेख था ? यदि हां तो उपरोक्त थानेदार ने इस मामले में अब तक क्या कदम उठाया व मकान जलाने वाले व्यक्ति कौन थे ?

(२) क्या यह सही है कि श्री नारायणसिंह को मारने तक की धमकी दी गई जिसके बारे में आई जी. पी. डी. आई. जी. पी. व एस. पी. नागौर को श्री नारायणसिंह द्वारा लिखा गया ? यदि हां तो इस पर क्या कदम उठाया गया ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) (१) जी हां, यह सही है। रिपोर्ट

(श्री हीरालाल देवपुरा)
प्राप्त होने पर थानेदार ने अभियोग सं० ५६ दिनांक २३. १२. ६९ धारा ४३६ आई. पी. सी. में पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया। तफतीश से मुस्तगिस द्वारा नामजद मुलजिमानों के खिलाफ मामला झूंठा पाया गया। अतः दिनांक २१. १. ७० को मुकदमें में एफ. आई. आर. दे दी गई।

(२) श्री नारायणसिंह ने पुलिस के उच्चाधिकारियों को दिनांक ६. १. ७०, १२. १. ७०, १५. १. ७० और २१. १. ७० को इस मुकदमें बाबत शिकायत अवश्य की थी लेकिन इन शिकायतों में उन्हें जान से मारने की धमकी देने बाबत कोई आरोप किसी पर नहीं था। मुकदमें सम्बन्धी शिकायतें अधीक्षक आरक्षी, नागौर को वास्ते आवश्यक कार्यवाही व रिपोर्ट हेतु भेजी गई थी।

श्री विजयसिंह : क्या एस. पी. वगैरह ने इसकी जांच की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सी. आई. ओ. के मार्फत जांच करायी।

श्री विजयसिंह : जांच का परिणाम क्या निकला ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मुल्जिमान के खिलाफ शिकायत थी वह झूंठी पायी गयी।

श्री विजयसिंह : यह गलत जवाब आप क्यों दे रहे हैं ? उनको धमकी दी गई है। किस तरह से जांच की यह मैं नहीं कहता। उनको धमकी दी गई है। ऊपर से मकान जला दिया गया। यह कब तक चलेगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।
श्री गोवरधन सोनी।

श्री विजयसिंह : एक व्यक्ति का मकान जला दिया और थानेदार ने कुछ नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : मामला झूंठा पाया गया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : एफ. आई. आर. इस केस में लिखी गयी है वह अदम सबूत है या अदम वकुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अदम सबूत है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४७५

श्री गोरधन सोनी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४७६

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४७७

श्री नन्दलाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४७८

श्री शिवनाथ सिंह
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४७९

नन्दलाल बैरवा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मजलिस खां।

पहाड़ी कामा सड़क की मरम्मत

४८०. **श्री मजलिस खां [कामां]** : क्या

(श्री मजलिस खां)
सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पहाड़ी कामां रोड पहाड़ी के निकट १९६९ को बाढ़ में टूट गयी थी और इस कारण यातायात खेतों से होकर पास हो रहा है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि आज तक उक्त ब्रीच की मरम्मत नहीं कराई गई ?

(१) क्या यह सही है कि उक्त ब्रीच के स्थान पर पुलिया निर्माण कराये जाने के लिये वहां की जनता ने मन्त्री से निवेदन किया था ? क्या यह भी सही है कि पुलिया निर्माण कराने का मौके पर आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो उक्त रोड़ की मरम्मत और पुलिया निर्माण का कार्य कब तक आरम्भ करा दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद): (१)जी हां। यातायात रोड सीमा में बने अस्थाई मार्ग से होता है। सड़क पर पुलिया बनाने का कार्य प्रगति पर है।

(१) सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। सड़क की मरम्मत कराई जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिह शेखावत।

सरकारी गाड़ी की बैटरी का उपयोग

४८१. श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि श्री आर.एन. सक्सेना भूतपूर्व जिलाधीश, जोधपुर ने सरकारी गाड़ी की एक बैटरी को अपनी निजी गाड़ी में उपयोग किया और अपनी गाड़ी के विक्रय के साथ ही उस सरकारी बैटरी का भी विक्रय कर दिया ?

(ख) क्या यह सही है कि इस मामले की सतर्कता आयोग द्वारा जांच की गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

राज्य मन्त्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इसका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से सम्बन्ध है इसलिये उसको ट्रांसफर किया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिह : सम्बन्धित मन्त्री को पहले ही भेजना चाहिये था। कल भी ऐसी व्यवस्था दी थी।

श्री अध्यक्ष : कब भेजा गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिह : क्वेश्चन आया तब लिख कर भेज दिया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

जिलाधीश कार्यालय चूरू की कैंटीन

४८२. श्री दौलतराम सारण (डूंगर गढ़) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चूरू जिलाधीश के कार्यालय में सहकारी आधार पर कर्मचारियों की केन्टीन कब से है ? उसके कितने हिस्सेदार हैं ? कुल हिस्सा पूंजी कितनी है ?

(२) क्या इस कैन्टीन का प्रतिवर्ष आडिट हुआ है ? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट में क्या

Page No. 6

(श्री दौलतराम सारण)
क्या आक्षेप आये हैं ?

(३) कैन्टीन की प्रतिवर्ष गत तीन वर्षों में कितनी कितनी बिक्री होती रही है ?

(४) गत तीन वर्षों में लाभ व हानि की क्या स्थिति रहती आई है ? वर्ष वार बतलाया जाय।

उप मन्त्री सहकारिता (श्री रामदेव सिंह चरू जिलाधीश के कार्यालय में चुरू सहकारी विश्रान्ति गृह लि० के नाम से राज्य कर्मचारियों की एक सहकारी समिति (कैन्टीन) दिनांक १८-८-५८ को पंजीकृत हुई तथा कैंटीन का कार्य माह नवम्बर, ५८ से प्रारम्भ हुआ। सदस्य रजिस्टर के अनुसार इसकी वर्तमान सदस्य संख्या ६० है तथा हिस्सा राशि १०४५ रुपये है।

(२) इस केन्टीन का वर्ष १६५८ ५६, १६५६-६०, १६६०-६१, १६६१-६२ का ग्र डिट जून, १६६३ में वर्ष १६६२-६३ एवम् १६६३-६४ का ग्राडिट जून, १६६७ में एवम् वर्ष १६६४-६५ से १६६८-६६ तक का ग्राडिट दिसम्बर, १६६६ में किया गया है। इन तीनों ग्राडिट रिपोर्टों में उठाये गये ग्रक्षेपों की ग्रलग ग्रलग सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(३) वर्ष १६६६-६७ से १६६८-६६ तक वर्षवार बिक्री निम्न प्रकार रही है :

वर्ष १६६६-६७	१३,४६१.५४ पैसे
वर्ष १६६७-६८	१६,८५६.८५ पैसे
वर्ष १६६८-६६	१८,४८१.६५ पैसे

(४) वर्ष १६६६-६७ से १६६८-६६ तक वर्ष वार जो लाभ हुआ है वह निम्न प्रकार है :

वर्ष १६६६-६७	१२७ रुपये ८१ पैसे
वर्ष १६६७-६८	२४२ रुपये २१ पैसे
वर्ष १६६८-६६	३५ रुपये ३६ पैसे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि इस समिति के हिसाब के ग्राडिट में गम्भीर ग्रारोप हैं ?

श्री रामदेवसिंह : वह तो सूची दे दी गई है।

श्री दौलतराम सारण : ग्रन्तिम जो सूची है उसमें यह लिखा है कि उस रजिस्टर का ग्रपहरण है, प्रमाणपत्र नहीं दिये जाते हैं रोकड़बही में ३५,३५४ ८३ के वाउचर नहीं पाये गये। पहले के ग्राक्षेपों में ७८६४ ७२ के धन के ग्रारोप हैं। क्या यह सही।

श्री रामदेवसिंह : यह सही है।

श्री दौलतराम सारण : ग्राक्षेप बर बर ग्रा रहे है, न नियमानुसार संचालन होती है ग्रौर न ग्राडिट ग्राक्षेपों के हिसाब से समिति की मिटिंग बुलाई लाती है कोरम के बिना ही प्रतिनिधि सभा चल रही है, समय समय पर ग्राडिट नहीं होता है, ऐसी स्थिति में विभाग से क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री रामदेवसिंह : यह सही है कि ग्राडिट रिपोर्ट में कई तरह के ऐतराजात हैं। पहले मौका दिया गया कि निवारण करें। नहीं करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाही करेंगे।

श्री दौलतराम सारण : विभाग ने ग्रब तक कोई समिति के सम्बन्ध में कार्यवाही की ?

Page No. 7

श्री रामदेवसिंह : इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री हरजीराम बुरड़क [लाडनू] : विभाग की तरफ से जो कार्यवाही करनी चाहिये क्या वह की गई ?

श्री रामदेवसिंह : विभाग ठीक समझेगा तो एक्शन लेगा ।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपके हिसाब से भी क्या कार्यवाही करनी चाहिये यदि समिति आडिट एतराज की पूर्ति न करे ?

श्री रामदेवसिंह : एडमिनिस्ट्रेटर को लगाया जाय ।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्यों नहीं लगाया अब तक ?

श्री दौलतराम सारण : आप यह महसूस नहीं करते हैं कि ५८ से लेकर आज तक गम्भीर आरोप होते हुये भी, न रजिस्टर हैं, न चुनाव समय पर होते हैं न पूंजी, न लाभ देने का पता है न लाभ का विवरण है, न सदस्यों को ढंग से हटाया गया है, अनेक भयंकर आक्षेप होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है । किन्हीं भी आक्षेपों की पूर्ति नही की गयी है है तब भी क्यों नहीं विभाग ने कोई कार्यवाही करना उचित समझा ?

सहकारिता मन्त्री (श्री अमृतलाल यादव) : आडिट रिपोर्ट में जो आक्षेप हैं उसके सम्बन्ध में समिति को एक मौका दिया गया है । उसके बाद जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जावेगी और आवश्यकता हुई तो एडमिनिस्ट्रेटर तक मुकर्रर किया जा सकेगा ।

श्री दौलतराम सारण : ५८ से लेकर आज तक आडिट रिपोर्ट के आक्षेप पर कोई कार्यवाही नहीं की । ३४ हजार तक की विशाल धन राशी और ७८६४ की एक पहले की । इनके दुरुपयोग की शिकायतें हैं ।

श्री अमृतलाल यादव : विभाग की आडिट पार्टी गई और इन ईर्रेगुलेरिटीज को सामने आई । समिति यदि उन आक्षेपों जो पूर्ति नहीं करती है संतोष जनक ढंग से, तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जावेगी ।

श्री दौलतराम सारण : समिति में बहुत बड़ा गबन है ।

श्री अमृतलाल यादव : रिपोर्ट दी है । प्रशासक बिठाने की जरूरत हुई तो प्रशासक बिठाकर कार्यवाही की जावेगी ।

श्री दौलराम सारण : ज्यों ही यह आपत्तियां नजर आई तो समितिने कार्यवाही नहीं की तो विभाग को कार्यवाही करनी चाहिये थी?

श्री अमृतलाल यादव : समिति ने कार्यवाही नहीं की है तो विभाग करेगा ।

श्री दौलतराम सारण : ५८ से लेकर तक विभाग ने कार्यवाही नहीं की । अब तक जिन्होंने कार्यवाही नहीं की क्या आप उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर ।

बाड़मेर जिले से उत्कृष्ट नस्ल के पशुओं की निकासी

४८३. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले से उत्कृष्ट नस्ल थरपारकार और कांकरेज की

Page No. 8

(श्रीमती मदन कौर)
उत्तम गायें और बछड़े प्रतिवर्ष अन्य राज्यों में जाते रहे हैं ?

(२) यदि हां, तो गत दश वर्षों में कितने कितने पशु प्रति वर्ष इस प्रकार राज्य से बाहर निकास हुए ?

(३) क्या इस प्रकार उत्कृष्ठ नस्ल के पशुओं की राज्य के बाड़मेर जिले के पशुपालकों की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ा है ?

(४) यदि हां तो राज्य सरकार भविष्य के लिये इस सम्बन्ध में क्या नीति अपना रही है ?

उप मन्त्री-पशुपालन (श्री हरिसिंह) : अध्यक्ष महोदय यह सूचना अभी प्राप्त नहीं नहीं हुई इसलिये इस प्रश्न को स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। नेक्स्ट।
श्री महेन्द्र कुमार।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपवैद्य के पदों पर पदोन्नती

४८४. **श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वासु) :** क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (आयुर्वेद औषधालय) को उप वैद्य के पद पर पदोन्नत करने के विभाग द्वारा कब से क्या निर्णय बनाये गये हैं। प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा औषधालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उपवैद्य के पद पर पदोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो विगत ५ वर्षों में किस किस को कब कब पदोन्नत किया गया तथा उनकी क्या योग्यता थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उपमन्त्री-आयुर्वेद (श्री समर्थ लाल) : (१) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उपवैद्य-पद पर पदोन्नत करने के कोई नियम नहीं हैं। आयुर्वेद अधीनस्थ सेवा नियम १९६६ में उपवैद्य पद पर सीधी भर्ती करने का प्रावधान है।

(2) औषधालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उप-वैद्य के पद पर सीधी भर्ती की गई है।

श्री महेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह जो बात बताई है वह गलत बताई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उपवैद्य बनाया गया है और उसके बाद १० साल से जो कार्य कर रहे हैं, उनको पदोन्नति नहीं किया गया है। इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

राज्य-मन्त्री, आयुर्वेद (श्री जय कृष्ण शर्मा) : यह बात सही नहीं है। जो फोर्थ क्लास योग्यता रखते है और डायरेक्ट भर्ती में जिनको जाने का मौका मिला है और उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वहां सिलेक्शन हो जाता है तो उपवैद्य बन जाते हैं। परन्तु उनको प्रमोशन देने का सवाल नहीं है। लेकिन अब हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री महेन्द्रकुमार : न तो कोई इन्टरव्यू होता है और न कोई परीक्षा और उनका तो ऐसे ही प्रमोशन हो जाता है। जो मिडिल पास हैं उनको उपवैद्य बना दिया जाता है। और कई ऐसे है जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं उनका नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह एडहाक बेसिस

Page No. 9

(श्री अध्यक्ष)
पर किया गया है ?

श्री जय कृष्ण शर्मा . कोई नहीं किया गया है। जो योग्यता रखते है और सीधी भर्ती में जैसे दूसरे आते हैं ये भी आये हैं।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) पिछले समय में जितनी अनियमित कार्यवाही की है उसकी सूची मेज पर रखेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यदि आप मांगेगें और कोई अनियमित कार्यवाही हुई होगी तो जरूर रखूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

रामसर, गागरिया एवं भाचन गावों में पानी की समस्या

४८५ श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के रामसर, गागरिया एवं भाचन गांवों में जल कष्ट की भयंकर समस्या है ? इन गांवों की जनसंख्या अलग अलग क्या है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त गांवों में सरकार रेलवे टंकियों द्वारा लगातार २५ साल से पानी पहुंचा रही है ?

(३) यदि हां तो प्रत्येक गांव में कितना कितना पानी पहुंचाया जा रहा है और उन पर सालाना कितना व्यय होता है ? गत २५ साल के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि जो पानी उक्त गांव में रेलवे टंकियों द्वारा पहुंचाया जाता है वह बिलकुल पर्याप्त है ? यदि हां, तो प्रति व्यक्ति कितना पानी प्राप्त होता है ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त गांवों में सरकार ने नलकूप खोदे हैं जो सफल नहीं हुए हैं ?

(६) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त गांवों में पानी पहुंचाने की सुविधा के लिये गडरा रोड ट्यूबवैल से योजना बनाई है और प्रारम्भिक कार्यवाही सर्वे कर दी है ? यदि हां तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(७) क्या सरकार उक्त योजना को इसी साल कार्यान्वित करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (१) जी हां, वर्षा न होने पर जल संकट रहता है, जन संख्या सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार निम्न प्रकार है: रामसर १५६५ गागरिया ३९२ भाचन गांव की जन संख्या का पता नहीं चल सका है।

(२) जी हां, करीब २० साल से आवश्यकता पड़ने पर गर्मी की मौसम में रेलवे टंकियों द्वारा पानी सप्लाई किया जाता रहा है।

(३) गागरिया में अल्टरनेट डे एक टंकी व रामसर में एक टंकी प्रति दिन के हिसाब से पहुंचाई जाती है। एक टंकी की क्षमता लगभग २३०० से २५०० गैलन के करीब होती है। पानी बिलकुल न होने की हालत में रामसर में बड़ी बड़ी टंकी लगभग ४००० गैलन की भी दी जाती है। इन पर गत वर्ष से एक टंकी का व्यय गागरिया के लिये अल्टरनेट डे पर ७३/-रु. व रामसर के लिये १२५/- रु० खर्च होता है। गत २५ साल से सालाना व्यय कितना हुआ इसके आंकड़े उपलब्ध करने में समय लगेगा। अतः बताने में असमर्थ हूं।

Page No. 10

(श्रीमती सुमित्रादेवी)

(४) जी नहीं। एक व्यक्ति को लगभग २ गैलन पानी प्रति दिन मिल जाता है।

(५) जी नहीं २५० नलकूप योजना के अन्तर्गत नलकूप खोदना प्रस्तावित था परन्तु भौमकीय कारणों से इसे विशेषज्ञों ने रद्द कर दिया।

(६) जी हां सर्वे रिपोर्ट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। अतः प्रतिलिपि सदन की मेज पर अभी रखना संभव नहीं है।

(७) यह धन राशि की उपलब्धि पर निर्भर है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने इस साल ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप लाइन योजना के अन्तर्गत क्या प्रावधान किया है ?

श्रीमती सुमित्रा : इस साल, जैसा मैंने कहा है ६० लाख रूपये का प्रावधान है लेकिन वह सब ग्राम अकाल क्षेत्र के हैं। इसलिये अकाल राहत की तरफ से योजना जो गडगा रोड़ से रामसर, गागरिया आ रही है इसलिये उसकी कोई मंजूरी नहीं हुई है, सर्वे रिपोर्ट जरूर आ गई है। किन्तु अन्तिम स्वीकृति नहीं दी गई है। यदि फेमिन से पैसा मिल जायगा तो इस साल इसको टेक अप किया जा सकेगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सर्वे कब शुरु किया गया था और कब तक कम्पलीट हो जायेगा ?

श्रीमती सुमित्रा : सर्वे कम्पलीट हो गया है। सदस्यों की जानकारी के लिये बता दूं कि जब ५० रूपये अधिक पर केपिटा एक्सपेंडीचर होता है तब भारत सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसलिये अभी तो इसको अंतिम रूप नहीं दे पाये हैं और जब स्वीकृत कर भारत सरकार के पास भेजेंगे और वहां से मंजूरी आयेगी तब ले सकेंगे।

श्री वृद्धिचन्दजैन : कब तक इसका निर्णय लिया जा सकेगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। २० सालों से वहां पानी पहुंचाया जा रहा है रेलवे की टंकियों से और इसकी कोई स्थायी योजना आपके पास नहीं है। इसमें अब कितना समय लगेगा ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : जहां तक हो सकेगा हम इसको फेमिन में ही लेने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे।

प्रश्न सं० ४८६

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री देवीलाल बुरासिया।

नगर पालिका केकड़ी की सीमा-वृद्धि

४८७. **श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) :** क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि केकड़ी नगरपालिका की सीमा वृद्धि सन् १९६५ के पश्चात हुई ? अगर हाँ तो राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा कितनी जमीन व किस-किस नंबर की नगरपालिका को सम्हलवाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) राजस्व विभाग के द्वारा उपरोक्त किन किन नम्बरों की जमीन पर अनधिकृत रूप से नगरपालिका ने कब्जा कर लिया ? नम्बरवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(देवीलाल बुरासिया)

(३) केकड़ी नगरपालिका ने उपरोक्त अनधिकृत कब्जे में से कितनी जमीन किन किन को किस दर पर बेची या किराये पर दी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या उपरोक्त अनधिकृत रूप से कब्जे में कीगई जमीनों में से केकड़ी नगर पालिका द्वारा कोई प्रस्ताव पारित न होने के बावजूद भी स्वयं अध्यक्ष नगरपालिका केकड़ी ने अनधिकृत रूप से व मनमाने ढंग से जमीन बेची या किराये पर दी? यदि हां, तो कितनी व किसको? सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखें?

स्वायत्त-शासन मंत्री (श्री भीखाभाई): (१) जी हां। राजस्व विभाग द्वारा अभी तक कोई जमीन नगरपालिका को नहीं सम्हलवाई गई है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(२) नगरपालिका ने अनधिकृत कब्जा किसी भी जमीन पर नहीं किया है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न के भाग २ में दिये गये उत्तर के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(४) प्रश्न के भाग २ में दिये गये उत्तर के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री देवीलाल बुरासिया: अध्यक्ष महोदय, केकड़ी नगरपालिका ने राजस्व विभाग की जमीन को लिये बगैर ही उसको बेच दिया है और मंत्री महोदय कह रहे हैं की राजस्व विभाग के पास ही है और कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि भिलाय रोड़ पर जो जमीन है वह उनकी है और बेच दी गई है।

श्री भीखा भाई: विभाग की जानकारी के अनुसार मैंने उत्तर में निवेदन कर दिया है। उसके अनुसार रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जमीन नहीं सम्हलवाई गई है और मैं समझता हूं राजस्व विभाग भी इतना अजागरूक नहीं है। अगर माननीय सदस्य कोई बात कर रहे हैं तो उसका खसरा नम्बर बताइये और उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री रामसिंह कुड़ी।

मुरड़ पर व्यय

४८८. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) अकाल राहत कार्यों में गत वर्ष किस किस जिले में कितना कितना मुरड खोदा गया, कितना कितना मुरड़ किस किस सड़क पर बिछाया गया एवं कितना कितना मुरड़ किस किस दूरी पर गत वर्ष का पड़ा हुआ है? गत वर्ष में बनी किस सड़क के अर्थ-वर्क पर कितनी कितनी दूरीमें अब मुरड़ बिछाना बकाया है एवं कितनी दूरी पर गत वर्ष में बनी ग्रेवल रोड़ पर मुरड़ बिछा दिया गया है? रेगुलर सड़कों पर किस किस सड़क पर कितना कितना मुरड़ बिछाया गया?

(२) गत वर्ष अकाल राहत कार्यों में मुरड के ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज के रूपमें कितने रुपये खर्च हुए, कितने रुपये ऐसे मुरड़ की खुदाई में खर्च हुए एवं कितने रुपये अर्थ वर्क पर खर्च हुए? जिलेवार आंकड़े बतलाइये। टी एन पी. पर अन्य मदों में गत वर्ष के अकाल राहत कार्यों में जिलेवार कितना कितना खर्चा हुआ? टी. एन. पी. सिरकिया व

(श्री रामसिंह कुडी)

चादरों के ढोने का गत वर्ष के अकाल राहत कार्यों में जिलेवार कितना कितना व्यय हुआ ? पूरा विवरण वित्तीय वर्ष १९६८-६९ एवं १९६९-७० के अलग अलग वर्षवार आंकड़ों सहित बतायें ? सिरकियों की कीमत किस किस में सबसे अधिक थी एवं किन किन जिलों में सबसे कम थी ? कितनी टी. एन. पी. खो गई एवं उसकी कीमत की वसूली क्या किसी से की जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना इस प्रश्न में चाही गई है वह सारे जिलों की है और वह सूचना अभी इक्ट्ठी नहीं हो पायी है। इसमें समय लगेगा, इसलिये मैं इस प्रश्न को स्थगित करने का निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

बीकानेर जिले में डकैती की घटनायें

४८९. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला बीकानेर में जनवरी १९५० से आज तक कितनी डकैती कहां कहां डाली गई व किन किन डाकुओं द्वारा यह डकैती किस किस तारीख को डाली गई और किस थाना के अधीनस्थ ग्राम थे ?

(२) क्या यह सही है कि डाकुओं ने काफी कत्ल भी की है। यदि हां तो कब व किस गांव में और कितने व्यक्ति कत्ल किये गये? व्यक्तियों के नामों सहित व कत्ल करने वाले डाकुओं के नाम की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि डाकू जगमाल सिंह, व मेघसिंह व अन्य फरार डाकुओं को आज तक पुलिस पकड़ नहीं सकी है ? यदि हां, तो इसकी क्या वजह है ?

(४) अगर पुलिस ने डाकुओं को पकड़ा है तो कितने डाकू पकड़े गये और कितने मारे गये ? सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) जिला बीकानेर में जनवरी १९५० से अब तक कुल ४७ डकैतियां हुई हैं। वांछित विवरण देते हुए तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

इस अवधि में केवल चार कत्ल किये गये हैं। विस्तृत विवरण तालिका के कालम नं० ७ में दर्ज है :

(३) जी नहीं, यह गलत है। डाकू जगमाल सिंह पाकिस्तान की जेल में है तथा मेघसिंह गिरफ्तार होकर जोधपुर जेल में सजा काट रहे थे, जहां वे फौत हो चुके हैं। अन्य फरार डाकू जो कि पुलिस द्वारा पकड़े गये हैं सूची के कालम नं० ९ में अंकित हैं।

(४) हां पुलिस द्वारा जो डाकू पकड़े गये व मारे गये सूची के कालनं म० ९ में अंकित हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री देवीदत्त गाडिया।

फर्जी टी० ए० व डी० ए० का मामला

४९०. श्रीदेवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या

Page No. 13

(श्री देवीदत्त गाडिया)

सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कुछ माह पूर्व सहकारी विभाग की इन्टरनल आडिट पार्टी ने पाली सहायक रजिस्ट्रार का कार्यालय के तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार श्री रणवीरसिंह, हैड क्लर्क एवं एकाउन्टेन्ट आदि चार कर्मचारियों के विरूद्ध फर्जी टी. ए., डी. ए. के बिल्स आदि मामलों की जांच रिपोर्ट की है ?

(२) क्या यह सही है कि सहायक रजिस्ट्रार को छोड़कर बाकी तीन कर्मचारियोंको निलम्बित किया है ? यदि हां तो किस किस कर्मचारी को कब और किन कारणों पर किया है ?

उपमंत्री सहकारिता (श्रीरामदेवसिंह): (१) यह सही है कि कुछ समय पूर्व सहकारी विभाग की इन्टरनल आडिट पार्टी ने सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, पाली के कार्यालय का आडिट किया था तथा कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध फर्जी टी. ए. बिल्स ड्रा करने की रिपोर्ट प्राप्त हुइ थी उनमें एकाउन्टस क्लर्क और केशियर भी शामिल हैं । श्री रणवीरसिंह तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार द्वारा हैड आॅफ आफिस की हैसियत से उक्त टी. ए. बिल्स पर हस्ताक्षर कर राशि राज्य कोष से ड्रा की गई है । उक्त रिपोर्ट में हैड क्लर्क द्वारा किसी फर्जी टी. ए. व डी. ए, उठाने का उल्लेख नहीं है ।

(२) यह सही नहीं है कि सहायक रजिस्ट्रार को छोड़कर बाकी तीन कर्मचारियों को निलम्बित किया है । बल्कि दो कर्मचारियों को निम्बित किया है, उसका विवरण निम्नानुसार है :

(क) श्री पीराराम लेखालिपिक को ११-६-६९ को निलम्बित किया गया -कारण फर्जी यात्रा भता बिल ड्रा करना तथा फर्जी बिलों पर हस्ताक्षर करना ।

(ख) श्री सत्यनारायण, कनिष्ठ लिपिक निलम्बित किया गया तारीख ८-८-६९ कारण फर्जी यात्रा भता बिल ड्रा करना तथा अन्य कर्मचारियों के फर्जी बिल बनाना व फर्जी हस्ताक्षर करना एवं बिलों में यात्रा भत्ता कर अधिक रकम ड्रा करना ।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि इण्टरनल आॅडिट पार्टी ने तत्कालीन ए. आर. के बारे में यह आरोप लगाया है कि इन्होंने फर्जी टी. ए. डी ए. ड्रा करके अधिक धन लिया है ?

श्री रामदेवसिंह : सहायक रजिस्ट्रार ने कोई डायरेक्टली टी. ए. डी. ए. ड्रा नहीं किया है उस पर उनके दस्तखत जरूर हैं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : इसप्रकार से जिन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया उन पर फर्जी टी. ए. डी, ए. लेने का आरोप है तो जब उस बिल पर ए, आर. ने दस्तखत किये हैं तो क्या ए. आर. अपराधी नहीं माना जायगा ?

श्री रामदेवसिंह : इस सारे मामले को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दे दिया है उस बिल पर ड्राइङ्ग आॅथोरिटी के रूप में ए. आर. ने हस्ताक्षर किये हैं । फिर भी इसकी दुबारा जांच हो रही है । जांच रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जब उन बिल्स पर ए. आर. ने दस्तखत किये हैं तो क्या वे अपराधी नहीं है ?

सहकारी मन्त्री (श्री अमृतलाल

(श्री अमृतलाल यादव)

यादव) : वे उनके सबोर्डिनेट्स के बिल थे उन पर ए. आर. ने दस्तखत किये हैं यह सही है। ए. आर. का स्वयं का वह बिल नहीं था जो उन्होंने रोंगली ड्रा किया हो। वे उनके सबोर्डिनेट्स के बिल थे ड्राइङ्ग आथोरिटी के रूप में हस्ताक्षर किये हैं। इसकी जांच फिर की जारही है। यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दे दिया गया उसकी मुकम्मिल रिपोर्ट आने पर कार्यवाही करेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह केस भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को कब दिया गया ?

श्री रामदेवसिंह : इसकी तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री प्रो.केदारनाथ।

पोंग बांध के विस्थापितों के सम्बन्ध में समझौता

४९१ **श्री प्रो.केदारनाथ** : (श्री गंगानगर) क्या उपनिदेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पंजाब सरकार के पोंग बांध के विस्थापितों को राजस्थान केनाल पर बसाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कब समझौता किया ? समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(२) इन विस्थापितों को कुल कितना रकबा अलाट किया गया ?

(३) आज तक इन विस्थापितों के कुल कितने परिवार आकर राजस्थान केनाल क्षेत्र पर बसे हैं ?

उपमन्त्री श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय इसकी सूचना एकत्र की जा रही है अतः इसको स्थगित करने के लिये प्रार्थना करता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल : इसमें क्या इम्पोर्टेण्ट सूचना है जो आपको बाहर से मंगवाने की आवश्यकता है ? पोंग डेम से सम्बन्धित सूचना है जो आपके विभाग के पास होनी चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : इसमें ऐसी कोई सूचना नहीं चाही गई है जो राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री गंगासहाय।

अलवर सेन्ट्रल कोआपरेटीव बैंक के चेयरमेन द्वारा दिया गया फर्जी टी० ए० बिल

४९२. **श्री गंगासहाय** (कठुमर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि अलवर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के चेयरमेन श्री दुर्लभसिंह ने फर्जी टी० ए० बिल बनाकर भुगतान के लिये बैंक को भेजे ?

(२) क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित आडिटर की सावधानी के कारण उक्त बिलों का भुगतान नहीं किया गया और यह बिल सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां अलवर के कार्यालय में सील करके रखे हुये हैं ?

(३) क्या राज्य सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उप मन्त्री, सहकारिता (श्री रामदेव

सिंह : (१) जी हां।

(२) जी नहीं। सम्बन्धित बिल का भुगतान चेयरमेन श्री दुर्लभसिंह को बैंक द्वारा किया जा चुका है, जानकारी में आने के बाद बिल सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अलवर के कार्यालय में सील करके रखे हुए हैं।

(३) विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच कर बैंक को लिखा गया कि इस विषय को बैंक संचालन मंडल की बैठक में रखकर आवश्यक निर्णय लिया जावे। बैंक ने निर्णय लेकर बिल को सही माना है। विभागीय तोर पर इस मामले की आगे जांच की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रूपसिंह।

सूरसागर तालाब बीकानेर

४६३. श्री रूपसिंह : क्या (सरदारशहर) स्वायत्तशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सूरसागर तालाब जो बीकानेर में पुराने किले के सामने उत्तर-पूर्व की तरफ वाके है उसके चारों तरफ आबादी है और उसकी दक्षिण दिवार पर प्राईमरी फोर्ट स्कूल, उसके चिपती हुई फोर्ट डिस्पेंसरी है व ५० पांवडा की दूरी पर पब्लिक ओफिसेज है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि नये व पुराने शहर बीकानेर का टट्टी पेशाब का व वर्षा का पानी जो पावर हाउस के पास गीनानी में डाला जाकर शहर से बाहिर निकाला जाता था उसे गिनानी को बन्द करके नये शहर से सूरसागर तक की ३ मील लम्बी ओपनडर तेज १२ लाख रुपये में बनाकर सूरसागर में डाला जाता है जहां वह सड़ता रहता है ?

(ग) क्या यह सही है कि इस गन्दे पानी को सूरसागर से बाहर निकालने के लिये पब्लिक थोरोफेयर को रोक कर मशीन फिट की गई है और उसके द्वारा पानी बाहर पम्प किया ज ता है?

(घ) क्या यह सही है कि यह गन्दा पानी उस चेनल से निकाला जाता है जिसके द्वारा तीन मील दूर से वर्षा का पानी इस तालाब में पहले डाला जाता था यदि। हां, तो इस चेनल को आखिरी सिरा सूरसागर की सतह में ८०-६० फिट ऊंचा है इसलिये पानी बाहर निकल कर चेनल में रुका रहता है ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस चेनल को भी ५-६ लाख रुपये खर्च करके पक्का किया गया है और इसके बाद भी यह पानी न जाकर चेनल में ही ५ से १० फीट तक गहरा रुका रहता है ?

(च) क्या यह सही है कि गंदे पानी की वजह से मक्खी मच्छर की हर वक्त भरमार रहती है और इसके पास रहने वाले की जिन्दगी नर्क बन गई है ?

(छ) क्या यह सही है कि जिस वक्त मशीन से गंदे पानी को बाहर निकाला जाता है तो पानी की बदबू मीलों तक फैल जाती है और लोगों का दम घुटने लगता है ?

(ज) क्या सरकार बीकानेर की जनता को तन्दुरुस्ती व जिन्दगी को गंदे पायी की बदबू मच्छरों, मक्खियों से बचाने के लिये इस गंदे पानी को इस तालाब में न डालकर पहिले की तरह जंगल में खेती व सब्जी के लिये बाहर निकालने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री स्वायत-शासन (श्रीमती सुमित्रा) : इस प्रश्न से सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना एकत्रित नहीं हो पायी अतः इस प्रश्न

(श्री सुमित्रा देवी)

को स्थगित करने का निवेदन करती हूं ।

श्री रूपसिंह : यह सवाल महत्वपूर्ण है इस पर मैंने काल अटेन्शन नोटिस दिया है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह

सहकारी समितियों में प्रशासक

४९४.श्री नत्थीसिंह(भरतपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१)राजस्थान की किस किस स्तरकी व किन किन सहकारी समितियों में कब से प्रशासक नियुक्त किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) प्रशासक नियुक्त करने के बाद उक्त संस्था में क्या क्या सुधार हुए हैं ? प्रशासक नियुक्त करने से पूर्व व अब तक की तुलना के आंकड़े समिति-वार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

सहकारिता उपमंत्री(श्री रामदेवसिंह) अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी अतः इसको स्थगित किया जाय ।

श्री नत्थीसिंह : यह सूचना तो इनके दफ्तर में ही होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री रावतराम ।

सिंचाई कुओं के लिये दीर्घ कालीन ऋण

४९५. **श्री रावतराम (छापर)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१)क्या यह सही है कि किसानोंको खेतोंमें सिंचाई हेतु कुए बनाने के लिये दीर्घकालीन ऋण देने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस बारे में क्या योजना है ?

(२ क्या सरकार के यह ध्यान में है कि वर्तमान में कुओं के लिये जो ऋण दिया जाता है कि वह अल्पकालीन ऋण होने से किसानों को बड़ी परेशानी है और कुओं द्वारा सिंचाई की योजना असफल होती जा रही है ?

(३) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों, भूमि बन्धक बैंकों तथा अन्य जो या एजेन्सी कुओं के लिये किसानों को ऋण देती है, उन्हें ऐसे निर्देश देने का विचार रखती है कि वे उक्त ऋण को दीर्घकालीन बनाये ताकि किसान इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें ।

उपमंत्री कृषि (श्री हरिसिंह) : (१) जी नहीं प्रश्न नहीं उठता ।

(२) जी नहीं ।

(३) राष्ट्रीकृत बैंक व भूमि बन्धक बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दीर्घकालीन या मध्य कालीन ऋण ही कुओं के लिये दिया जाता है ।

श्री रावतराम : किस चीज का प्रश्न नहीं उठता । जो सिंचाई के कुओं के लिये ऋण दिया जाता है उसको दीर्घकालीन बनाया जाय। लोगों को परेशानी होती है राष्ट्रीयकृत बैंकों को और भूमि बंधक बैंक्स को आप सलाह दे सकते हैं कि कुओं के लिये जो ऋण दिया जाता है वह दीर्घकालीन ऋण होना चाहिये । दस साल की बजाय उसको बीस साल का कर दें ।

श्री हरिसिंह : आप जो यह समझ रहे हैं कि दस साल की अवधि के ऋण को अल्पकालीन ऋण माने गए है वैसा नहीं है । दस

(श्री हरिसिंह)
वर्ष का ऋण भी दीर्घकालीन ऋण में माना गया है।

श्री रावतराम : जिस प्रकार हाऊसिंग लोन है यह पच्चीस साल का होता है उसी तरह से मेरा यह निवेदन है कि कुओं के लिए जो बेंक्स से ऋण दिया जाता है क्या उसकी अवधि बढ़ाने का गवर्नमेंट विचार रखती है ?

श्री हरिसिंह : दस साल का मध्य कलीन ऋण दिया जाता है उसको बीस साल का करने का कोई विचार नहीं है : सभी बेंक्स से इसी आधार पर लोन दिये जाते हैं।

श्री रावतराम : गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है यह अवधि कम है उसको बढ़ाया जाय मुख्य मंत्री जी ने इस तरह का आश्वासन दिया है दस साला जो लोन दिया जाता है उसको बीस साला किया जाय।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : भूमि बन्धक बेंक्स से जो ऋण दिया जाता है वह मध्यकालीन ऋण होता है क्या आप राष्ट्रीय कृत बेंकों से इस ऋण को दीर्घकालीन ऋण बनाने के बारे में सिफारिस करेंगे।

श्री हरिसिंह : दोनों प्रकार के ऋण दिये जाते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : राष्ट्रीयकृत बेंक्स से दीर्घ कालीन ऋण नहीं दिया जाता है इस बारे में राज्य सरकार ने लिखने का फैसला किया है लोन्स दें वह दीर्घकालीन लोन्स दें।

श्री रावतराम : लिख दिया है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): लिखा गया यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन निर्णय लिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री श्रवणलाल।

प्रश्न संख्या ४६६

आयरन व स्टील की खरीद

४६. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सच है कि आयरन एण्ड स्टील सन् १६६५-६६ में राधा बल्लभ एन्ड सन्स जयपुर से खरीदा गया था ? यदि हां, तो कितना और कितनी कीमत तक ?

(२) क्या यह भी सच है कि उसका सप्लीमेन्ट्री भुगतान करीब ४० हजार रुपये का जून १६६८ में किया गया ? यदि हां, तो क्यों और कितनी कितनी राशि का बिल भुगतान किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह भी सच है कि मूल बिलों के साथ इसका भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां. तो क्यों और ३ साल बाद भुगताक करने का क्या औचित्य है ?

(४) उपरोक्त माल कब तक कितना खर्च हुआ है और कितना इस समय बचा हुआ है ?

उप मन्त्री कृषि (श्री हरिसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित किया जाय इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :

(श्री भैरोंसिंह)

मेरा निवेदन है कि क्वश्चन आवर ही पोस्ट-पोन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सारा क्वश्चन आवर ही?

श्री भैरोंसिंह : हर प्रश्न के बारे में कह दिया जाता है स्थगित किया जाय तो फिर यह रखने से क्या फायदा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामप्रसाद बोहरा।

विकास पंचायत समराई का सरपंच

४९७. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्री वृद्धिलाल सरपंच, विकास पंचायत, समराई जिला झालावाड़, ग्राम सेवा सहकारी समिति समराई के वैतनिक सचिव थे ? यदि हां, तो उन्हें कितना माहवार वेतन दिया जाता था ?

(२) क्या सरपंच पंचायत किसी भी सेवा सहकारी समिति के सचिव का कार्य वेतन लेकर कर सकते हैं ?

(३) उपरोक्त सरपंच कितने अरसे से इस पद पर कार्य कर वेतन ले रहे हैं ? उन्हें कितना रुपया वेतन के रूप में दिया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि इनके विरुद्ध सहकारी अधिनियम एवं इनके अन्तर्गत बने नियमों के तहत कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप मन्त्री सहकारिता (श्री रामदेव सिंह) : (१) जी हां। इनको भिन्न भिन्न समय पर दिये गये मासिक वेतन का विवरण संलग्न है।

(२) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम १९६५ एवं तद्अन्तर्गत निर्मित नियम तथा समिति द्वारा अंगीकृत उपनियमों में इसके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(३) वे दिनांक २७-७ ५९ से इस पद पर वेतन ले रहे हैं और इनको २८-२-७० तक ८,९६० रुपये वेतन के रूप में दिये जा चुके हैं।

(४) सहकारी अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार इनके वैतनिक सचिव रहने में कोई वैधानिक कठिनाई नहीं है। अतः इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची प्राप्त नहीं हुई है)

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि सरपंच सचिव बनकर वेतन प्राप्त नहीं कर सकता ऐसा सहकारिता का नियम है।

श्री रामदेव सिंह : जी नहीं।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या उनके पिता सहकारी संस्था में अध्यक्ष हैं ?

श्री रामदेव सिंह : यह तो अलग से प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री हरजीराम बुरडक।

विकास किरण मासिक पत्रिका को विज्ञापन

४९८. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू) :

Page No. 19

(श्री हरजीराम बुरडक)

क्या जन-सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) समाचार पत्रों में राजकीय विज्ञापन देने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? इस सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या मासिक पत्रों के लिये यह निश्चित कर रखा है कि वर्ष भर में कम से कम इतने अंक निकलने चाहिए ? यदि हां, तो कितने और उससे कम होने पर क्या कार्यवाही की जानी चाहिए ?

(३) विकास किरण मासिक पत्र को १ जनवरी १९६९ से लेकर अब तक प्रति माह सरकारी विज्ञापन कितने कितने किन किन अधिकारियों द्वारा दिया गया तथा उनको किस किस रेट से कितना कितना भुगतान किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) विकास किरण मासिक पत्रिका के १ जनवरी, १९६९ से लेकर अब तक कितने अङ्क कब कब प्रकाशित हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(५) क्या यह सत्य है कि उक्त मासिक पत्र में उपरोक्त अवधि के बहुत से अङ्कों में विभाग के एक से ज्यादा विज्ञापन छपे हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से अङ्क में किस किस विभाग के एक से अधिक कितने कितने विज्ञापन कौन कौन से छपे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(६) क्या उक्त पत्र को विज्ञापन देने तथा उसके प्रकाशन में कोई त्रुटियां पाई गई ? यदि हां, तो क्या क्या कब कब और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(७) विकास किरण मासिक पत्र के मालिक कौन हैं और इस अखबार के अलावा वह क्या कार्य करते हैं ?

उप मन्त्री जन-सम्पर्क (श्री हीरालाल देवपुरा) (१) समाचार पत्रों को राजकीय विज्ञापन दिए जाने के लिए विज्ञापन नियम बने हुए हैं, नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) एक नियमित पत्र को अपनी नियत-तालीका के अनुसार कम से कम ९० प्रतिशत अंक निकालने चाहिए। इस अनुपात से कम अङ्क प्रकाशित करने पर पत्र अनियमित बन जाता है विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में ध्यान रखा जाता है और आवश्यकतानुसार इस बारे में सम्बन्धित पत्र का ध्यान भी दिलाया जाता है।

(३) जन-सम्पर्क विभाग द्वारा विकास किरण मासिक पत्र को एक जनवरी १९६९ से फरवरी १९७० तक कुल १९½ पृष्ठ विज्ञापन दिया गया है। इस पत्र के एक पृष्ठ की दर रुपये ३९०) है। १ जनवरी, १९६९ से फरवरी १९७० तक इस पत्र को कुल ४,४१४) रुपये का भुगतान किया जा चुका है। दिए विज्ञापनों का ब्योरा निम्न है।

जनवरी १९६९	१॥ पृष्ठ
फरवरी १९६९	२ पृष्ठ
मार्च १९६९	२ पृष्ठ
अप्रेल १९६९	१ पृष्ठ

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मई १९६९	१ पृष्ठ
जून	१ पृष्ठ
जुलाई १९६९	१ पृष्ठ
अगस्त १९६९	२ पृष्ठ
सितम्बर १९६९	२ पृष्ठ
अक्टूबर १९६९	२ पृष्ठ
नवम्बर १९६९	१ पृष्ठ
दिसम्बर १९६९	१ पृष्ठ
जनवरी ७०	१ पृष्ठ
फरवरी ७०	१ पृष्ठ
जोड़	१९।। पृष्ठ

परिवार नियोजन विभाग के विज्ञापन जो इस निदेशालय के माध्यम से दिये जाते हैं और जिनका भुगतान परिवार नियोजत विभाग ही करता है उन विज्ञापनों की संख्या एक जनवरी १९६९ से फरवरी, १९७० तक १। पेज रही है। अन्य विभाग (जैसे लाटरी विभाग) जो समाचार पत्रों को सीधे विज्ञापन देते हैं उनकी जानकारी जन सम्पर्क निदेशालय को नहीं होती।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(६) जी नहीं।

(७) विकास किरण मासिक जयपुर के मालिक श्रीविश्वनाथ वामन काले हैं, इस प्रकाशन के अतिरिक्त वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर भी कार्य करते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने उत्तर में यह बताया कि जो ९०प्रतिशत अङ्क प्रकाशित करता है उसको विज्ञापन के लिये स्वीकृत किया जाता है। पर आपने जो सूची दी है उसके हिसाब से यह पत्र निरन्तर बराबर प्रकाशित नहीं हुआ है। ९० प्रतिशत से कम है।

श्री हीरालाल देवपुरा : संख्या बराबर लगी है यह जरूर है कि दो महीनों का एक अंक निकला है पर उनमें संख्या २ की लगी है।

श्री हरजीराम बुरड़क : साल भर में एक ही बार निकले और साल भर के अंकों के १२ नाम उसमें लिख दें तो क्या आप इसे स्वीकार कर लेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें मैं आप से सहमत हूं कि एक नहीं माना जाना चाहिये पर कभी कभी ऐसा होता है तो प्रेस रजिस्ट्रार आफ इन्डिया भी इसे मान लेता है। इसी आधार पर इस एक अंक को भी दो माना गया है।

श्री भरौंसिंह (किशपोल, जयपुर) :क्या सरकार को जानकारी है कि स्टेट लाटरीज और फेमिली प्लानिंग विभाग से भी जो विज्ञापन दिये जाते हैं उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने इस सदन में घोषणा की थी कि ये भी विज्ञापन सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के माध्यम से ही जाने चाहिये।

श्रीहीरालाल देवपुरा : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : जो विज्ञापन है जन सम्पर्क विभाग के मार्फत ही दिया जाता है उन दोनों विभागों के भी, जिनका

(श्रीदौलतराम सारण)

उल्लेख आपने किया है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि जहां तक परिवार नियोजन का सम्बन्ध है वे अपनी सूची और मैटर हमारे मार्फत देते हैं पर पेमेन्ट वही विभाग करता है । जहां तक लाटरी विभागका सम्बन्ध है उसका सम्बन्ध इस विभाग से बिलकुल नहीं है ।

श्री दोलतराम सारण : क्या यह सही है कि जन सम्पर्क विभाग का उल्लेख करते हुए इन विभागों ने सीधे पत्रों से पत्र व्यवहार करके अपने विज्ञापन उनको दिये हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : जी नहीं ।

श्री भैरोंसिह : इस पत्र का प्रकाशन कब से शुरु हुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : १२-१३ वर्ष से पूर्व शुरु हुआ है ।

श्री भैरोंसिह : जिस समय से शुरू हुआ है तब से इसका प्रकाशन हर माह बराबर हो रहाहै ? क्या इसकी जांच करवाई गई है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई ।

श्री भैरोंसिहः क्या यह सही है कि जनवरी ६९ से लेकर अब तक के आंकड़े जो आपने दिये हैं उनमें डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंन्ट का भी उल्लेख है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मासिक पत्र पत्रिकाओं को डिसप्ले विज्ञापन ही मिला करते हैं ।

श्री भैरोंसिह : बाकी के तो नहीं हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मिलते ही नहीं।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या आपने यह भी देखा है कि विभाग द्वारा जिस अंक में जो विज्ञापन निकालने का आदेश दिया गया था उसका पालन हुआ है और वह विज्ञापन उसी मास के अंक में प्रकाशित हुआ है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हां ।

श्री हरजीराम बुरड़क : जिस अंक के लिये विज्ञापन दिया गया वह तो उस महिने में प्रकाशित ही नहीं हुआ, अगले महिने में जब सम्मिलित अंक निकाला तो उसमें एक ही पुस्तक में दो विज्ञापन हैं दो महीनों के नाम से, क्या यह धन का दुरूपयोग नहीं है और उस एक ही पुस्तिका में दोनों महीने में अंक निकाल दिये गये थे, तो उसी में दो बार विज्ञापन दो महिनों के नाम से देने से क्या लाभ ? एक विज्ञापन कैंसिल किया जाना चाहिये था और एकही काफी होना चाहिये था ?

हीरालाल देवपुरा : संयुक्त अंक होने से दो महीनों का विज्ञापन दो बार आना स्वाभाविक था । इसको रजिस्ट्रार आफ इण्डिया भी मानता है ।

श्री भैरोंसिह : यही तो रूल्स का वायोलेशन है और धन का दुरूपयोग है ।

हीरालाल देवपुरा : प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया इस प्रकाशन को ठीक मानता हैं पर अब भविष्य के लिये प्रकाशक महोदय को लिखा गया है और जवाब भी मांगा गया है ।

बिजोलिया क्षेत्र में औषधालय

४९९ श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़):

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि माण्डलगढ़ तहसील के बिजोलिया क्षेत्र में एक एक और दो दो माइल की दूरी पर चार औषधालय खोले गये हैं ? यदि हां तो किस किस गांव में कब कब खोले गये ?

(२) क्या यह सही है कि बिजौलिया में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी है ? यदि हां, तो जहां आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये हैं, वे बिजोलिया से कितने दूर हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि झझोला, मानपुरा, सरथला, थल बिकरन, मांडला, राजगढ़, जाल्यहट वाड़ा, सूरास आदि बड़े गांव ऐसे हैं जहां आज भी आयुर्वेदिक औषधालय तक नहीं हैं जब कि ये चारों तरफ से बस रूट से कटे हुए हैं और वर्षा की मौसम में तो रास्ता एक दम बन्द हो जाता है ? क्या सरकार कम से कम कम्पाउन्डर वाले औषधालय इन गांवों में जो कि पंचायत के प्रधान कार्यालय भी हैं, खोलने का विचार रखती है ?

उपमंत्री आयुर्वेद (श्री समर्थराज): (१) जी नहीं। बिजौलिया क्षेत्र में सन् १९६७ ६८ में निम्न चार स्थानों पर औषधालय खोले गये हैं :

१ : छोटी बिजोलिया, २ : जलीन्दी, ३ : तिलस्वा, ४ : थडोदा इनमें केवल छोटी बिजोलिया एवं थडोदा औषधालय परस्पर दो मील की दूरी पर हैं।

(२) जी हां। चारों औषधालय बिजोलिया से पांच मील की दूरी पर हैं।

(३) जी हां, इन ग्रामों में से केवल मांडपुरा व झझोला के प्रस्ताव इस वर्ष प्राप्त हुए किन्तु नियमित रूप से जिला परिषद् द्वारा नहीं थे, कम्पाउन्डर वाले औषधालय खोलने की परिपाटी नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : खेत से खेत जहां मिले हैं वहां तो आपने खोल दी इसके लिये बधाई देता हूं, कि वह मेरे ही क्षेत्र में है, पर क्या यह न्यायसंगत है ? पर जहां आसपास में कोई नहीं है, दूर है, और अच्छा गांव है जहां ज्यादा जरूरी है वहां झझोला में नहीं खोला गया तो यह क्या क्राइटेरिया है सरकार का ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : (राज्यमन्त्री) : उसका प्रस्ताव आया है। सरकार के यह विचाराधीन है।

स्थगित प्रश्न

जवांई बान्ध की डूब में आई भूमि

६३. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) तहसील बाली, जिला पाली के ग्राम सेणा, जावदा, दूदणी, व बिसलपुर के कितने काश्तकार जवांई बांध में अपनी खातेदारी की भूमि डूब जाने के फलस्वरूप भूमिहीन हो गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रक्खे।

(२) क्या गांव सेणा की आबादी पानी का पीचका एवं गोचर भूमि सब के सब जवांई बांध की डूब में आगये हैं ? यदि हां, तो उनके पुनर्वास हेतु उन्हें कहां पर आबादी भूमि आवंटित की गई और कहां पर उन्हें गोचर एवं पीचका दिया गया है ? उनके पुनर्वास

(श्री पृथ्वीसिंह)

एवं मुश्राजेमें उन्हें खातेदारी की भूमि कहां पर आवंटित की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम सेरणा जोवदा एवं बूदणी के काश्तकारों की जिनकी भूमि पानी से डूब गई है एवं जिन्होंने डूबी हुई भूमि पानी से निकालने पर काश्त किया है उन पर धारा ९१ के मुकदमें चलाये जाकर जुर्माना किया गया है । यदि हां, तो इसकी सूची सदन की मेज पर रक्खें ।

उप मन्त्री कृषि (श्री हरिसिंह) : यह प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्ध रखता है इसलिये इसका वे ही उत्तर देंगे अध्यक्ष महोदय ।

श्री पृथ्वीसिंह : यह प्रश्न ११. ३. ७० को राजस्व विभाग को ही पूछा गया था । तब यह कह कर इसे स्थगित किया गया था कि इसका सम्बन्ध उपनिवेशन विभाग से है आज उपनिवेशन विभाग कहता है इसका सम्बन्ध राजस्व विभाए से है यह क्या तमाशा है ?

श्री अध्यक्ष : यह स्थगित प्रश्न है । यह प्रश्न उस समय ही उठा दिया जाना चाहिये था ।

श्री पृथ्वीसिंह : आज ये खड़े होकर कहते हैं कि यह उनसे सम्बन्ध नहीं रखता, राजस्व विभागसे संबंध रखता है,मैंने उस दिन बहुत जोर देकर कहा था कि यह राजस्व विभाग का है ।

श्री अध्यक्ष : इस सारी स्थिति का मैं अध्ययन करके आपसे निवेदन करूंगा ।

श्री पृथ्वीसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं जबसे विधानसभा में आया हूं इस प्रश्न को तब से उठाने की चेष्टा करता रहा हूं, पर सरकार की नीयत उत्तर देने की नहीं है । यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य । मैं नहीं समझता कि ५३ से उस क्षेत्र में बरसात ही नहीं हो रही है, वरना तो ये सब गांव बह जाते अब तक तो ।

श्री अध्यक्ष : यहां भाषण देने से तो कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : भाषण नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह तो पीड़ा है ।

श्री पृथ्वीसिंह : ये गांव डूब गये होते अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री रावतराम ।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इसका जवाब नहीं देगी । यह अकर्मण्य है कुछ करना नहीं चाहती उस क्षेत्र में जानबूझ कर जवाब टाल रही हैं । इसका उत्तर सदन में दिलवाया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न मेरे पास बहुत से हैं । अभी बाकी ।

श्री पृथ्वीसिंह : मच्छर वहां पर होते हैं ।

श्री अध्यक्ष : दूसरे स्थगित प्रश्न और हैं । स्वायत शासन मन्त्रीजी आरम्भ करिये ।

(पृथ्वीसिंह बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बहुत हो चुका ।

(श्री पृथ्वीसिंह फिर भी बोलते रहे)

मैंने निवेदन किया है माननीय सदस्य ।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दो साल से यह प्रश्न पूछ रहा हूं . . .

श्री अध्यक्ष : मैंने यह निवेदन किया है कि यह प्रश्न पहले आया था उस समय स्थगित करवाया फिर स्थगित हुआ और स्थगित करवाया यह विषम स्थिति इस प्रश्न की कैसे हुई है मैं इसका अध्ययन करके राज्य सरकार को आगाह करूंगा। दूसरे मैं यह चाहूंगा कि प्रश्न आपका जल्दी आ जाये।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं ....

श्री अध्यक्ष : आपके निवेदन से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप दूसरे स्थगित प्रश्न नहीं लेने देना चाहते हैं। श्री रावतराम का स्थगित प्रश्न है।

(श्री पृथ्वीसिंह बोलते रहे)

गंगासहायजी का स्थगित प्रश्न है, भगवान दास शास्त्री का स्थगित प्रश्न है इन सबको कह दिया जाये कि नहीं लिये जायें।

(श्री पृथ्वीसिंह फिर भी बोलते रहे)

माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो। माननीय मन्त्री महोदय आरम्भ रखें।

एक माननीय सदस्य : एक आश्वासन दे दिया जाये..

श्री अध्यक्ष : मैंने काफी आश्वासन दे दिये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार की ओर से एक मन्त्री जान बूझकर कितनी ही बार आसन के आदेश देने के बावजूद उत्तर नहीं दें तो क्या यह कन्टेम्प्ट ऑफ दी हाउस नहीं है? और क्या माननीय अध्यक्ष इसे कन्टेम्प्ट आफ दी हाउस को मानकर मन्त्री जी को आदेश देंगे कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : यह ब्रीच आफ प्रिवलेज है या कन्टेम्प्ट आफ दी हाउस है यह प्रासीजरल इश्यू है और इसको प्रासीजर के माफिक उठाया जा सकता है मैं कन्टेम्प्ट मानकर इसका जवाब दे दूं यह नहीं हो सकता। हमारे नियम हैं। अधिक से अधिक जैसा मैंने निवेदन किया कि यह स्थगित पर स्थगित प्रश्न है और मैं राज्य सरकार को आगाह कर सकता हूं सारी स्थिति का अध्ययन करके।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल : अगर सरकार जानबूझ कर प्रश्न को टालने की कोशिश करे तो क्या इसकी डिटेलमें नहीं जाया जा सकता है?

श्री अध्यक्ष : जाया जा सकता है। आर्डर नेक्स्ट, स्वायत शासन मन्त्री।

स्थगित प्रश्न

(२५-३-७०)

छापर में स्वीपर्स की हड़ताल

२८० **श्री रावतराम (छापर सु.)** : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) छापर नगर पालिका (चुरु) के स्वीपर्स कर्मचारियोंने कब से हड़ताल कर रखी है तथा हड़ताल के क्या कारण हैं?

(श्री रावतराम)

(२) क्या यह सही है कि स्वीपर्स कर्मचारियोंका पिछले महीनों का वेतन बकाया है ? यदि हां तो किन किन कर्मचारियों का कितना कितना वेतन बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) बकाया वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा तथा इस संबन्ध में विभाग क्या कदम उठा रहा है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री श्री भीखाभाई :

(१) बकाया वेतन की मांग को लेकर दिनांक १५-१०-६९ से ।

(२) जी हां, बकाया वेतन की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) शीघ्र ही राज्य सरकार ने दिनांक २१-३-७० को बकाया वेतन चुकाने के लिए २७,०००) रूपयों का ऋण स्वीकृत कर दिया है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, यह जो सची दी गयी है बकाया वेतन की इसमें तो कुछ भी नहीं दिया है । अध्यक्ष महोदय, इस हड़ताल की आपको भी जानकारी है और गत ५ महीनों से नगरपालिक के स्वीपर्स चिल्ला रहे हैं और एस लिए चिल्ला रहे हैं कि मेडिकल अलाउन्स मंहगाई भत्ता और वेतन इस तरह से कुल मिला कर लगभग ७० हजार रुपया म्युनिसिपेलिटी में बकाया निकलता है । उसकी एवज में एक पैसा आज तक नहीं दिया है और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि २७ हजार का लोन दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि आपकी नगरपालिका क्या करती है । जो टैक्स लगाती है उनकी वसूली का क्या हुआ नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरे कर्मचारी हैं वह तनख्वाह कहां से उठाते हैं जब स्वीपर्स को तनख्वाह नहीं दे सकते तो यह तो और भी शर्म की बात है गांधी शताब्दी वर्ष में ७० हजार को बकाया है और बारह महीने से परेशान हैं । सारा शहर गन्दा पड़ा है और कूड़े के जगह -जगह ढेर पड़े हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा और मैंने कल भी निवेदन किया था कि आप इन्टरफिरेन्स करें । यह गरीबों का मामला है और ७० हजार का चुकारा होना है । स्पष्ट आपकी नीति क्या है और क्या करने जा जा रहे हैं ?

श्री भीखा भाई : जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा कि स्वीपर्स का सवाल है और ऊपर वालों का है राज्य सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करती है और इस लिए ही तो ऋण दिया है और जो सूची है उसके अनुसार ९८५६ रूपये बकाया वेतन के हैं जिसकी सूची माननीय सदस्य को दे दी और इसके अलावा १९६६ का १३५४६ रूपया भी उसमें सम्मिलित किया गया है । माननीय सदस्य कहते हैं कि और भी बाकी है तो उसको देख लिया जायेगा । लेकिन मैं कहूँगा कि छापर नगरपालिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । अगर सरकार को विचार करना पड़े कि नहीं चल सकती है तो विचार किया जा सकता है कि उसे दूसरी ग्राम पंचायतों के अन्दर परिवर्तित कर दिया जाये । वैसे ऐसी आशंका नहीं है कि ऐसा होगा । लेकिन जहां तक उसकी आर्थिक स्थिति का ताल्लुक है मुझे प्रशासक मिले और मैंने उन से बात की । कुछ ऐसे लोग थे जिनको हटाया गया है और आर्थिक स्थिति ठीक होने

(श्री भीखाभाई)
पर कुछ आय होने की बात भी उन्होंने मुझे बताई।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि हड़ताल से पहले इन स्वीपर्स ने राज्य सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें इसका उल्लेख था कि उनकी किस किस प्रकार और कितनी रकम नगर पालिका में बाकी है? और क्या यह सही है कि उस ज्ञापन की राज्य सरकार ने जांच करवाई ? तो जांच के आधार पर कितनी बकाया निकली यह बताने की कृपा करें।

श्री भीखाभाई : यह आफ हैंड याद नहीं है और माननीय सदस्य जैसा बता रहे हैं उनका ज्ञापन जरूर आया था ? वह जनरल टर्म्स पर था या कौन सा था मुझे उसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह बता सकते हैं कि टोटल बकाया कितनी है ?

श्री भीखाभाई : अभी जो विभाग से जानकारी मिली है नामवार वह १३ आदमियों को सूची माननीय सदस्य को दे दी है और उसके साथ में जो डिक्री १३५४६ रुपये की १९६६ में हुई थी उसकी रकम भी उसमें सम्मिलित कर ली है।

श्री भैरोंसिंह : क्वश्चन यह नहीं है। आप क्या मानते हैं फिगर्स बताई उससे ज्यादा बकाया नहीं है।

श्री भीखाभाई : मैंने यह नहीं कहा है। उनकी डिमाण्ड हुई होगी लेकिन उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इन सफाई मजदूरों की बकाया कब से नगरपालिका में चलती आ रही है ?

श्री भीखाभाई : मैंने बता दी।

श्री लालचन्द वैद्य (सुजानगढ़) : १९६७ के अन्दर मजदूरों ने अपने वेतन के लिये हड़ताल की थी और मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा यह समस्या सामने रखी थी।

श्री भीखाभाई : हड़ताल चल रही है और उसका समाधान भी हो रहा है।

श्री रावतराम : यह मामला बहुत स्पष्ट है....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आप कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लेकिन जिन्होंने काम किया है उनको वेतन तो देना ही होगा।

श्री भीखाभाई : सरकार ने कर्ज दे दिया है और भी कोई बात है तो देख ली जायेगी।

श्री रावतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय स्थिति यह है कि जैसा आप कह रहे हैं कि २७ हजार रुपये उनको ऋण दिया जा रहा है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं १९६६ का बकाया है, कुछ ६७ का बकाया है, कुछ ६९ का बकाया है और टोटल मिलाकर ७० हजार रुपया है। आप जानकारी चाहें तो नगर-पालिका से आप कर सकते हैं। अब टालने की कोशिश मत कीजिए। कोर्ट से डिक्री हुई और आपका मेडिकल अलाउन्स, मंहगाई भत्ता और वेतन का ७० हजार रुपया बकाया है और २७ हजार की व्यवस्था कर रहे हैं तो बाकी का पैसा कौन देगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री रावतराम)

कि आपको उदारतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा आप कहते हैं कि छापर नगर पालिका की आर्थिक स्थिति खराब है, क्यों है खराब ? आपके टैक्सों की चोरी होती है और लोगों ने नाजायज तौर पर जमीनों पर कब्जा कर रखा है। तो जमीनों को आप नीलाम क्यों नहीं करते हैं और जमीन के बेचने से ही १ लाख रुपया आ सकता है।

श्री लाभचन्द वैद्य : अध्यक्ष महोदय, इसकी बकाया मैंने अपने कटौती-प्रस्ताव में भिन्न भिन्न बताई थी और उसका जोड़ ७० हजार रुपया होता है।

श्री अध्यक्ष : बकाये की क्या व्यवस्था है चुकारे की ?

श्री भीखाभाई : जो चुकारा मेरी जानकारी में आया है उसकी व्यवस्था कर दी है। इससे अधिक और कोई बकाया बनता है तो उसके बारे में निवेदन करता हूं कि मैं प्रशासक को बुला लूंगा और जो यूनियन के प्रतिनिधि को बुलाकर बात करके....व्यवधान....

श्री दौलतराम सारण : ये नगरपालिका के प्रशासक कब से नियुक्त हैं और प्रशासक को क्या वेतन और भत्ता मिलता है। क्या उनका वेतन-भत्ता ६६ से बकाया है सैक्रेटरी और प्रशासक का वेतन, भत्ता बकाया कब से हैं और कब से वे नियुक्त हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो गैरहरिजन स्टाफ हैं उसका कितना बकाया है ?

श्री मुकटबिहारी गोयल (बयाना) : हरिजनों के अलावा और लोगों का भी किसका कुछ बकाया है क्या ?

श्री भीखाभाई : स्वीपर्स के बारे में जानकारी चाही थी वह जानकारी मैंने दी है। दूसरों की जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह बात क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है।

श्री दौलतराम सारण : उन्होंने सैकड़ों रजिस्टर्ड लेटर भेजे हैं और उनके प्रतिनिधि मंडल मिले हैं, हाउस में प्रश्न आये हैं और अनेक तरह से प्रक्रिया और नियमों के अन्तर्गत यह प्रश्न उठाया गया है उसके बाद भी मंत्री महोदय कहते है कि उनको जानकारी नहीं है। ६४ से वेतन नहीं मिला हरिजनों को। वे भूखों मर रहे हैं और हड़ताल हो रही है और उसके बाद में भी कहते हैं कि जानकारी नहीं है ...

श्री भीखाभाई : वह आवश्यक नहीं है..

श्री लाभचन्द वैद : मंत्री महोदय बात नहीं करते हैं....

श्री दौलतराम सारण : यहां पर ये सैकण्ड ग्रेड के सैक्रेटरी भेज देते हैं जिनको भेजने का इनको अधिकार नहीं है।

श्री रावतराम : २७ हजार का लोन दिया जब कि ७० हजार बकाया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मै आपके माध्यम से कहूंगा मुख्य मंत्री जी से तीन वर्ष की बकाया चल रही है तो इसका समाधान होना चाहिए।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, छोटी म्युनिसिपैलिटीज के लिए

Page No. 28

(श्रीमती कांता कथूरिया)

बहुत आवश्यक है...

श्री अध्यक्ष : इसी लिए मै खड़ा हो गया हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह से प्रश्न और उत्तर से तो कोई निर्णय निकलेगा नहीं. . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो कैसे हो ?

श्री अध्यक्ष : मैं सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज को और एडमिनिस्ट्रेटर को भी यहां बुलाकर कितना वेतन अवशेष है, बकाया है इस सारे को समझ कर फिर वह कुछ निर्णय लेना चाहते हैं। तो इस बीच में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे कितने समय में बुला लेंगे, ताकि माननीय सदस्य जो इसमें उग्र हैं, जिन्होंने प्रश्न पूछा है वे भी आपके साथ बैठकर इस प्रश्न को समझकर सुविधा जनक हल निकल सके तो देख लें।

श्री नरथीसिंह: अगर वह निकलेगी बकाया तो उस बकाया की भुगतान निश्चित तौर से की जायगी।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज हैं जिनके बारे में आपकी जानकारी में रखना चाहती हूं कि वहां पर १२ १२ महीनों से वेतन नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : वह अलग से प्रश्न है। इस प्रश्न को स्थगित करता हूं और इस बीच में जैसा कि मैंने सुझाव दिया है....

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा. मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा, मैंने कटौती प्रस्ताव रखा, लेकिन आपने कभी मन्जूर नहीं किया और आज इस प्रश्न को भी स्थगित कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप कहते हैं तो स्थगितन करूं। स्थगित आपके हित में कर रहा हूं। मैं इसको स्थगित करता हूं तीन दिन के लिए और जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा उन सब को बुलालें और माननीय सदस्य को भी बुला लें।

श्री रावतराम : एक जानकारी....

श्री अध्यक्ष : अब कोई जानकारी नहीं।

श्री गंगा सहाय।

स्थगित प्रश्न
(२५-३-७०)

अलवर में हनुमान जी के मन्दिर की बुर्ज का निर्माण

२८६. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) क्या यह सही है कि अलवर में खण्डेलवाल छात्रावास के उत्तर की ओर जो हनुमान जी का मन्दिर है उसकी बुर्ज गत २ वर्ष पूर्व नगर परिषद् अलवर ने बीस हजार रूपया लगा कर बनवाई थी ?

(२) क्या यह सही है कि यह बुर्ज अगस्त १९६९ की वर्षा में गिर गई है।

(३) क्या सरकार ने इसके इतने अल्प समय में ही गिर जाने के कारणों की जांच कराई है ?

श्री नत्थीसिंह : इसका जवाब आपको देना होगा हनुमानजी का मामला है।

स्वायत शासन मंत्री (भीखाभाई) : (१) नगर परिषद, अलवर ने बुर्ज का निर्माण कार्य जिसकी अनुमानित लागत २८६२६ रु० की थी ठेकेदार द्वारा दि० २९-३-६५ को प्रारम्भ करवाया था। ठेकेदार को १३,९६४ रु० दिया गया है। कार्य पूरा नहीं हुआ है।

(२) वर्षा के कारण ऊपरी हिस्सा गिर गया है।

(३) नगरपरिषद् द्वारा बुर्ज के कार्य की जांच गिरने से पूर्व ही कराई गई थी। मसाले की जांच के लिए राजकीय परीक्षण शाला को लिखा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

श्री गंगासहाय : क्या मन्त्री महोदय यह बतलायेंगे कि जांच रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायगी और प्राप्त होने के बाद दुबारा कब तक निर्माण करवा दिया जायगा ?

श्री भीखाभाई : निर्माण तो जैसा की आपने कहा कि हनुमानजी का मामला है तो होगा ही।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि आज से तीन दिन पहले जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई ?

श्री भीखाभाई : मुझे जानकारी होती तो 'ना' थोड़े ही कहता।

श्री भैरोंसिंह : हनुमानजी को याद रख कर के कहें कि तीन दिन पहले आपको रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई ?

श्री भीखाभाई : हमेशा जो कहता हूं तो नाम लेकर कहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री शास्त्री।

नगर परिषद्, अजमेर द्वारा दुकानों का निर्माण

२८७. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि अजमेर नगर परिषद् द्वारा स्टेशन के सामने घण्टा घर के पास केबिन्स को हटाकर पक्की दुकानें बनाई जा जा रही है ? यदि हां, क्या उन समस्त व्यक्तियों को जो कि आरम्भ से ही दुकानों में बसे हुए हैं, दुकानें दी जावेंगी ?

(२) क्या यह सही है कि प्रथम योजना बनाई हुई थी उसको आयुक्त नगर परिषद् ने अपनी इच्छानुसार बदल दिया है ? यदि हां तो आरम्भ का तथा बदला गया प्लान सदनकी मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि दुकानदार जो बाहरी हिस्से में बसे हुए हैं, उन्हें अन्दर के हिस्से में स्थानान्तरित किया जायगा ? यदि हां तो क्यों ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। दुकानें बन जाने पर दुकानें देते उस समय उन केबिन्स वालो को प्राथमिकता दी जावेगी जो आरम्भ से ही इन केबिनों में बसे हुए हैं और जिन पर नगरपरिषद की प्लेट लगी हुई है।

(२) यह सत्य नहीं है कि स्वीकृत योजना को आयुक्त नगरपरिषद्, अजमेर ने अपनी इच्छानुसार बदल ली है।

(श्री भीखाभाई)

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(३) यह जरूरी नहीं है कि बाहर झांकते हुए सभी केबिन वालों को बाहर झांकती हुई नव-नर्मित दुकानें मिलि जाय । हो सकता है कुछ को अन्दर वाली दुकानें मिलें, किन्तु अन्दर वाली दुकानें भी वैसी ही महत्वपूर्ण होगीं जैसे बाहर वाली ।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि चूंगी चोकी घण्टाघर के साथ लगी हुई ७ केबिनें हैं उनको नगरपरिषद् द्वारा नोटिस दिया गया था कि इस स्थान को खाली किया जाय और आज तक खाली की या नहीं यह आप मुझे बताने की कृपा करें ।

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री भगवान दास शास्त्री । बात एसी है कि जो घण्टाघर चुंगी चौकी हैं वहां पर ७ केबिनें है ।

श्री भीखाभाई : आप जानकारी चाहते है तो सारे नक्शे मंगा रखे हैं और मैं आप से बात करने को तैयार हूं ।

श्री भगवान दास शास्त्री : मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि ७ केबिन्स को नोटिस दिया गया था लेकिन उन्होंने आज तक खाली नहीं किया और न नगरपरिषद् द्वारा खाली करवाया गया या हटाया गया तो इन ७ केबिनों के हटाने में जितनी दुकाने बनेंगी तो बाहर वाली एक एक दुकानें सीरियल वाइज आजायेगी । तो मेरा प्रश्न बिल्कुल साफ है कि जो बाहर हैं और जो अभीतक जमें हुए हैं उनको बाहर वाली दुकानें चाहे छोटी दुकाने हों वह दी जायें । मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं और न किसी के पक्ष में हूं आप सिरियल वाईज बाहर की दुकानें चाहे छोटी दुकानें हो जाये देने की कृपा करेंगे कि नहीं ।

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया है प्रश्न के भाग ३ के उत्तर में कि बाहर और भीतर की दुकानों में किसी प्रकार का फर्क नहीं होगा और इसी प्रकार की योजना बनाई गई है । इसका कारण क्या है कि दोनों तरफ एप्रोच रोड दे दी गई हैं इससे जितना बाहर की दुकानों को लाभ होगा उतना ही अन्दर की दुकानों को इससे माननीय सदस्य सन्तुष्ट न हो तो मौके पर बताएं । मैं आपके साथ चला चलूंगा और अगर वह ठीक लगा तो उस पर कार्यवाहीं करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जैतारण तहसील के गावों में नल कूपों का निर्माण

४६६. **श्री शंकर लाल (जैतारण)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गांव मोहराई तहसील जैतारण में नल कूपों की सम्भावना का सर्वेक्षण किया जाकर मुख्य अभियन्ता भू-जल एवं सचिव राजस्थान भू-जल मन्डल जोधपुर ने स्थान उपयुक्त का पत्र दिनांक ५-४-६९ को उपमंत्री को प्रेषित कर दिया और गत वर्ष उसकी स्वीकृति भी हुई थी ?

(२) क्या यह सही है कि जैतारण तहसील के गांवों के काश्तकार इन नल-कूपों से होने वाली सिंचाई से लाभान्वित होंगे और वे सिंचाई की रेट देने को भी सहमत हैं ?

Page No. 31

(श्री शंकर लाल)

(३) इन नल-कूपों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(१) जी हां। अकाल राहत कार्यक्रम १९६९-७० में १०० नलकूप बनाने की योजना के अन्तर्गत ग्राम मोहरांई, तहसील जैतारण, भी सर्वेक्षण कर नल कूप का स्थान चयन किया गया था। किन्तु इस योजना को, २५ नलकूप बनाने के बाद, बन्द कर दिया गया तथा इस स्थान पर नलकूप न खुद सका।

(२) इन स्थानों पर नलकूप खोदने की अभी कोई योजना नहीं है। किन्तु जैतारण तहसील की सर्वेक्षण की जा चुकी है तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट भी तैयार हो चुकि है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में नलकूपों के लिये उपयुक्त स्थानों को दर्शाया गया है। कुछ विशेष तकनीकी जानकारियों की जा रही है।

(३) अभी इन स्थानों पर नलकूप खोदने की कोई योजना तैयार नहीं है।

श्री माधोपुर की जल योजना

४७१. श्री धनमल चोहला (लक्ष्मणगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि सीकर जिला के अन्तर्गत श्री माधोपुर जल योजना के पाइप बिछाने के जो टेन्डर दिये गये थे, उनको रद्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सही है कि फिर उक्त पाइप लाइन का कार्य बिना टेन्डर सिड्यूल रेट पर ठेकेदार को दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त कार्य के लिये सिड्यूल रेट पर दिये गये आदेश के पहले कोई ठेकेदार ३०% कम रेट पर कार्य करने को तैयार था, फिर भी ठेका नहीं दिया गया ?

(४) क्या यह सही है कि विभाग के मुख्य अभियन्ता को यह सूचित कर दिया गया था की यह कार्य सिड्यूल रेट पर न देकर टेन्डर द्वारा दिया जावे ? यदि हां, तो उसके बाद भी शिड्यूल रेट पर कार्य क्यों दिया गया ?

(५) क्या यह भी सही है कि जिस ठेकेदार को यह कार्य दिया गया उसने टेन्डर भी दिया था ? यदि हां, तो फिर उसे शिड्यूल रेट पर क्यों दिया गया ?

उत्तर

१. जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता

२. जी हां।

३. जी नहीं।

४. जी हां निर्णय पत्र आने से पूर्व ही नियमानुसार दिया जा चुका था।

५. टेन्डर लिए ही नहीं गये।

जालौर व सिरोही जिलों में काम में आ रहे रोड रौलर

४७३. श्री मदनसिंह (सिरोही) : क्या सार्वजनकि निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जालौर व सिरोही जिलों में कितने रोड रोलर सार्वजननिक निर्माण विभाग द्वारा दिये हुए हैं ?

(श्री मदन सिंह)

(२) उनमें से कितने रौलर सिरोही जिले में कार्य कर रहे हैं और कौन कौन से स्थान पर ?

(३) जालौर में जो रोलर कार्य कर रहे हैं उनकी क्या संख्या है और वे कहां काम कर रहे है ?

(४) किराये से सिरोही व जालौर के जिलों में कितने रौलर मंगाये गये और उन्हें कौन कौन से स्थानों पर लगाया गया है ?

(५) गत साल जालौर जिले में कितने रौलर कहां कहां कार्य कर रहे थे ?

उत्तर

(१) सिरोही और जालौर जिले में क्रमशः ६ व १५ रौलर कार्य कर रहे हैं।

(२) ६ रौलर कार्य कर रहे हैं।

भीलवाड़ा से मौरस पर	१
खेदर से जसवन्तपुरा पर	१
आबू रोड़ से पोसीना	१
शिवगंज से जवाल	१
बरलूट से जवाल	२

(३) १५ रोड़ रौलर कार्य कर रहे हैं।

आहोर से रोहिर	४
जलौर से भीनवाल	८
सांचोर से पीरका जाल	
गुजरात सीमा तक	१
के शवाना से सायला	२

(४) सिरोही व जालौर में क्रमशः २ व ५ रोड़ रौलर प्रोजेक्ट के अलावा किराये पर लिये गये हैं।

(५) गत वर्ष जालौर जिले में ८ रोड़ रौलर कार्य कर रहे थे।

आहोर रोहिट	२
जालौर मवकलसर	२
जालौर भीनमाल	३
रानीवारा सांचौर	१

कृषि फार्म रींया

४७५. श्री गोवर्धन सोनी (मेड़ता) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम रींया नागोर का कृषि फार्म व्यवस्था के लिये राज्य सरकार ने पंचायत समिति को दे रखा है ?

(२) क्या सही है कि वह कृषि फार्म निरन्तर घाटे में चल रहा है ? कृपया अब तक का हर वर्ष के नफे नुकसान का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या सही है कि कृषि फार्म पर पंपिंग सेट एवं ट्रेक्टर भी है ? कृपया ट्रेक्टर के तेल एवं मरम्मत के प्रति वर्ष के खर्चे की लागत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सही है कि कृषि फार्म में गडबड़ी व घोटाले की शिकायत राज्य सरकार

Page No. 33

(श्री रामसिंह कुड़ी)

को दी गई ? कैस भी बना एवं राज्य सरकार ने उसे पुनः हस्तगत करने के आदेश भी दिये परन्तु अब तक पुनः हस्तगत नहीं किया गया ?

(स्थगित किया गया)

राज्य कर्मचारियों एवं नगरपालिका कर्मचारियों के वेतन भत्तों में अन्तर

४७६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य कर्मचारियों एवं नगरपालिका कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि में जो अन्तर है उसको दूर करने की दृष्टि से क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

(२) क्या नगरपालिका कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि में वृद्धि किये जाने हेतु सिफारिश करने के लिए सरकार वेतन आयोग नियुक्त करने का विचार रखती है ?

(३) नगरपालिका कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन क्या मिलता है और उसी पद का न्यूनतम वेतन राज्य कर्मचारी का क्या है ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम अटरू की जल योजना

४७१. श्री नन्द लाल (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम अटरू जिला कोटा में पेय-जल नल योजना चालू है ?

(२) इस योजना पर राज्य सरकार कितना धन व्यय कर चुकी है ?

(३) क्या यह सही है कि यह योजना आज कल बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो किस कारण से बन्द है ? क्या राज्य सरकार ने इसे चालू करवाने हेतु कोई कदम उठाये हैं ?

उत्तर—

(१) जी हां।

(२) रुपये १,१०,४७१ (फरवरी ७० तक)

(३) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। योजना चालू है।

पुलिस थाना फुलेरा में दर्ज मामला

४७८. श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक ७-८-६९ को अथवा इसके आस पास श्री भगवानाराम माली पुत्र श्री बक्शाराम निवासी नया गांव सरहद पालवास जिला जयपुर ने पुलिस थाना फुलेरा में एक रिपोर्ट श्री गंगाराम श्योकरण केसर आदि के खिलाफ हमला करने की बाबत की थी ?

(२) यदि हां तो इस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की और अभी तक मुकदमे का चालान अदालत में पेश नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर—

(१) जी हां, यह रिपोर्ट दिनांक ७-८-६९ को हुई थी।

(गृह मन्त्री)

(२) पुलिस ने इस घटना का मुकदमा नं० ८७ दिनांक ७-८-६९ धारा १४७,४४७,आई. पी. सी. में दर्ज कर तफतीश की। तफतीश से मामला साबित नहीं हो सका अतः मुकदमे में एफ० आई० आर० दिनांक २७-१-७० को दे दी गई।

गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में नगर-पालिका नैनवा द्वारा योगदान

४७९. श्री नन्दलाल बैरवा(पाटन सु.) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नैनवा एस. डी. एम. ने २६ जनवरी, १९७० को गणतन्त्र दिवस का कार्यक्रम बनाने के लिये बैठक का आयोजन किया था ? अगर हां, तो कब और किन किन को बुलाया गया ?

(२) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका नैनवा की ओर से गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष में प्रशासक इस कार्यक्रम में योगदान नगरपालिका की ओर से दिया था ?

(३) क्या नगरपालिका द्वारा दिये गये अनुदान की शिक्षा संस्था में मिठाई आदि वितरण करने का भी आयोजन किया गया था ? अगर किया गया था तो कौन कौन सी शिक्षा संस्थाओं को मिठाई वितरण की गई ? क्या यह सही है कि वितरण की गई मिठाई को छात्र छात्राओं को न देने के लिये अध्यापकों ने धमकियां दीं? यदि हां, तो किन किन अध्यापकों ने तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

ऋण देने के नियम

४८६. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों एवं मंत्रियों को ऋण दिया जाता है ? यदि हां, तो किस किस कार्य हेतु ? ऋण देने के क्या नियम हैं ? नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(२) क्या सरकार द्वारा इस पर विचार किया गया है कि बैंक राष्ट्रीयकरण होने के बाद अब बैंक भी इसी प्रकार के ऋण कोस्वीकृति करती है? यदि हां तो फिर सरकार द्वारा यह ऋण देने का प्रावधान क्यों नहीं हटाया जाता ?

(३) क्या सरकार अब ऋण देना बन्द करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां। सरकार राज्य कर्मचारियों को वाहन क्रय करने के लिये तथा भवन निर्माण हेतु ऋण देती है। मंत्रियों को मोटर कार क्रय करने हेतु ऋण दिया जाता है।

निम्न लिखित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है :—

१. वाहन क्रय ऋण नियम।

२. भवन निर्माण ऋण नियम।

३. राजस्थान मंत्री (मोटर कार के क्रय के लिये ऋण) नियम, १९६५।

(मुख्य मन्त्री)

२. व ३. जी हां, बैंक राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात् बैंकों से इस सम्बन्ध में बातचीत की गई है, बैंक भवन निर्माण के लिये ऋण देने को तैयार नहीं है। बैंक आफ राजस्थान सरकारी कर्मचारियों को वाहन क्रय करने हेतु ऋण देने के लिये सहमत हो गई है और इस सम्बन्ध में नियम भी जारी कर दिये गये हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर जिले के राजपत्रित अधिकारी

५१२. श्री गंगासहाय (कठुमर सु.): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या अलवर जिले में ऐसे राजपत्रित अधिकारी भी हैं जिनको जिले में कार्य करते हुए २ वर्ष से अधिक हो चुके हैं? यदि हां तो इसका क्या कारण है?

(२) क्या उक्त राजपत्रित अधिकारियों में से किन्हीं के जिले से बाहर भेजने के स्थानान्तरण आदेश राज्य सरकार ने दिये थे जो रद्द कर दिये गये? यदि हां, तो किन किन अधिकारियों के और वे आदेश किस आधार पर रद्द किये गये?

उत्तर

(१) जी हां। प्रशासनिक कारणों से।

(२) जी हां। श्री राजेश्वर प्रसाद तिवारी उप जिलाधीश, राजगढ़, मुख्यावास अलवर तथा श्री पुरेन्द्रसिंह, तहसीलदार, तिजारा के स्थानान्तरण आदेश प्रचलित किये गये थे, जो प्रभावित न किये जाकर प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दिये गये थे।

पुस्तक लिखने के लिये अनुमति

५१३. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) यदि कोई राज्य कर्मचारी पंचायती राज, सहकारिता, परिवार नियोजन आदि तथा साहित्यिक व तकनीकी या कानूनी विषय पर कोई पुस्तक, लेख आदि लिखता है तो क्या उसे पहले राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत?

(२) सन् १९६३ से अब तक ऐसे कितने लेखकों को कब कब अनुमति या स्वीकृति दी गयी? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) आल इन्डिया सर्विसेज कन्डक्ट रूल्स, १९६८ के नियम ६ के अन्तर्गत साहित्यिक, कलात्मक व वैज्ञानिक स्वरूप की पुस्तकें, लेख आदि प्रकाशित करने के लिए तथा राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेन्टस् एण्ड पेन्शनर्स् कन्डक्ट रूल्स के नियम १९ व १४ के अन्तर्गत यदाकदा साहित्यिक व कलात्मक स्वरूप के कार्यों (works) के लिये पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि ऐसा करना उसके कर्तव्य में आता हो तो उस अवस्था में भी उक्त नियमों के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। अन्य मामलों में स्वीकृति लेना आवश्यक है।

(२) उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार की गई सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

Page No. 36

बिकानेर हाऊस नई दिल्ली

५१४. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) नई दिल्ली के बिकानेर हाऊस नामक भवन में कुल कितने कर्मचारी स्टेट के समय से वहां के क्वार्टरों में रह रहे हैं ?

(२) क्या उनसे क्वार्टरों का माहवारी किराया लिया जा रहा है ? यदि हां, तो माहवारी कुल कितना किराया वसूल किया जा रहा है ? क्या किसी में किराया बकाया तो नहीं है ?

(३) क्या उन कर्मचारियों का आज भी राजस्थान सरकार से सीधा सम्बन्ध है ? यदि नहीं, तो क्या उनसे वहां के क्वार्टर खाली कराये जायेंगे ?

(४) यदि खाली नहीं कराये जायेंगे तो क्यों नहीं ?

(५) कर्मचारियों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे जिसमें यह भी बताया जावे कि कौन कब से रह रहा है और वह इस समय कहां पर क्या काम कर रहे हैं ?

उत्तर

(१) बीकानेर हाऊस, नई दिल्ली के क्वार्टरों में भूतपूर्व रियासत के समय से दो कर्मचारी रह रहे हैं।

(२) माहवारी किराया केवल झंडू धोबी से लिया जा रहा है और चन्दू हरिजन से नहीं लिया जा रहा है क्योंकि श्री चन्दू हरिजन का क्वार्टर भारत सरकार के ही अधीन है। श्री झंडू धोबी से 27 रु० ५० पैसे प्रतिमाह वसूल किया जा रहा है। किराया किसी में बकाया नहीं है।

(३) राजस्थान सरकार से केवल झंडू धोबी से सीधा सम्बन्ध है। श्री चन्दू हरिजन जो अब केन्द्रीय सरकार के जल व विद्युत आयोग के कार्यालय में कार्य कर रहा है एवं वह विभाग बिकानेर हाऊस, नई दिल्ली में ही स्थित होने के कारण, उसी विभाग से संबंधित है। ऐसी स्थिति में इन कर्मचारियों से क्वार्टर खाली कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) उत्तर भाग-३ में स्पष्ट रूप से दिया जा चुका है।

(५) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

ट्रेक्टरों का अलाटमेन्ट

५१५. श्री श्रवण लाल (हिन्डोन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर द्वारा ट्रेक्टर अलाट किये गये हैं ?

(२) यदि हां, तो किस किस जिले में कितने कितने किस किस को किस किस किस्म के ट्रेक्टर अलाट किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) उपरोक्त ट्रेक्टर एलाट करने के क्या नियम हैं ? एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

Page No. 37

कुए का बोरिंग कराने के लिये जमा की गई राशि

५१६. श्री गोरधनसोनी (मेड़ता): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि फरवरी, १९६९ को रामस्वरूप पुत्र भागीरथ मोकाला ने भू-जल मण्डल विभाग जोधपुर में १९००) रु० कुए के बोरिंग के लिये जमा कराये थे ?

(२) क्या यह भी सही है कि इसके कुए का अधूरा होने से उसने विभाग से बोरिंग करने के लिए कई बार निवेदन किया परन्तु अब तक उनके कुए को बोरिंग नहीं किया गया ?

(३) गत जनवरी, १९६९ से दिसम्बर १९६९ तक किन किन लोगों ने बोरिंग के लिए रकम जमा कराई व किन किन लोगों के बोरिंग का काम हुआ ? मय तारीख जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) हां, यह सत्य है कि रामस्वरूप पुत्र श्री भागीरथ मोकाला ने इस विभाग में १९००) रु० में कुए में बोरिंग के लिए दिनांक १९-२-६९ को जमा कराये हैं।

(२) यह सही है कि कुए में बोरिंग कार्य करने के लिए प्रार्थी ने कई बार निवेदन किया है। यह सत्य नहीं है कि प्रार्थी के कुए का कार्य अधूरा होने से बोरिंग कार्य करवाना चाहता है। बोरिंग कार्य कुए को गहरा करने के लिए किया जाता है, अधूरे कार्य को पूरा नहीं। बोरिंग कार्य स्वयं ही एक स्वतंत्र कार्य है।

(३) गत जनवरी १९६९ से दिसम्बर १९६९ तक जोधपुर डिवीजन में जिन जिन लोगों ने बोरिंग के लिए पैसे जमा करवाये तथा जिन जिन का कार्य हुआ उन्हें सूची में मय तारीख के दर्शाया गया है, जिसे सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिंचित व असिंचित भूमि

५१७. श्री बृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान प्रान्त में कितनी जमीन सिंचित और कितनी असिंचित है ? विभिन्न जिलों के अलग आकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजस्थान प्रान्त में २१,४०,७५८ हैक्टर भूमि सिंचित तथा १,४५,१५,९४३ हैक्टर भूमि असिंचित है। जिले वार आंकड़े सदन की मेज पर रख दिए गए हैं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

कृषि उपज मण्डी समितियां

५१८. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कुल कितनी कृषि उपज मण्डी समितियां हैं ?

(२) कितनी कृषि उपज मण्डी समितियां नियमित रूप से काम कर रही हैं ?

(श्री हंसराज आर्य)

(३) कितनी कृषि उपज मण्डी समितियां असफल रही हैं ?

(४) कितनी कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव हो चुके हैं और कितनी में अभी तक नामजद सदस्य चल रहे हैं ?

(५) क्या किसी कृषि उपज मण्डी समितियों में किसी अदालत का स्टे भी चल रहा है ? यदि हां, तो कहां कहां पर ?

(६) भाखरा नहर क्षेत्र की मंडियों में जो प्लाटों की भूमि नीलाम की जाती है उसके निलामी के अधिकार क्या भविष्य में कृषि उपज मण्डी समितियों को दिये जावेंगे ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(७) कृषि उपज मण्डी समितियों को सालाना कुल कितनी आय होती है मंडीवार सूची सदन की मेज पर रखी जाये ।

(८) कृषि उपज मंडी समितियां अपनी आय का क्या उपयोग करती हैं व किन किन कार्यों में खर्च कर सकती हैं ?

उत्तर

(१) राजस्थान में कुल ८९ कृषि उपज मंडी समितिया हैं

(२) ७६ कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा नियमित कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है । इनमें से कुछ मंडी समितियों द्वारा पूर्ण रूप से उपविधियों के अनुसार कार्य नहीं चल रहा है क्योंकि अभी वहां कार्य प्रारम्भ हुआ ही है और धीरे धीरे अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है ।

(३) ११ मंडी समितियों में कार्य नहीं चल रहा । ये हैं—अलवर, खेडली, बीकानेर, जयपुर (खाद्यान्न) जयपुर (फल व सब्जी) नाथद्वारा, दौसा, बांसवाड़ा, भीण्डर, सादुलपुर, आबूरोड । इनके अतिरिक्त डूङ्गरपुर तथा सरदारशहर में अभी सचिवों की नियुक्ति नहीं की गई ।

(४) ५५ मंडी समितियों के चुनाव हो चुके हैं इनमें से ४७ के परिणाम राजपत्र में घोषित हो चुके हैं तथा ४५ निर्वाचित मण्डी समितियां अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन का कार्य कर रही हैं । शेष ४४ मंडी समितियों में अभी मनोनीत सदस्य ही सदस्य हैं ।

(५) तीन मंडी समितियों में स्टे चल रहा है इनके नाम अलवर, जयपुर (फल व सब्जी) व खेडली है । इनके अतिरिक्त गंगानगर की एक तथा हनुमानगढ़ की ७ पार्टियों ने भी स्टे लिया हुआ है परन्तु मंडी में नियमन कार्य इससे प्रभावित हो है ।

(६) इस प्रश्न का उत्तर कृषि विभाग के कार्य क्षेत्र के बाहर प्रतीत होता है ।

(७) मंडी वार सालाना आय के आंकड़े संलग्न सूची में अङ्कित हैं ।

(८) अधिनियम की धारा १९ के अनुसार मंडी समितियां निम्नांकित प्रयोजनों हेतु अपनी आय का उपयोग कर सकती हैं ।

१-मंडी हेतु भूमि की अवाप्ति ।

२-मंडी का संचालन एवं सुधार ।

३-मंडी के तथा उसमें कार्य करने वाले

Page No. 39

(कृषि मन्त्री)

व्यक्तियों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु इमारतों का निर्माण तथा उनकी देख रेख।

४-प्रमाणित बाटों तथा नापों की व्यवस्था एवं संधारण।

५-समिति के अधिकारी कर्मचारीगण की वेतन तथा भत्ते आदि।

६-चुनाओं सम्बन्धी।

७ ऋण पर व्याज का भुगतान।

८-मंडी सम्बन्धी सूचना का संग्रह तथा प्रचार।

९-कृषि सुधार हेतु प्रचार आदि।

१०-नियमों के प्रावधानों का पालन करने हेतु।

सामान्य तोर पर मंडी समितियां अपनी स्थापना के निमित्त मंडी के विकास सुविधायें जुटाने तथा प्रचारादि में आय का उपयोग करती हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भूमिहीन एलाटीज की कंसिल की गई जमीन

५१९. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:-

(१) भाखरा व गंग केनाल के क्षेत्र में कितने भूमिहीन अलोटीज की जमीन राज्य सरकार ने केन्सिल की हैं तथा केन्सिल करने के आधार क्या हैं?

(२) क्या यह सही है कि केन्सिल की गई जमीन बहाल भी की है?

(स्थगित किया गया)

राजस्थान केनाल क्षेत्र की भूमि पर नाजायज कब्जे

५२० श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान केनाल क्षेत्र में ऐसी कितने एकड़ भूमि है जिस पर नाजायज कब्जा काश्त है और वह कितने सालों से है तथा उस पर कितना रूपया सालाना तावान की कायम करके वसूल किया जाता है?

(स्थगित किया गया)

अतिरिक्त अधीक्षक आरक्षी की मेज से गायब फाइलें

५२१. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सी. आई. डी. के अतिरिक्त अधीक्षक, आरक्षी ने कोई ऐसा मामला पुलिस में दर्ज कराया है कि उनकी टेबिल पर से कुछ फाईलें गायब हो गईं? यदि हां, तो कब और कौन कौन सी फाइलें गायब हुई थीं और उक्त फाइलें किस किस व्यक्ति व अधिकारियों से सम्बन्धित थीं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(१) जी हां।

विस्तृत टिप्पणी संलग्न हैं।

Page No. 40

[गृह मंत्री]

[२] अभियोग सं० ४६५ दिनांक २१-१२-६८ धारा ३८०/२०४ ता० हि० के अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र माणक चौक जयपुर में पंजीवद्ध हुआ। जिसमें दिनांक १९-३-६९ को आखरी प्रतिवेदन 'अदम पता' में दिया गया।

[कृपया परिशष्ठ ५ देखिये]

टोंक जिले के थानों में दर्ज मामले

५२२. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(१) जिला टोंक के किस किस थाने में वर्ष १९६७ से मार्च १९७० तक कुल कितने नकबजनी, कत्ल, चौरी डकैती के मुकदमे दर्ज हुए हैं ? कृपया थानेवार व जुर्मवार सुची सदन में रखें।

(२) जितने मुकदमें दर्ज हुए हैं उनमें कितनों में चालान दिया गया और कितने अभी तक पेन्डिग (Pending) हैं और कितनों में फाइनल दे दी गई ? आंकड़े सदन में रखें।

(३) क्या यह सत्य है कि ५० प्रतिशत केसेस अभी तक पुलिस विभाग द्वारा अदालत में पेश नहीं किए गए हैं ? यदि हां तो क्यों और इसके क्या कारण हैं ?

(४) क्या यह भी सही है कि अधिकतर मुकदमें पुलिस विभाग द्वारा आपसी समझौते पर ही थाने में तय कर दिए जाते हैं ?

उतर

(१) चाही गई सूचना माह फरवरी, सन् १९७० तक की संलग्न तालिका के कालम नं० १ से ५ तक में अंकित है। माह मार्च, सन् १९७० की सूचना अभी तक तैयार नहीं हुई है।

(२) चाही गई सूचवा संलग्न तालिका में अंकित है।

(३) जी हां। ५० प्रतिशत केसेज ही अभी तक अदालत में पेश किये जा चुके हैं। बकाया केसेज में देरी के कारण प्रत्येक से अलग अलग है।

(४) जी नहीं गलत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा बारां सड़क

५२५. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कोटा से बारां को जाने वाली सड़क कोटा से १८ मील सीमडिया गांव तक काफी खराब है ? यदि हां तो क्या सरकार इस सड़क की मरम्मत शीघ्र ही करवाने को तैयार है ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। केवल मील ४ में सड़क अतिवृष्टि के कारण खराब है जिसका मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

अंधेरा व अंधेरी नदियों पर पुल

५२४. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

(१) क्या यह सही है कि रेल्वे स्टेशन मालपुरा से ग्राम कवाई व कवाई से ग्राम खोपर होती हुई एक पक्की सड़क छबड़ा कस्बे को जाती है जहां कि सब डिवीजन कोर्ट्स का हैडक्वाटर है ?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क के बीच में दो नदियां अंधेरा व दूसरी अन्धेरी पड़ती हैं कि जिसकी वजह से यह सड़क काम में नहीं आती है क्योंकि नदियों पर पुल नहीं बने हुए हैं ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी हां केवल वर्षा ऋतु में नदियों में अधिक पानी आने पर मार्ग जरूर अवरूद्ध हो जाता है।

तहसील माधोपुर एवं खण्डार में वर्षा से सड़कों को क्षति

५२५. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार मु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील माधोपुर व खण्डार में १०-७-६८ को वर्षा में कितनी सड़कों को क्षति पहुंची तथा उन सड़कों को ठीक करवाने में सरकार को कितना खर्चा हुआ ?

(२) सरकार ने जो सड़कें टूटी थीं उनका कार्य किसी ठेकेदार द्वारा करवाया या विभाग की तरफ से ? उन कामों में कहां कहां का कार्य सम्पूर्ण कर दिया गया है और कहां कहां का अधूरा पड़ा हुआ है?

उत्तर

(१) तहसील सवाई माधोपुर व खण्डार में निम्न लिखित सड़कों को क्षति पहुंची व खर्च की लागत उनके सामने अंकित है :—

(१) सवाई माधोपुर शिवपुरी रोड — २०,२८,५९ रु०

(२) बहरावड़ा खण्डार रोड — ३२,६६१ रु०

(३) दौसा सवाई माधोपुर रोड — ४५,५६१ रु०

(४) सवाई माधोपुर टोंक रोड — १,७८,१७६ रु०

(५) रणथम्भोर फोर्ट रोड — २०,०४५ रु०

कुल खर्च — ४,७६,५५७ रु०

(२) कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया गया है तथा सब कार्य पूर्ण हो चुके हैं ।

बयाना-धौलपुर तथा भरतपुर बसेड़ी सड़क

५२६. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला भरतपुर के अन्तर्गत बयाना से धौलपुर और भरतपुर से बसेड़ी जाने वाले मार्ग क्या कच्चे हैं ? यदि हां तो इनको पक्की डामर रोड में परिवर्तित कराने का सरकार कोई इरादा रखती है । यदि हां, तो कब तक ?

Page No. 42

(श्री रामकिशन)

(२) क्या उक्त मार्ग को पक्की सड़क में परिवर्तित करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाकर टेन्डर आदि आमंत्रित किये हैं? यदि हां, तो उन पर स्वीकृति अब तक नहीं होने के क्या कारण है ?

(३) क्या भरतपुर से बसेड़ी व बयाना से धौलपुर वाले मार्ग पर जो गम्भीर नदी का पुल है उसे बनाने की सरकार की कोई योजना है। यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) बयाना से धौलपुर और भरतपुर से बसेड़ी मार्ग पक्के हैं। जहां जहां पर सड़क अत्यधिक खराब हो गई थी वहां पर रीमेंटलिंग व सरफेश पेंटिंग का कार्य फलड् रिपेयर्स के तहत हाथ में लिया गया है इन सड़कों को पूरा डाम्बर कराने की अभी कोई योजना नहीं है।

(२) जहां पर सड़क अत्यधिक वर्षा से खराब हो गई थी वहां पर रिमर्टलिंग व सर-फेस पेन्टिंग के कार्य के टेन्डर स्वीकृति कर दिये गये हैं।

(३) जी नहीं।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत घोटाले

५२७. श्री हरजोराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गत वर्ष और इस वर्ष अकाल राहत कार्यों में किये गये घोटालों के सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो किन किन के खिलाफ क्या क्या कार्य-वाहियां कब कब से ?

(२) अब तक किन्हीं अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच पूर्ण हुई हो तो उनका विवरण प्रस्तुत करें ?

(३) शेष कार्यवाहियां कब तक पूर्ण हो जायेंगी ?

(४) भविष्य में इस प्रकार के घोटाले नहीं हों इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

सफाई कर्मचारियों को रियायतें

५२८. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सफाई कर्मचारियों को गान्धी जन्म शताब्दी के अवसर पर क्या क्या विशेष रियायतें दी गई हैं ?

(२) क्या उनका सिर पर मैला उठाना बन्द कर दिया गया है ?

(३) यदि नहीं, तो क्यो नहीं ?

(४) क्या भविष्य में शीघ्र ही मैला सिर पर न उठाने सम्बन्धी किसी प्रकार की योजना विचाराधीन है ?

(५) क्या गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनको तनख्वाह भी कुछ बढ़ाई गई है ?

(६) क्या उनको निःशुल्क वर्दियां दी जायेंगी ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(स्वायत्त शासन मंत्री)

उत्तर

(१) गांधी शताब्दी समारोह के अवसर पर राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :—

(१) जमीनों के पट्टे, उन अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को, खास तौर से हरिजनों को, जिन्होंने किसी भूमि पर मकान बना कर ४० वर्ष से कब्जा कर रखा है और वहां रह रहे हैं, क्राउन एक्ट के तहत नाम मात्र का मूल्य अर्थात् एक रुपया वसूल कर दे दिए जावें।

(२) नगरपालिकाओं अथवा नगर सुधार न्यासों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति, खासतौर से हरिजनों को, जिनके कि कोई मकान न हो, मकान बनाने हेतु समुचित भूखण्ड का आवंटन करें।

(३) राज्य सरकार के सम्पूर्ण नगरपालिका मण्डलों / परिषदों को चाहिए कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जहां जहां भी मनुष्यों द्वारा साफ किए जाने वाले पुराने किस्म के शौचालय हों वहां उनके स्थान पर फ्लश के शौचालय बन-वाने हेतु विशेष रूप से अभियान चलाकर भंगी मुक्ति के कार्यक्रम को सफल बनावें।

(४) नगरपालिका को चाहिए कि ये सफाई का कार्य करने वालों हरिजनों को नगरपालिका कोष से वैरोज व व्हील वैरोज निःशुल्क वितरित करें जिससे सिर पर मैला उठाने की प्रथा बन्द हो सके।

(२) जी नहीं।

(३) नगरपालिका के कर्मचारी सिर पर मैला नहीं उठाते हैं, वृत पर काम करने वाले हरिजन ऐसा करते हैं। ये प्रथा शीघ्र से शीघ्र बन्द हो जाय इसके लिए सरकार निरन्तर प्रयत्न करती रहती है, किन्तु वे स्वयं वृत पर काम करने वाले हरिजनों पर निर्भर करता है।

(४) समाज कल्याण विभाग ने इस प्रथा को समाप्त करने हेतु एक योजना बनाई है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए लिखा गया है। उक्त योजना की मुख्य मुख्य बातें यह हैं :—

कच्चे तहारतों से मैला उठाने के लिए मेहतरों को ढक्कनदार बाल्टियां और खुरपे तथा लम्बे झाड़ू दिए जावेंगे कि मैला सनडास से उठाकर बाल्टी में डालते वक्त मैला हाथ में न लगे। मेहतर इन बाल्टियों को ले जाकर टैम्पो केन्द्र पर पहुंच कर स्कूटर दली में रखे हुए ड्रमों में डाल देंगे। टैम्पो स्कूटर आदि के समय निर्धारण नगर निगम इस प्रकार करायेंगे कि जो वृत वाली महतरानियां मैला बाल्टियों में ले जावेगी उन्हें आधा फर्लांग से आगे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां कहीं मैकेनिकल टैम्पो सकड़ी गलियों में नहीं पहुंच सकेंगे वहां हाथ ट्रोली दी जावेगी। जिनके द्वारा मैला टैम्पो या ट्रोली ट्रैक्टर केन्द्र तक ढोया जा सके।

(५) जी नहीं।

(६) नगरपालिका की सेवा में कार्य कर रहे हरिजन कर्मचारियों को वर्तमान में भी निःशुल्क वर्दियां दी जाती हैं।

नगर परिषद् बीकानेर के अध्यापकों को मेडिकल भत्ता

५२६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बिकानेर नगर परिषद् के अध्यापकों को छोड़कर अन्य समस्त राज्य कर्मचारियों को मेडिकल भत्ता देने के आदेश दिये जा चुके हैं ? अगर हां, तो इससे अध्यापकों को वंचित क्यों किया गया ? क्या सरकार अब अध्यापकों को मैडिकल भत्ता देने का आदेश देने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां।

अध्यापकों को यह भत्ता इसलिये नहीं दिया जा सका है कि अनिवार्य शालाओं के व्यय का ७५ प्रतिशत शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है।

मेडिकल भत्ते के अनुदान की स्वीकृति के लिए नगर परिषद् ने सरकार को लिख दिया है। अनुदान स्वीकृत होने पर भत्ता दिया जाना संभव हो सकेगा।

नगरपालिका केकड़ी द्वारा कुएं की खुदाई

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका केकडी द्वारा गांधी भवन के आहाते में एक कुआ खुदवाया गया है ? अगर हां, तो इसको पक्का बनाने का ठेका किसको किस हिसाब से दिया गया और पक्का बनाने में कितनी रकम लगी ?

(२) क्या यह भी सही है कि कुआ अन्दर से पक्का बनाने के पश्चात् वापिस गिर गया ? यदि हां, तो उसके पश्चात् इसे किस ठेकेदार से बनवाया ?

(३) क्या यह सही है कि पहले वाले ठेकेदार की रकम कुआ कम्पलीट कर सम्भालने से पहले ही गिर जाने से रोक ली गई थी ? अगर हां, तो कितनी रकम रोकी गई ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार को दि. १२-१२-६७ के पश्चात् उस रकम में से रुपया दिया गया ? यदि हां, तो कितना दिया गया और क्यों ?

(५) उक्त ठेकेदार को नगरपालिका ने दि. १२-१२-६७ के बाद कितने ठेके दिये और कहां कहां के दिये गये ?

(६) उक्त कुए पर कुल कितना खर्च आया मय खुदाई व दोनों दफे बन्धाई की ?

उत्तर

(१) जी हां। ठेका श्री अब्दुल रफीक ठेकेदार को व टेण्डर आमन्त्रित कर दिया गया था ठेका चुनाई ६४·७५ पै. प्रति १०० घन फुट की दर से दिया गया था इसमें कुल राशि २५३३-८६ पै० व्यय हुई थी।

(२) जी हां।

नगरपालिका ने विभागीय तौर पर ही बनवाया था।

(३) जी हां।

१३८५/-रुपया।

(४) जी हां।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

कुल ८५०/-१०६७१-२६ पै० के ठेकेदार के पत्थर कुए में गिर गये जिन्हें नगरपालिका ने अन्य तामीर कार्य में लिये उसके व १७८-७१ पै० उस ४ फुट ऊंची चुनाई के जो नहीं गिरी थी, उसके दिए गये।

(५) (क) ८-१-६८ को बस स्टेण्ड की दीवार बनाने हेतु चुनाई व चूने का ठेका ४६४०० रु० का दिया।

(ख) २३-४-६८ को जगदीश पुरा के रास्ते पर पुलिया निर्माण करने का ११८७-८७ पै० का दिया गया।

(६) ८०२९-७७ पै०

टर्न ओवर टैक्स

५३१, श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राज्य में चुंगी टैक्स के स्थान पर टर्न ओवर टैक्स वसूल करने की जो घोषणा की गई थी उसके अनुसार नियम आदि बन गये हैं यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(२) सरकार कब से टर्न ओवर टैक्स वसूल करने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

अजमेर में पानी की समस्या

५३२. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि श्री अनिल बोर्दिया के प्रशासक का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद अजमेर की जनता को पानी के लिए एक मास तक काफी दिक्कत उठानी पड़ी ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(२) क्या यह सही है कि प्रशासक को बदनाम करने के लिए वर्तमान कमिश्नर की साजिस थी ? यदि हां. तो ऐसे कमश्निर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सत्य है कि डब्ल्यू, इ. को. भी पानी की दिक्कत के दौरान दबाया जाता था क्या यह सत्य है कि पानी की दिक्कत के समय कमिश्नर से लेकर संबन्धित अधिकारी अजमेर से गायब थे, ? यदि हां, तो उनके खिलाफ कौनसी कार्यवाही की गई है ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम सूंडा-चेनपुरा में कोआपरेटिव फार्मिग सोसायटी का गठन

५३३. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील किशनगंज के ग्राम सूंडा चेनपुरा में सन् १९६५ के आस पास श्री राजनारायण शर्मा एवं श्री गोरीशंकर शुक्ला आदि ने करीब पांच छः (आदिवासी) सहरिया लोगों को मिलाकर कोआपरेटिव फार्मिग सोसायटी का गठन किया था ? यदि हां, तो किस तारीख को यह फार्मिग सोसायइटी बनी और उसमें कौन कौन सदस्य किन जाति व पते के थे और कितनी कितनी हिस्सा पूंजी तथा उसमें कुल कितनी बीघा जमीन है और आज तक उसमें कौन कौन सदस्य

Page No. 46

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

निकाले गए तथा नये शामिल किये गये ? सूची मय पदाधिकारी वर्ग के सदन की मेज पर रख ने का कष्ट करें ।

(स्थगित किया गया)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से मारपीट

५३४. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक झालरापाटन के व्यवस्थापक श्री गोरधनलाल ने तारीख २२-४-१९६९ को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री लक्ष्मणलाल के साथ ड्यूटी के समय मारपीट की थी तथा जिस की शिकायत भी तारीख २५-४-१९६९ को भेजी गई ?

(२) क्या इसकी जांच की गई है ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी नहीं, झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० झालरापाटन के व्यवस्थापक श्री गोर-गोर्धनलाल ने दिनांक २२-४-६९ को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री लक्ष्मणलाल के साथ ड्यूटी के समय मारपीट नहीं की जो शिकायत अवश्य २५-४-६९ को भेजी गई ।

(२) जी, हां । प्रश्न पैदा नहीं होता ।

केकड़ी नगर में कालेज निर्माण के लिये संस्था का रजिस्ट्रेशन

५३५. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.) क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के केकड़ी नगर में कालेज भवन निर्माण कमेटी के नाम से गत साल किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन किया गया था ? अगर हां तो इसके कौन कौन सदस्य हैं सूची सदन की मेज पर रखें और यह बतावें कि किस तारीख को व किस प्रस्ताव के आधार पर इसका पंजीयन किया गया ?

(२) क्या उक्त महाविद्यालय भवन निर्माण कमेटी के लिये नियम, उप-नियम बने हुए हैं? अगर हॉं, तो उनकी प्रतिलिपि सदन पर रखे ।

(३) किसी संस्था को पंजीयन करने के लिये क्या आधार हैं ? क्या उक्त कालेज भवन निर्माण कमेटी को पंजीयन करते समय उक्त आधार को ध्यान में रखा गया था ?

(४) उक्त कालेज भवन निर्माण कमेटी की पंजियन करने के समय वित्तीय स्थिति क्या थी ।

(५) क्या यह सही है कि केकड़ी नगर कालेज भवन निर्माण कमेटी का कार्य केकड़ी नगर पालिका के अधीनस्थ ही चल रहा था और उस पर नगरपालिका केकड़ी के द्वारा प्रस्ताव पास कर एक कालेज भवन निर्माण कमेटी का गठन कर रखा था ? यदि हां, तो क्या ये बात पंजीयन अधिकारी की जानकारी में लाई गई ? अगर नहीं तो उसके पश्चात् भी पंजीयन अधिकारी ने दूसरी कमेटी का पंजीयन क्यों कर दिया ?

उत्तर

(१) जी हां, सदस्यों की सूची परिशिष्ट (क) संलग्न है । पंजीयन दिनांक ३-११-६९ को किया गया । पंजीयन ३-११-१९६९ को ८-९-१९६९ के प्रार्थना पत्र के आधार पर किया गया ।

(सहकारी मंत्री)

(२) नियमों की प्रतिलिपि परिशिष्ट (ख) संलग्न की।

(३) राजस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन स्पष्ट १९५८ की धारा १- की व धारा २० के आधार पर इसका पंजीयन किया गया है।

(३) इसकी जानकारी राजस्थान सोसाटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, १९६८ के अनुसार आवश्यक नहीं है।

(५) प्रश्न में अंकित स्थिति पंजीयन अधिकारी की जानकारी में नहीं थी। इसलिये पंजीयन नहीं करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

मार्केटिंग सहकारी समिति भादरा के चुनाव

५३६. श्री हंसराज आर्य (भादरा) क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) भादरा जिला गंगानगर मार्केटिंग सहकारी समिति के चुनाव की जांच अशोक डिप्टी रजिस्ट्रार बीकानेर ने कब की थी ?

(२) जांच से क्या पाया गया ? उस जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(१) श्री अशोक जयमन, डिप्टी

रजिस्ट्रार, बीकानेर ने इस समिति की कोई जांच नहीं की।

(२) प्रश्न नहीं उठाता।

वेटरीनरी डिप्लोमा कोर्स

५३७. श्री गंगासहाय (कठुमर सु.) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकलचरल (रिसर्च न्यू दिल्ली) के आदेशानुसार (टू-इयर्स) वेटरीनरी डिप्लोमा कोर्स सन् १९५५ में राजस्थान में आरम्भ किया गया था।

(२) क्या यह भी सही है कि इस आदेश में यह स्पष्ट रूप में अंकित है कि जो व्यक्ति इमरजेन्सी वेटरीनरी डिप्लोमा कोर्स पास करेंगे उनको कुछ समय बाद बी. वी एससी. एण्ड ए. एच. कन्डेंसड डिग्री कोर्स दे दिया जायगा ? यदि हां तो क्या उक्त इमरजेन्सी स्कीम के अन्तर्गत डिप्लोमा प्राप्त करने वालों को आज तक सरकार ने डिग्री कोर्स के लिये भेजा है ? यदि हां, तो उनकी सूची वरिष्ठता के अनुसार सदन की मेज पर रखने की कृपा करे।

उत्तर

(१) जी हां

(२) जी नहीं। इन आदेशों में स्पष्ट नहीं है कि उन्हें B.v. Sc. एंड.एच.एच. कन्डन्स कोर्स दे दिया जावेगा। परन्तु फिर भी इन्हें इस कोर्स हेतु उनके खर्च पर भेजा है जिनकी कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

केकड़ी सर्किल में भेड़ पालन हेतु ऋण

५३८. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

Page No. 48

(श्री देवी लाल बुरासिया)

(१) भेड़ पालन हेतु केकड़ी सर्किल में कब से ऋण नहीं दिया जा रहा है और क्यों ?

(२) क्या भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र केकड़ी पर भेड़ पालन हेतु ऋण लेने के लिए फार्म उपलब्ध नहीं है ?

(३) क्या भेड़ पालन हेतु ऋण के लिए जिला भेड़ व ऊन अधिकारी अजमेर को प्रार्थना पत्र भेजे गए हैं ? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) भेड़ पालन हेतु केकड़ी सर्किल में भेड़ व ऊन विभाग द्वारा ऋण देने की योजना १६६३ से अब तक नहीं बनाई गई है ।

(२) जब ऋण देने का प्रावधान नहीं है तो फार्म उपलब्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) जो प्रार्थना पत्र भेड़ पालकों से ऋण सम्बन्धी आये हैं उनके लिए जिला भेड़ व ऊन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ये कृषि सलाहकार, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, सवाई मानसिंह हाई वे, जयपुर से सीधा सम्पर्क स्थापित करें, क्यों कि उक्त बैंक में इस प्रकार की ऋण देने की योजना १६६६-७० से प्रारम्भ हुई है ।

झालावाड जिले से पाकिस्तान जाने वालों की संख्या

५३६: श्री लक्ष्मण तानोवाल (डग सु.): क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) झालावाड़ जिले से पाकिस्तान जाने वालों की कितनी संख्या डाइरेक्टर कस्टोडियन जोधपुर में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) झालावाड़ से पाकिस्तान जाने वालों की और कितनी दरख्वास्तें सरकार के पास विचाराधीन हैं तथा क्या ऐसे केस भी हैं जिनके सम्बन्ध में कुछ अनियमितता पाई गई थी ? अगर हां, तो कितने ?

(३) झालावाड़ से पाकिस्तान जाने वालों के कुल मकानात कस्टोडियन ने अपने कब्जे में कर लिए हैं या करने शेष हैं तथा दिनांक १३-८-६८ को श्री अब्दुल हफीज ने जो झालावाड़ का निवासी है की एप्लीकेशन इस विभाग को वार्ड नं० ८ में अब्दुल रजाक पुत्र अब्दुल गफ्फार मकान नम्बर १२६ को जब्त किया जाने की दर्ख्वास्त दी थी कि इसने पाकिस्तान में मकान ले लिया और जिसका रुपया भारत सरकार को चुकाना पड़ा है ? यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(१२-३-७०)

कास्तकारों को दिए गए ट्रैक्टर

१०७. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

१. राज्य में सन् १६६८ में कुल कितने काश्तकारों को ट्रैक्टर दिए गए हैं ? ये ट्रैक्टर किन किन जिलों के किस किस गांव के रहने वाले काश्तकारों को दिए गए हैं ? जिन काश्तकारों को दिए गए हैं उनका नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान, आय के विवरण आदि सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

२. क्या यह सही है कि ट्रैक्टरों को लेने के लिए काफी तादाद में काश्तकारों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखे हैं ? यदि हां, तो प्रस्तुत किए हुए प्रार्थना-पत्रों की संख्या, प्रार्थी के नाम, जाति, पिता का नाम, निवास स्थान के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

३. क्या यह सही है कि प्रार्थना-पत्रों के नम्बरों की रद्दोबदल करने की काफी शिकायतें काश्तकारों की ओर से आई ? यदि हां, तो कुल कितनी शिकायतें की गई व किसके द्वारा ?

उत्तर

१. जी नहीं- सन् १६६८ में इस उद्योग की स्थापना ही नहीं हुई थी अत: वितरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

२. जी हां-संविघता सूची संलग्न है।

३. जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

स्थगित प्रश्न
(१२-३-७० व २५-३-७०)

सरकार द्वारा नगरपालिकाओं व नगर परिषदों को अनुदान

१२०. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार ने किन किन नगरपालिकाओं व नगर परिषदों को किस किस काम के लिए, कितना कितना अनुदान व कर्जा गत पांच सालों में दिया है और क्या वह समय पर उन्हीं कामों में खर्च किया गया है ? जिनके लिए दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिए हैं या बाकी हैं ? यदि बाकी है तो किस में और कितने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

१. स्वायत्त शासन विभाग ने नगरपालिकाओं को गत प्रबन्धों में कितनी कितनी राशि सहायता व कर्जे के रूप में दी है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगरपालिकाओं को वर्ष १६६१ की जनसंख्या के आधार पर ५० पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से सामान्य अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान किसी विशेष कार्य हेतु नहीं दिया जाता है इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। विभाग द्वारा स्वीकृत ऋणों के सम्बन्ध में जिन जिन नगरपालिकाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गये हैं या नहीं हुए, उनकी सूचना सूची में दे दी गई है।

नगरपालिकाओं को सहायता व ऋण अन्य विभागों, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग,

(स्वायत्त शासन मंत्री)

समाज कल्याण विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि द्वारा भी दिए जाते हैं, परन्तु उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभागों द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं व अन्य सूचनाओं का संकलन भी सम्बन्धित विभागों द्वारा ही किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

स्थगित प्रश्न
(१८-३-७०)

पुलिस सब इन्सपेक्टर्स की सिनियोरिटी लिस्ट

२२४. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. राज्य में पुलिस के सब इन्सपेक्टरों की अन्तिम सिनियोरटी लिस्ट रेन्जवाईज कब तक प्रकाशित हुई ? उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

२. उपरोक्त सीनियोरटी लिस्ट के खिलाफ किन किन सब-इन्सपेक्टरों ने कब कब एतराज पेश किये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

३. सब-इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर बनाने का क्या क्राईटेरिया है ? और क्या इस सम्बन्ध में कोई रूल्स बने हुए है ? यदि हां, तो उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

उतर

१. पुलिस विभाग के सब इन्सपेक्टरों की रेंजवाईज सीनियरटी लिस्ट सन् १६५२ में प्रकाशित की गई थी। १-११-५६ से भूतपूर्व अजमेर राज्य का राजस्थान में विलय होने से राज्य आज्ञानुसार तिलक फार्मूला के आधार पर समस्त सब इन्सपेटरों की सीनियरटी स्टेट बेसिस पर बनाई गई जिसे भारत सरकार ने अनुमोदित किया। दोनों लिस्टों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

२. वांछित जानकारी देते हुए सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

३. सब-इन्सपेक्टरों से इन्सपेक्टर बनाने का क्राइटेरिया राजस्थान पुलिस सुबोर्डिनेट सर्विस रूल्स १६६६ में अंकित हैं। और इन नियमों के नियम ६ व २३ से ३१ तक क्राइटेरिया अंकित है। यह नियम राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न
(१८-३-७०)

बम्बई में शिवसेना द्वारा उपद्रव और प्रवासी राजस्थानी व्यापारियों की हानि

२२८. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. क्या सरकार को विदित है कि कुछ अर्से पहले बम्बई में शिवसेना नाम के एक स्थानीय संगठन ने उपद्रव किये थे और उन उपद्रवों में प्रवासी राजस्थनी व्यापारियों को

(श्री फूलचन्द बाफना)

भी बहुत हानि पहुंचाई गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

२. उपर्युक्त उपद्रवों से प्रवासी राजस्थानी व्यापारियों को हानि पहुंचाई गई उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ?

३. क्या मुख्य मन्त्री महोदय ने बम्बई स्थित उन राजस्थानी व्यापारियों को हुई हानि के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दिया था अथवा कार्यवाही शीघ्र करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कोई आश्वासन भेजा ?

४, उपर्युक्त सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार एवं महाराष्ट्र की सरकार से हो चुकी हानि की भरपाई एवं राजस्थानी प्रवासी जनता के संरक्षण की मांग कब की गई ? यदि नहीं तो क्यों और अब कब सरकार ऐसा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

१. जी हां, बम्बई में शिवसेना के उपद्रवों की जानकारी समाचार-पत्रों से मिली थी। उपद्रवों में सभी व्यवसायी-वर्ग को हानि उठानी पड़ी जिसमें राजस्थानी व्यापारी भी सम्मिलित हैं।

२ कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि यह महाराष्ट्र राज्य सरकार का विषय है।

३. जी नहीं।

४. जी नहीं, कोई मांग नहीं की गई। क्योंकि यह कानून व्यवस्था के भंग होने की घटना थी जिसका प्रभाव नगर के सभी वर्गों पर पड़ा। कानून व्यवस्था की स्थापना एवं नागरिकों का संरक्षण राज्य सरकार के सामान्य दायित्व हैं।

स्थगित प्रश्न
(२६-३-७०)

जिला झालावाड़ में कार्य करने वाले मनिलेन्डर्स

३७०. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. जिला झालावाड़ में मनिलेन्डर्स का कार्य करने वालों की तादाद कुल कितनी है ? कितने केस रजिस्टर किये गये है ?

२. इनमें कितने व्यक्तियों को लाइसेन्स दिये जा चुके? बाकी को लाइसेन्स जारी न करने की वजह क्या है ?

३. तहसील झालरापाटन में ऐसे कितने कहां कहां के व किन किन व्यापारियों को अभी लाइसेन्स नहीं दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

१. झालावाड़ जिले में मनिलेन्डर्स का कार्य करने वाले ३९५ व्यक्तियों हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जिन्हें रजिस्टर कर लिया गया है।

२. इनमें से ३६ साहूकारों को लाइसेन्स जारी कर दिए गए हैं। १४ साहूकारों के आवेदन पत्रों पर आवश्यक जांच करके रजिस्ट्रार, मनिलेन्डर्स के द्वारा लाइसेन्स जारी करने हेतु भेज दिये गये हैं। १५४ मामलों को अध्यादेश द्वारा साहूकारी अधिनियम में

(सहकारी मन्त्री)
संशोधन होने से लायलेन्स से मुक्ति मिल गई हैं तथा शेष १४१ साहूकारों को प्राथमिक जांच हेतु चार बार नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी हिसाबात की जांच हेतु उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

(३) तहसील झालरापाटन में जहां जहां के जिन जिन साहूकारों को लाईसेन्स जारी नहीं किये गये हैं की सूची परिशिष्ट (क) संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

स्थगित प्रश्न
(२६-३-७०)

भूमि बन्धक बंक बाड़मेर द्वारा दिया गया ऋण

७१. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भूमि बन्धक बंक, बाड़मेर ने आज तक किस किस को कितना कितना कब कब व किस कार्य के वास्ते लोन दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त बंक में कितने मामले कब कब से लोन के लिये किस किस के पेण्डिग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उपरोक्त बंक में लोन के कितने कितने कार्य पूर्ण हो गये व कितने नहीं हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि उक्त बंक द्वारा कुछ कार्यों के लिये सीधा कृषक को भुगतान नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो किस किस कार्य के लिये ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) २८६ ऋण के मामलों में से ११७ मामलों में केवल प्रथम किस्त का भुगतान किया है जिसमें ५२ मशीनरी के होने के कारण उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि इस राशि का भुगतान सीधा फर्म को ही ऋणी द्वारा मशीन प्राप्त करने पर दिया जाता है एव ६५ मामलों में उपयोगिता प्रमाण पत्र न आने से द्वितीय किश्त का भुगतान नहीं हुआ। शेष १७२ मामलों में प्रथम किश्त का उपयोग होने पर दूसरी किश्त का भुगतान किया जा चुका है। जिसमें से भी ६ का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं जिसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(४) जी हां। मशीनरी खरीद हेतु बंक द्वारा कृषक को ऋण न दिया जाकर सीधा सम्बन्धित फर्म को भुगतान किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता व श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने पंचायत समिति बानसूर जिला अलवर के विकास अधिकारी व उप जिला विकास अधिकारी द्वारा दिनांक १० मार्च,

(श्री अध्यक्ष)
१९७० को एक लेडी डाक्टर को पंचायतसमिति कार्यालय में बन्द कर दिये जाने आदि के संबंध एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस मामले में राज्य सरकार से जानकारी की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर इस पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री बालसिंह सोढ़ा, श्री आईदान सिंह व श्री पृथ्वी सिंह, सदस्य विधान सभा ने दी है, जिसमें जैसलमेर जिले के विदा खुड़ी व सांगड़ गावों के ट्यूबवैल खराब हो जाने से पेयजल की कठिनाई उत्पन्न हो जाने का उल्लेख किया गया है। इस विषय में सदन में काफी चर्चा हो चुकी है।

एक पेंडिंग स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार स जानकारी प्राप्त हो गई है। इस प्रस्ताव का सम्बन्ध श्री गंगानगर में जनसंघ के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने एवं गिरफ्तार करने से है जिसकी सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा द्वारा दी गई थी। राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें यह बतलाया गया है कि कुछ व्यक्तियों को निलामी की कार्यवाही में बाधा डालने के कारण गिरफ्तार किया गया था साथ में यह भी बतलाया गया है कि इसमें न तो किसी को चोट पहुंची है और न गिरफ्तार व्यक्तियों को किसी प्रकार की यातनाएं दी गई हैं।

उपरोक्त दिये गये कारणों की दृष्टि में इन दो स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। गृह मन्त्री द्वारा वक्तव्य।

राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्टमें दो मजदूर यूनियनों में हुए झगड़े के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह शेखावत द्वारा रखे गये स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी एक वक्तव्य देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा चंडीगढ़ में दिये गये भाषण के सम्बन्ध में हमारा स्थगन प्रस्ताव पेंडिंग है। मैंने कल भी निवेदन किया था तो आपने कहा था कि आज पूरी जानकारी कर के फिर व्यवस्था देंगे। मैं समझता हूं कि आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी।

श्री अध्यक्ष : मैं उस पर व्यवस्था देना चाहता हूं, जैसा मैंने कल निवेदन किया था, यदि एक दिन का समय और दिया जा सके तो कल दे दूंगा। आज मैं निर्णय देने में....

(विराम)

मैं कुछ और जानकारी उसमें प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिये मैं कल दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : राज्यपाल महोदय आ गये हैं, कल हमने दर्शन किये थे। संत फतेह सिंह को चंडीगढ़ पंजाब को मिलने के लिये बधाई का तार सबसे पहले किसी ने दिया था तो श्री हुकमसिंहजी ने दिया था, यह संत फतेह सिंह का स्टेटमेंट आ गया है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : और उन्होंने डिनाई किया है कि पंजाब को कोई कुर्बानी नहीं करनी पड़ी....

श्री अध्यक्ष : तो यह और आ गया न। एडीशनल फैक्ट्स आ गये न। इसीलिये कल

(श्री अध्यक्ष)

देना ठीक रहेगा। आप कहें तो आज दे दूं नहीं तो उचित यह होगा कि कल दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप कल व्यवस्था दे देना पर उससे जनता में भ्रम हो रहा है कि राजस्थान सरकार इसमें सहमत है या नहीं, यह दृष्टिकोण तो सामने आ जाय।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं इस पर कोई चर्चा नहीं होने दूंगा। जब तक कोई निर्णय नहीं हो तब तक मैं इस पर चर्चा नहीं होने दूंगा, क्योंकि इसके कई परिणाम निकल सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लोगों में यह धारणा हो रही है कि राजस्थान सरकार का भी यह स्टेंड है।

श्री अध्यक्ष : नहीं कोई धारणा नहीं है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): एक राज्य के राज्यपाल इस प्रकार का स्टेटमेंट दे कर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसको चर्चा का विषय नहीं बनायें जब तक कि मैं निर्णय नहीं दूं। मैंने निवेदन किया कि मैं इस पर कल निर्णय दे दूंगा।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : रोज कल होता है।

श्री अध्यक्ष : रोज नहीं होगा।

राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में माननीय गृह मन्त्रीजी का वक्तव्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में जिन कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया...........

श्री अध्यक्ष : मैंने तो अस्वीकार कर दिया स्थगन प्रस्ताव को।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंडी कमेटी के अतिरिक्त ...

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था के के बाद कोई निवेदन आवेदन नहीं हो सकता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष, जो गरीब दुकानदार वहां रह रहे हैं उनके प्लाट्स को नीलाम किया जा रहा, है, जिन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने यह कहा कि उनको नीलाम में बोली ऊंची जाती है, इस लिये हम खरीद नहीं सकते। स्वायत्त शासन मंत्री जी. . . .

श्री अध्यक्ष : बस पर्याप्त है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : (शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय ....

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें।

(गृह मंत्रीजी और श्री रामचन्द्र आर्य दोनों साथ साथ बोलते रहे)

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखें। (गृह मंत्री से)

श्री दामोदरलाल व्यास : रावत भाटा में ... (अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र आर्य : ५०-५० हजार दे कर खरीद रहे हैं। उनको बन्द किया जाय। यही मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

(शोरगुल व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय गृह मंत्रीजी शुरू से प्रारम्भ करें। मैंने बिजनेस ले लिया है उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ?

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल : व्यवस्था का प्रश्न है। जब यहां माननीय रामचन्द्र जी आर्य बोल रहे थे, चाहे किसी तरह बोल रहे हों, अध्यक्ष जी द्वारा गृह मंत्री जी को भी यह कहना कि आप तो बोले जाइये, क्या आप इस प्रकार की परम्परा कायम करना चाहते हैं कि दो आदमी एक साथ बोलें ? क्या अध्यक्षजी की यह मंशा है कि जानबूझ कर यह डिस्टर्बेन्स पैदा हो ?

श्री अध्यक्ष : माननीय रामचन्द्रजी बोलते रहते है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं बोलता नहीं रहता हूं, सही बात मैंने कही हैं . . . .

श्री अध्यक्ष : अब देखिये फिर बोल रहे हैं। अब क्या किया जाय ? माननीय मुकुटजी आप देख रहे हैं, मेरा उत्तर तो माननीय रामचन्द्रजी आर्य ने दे दिया।

श्री रामसिंह कुड़ी (घायल) : व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, आपने एक व्यवस्था दी थी कि इस सदन के किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाय तो उसके लिए प्रीवियस नोटिस दिया जाय। नोटिस दे दें तो आप अनुमति नहीं दें . . . .

श्री अध्यक्ष : कौन सा नोटिस है ?

श्री राम सिंह कुड़ी : माननीय श्री मथुरादास जी के विरुद्ध।

श्री अध्यक्ष : आपका एक मोशन है, उस पर मैं विचार कर रहा हूं।

मैंने आपको पत्र भी लिखा है और आप इस प्रश्न को यहां उठा रहे हैं।

माननीय गृह मंत्री

शासकीय वक्तव्य

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री भैंरोंसिंहजी, सदस्य विधान सभा ने मार्च, ७० के अन्तिम सप्ताह में दिनांक २८ व २९ मार्च को राजस्थान पावर प्रोजेक्ट की लेबर कालोनी में हुए झगड़े के सम्बन्ध में एक स्थगत प्रस्ताव पेश किया है। इस विषय में जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे पाया जाता है कि रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ में परमाणु शक्ति प्रोजेक्ट पर तारीख २८-३-७० व २९-३-७० की बीच की रात को प्रोजेक्ट के श्रमिकों के दो दलों में भारी झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप ५१ आदमी जख्मी हुए और तीन आदमियों की मृत्यु हो गई। इस झगड़े का तात्कालिक कारण प्रोजेक्ट के मजदूरों के दो यूनियनों के समर्थकों में होने वाला संघर्ष है। इन दो यूनियनों में से एक जो

(श्री दामोदर लाल व्यास)

इन्टक समर्थित है और जिसका नाम राजस्थान अणशक्ति प्रायोजना कर्मचारी संघ है पिछले करीब एक साल से संगठित है। फरवरी १९७० के प्रारंभ में अणु शक्ति आयोग के उच्चाधिकारियों के प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रोजेक्ट प्रशासन और संघ के प्रतिनिधियों में यह तय हो गया कि दो महीने तक पूरी तरह शान्ति कायम रखी जावेगी तथा दोनों ओर से यथास्थिति की व्यवस्था रहेगी। यथास्थिति की यह व्यवस्था तारीख ३१-३-७० तक कायम रहना तय हुआ था।

मार्च १९७० के प्रारम्भ में एम्पलाइज एसशियेशन के नाम से एक नया श्रम संगठन प्रोजेक्ट क्षेत्र में पैदा हुआ। इस संगठन की ओर से ऐसे प्रयत्न प्रारम्भ हुए कि प्रोजेक्ट के श्रमिकों में से ज्यादा की वफादारी इस नये संगठन को प्राप्त हो जावे। इस दृष्टि से नये संगठन की ओर से तारीख २७-३-७० को यह ऐलान किया गया कि तारीख २९-३-७० को प्रोजेक्ट श्रमिकों की मीटिंग होगी। इस आशय के छपे हुए पर्चे भी बांटे गये। सम्भवतः नये यूनियन के इन प्रयत्नो को संघ ने जो कि पहले से काम कर रहा था अपने खिलाफ चुनौती माना, जिसका नतीजा यह हुआ कि इन्टक समर्थित मजदूर संघ के कुछ व्यक्तियों ने मीटिंग के ऐलान का पर्चा बांटने वालों के साथ मारपीट की। उस समय इस बात को किसी ने अधिक अहमियत नहीं दी लेकिन २८-३-७० को जब इस घटना को लेकर तनाव बढ़ा हुआ मालूम हुआ तो शाम को लगभग पौने छः बजे पुलिस स्टेशन रावटभाटा पर रिपोर्ट की गई जहां पर मुकदमा कायम हुआ। इसके करीब तीन घंटे बाद पुलिस स्टेशन पर सिक्योरिटी आफिसर रावत भाटा की ओर से यह इत्तिला दी गई कि दोनों मजदूर संगठनों समर्थकों के बीच बस्ती फंज में झगड़ा हो रहा है। थानेदार रावत भाटा उपलब्ध पुलिस जाबते को लेकर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दोनों यूनियनों के समर्थकों में से प्रत्येक पक्ष के करीब ४००-४०० आदमियों के बीच झगड़ा व पथराव चल रहा है।

मौके पर थानेदार ने इन लोगों को समझाने की कोशिश की किन्तु सुनवाई न होने पर उससे महसूस किया कि स्थिति का मुकाबला करने के लिये अधिक फोर्स की जरूरत है। अतएव उसने सुपरिन्टेन्डन्ट साहबान पुलिस कोटा व चित्तौड़गढ़ से टेलीफोन पर जाबते की मांग की। इन दोनों स्थानों से जाबता तारीख २९-३-७० की रात को ही प्राप्त हो गया। उसी रात को ४३ आदमियों की गिरफतारी की गई और मालूमात करने पर जाहिर हुआ कि झगड़े में दोनों तरफ से ५१ व्यक्तियों को चोटें लगी हैं और दो आदमियों की झगड़े में मृत्यु हो गई है। इन ५१ में से पांच को चोटें खतरनाक थीं। अतः उनको उसी वक्त कोटे के सदर अस्पताल में पहुंचाया गया और शेष को रावतभाटा के अस्पताल में ही चिकित्सा उपलबध की गई। मृतकों की भी शव परीक्षा कराई जाकर उनकी लाशें मित्रों व कुटुम्बियों को सौंप दी गई। रावतभाटा चित्तौडगढ़ के बेंगू सब डिविजन में पड़ता है, फौरन ही बेंगू के एस. डी. एम. ने कालोनी में धारा १४४ जा. फौ. लगा दी और पुलिस द्वारा अहतियाति गश्त का इन्तजाम कर दिया गया। बाद को यह भी मालूम हुआ कि झगड़े के दौरान एक व्यक्ति को मार कर उसका शव नाले में डाल दिया गया है। यह शव भी बरामद कर लिया गया है।

Page No. 57

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तारीख २९-३-७० को ही सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस कोटा, सुप० पुलिस चित्तौड़, उप महा-निरीक्षक आरक्षी उदयपुर. महानिरीक्ष आरक्षी राजस्थान भी वहां पहुंच गये। जिस कालोनी में झगड़ा हुआ वह प्रोजेक्ट साइट से ६-७ मील दूर है। प्रोजेक्ट साइट पर किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ। कालोनी में भी २८-२९ मार्च के बीच की रात को होने वाली मारपीट के अलावा बाद कोई घटना नहीं हुई है। इस समय प्रोजेक्ट एरिया व कालोनी में स्थिति शान्त है।

एटामिक पावर प्रोजेक्ट राष्ट्र की महत्वपूर्ण योजना है अतः यह आवश्यक है कि प्रशासन श्रम सम्बन्ध, सुरक्षा आदि सब दृष्टियों से वहां की व्यवस्था कुशल और सुचारू हो और इस बात का पक्का प्रबन्ध किया जावे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह मालूम करना भी आवश्यक है कि तारीख २७ व २८ मार्च सन् ७० को जो हिंसात्मक स्थिति पैदा हुई उसके क्या कारण थे।

उपरोक्त सब मामलों की जांच करके सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिये श्री आर. डी. माथुर भूतपूर्व मुख्य सचिव राज-स्थान को नियुक्त किया जा रहा है इस अधि-कारी को जांच के बाद एक महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिये कहा जावेगा।

चूंकि जांच के आदेश दिये जा रहे हैं, अतः इस मामले पर और अधिक कहना उचित नहीं होगा। उपरोक्त विवरण भी जो दिया गया है वह जिला प्रशासन द्वारा सरकार को पेश की हुई रिपोर्ट के आधार पर है और इस में बताये हुए तथ्यों से उपरोक्त अधिकारी की जांच पर किसी प्रकार की परिणति नहीं समझी जावेगी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस मामले में कुल कितनी गिरफतारियां हुई हैं और दो युनियन्स आप स्वीकार करते हैं तो हर एक यूनियन के कितने २ व्यक्ति गिरफतार शुदा हैं ?

दूसरा आप स्वीकार करते है कि २७ तारीख को न्यू एम्पलाईज एसोशियेशन की जो यूनियन बनी थी, २९ तारीख की मिटिंग के संबंध में पेम्फलेट्स चिपकाये उसको लेकर मारपीट की घटना हुई थी। उसकी कागनीजेन्स पुलिस स्टेशन ने कब ली थी, यह हम जानना चाहेंगे ? २७ को पेम्पलेट्स चिपकाने के साथ नयी यूनियन वाले मारपीट करते हैं तो क्या एस० एच० ओ० ने कोई कागनीजेन्स लिया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बताया कि २७ तारीख की घटना के बाद २८ को ५।।। बजे रिपोर्ट पेश हुई और मुकदमा दर्ज किया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह सूचना बिल्कुल गलत है। २७ तारीख को घटना हुई। २८ तारीख को प्रातः ही नई पुरानी यूनियन के लोग थाने में गये। रिपोर्ट दर्ज करानी चाही। लिखकर रिपोर्ट लाये। उसको टाला जाता रहा और ५ बजे जाकर रिपोर्ट दर्ज की और बाद में सम्बन्धित थानेदार ने जितने भी प्रिकाशनरी मेजर्स लिये जाने चाहिये थे वह लिये हों यह नजर नहीं आता।

२८ तारीख से ही एस. डी. ओ. वहां मौजूद थे। उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न तो यह हो गया. इसका उत्तर ले लीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : कुल ६४ गिरफ्तारियां हुई हैं। मुकदमे के सबूत देने का सवाल है डिस्ट्रिक्ट ओफिसर्स की रिपोर्ट आयी है कि ५।।। बजे वहां रिपोर्ट दर्ज हुई है। सवेरे के लिये कहते हैं तो उसकी जानकारी कर लूंगा। एस. डी ओ की भी जानकारी मुझे नहीं है। यह जानकारी आप दे रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जिनकी जान गयी संघ का कर्मचारी था ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : दोनों हैं।

श्री मूलचन्द डागा : दो आदमी मर गये तो वे किस पार्टी के कर्मचारी थे ?

एक माननीय सदस्य : दोनों पार्टीज़ के।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा निवेदन है और विशेषकर, अध्यक्ष महोदय, आर एस. ई. बी. में जैसा प्रश्न था आरम्भ से प्रश्न चल रहा था। पुरानी यूनियन बनी हुई थी। २ अप्रेल को पुराने यूनियन के रिप्रेजेन्टेटिव्ज की बातचीत सारा भाई के साथ होने वाली थी। ११ मार्च को नयी यूनियन एसोशियेशन के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ। उन्होंने सारा भाई को लिखकर दिया कि २ अप्रेल को आप पुरानी यूनियन से बातचित करने वाले हैं उसमें हमारी यूनियन के रिप्रजेन्टेटिव्ज को बुलाना चाहिये। २६ तारीख को उन्होंने आम सभा का आयोजन किया और जनरल सेक्रेटरी एड्रेस करने वाले थे और २६ तारीख को मीटिंग एड्रेस करने के सिलसिले में २७ तारीख को पेम्पलेट चिपकाये है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यहि स्टेटमेंट दिया है जो आप फरमा रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वही कह रहा हूं। २७ तारीख को तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पेम्पलेट छपाने के मामले को लेकर जो यूनियन वाले चिपका रहे थे पुरानी वालों ने मारपीट की। जिस प्रकार से गिरफ्तारियां की जा रही हैं पूरा शक है कि राजनैतिक तौर पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : एग्रेसिव कौन था ? भारतीय मजदूर संघ २६ तारीख को आम सभा करने वाला था और २७ तारीख को पेम्फ्लेट चिपका रहे थे। इन्टक ने धमकाया कि हाथ पांव तुड़ाने हैं क्या ? इस प्रकार नयी यूनियन बनाने वाले हैं उनकी टांगें तोड़ देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसा बयान किया है मौके पर कलेक्टर को भेजा है। डी. आई. जी. और दो दो एस. पी. पहुंच गये हैं। क्या नतीजा निकलेगा यह तो तफतीश होने पर ही पता चलेगा। बहरहाल जहां तक २७ को झगड़े का सवाल है। यह मैंने खुद ने तस्लीम किया है। २७ तारीख को पेम्फ्लेट छापने वालों के साथ संघ के लोगों ने मारपीट की। वह रिपोर्ट सुबह करने की बात कहते हैं और पुलिस वाले ५।।। बजे की बात करते हैं। उसकी जांच कर लेंगे। जो फेक्चुअल पोजीशन है उसके लिये कह दिया। कौन एग्रेसिव था, किसकी गलती थी वह तो आप जानते हैं कि तफतीश से ही नतीजा निकलेगा। अदालत में चालान किया जावेगा। झगड़े की स्थिति क्या है. उसकी जांच के लिए श्री आर. डी. माथुर को मुकर्रर किया जा रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तफतीश का इन्चार्ज कौन है ? प्रारम्भ से तफतीश किसने की है ? इस सब मामले के अन्दर जो पीनल आफेन्स हुआ है उस पीनल आफेन्स की तफतीश का इन्चार्ज किसको बनाया है ? क्या इन्सपेक्टर या सब इन्सपेक्टर के स्तर के पुलिस कर्मचारी इस मामले की तफतीश कर रहे हैं

इसके साथ ही मैं मुख्य मन्त्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो घटना घटी है मैं इसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता हूं लेकिन यह जो प्रोजेक्ट की सेफ्टी का सवाल है-यह महत्वपूर्ण है। आपने इस प्रोजेक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा है। लेकिन आवश्यकता के समय चित्तौड़गढ़ से इमदाद कितनी देर में वहां पहुंच सकती है, समय पर इमदाद पहुंचने की कितनी सम्भावना है इस प्रश्न के ऊपर आप विचार कीजिये। यह प्राजेक्ट है, आर. ए. पी. पी.-यह महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दूसरे हेवी वाटर प्राजेक्ट हैं, राणा प्रताप सागर और ज्वार सागर के-इन प्राजेक्ट की सेफ्टी की दृष्टि से इनका कोटा डिस्ट्रिक्ट से सम्बन्ध कर दें तो मैं समझता हूँ कि समय पर इमदाद पहुंच सकती है और इनकी सुरक्षा हो सकती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी तफतीश मोहम्मद उमर, डी० एस० पी०, सी० आई० डी० क्राइम ब्रान्च कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह घटना २७ तारीख को हुई है और २८ तारीख की शाम को छः बजे रिपोर्ट दर्ज होना आप बताते हैं तो इस रिपोर्ट के अलावा गवर्नमेंट की ओर से इस प्राजेक्ट की सीक्योरिटी का, वहां से समय पर इन्फार्मेशन आने का, और मजदूरों में तनाव उत्पन्न होता है तो समय पर उसका पता लगने का कोई प्रबन्ध है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रबन्ध है। वहां पुलिस स्टेशन है। यह २७ और २८ तारीख की घटना अलग अलग हैं। २७ को माइनर घटना हुई थी और २८ की रात को घटना हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : २८ तारीख की घटना हुई, उसके पहले २७ और २८ तारीख के बीच में तनाव पैदा हुआ, मजदूरों में टेंशन पैदा हुआ-इस प्रकार की रिपोर्ट है कि वहां पर दूसरी यूनीयन की मीटिंग होने से मजदूरों में तनाव पैदा हो गया था तो उसको रोकने के कोई प्राक्टेटिव स्टेप्स उठाये जाने चाहिये-इसकी जरूरत महसूस हुई या नहीं ? मैं समझता हूं कि होना तो यह चाहिये था कि जब पिछली घटना से यह महसूस किया कि मजदूरों में तनाव बढ़ रहा है तो प्राटेक्टिव स्टेप्स उठाते, लेकिन कोई प्राटेक्टिव स्टेप्स क्यों नहीं उठाये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसी बातकी तो जांच होगी कि किससे लेप्सेज हुए हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : जो वहां के इन्चार्ज हैं उन्होंने पुलिस को जानकारी दी है कि वहां पर इस प्रकार की घटना हो गई है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोयल।

श्री मदनसिंह : आखिर लड़ाई झगड़ा हुआ तो मालिक पुलिस को जानकारी दे सकता था।

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्य का

(श्री अध्यक्ष)
यह स्थगन प्रस्ताव है। उनको आप प्रश्न पहले पूछने दीजिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : २८ तारीख की रात्रि के साढ़े सात बजे से लेकर २९ तारीख के प्रातः चार बजे तक चलता रहा यह झगड़ा और जो फोर्स कोटा से पहुंची वह डेढ़ बजे पहुंची, फिर उसके बाद में झगड़ा किस प्रकार से चलता रहा, किस प्रकार से यह घटना होती रही २९ तारीख को प्रातः तक ? उसके बाद २९ तारीख को सुबह आठ बजे से शाम के चार बजे तक झगड़ा चलता रहा, तो जब वहां फोर्स पहुंच गई थी तो उसने क्या किया इस झगड़े को समाप्त करने के लिये। इस घटना में ५१ इन्जरी हुई और तीन आदमी मर गये, वैसे और कितने आदमी मरे हैं इसको सर्टेन्टी के साथ नहीं कह सकते, नदी में कितने लोगों को फेंक दिया गया-यह सर्टेन्टी के साथ नहीं कह सकते। नदी में से एक लाश निकाली गई है वह कब निकाली गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : २९ तारीख को झगड़ा हुआ है और परसों के रोज निकाली है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यानि ३१ को। इसका मतलब यह है कि और लाश भी नदी में हो सकती हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई, तो फोर्स के पहुच जाने के बाद भी दोनों दलों में इतने घण्टे तक झगड़ा कैसे चलता रहा ? दूसरे जब एस. डी. ओ. वहां २८ तारीख को मौजूद था तो १४४ धारा लगाने का इन्तजार वह २९ तारीख तक क्यों करता रहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया कि पुलिस फोर्स को रीइन्फोर्स करने के रात को टेलीफोन किया। उसके बाद में झगड़ा नहीं हुआ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : डेढ़ बजे पुलिस पहुंच गई और २९ तारीख को सुबह तक झगड़ा चलता रहा और जो नदी में लाश पाई गई है सुबह के झगड़े की है, तो मौके पर पुलिस ने उस आदमी को रेड हैन्डेड क्यों नहीं पकड़ा जिसने उस आदमी को मार कर नदी में डाल दिया ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्री मदनसिंह : दो पार्टियों में लड़ाई हुई तो उस स्थान के जो इन्चार्ज हैं उन्होंने सूचना दी है या नहीं पुलिस वालों को, कि यहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई है इसलिए हमारी सुरक्षा होनी चाहिये। मंत्री महोदय जरा गौर फर्मायें, सीरियसली सुनें, मन्त्री महोदय...

श्री दामोदरलाल व्यास : सुन रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

श्री मदनसिंह : वहां का जो इन्चार्ज है उसने क्या इन्फार्म किया कि यहां पर दो दलों में लड़ाई हो गई है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मैनेजमेंट की तरफ से इतला दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि इस बाबत तो सूचना नहीं है, लेकिन सीक्योरिटी आफिसर ने रिपोर्ट दी है। वहां प्रोजेक्ट सीक्योरिटी स्टाफ अलग है।

श्री मदनसिंह : क्या उसके अनुसार पुलिस का प्रबन्ध हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रबन्ध हो गया !

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह रुग्ण हैं इसलिये उनके ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को स्थगित करता हूं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : बोलने की स्थिति में नहीं हैं।

याचिका का उपस्थान

श्रीमती कान्ता कथूरिया !

श्रीमती कान्ता कथूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं तहसील कोलायत, जिला बीकानेर के गांवों के निवासियों को कब्जे शुदा कृषि भूमि का स्वामित्व दिलाये जाने के सम्बन्ध में १,०३७ याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

विधायी कार्य

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाला विधेयक ! राजस्थान यात्री तथा माल कर(संशोधन) विधेयक १६७० । विचारार्थ लिया जाय का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है इस विधेयक पर निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं।

(१) श्री शिवनाथ सिंह (वि. सं. १५८)
(२) श्री मूलचन्द डागा (वि. सं. ११३)
(३) श्री रामकिशन (वि. सं. १२६)
(४) श्री वृद्धिचन्द जैन (वि. सं. ८६)
(५) श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (वि. सं. ३१)
(६) श्री कृष्णकुमार गोयल (वि सं. १६)
(७) श्री हरीवल्लभ शर्मा (वि. सं. १७६)

ने क्रमशः प्रस्ताव किया कि

१. "राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, १६७० को एक माह तीन माह/पांच दिन/तीन माह/एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाये।

(१) श्री दुर्गालाल बाढ़दार (वि. सं. ५०)
(२) श्री रघुनाथ विश्नोई (वि. सं. १२१)

ने क्रमशः प्रस्ताव किया कि:-

२. राजस्थान यात्री तथा मालकर (संशोधन) विधेयक, १६७० को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह/तीन दीन के अन्दर इसी सत्र में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"

(१) श्री रामानन्द अग्रवाल (वि. सं. १३७)
(२) श्री रामनारायण चौधरी (वि. सं. १३३)
(३) श्री देवीदत्त गाड़िया (वि. सं. ५२)

ने क्रमशः प्रस्ताव किया कि:-

३. "राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, १६७० को तीन माह/एक माह/तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

श्री डूंगाराम राजोरिया (वि. सं. ४५) ने प्रस्ताव किया कि :—

४. "राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, १९७० को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)।"

श्री शिवनाथ सिंह जी बोल चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा !

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय यात्री कर के बाबत मेरा सुझाव पहले भी था और आज भी है कि जो यह कर लगा रहे हैं उससे गोलमाल होगा और जब तक आप इस टैक्स में टिकट का तरीका इन्ट्रोड्यूज नहीं करते हैं तब तक आपका यह टैक्स ठीक तरह से वसूल नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था कि गाड़ियों पर जो टैक्स लगाने का तरीका है उसमें स्टाफ की कमी होने के कारण काफी गड़बड़ी होती है, जो पैसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स होता है, उसको जो कलेक्ट करते है, उस स्टाफ में काफी आज कमी होती है उसके कारण से आज गाड़ियों में टैक्स की चोरी होने की ज्यादा सम्भावनायें हैं। और इस कर वचना होने से सरकार को घाटा अधिक होने की सम्भावना है। हम आज भी देख रहे हैं, जो गाड़िया चल रही हैं जो इन्टीरिअर प्लेसेज में गाड़ियां चलती हैं उनमें जो बहुत से लोग बैठते हैं उन गाड़ियों की आज बड़ी खराब हालत होती है। आज अगर उनके ऊपर पच्चीस पर्सेन्ट या तीस पर्सेन्ट टैक्स बढ़ाते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि जो गाड़ियों के मालिक हैं उनसे कर वसूल करना है और वह कर की चोरी न करें तो जैसा मैंने रैवन्यू स्टाफ की बाबत कहा था कि रैवन्यू की वसूली के लिए रैवन्यू स्टाफ पूरा रखना चाहिए नहीं तो कई बार आपके अधिकारी, आपके काम करने वाले लोग गलत आदमियों से मिलकर दस पन्द्रह दिन का इधर उधर बता देते हैं। आपके पास कौनसा रजिस्टर है जो यह बताता है कि गाड़ियां इतने तारीख से इतने तारीख तक चलीं और उसमें इतनी सवारियां थी ? और इसके लिए गाड़ियों के मालकों पर निर्भर रहना पड़ता है। मैंने कहा था कि टिकट सिस्टम इन्ट्रोड्यूज हो जाय तो इस टैक्स से काफी लाभ हो सकता है और उससे यह मालूम हो सकता है कि कितने टिकट खरीदने वाले थे और साथ ही पैसेन्जर्स भी यह सोचेंगे कि हम राज्य की आमदनी के लिए पैसा दे रहे हैं. और टिकट वह खरीदेंगे उस पर टिकट लगा हुआ होगा तो वह टैक्स की रकम चुकाने में गुरेज नहीं करेंगे। मेरा मतलब यह है कि कई गाड़ियों के मालिक हैं वह अधिकारियों और कर्मचारियों से मिल कर लाभ उठाते हैं और अब भी वह गलत तरीके से अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर लाभ उठायेंगे-इसकी बहुत ज्यादा सम्भावना है। इसके साथ ही मेरा यह निवेदन है कि गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने से पहले यह देखना चाहिये कि गाड़ियों की हालत क्या है ? मैंने इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि राजस्थान ने इन्टीरिअर प्लेसेज में गाड़िया चलती हैं रोडवेज का गाड़ियों के अलावा उनकी हालत काफी खराब होती है। पाली में चार गाड़िया चलती हैं, उनकी छतों तक के ऊपर लोग बैठे रहते हैं। शादी के अवसर होते हैं, या मेले के अवसर होते हैं तो गाड़ियों में ठसाठस लोग भर लिये जाते हैं और उनके अलावा गाड़ियों की छतों

(श्री मूलचन्द डागा)
पर भी लोग बैठते हैं। इस कारण ही कई बार बहुत खराब एक्सिडेंट होते हैं। पाली से जो मोकलसर गाड़ी जाती है, उसकी हालत यह हैं कि उसमें सौ, पिचहत्तर सवारियां भर ली जाती हैं। कई बार उनको कह दिया है लेकिन होता यह है कि पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी मिले रहते हैं और इससे गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान भी होता है मैंने यह भी देखा, टैक्स आप बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपकी सुविधा क्या है ? मैंने कई बार देखा है कई प्राईवेट बसेज चलती हैं उनमें कोई सुविधा नहीं है, वहां पर विश्रामालय नहीं है, कोई सुविधा नहीं है।

मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ कि आप इसको जिस तरीके से ले रहे हैं, जिस तरह से इसको वसूल कर रहे हैं उससे नुकसान होगा, चोरी बढ़ेगी, कर-वंचना ज्यादा होगी।

(१२.४० म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज राजस्थान यात्रा-कर के सम्बन्ध में अपने विचार जाहिर करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स देने वाला करदाता टैक्स देता है और वह यात्री कर सरकार के खजाने में नहीं आता है। यह बात मैंने समय २ पर विधान सभा में बहस के समय पहले भी उठाई थी और आज भी दोहरता हूं कि यात्री कर के अन्दर जबर्दस्त चोरी है उसको रोका जाना चाहिये। गाड़ियां चलती है उसमें सीटें पूरी नहीं होती हैं और फिर भी सवारियों को भरा जाता है जो सीट्स होती हैं उससे ज्यादा सवारियां ली जाती हैं और उसका टैक्स सीधा मोटर मालिकों के पास चला जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर से पिलानी लुहारू जाने वाली गाड़ियों की जो कैपेसिटी निर्धारित है वे उस निर्धारित सीटस से दुगुनी सवारियां रोजाना प्रत्येक गाड़ी में ले जाते हैं और उसका टैक्स यात्रियों से वसूल होता है परन्तु वह सरकारी खजाने में जमा नहीं होता है। वह मोटर मालिकों की जेब में रह जाता है यही स्थिति झुन्झुनु से चुरू, सरदार शहर आदि चलने वाली गाडियां हैं यह बात वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में यहां से बाहर भी लाई गई है और उन्होंने यह दलील दी कि कुछ रूट्स ऐसी हैं जहां पर सवारियां अधिक हैं लेकिन कुछ रूट्स ऐसे भी हैं जहां पर सवारियां कम निकलती हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि आज राजस्थान में रास्ता या रूट्स ऐसे हों जहां पर सवारियां कम निकलें या कम मिलें बल्कि ट्रैफिक बहुत अधिक बढ़ गया है और जिसकी वजह से काफी पैसेंजर टैक्स सरकार को मिलना चाहिये परन्तु जो टैक्स आना चाहिये वह नहीं आता है। इस के लिये मैंने सुझाव भी दिया था और आज फिर वह सुझाव देना चाहता हूं। वह यह है उपाध्यक्ष महोदय कि रेवेन्यू टिकिट के साथ में लगना चाहिये। जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह और रियासतों में यह किया गया है मेरा ऐसा ख्याल है राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर पैसन्जर टैक्स जो वसूल किया जाता है उसमें रेवेन्यू स्टाम्प नहीं होता है। एक बार पिछले अधिवेशन में मंत्री महोदय ने रेवेन्यू टिकट लगाने की घोषणा की थी। उसके बाद में वह घोषणा कार्य रूप में परिणित नहीं हुई। इसका क्या कारण हैं ? उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पैसेन्जर से जो कर लिया जाता हैं वह सीधा सरकार के पास में जाना चाहिये और आज होता क्या है

(श्री रामनारायण चौधरी)
मोटर मालिकों के पास ही वह रह जाता है। इसका कोई रिकार्ड नहीं होता है जिससे कि सरकार यह जांच कर सके कि अमुक अमुक दिन के अन्दर इतने टिकट बेचे गये और इसलिये कि अधिकारियों के डर से कहीं वे पकड़ नहीं लिये जायें, वे घर पर आकर उस किताब को हटा देते हैं, उसको खतम कर देते हैं और दूसरी किताब शुरु कर देते हैं और दस, पन्द्रह, बीस उस दिन के हिसाब को दिखा देते हैं, उसकी उनके रजिस्टर में एन्ट्रीज हो जाती हैं। इस सारे को रोकना है तो इसका एक ही रास्ता है कि टिकिट्स पर रेवेन्यू स्टाम्प लगाया जाना चाहिये और सरकार को यह देखना चाहिये।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि स्कोप को बढ़ाया जाना चाहिये। उदाहरण के तौर पर झुंझुनू-सरदार शहर आदि हमारे क्षेत्र में ऐसे रुटस् हैं जहां पर कि अधिक स्कोप है और इसको बढ़ाया जाना चाहिये ताकि सरकार को पैसेन्जर टैक्स की भी आमदनी हो और इन रुट वाले लोगों की भी सुविधा बढ़े। आज गाड़ियों में इतनी भीड़ है कि जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा वित्त मन्त्री महोदय से जो अच्छे रुटस् हैं उनका या तो आप राष्ट्रीयकरण करें या गाड़ियों का स्कोप और बढ़ावें। सरकार को देखना चाहिये कि जो अच्छे रुटस् हैं उनका स्कोप बढ़ना चाहिये। इससे सरकार को भी आमदनी होगी और जनता को भी सुविधा बढ़ेगी। मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री महोदय इस तरफ ध्यान दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : पहले के भी सदस्यों के नाम हैं, वे हो जायें ...

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा भी उनमें नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : उसी क्रम से बोलता हूं।

श्री रामकिशन

(अनुपस्थित)

श्री गोकल प्रसाद

(अनुपस्थित)

श्री कृष्ण कुमार गोयल

(अनुपस्थित)

श्री हरिवल्लभ शर्मा

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के विरोध में खड़ा हुआ हूं।

श्री मथुरादास माथुर : और आपसे उम्मीद भी क्या है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो यह अजीब बात देखी कि बिल आज असेम्बली में पेश हो रहा है और टैक्स पिछली ९ तारीख से वसूल हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय के भाषण में यह साफ था, कि जब यह बिल पास हो जायगा और उसकी स्वीकृति के बाद यह एक्ट बन जायगा। इस बिल में कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं है कि इसको पीछे से लागू करें ...

श्री मथुरादास दास माथुर : यह बिल पास होकर प्रेसिडेन्ट की असेन्ट होने के बाद ही लागू होगा। यह अभी लागू नहीं है। अगर किसी ने किराया बढ़ा दिया तो यह अलग प्रश्न है। कानून के तौर पर यह किराया वसूल नहीं कर सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी ने नहीं, राजस्थान रोडवेज ने किराया बढ़ा दिया है और राजस्थान रोडवेज की आज भी जो गाड़ियां अलवर से जयपुर आई हैं, वो किराया टैक्स का बढ़ाकर वसूल कर रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले की जो आज ही जानकारी मिली है, तमाम प्राइवेट बसेज वहां पर बढ़े हुए टैक्स को मिलाकर और किराया वसूल कर रही हैं। मुझे जानकारी मिली है अजमेर में भी वहां पर तीन दिन तक यही क्रम रहा और अलवर के बारे में जैसा अभी निवेदन किया है आज सुबह की गाड़ी आई, उस पर मैंने जानकारी करने के लिये भेजा था और वहां पर सवारियों ने यह बताया कि हमसे ५/८० लिये गये हैं लेकिन टिकट पर ५/५५ ही छपा है। हमसे यह कहा गया है कि टिकट छपकर अभी नहीं आये हैं। मेरे पास में डी.टी.यू. की टिकट है, २८ तारीख को दिल्ली से जो गाड़ी रेसीप्रोकल बेसिस पर यहां चलती है और यह टिकट नम्बर है ६८२३३ तारीख २८-३-७० शाहपुरा से जयपुर तक का इसमें १ ९२ किराया और ५८ पैसा टैक्स इस तरह से २.५० पैसा लिया गया है। यह दूसरा टिकट मेरे पास राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का है १५८४८९ यह पढ़ा नहीं जा रहा है, शायद यह नीचे ही नीचे का है। यह भी बताता है कि इसमें भी किराया बढ़े हुए टैक्स के आधार पर वसूल किया गया है कि उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है और कानून के खिलाफ अ म जनता के लोगों से इस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से टैक्स वसूल किया जा रहा है. यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने आज उपाध्यक्ष महोदय, रोडवेज के जो जनरल मैनेजर हैं, उनसे टेलीफोन पर पूछा कि क्या आपके यहां से २ तारीख के बाद इस बढ़े हुए टैक्स के आधार पर और टिकिट जारी किये गये हैं ? उन्होंने कहा मेरी जानकारी में कोई ऐसा मामला नहीं है। फिर मैंने डिप्टी जनरल मैनेजर मिस्टर शर्मा से पूछा तो उन्होंने कहा एक दो स्टेशन पर एक दो रोज ऐसा हुआ था फिर बाद में हमने बन्द कर दिया।

फिर जब हमने डिपो मैनेजर से जाकर पूछा और चैकिंग किया तो मालूम हुआ कि यह सिलसिला अलवर से इधर आते हुए अलवर से जयपुर आते हुए और जाते हुए दोनों तरफ यह लिया जाता है। जयपुर से अलवर जाते हैं तो ३० प्रतिशत टैक्स वसूल करते हैं. और अलवर से यहां आते हैं तो २५ प्रतिशत टैक्स वसूल करते हैं। अलवर के डिपो मैनेजर से यह टैक्स जब से इस सदन में इसको घोषणा हुई है तभी से लागू कर दिया है। यहां से चाहे वह मंजूर हुआ हो या नहीं। इसी प्रकारसे प्राइवेट बसेज वालों ने भी यह टैक्स लेना शुरू कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह आम जनता का स्वीण्डलिंग है, गैर कानूनी है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जहां तक रोडवेज का सवाल है उनके कागजात तो पकड़े जा सकते हैं। टिकिट बुक पकड़ी जा सकती है और उससे चैकिंग हो सकता है। इसके बारे में एक अफसर कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। पैसे तो आखिर में सरकार में ही

Page No. 66

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
जायेंगे। सरकार अगर टैक्स वसूल करती है तो वह कानूनी तरीके से करे। जब तक सरकार की तरफ से इस प्रकार के आदेश न निकले तब तक यह वसूल नहीं हो सकता। मैंने इस बारे में कौमर्शियल टैक्सेशन डिपार्टमेंट से भी जानकारी की कि आपके यहां से सरक्यूलर जारी हो गया या नहीं उनका कहना था कि एक्ट के पास होने के बाद यह लागू होगा इस तरह से जो लोग इस प्रकार से टैक्स वसूल कर रहे हैं वह गैर कानूनी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी पूरे तौर से जानकारी की जाय। अलवर डिपो के कागजात जब्त किये जां। मुझे यह भी शक है कि जब टिकिट पर ५.५५ छपा हुआ है उससे ज्यादा पैसा रोडवेज को न जा कर कहीं किसी के जेब में तो नहीं जा रही है। निश्चित तौर से इस बारे में बताया जाय कि यह टिकिट ५.५५ के बजाय जो ५.८० की एन्ट्री हुई है वह किस आधारपर हुई है और जिसने की है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट ओपरेटर्स का चैकिंग आप किस प्रकार से करेंगे ? उन लोगों ने बड़े पैमाने पर इसे वसूल किया है यह मार्च को यहां घोषित हुआ था और आज लगभग २२ दिन हो गये। इन बाईस दिनों के अन्दर कितना टैक्स का घोटाला हो सकता है। आम पैसेन्जर से यह टैक्स नाजायज तौर से लिया गया है। इस बारे में सरकार विजीलेण्ट नहीं रही है आपका टैक्सेशन डिपार्टमेंट विजीलैण्ट नहीं है। जब आप ज्यादा वसूली नहीं पकड़ सकते तो कम वसूली आप क्या पकड़ सकेंगे। बाईस दिनों से जो टैक्स नाजायज तौर पर वसूल हो रहा है वह आपके टैक्सेशन डिपार्टमेंट के नोटिस में नहीं। वित्त मन्त्री जी यह नहीं कह सकते कि उनके नोटिस में आ गया है और फलां जगह उन्होंने टिकट पकड़ा है, या उसके खिलाफ एक्शन लिया है। यह बाईस दिनों से हो रहा है। आपके नोटिस में नहीं आया। आपका विभाग पकड़ नहीं सका। आपके विभाग के पास फ्लाइंग स्क्वैड है। फिर भी इस तरह से बेतरतीब और गैर कानूनी तौर से जो टैक्स वसूल हो रहा है उसको आपका विभाग रोकने में सक्षम नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में गम्भीरता से विचार करके एक्शन लेंगे।

श्री गोकुलचन्द जाटव (खैरथल सु.) : यह कौनसी तारीख से लागू होना चाहिये था ?

श्री मथुरादास माथुर : इसका कानून बन रहा है जैसा कि मैंने बजट स्पीच में कहा था कानून जब बन जायगा विधान सभा से पास हो जायगा और उस पर राष्ट्रपति की असेण्ट हो जायगी उसके बाद में यह लागू होगा।

अगर कोई इसको वसूल कर रहा है तो वह गैर कानूनी है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोकुलचन्द जाटव : मेरे पास यह कहने का आधार टिकट है। हमने जब कंडक्टर को कहा यह गैर कानूनी है तो भी उसने कहा हम आपसे वसूल करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने भी कण्डक्टर से कहा कि यह गैर कानूनी क्यों वसूल कर रहे हो ? उन्होंने कहा-हम जबरदस्ती भी वसूल करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पैसेन्जर टैक्स और गुड्स टैक्स जो आपने बढ़ाये हैं, उससे आपने आमदनी जो बताई है वह ५६ लाख बताई है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
मैं आपकी जानकारी के लिये निम्न आकड़े रखना चाहूंगा। इन टैक्सों से राज्य सरकार को सन् १९६६-६७ में २४३.५० की वसूली हुई थी
१६६७-६८ में २ करोड़, ७६ लाख, ८३ हजार
१६६८-६९ में ३ करोड़, १६ लाख ५४ हजार
१६६९-७० में ३ करोड़, ४६ लाख गुड्स और पैसेन्जर टैक्स से वसूल हुआ।

आज ६६-६७ के मुकाबले १०६ लाख की वृद्धि होगई। इतनी आमदनी बढ़ जाने के बावजूद भी व्यक्ति डेढ़ रुपया बढ़ जाने के बावजूद वित्त मन्त्री महोदय फिर इसको बढ़ा रहे हैं, पांच प्रतिशत एडीशन टैक्स और बढ़ा रहे हैं और इस हिसाब से इन्होंने ५६ लाख की आमदनी आंकी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अण्डर इस्टीमेट है। फाइनेन्स कमीशन के हिसाब से भी ट्रैण्ड इन्क्रीज का जो होना चाहिये वह अधिक से अधिक अपने बजट के टोटल का ३.८० लाख बताया वह ३.८५ के हिसाब से अधिक नहीं होना चाहिये। उस हिसाब से हम देखेंगे तो आपके हिसाब से ३५ लाख अधिक बढ़ेगा। यह आमदनी ३.८४ लाख तक पहुंच जायगी। जो टैक्स आप बढ़ा रहे हैं ५ प्रतिशत पैसेन्जर और गुड्स टैक्स इन दोनों का एवरेज लें तो १८॥ परसेन्ट वसूल करते आ रहे हैं और इस प्रकार से १८॥ परसेन्ट की बढ़ोतरी होगी। ३८४ का १८॥ परसेंट ७५ लाख रुपया आता है। इस हिसाब से इन्क्रीज्ड टैक्सेज होंगे नये साल में उसका रिएलाइजेशन ४ करोड़ ८० लाख होगा। इस हिसाब से ३४६ लाख के रिवाइज्ड एस्टीमेट के मुकाबले ४.६० लाख अगले साल आप वसूल करना चाहते हैं। इस तरह से आपको ५६ लाख रुपया नहीं बल्कि १ करोड़ ४। लाख का टैक्स इस साल आपको मिलेगा बढ़ा हुआ। आपने जो अण्डर एस्टीमेट करके जो बतलाया है वह केवल जनता को भ्रम में डालने के लिये है। यह जो मैंने बताई है, वह बिल्कुल फेयर अर्थमैटिक है। आप गलत बता कर जनता को गुमराह करना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी अर्थमैटिक कमजोर मालूम देती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं हमेशा अर्थमैटिक में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो कभी पास हुआ ही नहीं।

श्री रामकिशन (छैर : इसलिये आप दोनों को समझना मुश्किल है और दोनों को समझाना भी मुश्किल है।

(१ म० प०)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आखिर यह टैक्स किस के ऊपर पड़ रहा है? माननीय वित्त मन्त्री जी ने बजट को प्रस्तुत करते हुए समाजवाद की भूमिका बनाई थी। आपका चाहे सिण्डीकेटी समाजवाद हो या इण्डीकेटी समाजवाद ...

श्री मथुरादास माथुर : रूसी ?

श्री मदनसिंह : इनका तो कम्यूनिस्ट सपोर्टेड समाजवाद है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने जो भूमिका समाजवाद की बजट स्पीच में बनायी है, वहां जब प्रेक्टि-कल शेप देने का समय आया तो आप उसके खिलाफ कार्य करते मालूम देते हैं। आखिर आपने यह नहीं सोचा कि इस प्रकार के टैक्सेज का असर आखिर किन पर पड़ता है। दूसरी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
तरफ आप बसेज का ट्रैवलिंग देखें तो आपको मालूम होगा की आज राजस्थान के अन्दर बसेज हैं इन्क्लयूडिंग रोडवेज आपको मानना पड़ेगा रेलवे के मुकाबले इनमें ट्रैवलिंग ज्यादा इन कन्वीनियेन्ट है। जब तक रेलवे का ट्रेवल अवेलेबल हों तब कोई बसेज में जाना पसन्द नहीं करेगा। अभी अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि डबल स्टोरीड बस उनके इलाके में चल रही है लेकिन दूसरी स्टोरी पर छत नहीं है उन पर त्रिपाल लगाकर पैसेन्जर्स को बिठाया जाता है ये झुंझुनू साइड की बात बता रहे थे। इसी प्रकार जो आदमी रेलवे से नहीं जा सकता या उसका समय उसको सूयट नहीं करता वह बस में जाता है। वह टेक्सी या कार तो कर नहीं सकता क्योंकि वे ज्यादा मंगी हैं इसलिये बस में वे जाते हैं। इस तरह से आपने जो टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव किया है उसका भार गरीब पर ही पड़ेगा। गरीब आदमी का वाहन बसेज हैं उस पर आप पैसेन्जर टैक्स लगावे यह सबसे नीचे तबके वाले आदमी पर इसका बोझ पड़ेगा, यह आप उस पर बरडन डाल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा जब केन्द्र के अन्दर रेलवे का बजट पेश हुआ श्री गुलजारीलाल नन्दा ने थर्ड क्लास के पैसेन्जर्स के किराये में कुछ इन्क्रीज किया। उस इन्क्रीज को पार्लियामेंट के सभी दलों ने विरोध किया, तीव्र विरोध उसका पार्लियामेंट में हुआ था। उसके फलस्वरूप श्री नन्दा को तमाम पार्टीज की मीटिंग बुलानी पड़ी और और उसमें डिसकशन करके थर्ड क्लास फेयर, प्लेटफार्म टिकट की जो रेट बढ़ाई थी उसको वापस लेना पड़ा। मैं समझता हूं मौजूदा वित्त मन्त्री जी चाहें उनकी पुरानी लोयल्टी किसी के साथ रही हो, आज तो वे अपनी लोयल्टी श्रीमती इन्दरा गांधी के साथ बताते हैं मैं समझता हूं उन्हीं के अनुरूप नीति का प्रदर्शन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, थर्ड क्लास के किराये में वृद्धि को वापिस लेते हुए रेलवे मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था कि चूंकी मुझे जल्दी में यह बजट पेश करना पड़ा है इसलिये रेलवे बोर्ड से जो बजट बनकर आया था उसी को मैंने आपके सामने रख दिया है। इसमें जो वृद्धि की गई है थर्ड क्लास पैसेन्जर के टैक्स में उसको मैं वापस लेता हूं। हमारे वित्त मन्त्रीजी तो यह बहाना ले नहीं सकते कि उनके कोमर्सियल डिपार्टमेंट ने जो बजट या टैक्स प्रोपोजल्स तैयार किये, वे ही मैंने रख दिये हैं ऐसा वे नहीं कह सकते उनको यह पोर्टफोलिवो भी नया नहीं मिला आपकी कनविक्शन इसमें जरूर है। कल आपकी इमेज जरूर सामने आई थी, कल आपने जो जन भावनाओं का रेस्पोंस दिया उसको हमने एप्रीसियेट किया है, उसी को आप कोन्स्टेट रखेंगे। इसलिए आम लोगों पर जो पैसेन्जर टैक्स की वृद्धि कर रहे हैं गुड्स टैक्स की वृद्धि की है उसका भार गरीब पर नहीं पड़े इसलिये इसको वापिस लेंगे।

मैं इसको एक दूसरी दृष्टि से भी आपको कहना चाहूंगा सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में वित्त मन्त्रीजी ने कहा था कि सेल्स टैक्स की जो दरें हैं, वे इस तरह की प्रोपोज करते हैं हमारी स्टेट के ट्रेड को एडवर्स इम्पैक्ट न हो। यही प्रिन्सीपल पैसेन्जर टैक्स के लिये भी लागू होता है। अगर आप पैसेन्जर टैक्स ज्यादा बढ़ायेंगे बसेज का किराया रेलवे के मुकाबले अधिक हुआ तो आपकी बसेज कम्पीटीशन में नहीं ठहर सकेंगी। बसेज का ट्राफिक रेलवे की तरफ डाइवर्ट होगा। इसका नतीजा यह होगा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि जो रेवेन्यू आपको आनी चाहिये वह नहीं आयेगी।

मैने कुछ बड़े स्टेशन्स रेलवे के लेकर उनके फेयर्स का कम्परेटिव स्टेटमेन्ट बनाया है। मौजूदा प्रपोजल्स के अनुसार रेलवे फेयर में और बस फेयर में कितना अन्तर रह गया है। वही कम्परेटिव टेबल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

जयपुर से अलवर तक रेलवे मेल एक्सप्रेस किराया 4.95 है।

आर्डिनरी का 3.85, अब रोडवेज का 5 80 हो जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मै समझता हूं बसेज का मेल या एक्सप्रेस से मुकाबला नहीं किया जा सकता। बसेज में आर्डिनरी ट्रेवल चलता है उससे मुकाबले करते तो रेलवे से १.९५ अधिक हो जायगा। अगर मेल ऐक्सप्रेस हो जायगा तो ८५ पैसा अधिक होगा। इसी तरीके से उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर का ले लीजिये। मेल एक्सप्रेस ६.२० आर्डिनरी ४.७४ बस का किराया आपने बढ़ाया है वह मिलाकर ७ २० हो जायगा इसका मतलब यह हुआ कि मेल एक्सप्रेस से १रु. ज्यादा और आर्डिनरी से २.४६ पैसा ज्यादा।

जोधपुर से जयपुर तक मेल एक्सप्रेस ९.५५ आर्डिनरी ७.७० रोडवेज १३.१५ और रात का १४ ४५ यह करीब करीब मेल से ३॥ रु. ज्यादा होगा। आर्डिनरी से ५॥ ज्यादा है। रात्रि बस के किराये को मिलाया जाय तो करीब करीब दुगना है।

जयपुर से अजमेर मेल एक्सप्रेस ४.५१ आर्डिनरी ३.५१ रोडवेज ५.१५ इस तरह से ६४ पैसा मेल से ज्यादा १.५० पैसा आर्डिनरी से ज्यादा।

कोटा: मेल एक्सप्रेस ७.७५ आर्डिनरी६.२० रोडवेज ९.७५ इसका मतलब मेल से २ रु. ज्यादा हैं आर्डिनरी से ३.५५ पैसा ज्यादा है।

इस तरह से उपाध्यक्ष मोहदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज पैसेंन्जर्स टैक्स पहले ही बहुत काफी है और इसके बढ़ जाने से जो किराया है रेल्वे से बिलकुल इन काम्पीटीटिव हो जायगा और ट्रेफिक को रेल्वे की तरफ डाईवर्ट करेगा और हमारी रेवेन्यू को कम करेगा। इस इकानामिक प्रिन्सिपल्स पर भी मैं समझता हूं कि यह बढ़ोतरी टेनेबल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मै यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस टैक्स की वसूली के सिस्टम में हमारे रोडवेज की एक बड़ी अजीब बात मैंने देखी मैने यह पता लगाया कि रोडवेज ने इतनी जल्द बाजी क्यों की। वसूली करने की तो यह पता लगा कि वह किस्सा पुराने जागीरदार साहब का किस तरह से हुआ। एक जागीरदार सहाब घोड़े पर चढ़े जा रहे थे और पीछे से सईस उनका जाता था। उनका कोई सामान गिर पड़ा तो सईस ने उस को उठाया नहीं आगे जाकर जागीरदार सहाब नाराज हुए कि तू पीछे पीछे चल रहा था और तूने सामान नहीं उठाया, आगे चले तो घोड़े ने लीद करदी तो सईस ने उस लीद को उठाकर रूमाल में बांध ली और जागीरदार के सामने पेश करदी। जागीरदार सहाब ने कहा कितना नालायक है। तो उसने कहा कि तुमने ही तो हुक्म दिया था कि पीछे गिरे उसे उठा लो...

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): कोरम नहीं है।

(गणपूरक घन्टी)

श्री रामानन्द अग्रवाल: मै उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था कि हरियाणा स्टेट

ने पिछली साल या उसके पहले साल अपने पैसेन्जर्स टैक्स में बढ़ोतरी की और वह बढ़ोतरी जिस रोज अनाउन्स किया उसी डेट से करदी हमारी राजस्थान रोडवेज कारपोरेशन जोकि इन्टर स्टेट बसेज चलाती है वह सोई रही। जागीरदार सहाब का हुकम हुआ नहीं था इसलिए जब तक हुकम नहीं हुआ, गजट देखा नहीं, कानून देखा नहीं, और उन्होंने वसूल नहीं किया। २६ हजार रुपया हमारी स्टेट की ट्रांसपोर्ट ने पैसेन्जर्स टैक्स का पैसा हरियाणा का वसूल नहीं किया और हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने इनकी तरफ निकाल दिया । झगड़ा होता रहा और कहते रहे कि हम पे नहीं करेंगे । उन्होंने कहा कि हमारे कानून से आपको वाकफियत होनी चाहिए। यह कहने लगे आपने हमें चिट्ठी क्यों नहीं भेजी । नोटिस क्यों नहीं भेजा ? अब पढ़े लिखे लोग यह कहें कि नोटिस क्यों नहीं भेजा और इग्नोरेन्स आफ लॉ इज नो एक्सक्यूज वाली बात दूसरों को कहने के लिए होती है और हरियाणा गवर्नमेन्ट को कहते हैं कि आपने चिठ्ठी क्यों नहीं भेजी ? आखिर हमारे अलवर जिले के बोर्डर के उपर हरियाणा वालों ने पुलिस लाकर राजस्थान रोडवेज की बसेज को रोक लिया, पैसेन्जर्स को उतार दिया। मिस्टर रावत जनरल मेनेजर वहां खड़े रहे और आखिर में बेइज्जती के साथ पैसेन्जर्स दूसरी गाड़ियों में आये और इस तरह से ३६ हजार रुपये पे किया तब गाड़ी वहां से चलने दी। अब जागीरदार साहब का हुकम हो गया कि जैसही कानून निकाले वसूली किया करो। तो अलवर के डिपो ने तो वसूल करना शुरू कर दिया, लीद उठानी शुरू कर दी । यहां माथुर साहब ने कहा कि हमारा इरादा २५ और ३० परसेन्ट बढ़ाने का है तो हुकम हो गया और हमारी रोडवेज कारपोरेशन ने वसूली शुरु कर दी। जो हरियाणा का वसूल नहीं किया था ३६ हजार रुपया ऐसा लगता है कि हमारी रोडवेज कारपोरेशन उस पुराने टैक्स को वसूल करना चाहती है बढ़ोतरी करके मैं इस बात को महसूस करता हूं कि यह एक डिफैक्टिव तरीका है। इसमें काफी चोरी की गुंजाइश है और काफी चोरी होती है और इतना ही नहीं इस सिस्टम में पब्लिक से टैक्स वसूल करके अपने पास दूसरे धंधों में लगाने कोभी काफी गुंजाइश हैं। अगर किसी के किसी आफिसर से या मन्त्री से सम्बन्ध हो जायें तो वह वसूली का स्टे लेकर उसको पोस्टपोन करा सकता है। उसको पोस्टपोन कराके उससे दूसरा बिजनेस चला सकता है, नयी गाड़ी खरीद सकता है और इलेक्शन आ जाये तो एक साल का पोस्टपोन ले सकता है । लेकिन उसके मुकाबले में टिकिट लगाने पड़े तोपैसा इनवेस्टमेंट करना पड़ेगा। वह वसूली फौरन हो जायगी तो यह तो आन दी फेस आफ इट अपने आपमें खराबी है। अगर सरकार के फीगर्स देखे जायें पैसेन्जर्स और गुडस टैक्स के किस की तरफ कितने बाकी हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि अधिकाधिक इसमें परमिट लेने वाले लोग ज्यादातर लोग इस प्रकार के हैं जो कि प्रिवलेज्ड क्लास के लोग हैं । किसी भी तरीके से चाहे पैसे के रूप में प्रिवलेज्ड हो, चाहे रूलिंग पार्टी के साथ होने की वजह से प्रिवलेज्ड हों या किन्हीं आफिसरों के मेहरबान होने की वजह से प्रिवलेज्ड हों। ज्यादातर ऐसे लोगों के पास बसेज हैं और उन लोगों की तरफ जो एरियर्स रहते हैं पैसेंजर्स और गुडस टैक्स के वह अपने आप में इस बात का द्योतक है इस बात को बता सकता है कि यह सिस्टम वसूली का कितना अपने आप में खराब है, गलत है। इस दृष्टि से इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मै सुझाव देना चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी इस पर विचार करें। कुछ आपरेटर्स गाड़ी में बैठे थे उनका सजेशन था मैं फाईनल तौर पर किसी नतीजे पर नहीं पहूंच सका लेकिन वर्थ कन्सीडरेशन जरूर लगा। वह कहते थे कि जितनी केपेसिटी हमारी गाड़ियों की है ५१ पैसेन्जर्स पास हैं तो हमारा पीछे का ऐवरेज देख कर या कई तो कहते थे कि ५१ पर आप लमसम पैसेन्जर्स टैक्स हमारे पीछे का एवरेज देखकर वसूल कर लें ताकि आपको एरियर्स से बचत होगी, चोरी से बचत होगी, और हमारी हरेसमेंन्ट से बचत होगी। इसमेंक्या क्या लूपोरोल है इसका उत्तर देते हुए बताया मैंने कहा था कि यह वर्थ कन्सीडरेशन है कि सरकार का इसमें वसूल भी हो जाये, चोरी भी बच जाये और हरेसमेंन्ट भी बच जावे यह ट्रिपल आब्जेक्टिव सर्व होता हो तो मुझे दिक्कत नहीं है वसूली का एडमिनिस्ट्रेटिव पाईन्ट आफ व्यू से इसमें कोई खामियां हों तो इनके उपर आप विचार करें। लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा इस सदन में पहले भी इस बात को पुरजोर कहा गया था कि आप टिकट का सिस्टम जारी करें। यह जो मौजूदा सिस्टम है उससेंटिकटका सिस्टम निश्चित रूप से बेहतर है। यह हो सकता है कि आपरेटर को पैसा पहले इन-वेस्ट करना पड़ता है लेकिन आपको अपने फाइनेन्स को देखते हुए और दूसरी स्टेट्स में भी यह सिस्टम है, इसको करना चाहिए।

चौथी बात जो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि आपने जो पैसेंजर्स और गुडस टैक्स लगाया है आपकी यह तीखी निगाह बस पैसेंजर्स पर है या प्रिवलेज्ड पैसेंजर्स पर भी है। जो बजट पर सामान्य बहस हुई थी जस समय भी यह प्रश्न आया था कि पैसेंजर्स सिर्फ बसेंस के अन्दर ही ट्रैवल नहीं करते कारों में भी करते हैं। जब हम हाउस टैक्स लगाते हैं तो जो मकान खुद के लिए रहता है उसकी रेन्टल वैल्यू बराबर के मकान से आंक कर उसके उपर हम हाउस टैक्स लगाते हैं। इसी रूप में अगर वित्त मन्त्री जी का दृष्टिकोण यह है कि जो लोग अपनी वाहन एफोर्ड कर सकते हैं उनको तो टैक्स नहीं करना चाहते हैं और जो अपनी वाहन एफोर्ड नहीं कर सकते हमारी मन्शा उनको टैक्स करने की है तो फिर मैं कहूंगा कि आप समाजवाद की बात करना छोड़ दें।

अगर मन्शा यह नहीं है तो। एफोर्डिग केपेसिटी और इसको कन्वीनियेन्स समझते हो जिसको आप टैक्स करना चाहते हों तो मैं यह निवेदन करूंगा कि बस की कन्वेयेन्स से कार का कन्वेयेन्स ज्यादा लक्जुरियस और ज्यादा केपेसिटी वाले लोगों की है तो एक पैसा या एक पर्सेन्ट बस के ट्रैवल पर पैसेन्जर टैक्स लगाते हैं तो उससे पहले उतना ही गुना जो कार के पैसेंन्जर की एफोर्डिग केपेसिटि है, उसका उतना ही मल्टीपल आप कार के पैसेंजर पर लगायें,चाहे वह कार टैक्सी कार हो यासेल्फ ओण्ड हो। मै समझता हू अगर सेल्फ ओण्ड कार है, अगर उनके उपर १००) रु० माहवार

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

पैसेन्जर टैक्स के रूप में और भी लगादे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने काफी समय ले लिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो मिनट में ही समाप्त कर देता हूं।

Page No. 72

एक माननीय सदस्य : बड़ी उपयोगी बात कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी इस पर गंभीरता से विचार करें। जैसा कि आपने कहा कि १० पैसा पेट्रोल पर बढ़ता है तो ढाई पैसा और बढ़ा दूं तो कार तो चलती ही रहेगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर १००·रु० इस पैसेंन्जर टैक्स का इन कार वालों पर लगा दें तो जिनकी आदत कार की पड़ गई है उनकी कार तो चलती ही रहेगी इसलिए आप महरबानी करके उन पर टैक्स लगायें। अगर आप उधर (अधिकारी दीर्घा) से एडवाइस लेंगे तो एडवाइस वह मिलने की नहीं और दूसरे सर्किल से एडवाइस लेने की कोशिश करें तो एडवाइज आपको अवश्य मिलेगी। इसलिए मैं यह निवेदन करूं कि कन्वेयेन्स पर लक्जुरियस कन्वेन्स पर जो आज तक लगातार चल रही है और बड़े बड़े लोग बग्घियां रखते हैं तो उनको क्यों छोड़ रहे हैं, चाहे वे थोड़े ही हों लेकिन सवाल तो यह है कि लक्जुरियस ट्रैवलिंग ओस्टेन्टेशस लिविंगपर आपका अंकुश नहीं जबकि बसों में बोरियों की तरह भरने वाले लोगों पर आपका अंकुश चलता है, यह आपके समाजवाद की बात देख रहे हैं जख्म पर नमक जैसी बात लग रही है। तो उपाध्यक्ष जी मैं उम्मीद करूंगा कि वित्त मन्त्री जी इस बात पर विचार करके इस विधेयक को वापिस लेंगे या जिस तरह से मैंने सुझाव पेश किये हैं उस रूप में बुनियादी तौर पर इसको बदलकर दुबारा पेश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देविदत्त गाड़िया (बारा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मन्त्री जी ने पैसेंन्जर टैक्स और माल वाहन कर के सम्बन्ध में जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। वित्त मन्त्री जी राजस्थान की निर्धन जनता के ऊपर जो टैक्स लगाने के अभ्यस्त के रूप में अपनी शेखी बघारने के लिए कि राजस्थान की आय बढ़ा रहा हूं इस निमित्त वे पैसेंन्जर टैक्स के अन्दर भी बढ़ोतरी करने में नहीं चूके। माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान की सरकार ने जहां यह कहा कि सन् १९६९-७० में यात्री कर और माल वाहन कर मे राज्य सरकार को जो ३१९-३० लाख की आमदनी थी वह सन् १९७०-७१ के अन्दर राज्य सरकार ने ३३४-४३ लाख की आमदनी अनुमानित आंकी है। उस हिसाब से ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को इन दो मुद्दों के अन्दर १५-१३ लाख की आमदनी अधिक होगी और जिसमें इन्होंने पैसेंन्जर टैक्स को बढ़ाकर और टैक्स लगाकर के बताया है, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने यह जो आंकड़े दिये हैं कि राज्य सरकार को सन् १९-६६ ६७ के अन्दर जो आमदनी २४३—३४ हुई, सन् १९६७·६८ के अन्दर २७६-४२लाख की आमदनी हुई सन् १९६८-६९ के अन्दर ३१९-३० लाख की जो आमदनी आपने बताई है, उस आमदनी के अन्दर हमारे राजस्थान परिवहन निगम की सन् १९६६-६७ के अन्दर जिसकी कुल बसों की आमदनी १५९-१९ लाख थी, जिसके अन्दर पैसेंन्जर टैक्स और माल वाहन टैक्स के रूपमें इस राज्य सरकार को १९६६-६७ के अन्दर करीब ३१ लाख रुपये दिये थे। ठीक इसी प्रकार से इन रोडवेज ने सन् १९६७—६८ के अन्दर जिसकी कुल आमदनी १८५-२ लाख है उसके अन्दर राजस्थान सरकार को पैसेंन्जर टैक्स और

(श्री देवीदत्त गाडिया)

मालवाहन टैक्स के रूप में करीब ३६ लाख रूपये दिये हैं। ठीक इसी प्रकार सन् १६६८-६६ के अन्दर जो कुल आमदनी २२४.४६ लाख की है जिसमें करीब ५६ लाख पैसेन्जर टैक्स और विहिकल टैक्स का दिया है किन्तु १६६६—७० के अन्दर इन रोडवेज की आमदनी करीब २६० लाख रुपये है जिसके अन्दर मेरे अनुमान अनुसार इस पैसेन्जर टैक्स और माल वाहन के टैक्स के रूप में राज्य सरकार को करीब ६० लाख रुपया दिया है। इस प्रकार से इन रोडवेज ने जिस राज्य सरकार को जो राजस्थान की कुल बसोंका यातायात का मार्ग है जिन पर बसें चलती हैं। उसका अनुमान जो आज राष्ट्रीयकृत बसों के मार्ग हैं वह, माननीय उपाध्यक्ष जी, जो कि केवल ७.४५ या इससे भी अधिक मानलें तो ८ परसेन्ट है, यानी राष्ट्रीयकृत बसें जो रोड़वेज की चलती हैं वह ८ परसेन्ट कुल यातायात मार्ग की हैं, उसके अन्दर इन रोड़वेज ने ३१ लाख रुपये सन् १६६७—६८ के अन्दर दिये। जिसके अन्दर राज्य सरकार की कुल आमदनी पैसेन्जर टैक्स और मालवाहन टैक्स की जो सन् १६६६-६७ के अन्दर हुई २४३.३१ लाख की जिसमें हमारी रोड़वेज ने जो आमदनी दी है वह ३१ लाख की है। इस प्रकार से मेरा यह अनुमान है कि राज्य सरकार को रोड़वेज की दी हुई आमदनी को निकालें तो सन् १६६६-६७ के अन्दर राज्य सरकार को पैसेन्जर टैक्स और मालवाहन टैक्स से २१२ लाख की आमदनी हुई है, और ठीक इसी प्रकार से सन् १६६७-६८ के अन्दर रोड़वेज की आमदनी को निकाल देते हैं तो राज्य सरकार को बाकी आमदनी हुई २३७.५२ लाख की, और सन् १६६८-६६ के अन्दर जो राज्य सरकार को-३१६.३० लाख की आमदनी हुई उसमें रोड़वेज के पैसेन्जर टैक्स जो करीब ५६ लाख की है उसको निकालते हैं तो २६२ लाख की, और आज ६६-७० में ३०५ लाख की आमदनी राज्य सरकार की इस मद के अन्दर है और रोड़वेज ६० लाख रुपये पैसेन्जर टैक्स और मालवाहन टैक्स के दे रही है तो उसको निकाल कर उसकी २६० लाख की आमदनी है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय वित्तमन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक ओर तो हमारा रोड़वेज जो राजस्थान का कुल यातायात का मार्ग है जिन पर गाड़ियां चलती हैं, बसें चलती हैं उसका ८ परसेन्ट ही राष्ट्रीयकृत बसें चलती हैं वह यदि एक साल के अन्दर आपको सन १६६६—७० में ६० लाख की आमदनी पैसेन्जर टैक्स और मालवाहन टैक्स के अन्दर देती है तो मैं यह अनुमान लगाकर चलता हूं कि यदि ८ पर्सेन्ट के अन्दर रोडवेज से ६० लाख रुपये की आमदनी होती है तो सारी जो बसें चलती हैं यदि उनकी १०० परसेन्ट आमदनी मान कर चलें तो १६६६—७० के अन्दर इस राज्य सरकार को पैसेन्जर टैक्स और मालवाहन टैक्स से ७५० लाख की आमदनी होनी चाहिए लेकिन हमारी आमदनी कितनी है? हमारी आमदनी १६६६—७० के अन्दर ३३४ लाख रुपये की है। इसी प्रकार से हमारी आमदनी १६६८—६६ के अंदर ३२६.३० लाख की है जब की हमारी आमदनी १६६८—६६ के अन्दर होनी चाहिए थी सात करोड़ रुपये की यह राजस्थान के अन्दर यात्री कर और माल कर की हालत है, जबकि राजस्थान के कुल ८ पर्सेन्ट मार्गों पर रोडवेज की बसेज चलती हैं, और ६२ पर्सेन्ट मार्गों पर प्राइवेट बसेज चलती हैं। जो ८ पर्सेन्ट मार्गों पर रोडवेज की बसें चलती हैं, उस रोडवेज के द्वारा जो पेसेन्जर टैक्स और गुड्स टैक्स दिया जाता है. वह १६६८-६६ के अन्दर रोडवेज से आमदनी हुई है ५६ लाख की, उसके हिसाब से राजस्थान की यात्री कर और माल कर से होने वाली आमदनी को देखें

(श्री देवीदत्त गाडिया)

तो १९६८-६९ के अन्दर आमदनी होनी चाहिए पेसेंजर टैक्स और माल कर से कुल सात करोड़ रुपये लेकिन उसके बजाय जो आमदनी हुई है वह केवल ३२९.३० लाख हुई है मैं वित्त मंत्रीजी आपसे पूछना चाहता हूं कि इस साल में ३८० ७० लाख का लीकेज हुआ है। जब १९६८-६९ की आमदनी के अंदर ३८०-७० लाख का लीकेज है, तो उसी के हिसाब से आगे देखें तो राज्य सरकार को १९६९-७० के अंदर कुल ३३४ लाख की आमदनी हुई है, जब कि शत प्रतिशत आमदनी हुई है, जब कि शत प्रतिशत आमदनी के हिसाब से देखें तो १९६९—७० के अंदर राज्य सरकार को पैसेंजर टैक्स और गुड्स टैक्स से ७.५० करोड़ की आमदनी होनी चाहिए, लेकिन आमदनी हुई है ३३४ लाख की, इस प्रकार से ४ लाख का लिकेज है ...

श्री रामकिशन : चार करोड़ का।

श्री देवीदत्त गाड़िया : चार करोड़ ४१६ ५० लाख का लीकेज है। इसी प्रकार से १९६७-६८ के अन्दर जहां राज्य सरकार को आमदनी हुई २७६.५२ लाख रुपये वहाँ पर राज्य सरकार को वास्तविक आमदनी होनी चाहिए वह पांच करोड़ की होनी चाहिये थी, और इस प्रकार से उसमें भी २२३.४८ लाख का लीकेज हुआ है। इसी प्रकार से १९६६-६७ के अन्दर राज्य सरकार को आमदनी हुई है वह २४३.३१ लाख की हुई है जबकि वास्तविक आमदनी राज्य सरकार को इस यात्री कर और माल कर से होनी चाहिए वह चार करोड़ की होनी चाहिए, इस प्रकार से इस साल के अन्दर १५६.६९ लाख रुपये का लीकेज है। मैं वित्त मन्त्री जी. आपसे पूछना चाहता हूं कि रोडवेज की बसेज केवल आठ पर्सेन्ट मार्गों पर चलती हैं उससे ५६ और ६० लाख की आमदनी होनी है लेकिन जो प्राइवेट लोग बसें चलाते हैं और जो ओवर लोड बसें चलाते हैं इस कारण उनको अधिक आमदनी होते हुए भी राज्य सरकार की आमदनी इतनी कम क्यों है? यह बहुत बड़ा लीकेज है। इसलिए वित्त मन्त्रीजी, इस लीकेज को रोकने के लिए आपको सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि राज्य सरकार को वास्तविक आमदनी हो। लेकिन लीकेज को किस प्रकार से रोका जाय-इसका वित्त मन्त्री जी चिन्ता नहीं करते हैं, चिन्ता तो इस बात की करते हैं कि किस प्रकार राजस्थान की जनता से अधिक से अधिक पैसेन्जर टैक्स और गुड्स टैक्स के नाम पर पैसा आये और इसलिए ही इन टैक्सेज को हर वर्ष बढ़ाते जाते हैं। लेकिन इस टैक्स का जो लीकेज होता है इसको रोकने के लिए न तो वित्त मन्त्री जी चिंता करते हैं और न इस विभाग के अधिकारी जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं और जिनको हजारों रुपयों की माहवार तनख्वाह मिलती है। उन्होंने इस लीकेज को रोकने के बारे में क्या किया? क्या इसके बारे में कभी कोई सुझाव दिया? सेल्स टैक्स के अधिकारियों ने इस लीकेज को रोकने के लिए कोई सुझाव नहीं दिया, कोई कार्यवाही नहीं की। हमारे वित्त मन्त्री जी राजस्थान विधान सभा के सामने करारोपण के नाम पर नई नियुक्तियों के नाम पर लाखों रुपयों की स्वीकृति लेते हैं, लेकिन यह भयंकर लीकेज हर साल में बढ़ता जा रहा है। इस पैसेंजर एण्ड गुड्स टैक्स से प्रतिवर्ष लीकेज होता है. १९६६-६७ के अन्दर १५६.६९ लाख रुपये का लीकेज हुआ, वहां १९६७-६८ के अंदर २२३.४८ लाख रुपये का लीकेज हुआ, १९६८-६९ के अन्दर ३८०,७० लाख रुपये का लीकेज हुआ और १९६९-७० के अन्दर ४१६.५० लाख रुपये का लीकेज हुआ। लेकिन इस लीकेज को रोकने की कोई चिन्ता नहीं की है।

(श्री देवीदत्त गाडिया)

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं यह मानकर चलता हूं कि राजस्थान रोडवेज की यदि बसें निर्धारित मार्गों पर पूरी चलती हैं तो रोडवेज को अधिक आमदनी होती है और राज्य सरकार को भी पैसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स का पैसा पूरा मिलता है । ऐसी स्थिति में जब आठ पर्सेन्ट राष्ट्रीयकृत मार्गो के लिए रोडवेज इतनी आमदनी जब राज्य सरकार को देता है तो क्या कारण है कि दूसरे मार्गों पर जो प्राईवेट बसें चलती है उनसे आपको पूरा टैक्स नहीं मिलता मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो सेल टेक्स के अधिकारी हैं वह प्राईवेट बस आपरेटर्स से सांठ गांठ करते हैं इस कारण यह लीकेज है । इसके अलावा राजनैतिक हस्तक्षेप होता है और राजनैतिक नेताओं के दबाव के कारण सेल्स टैक्स अधिकारियों की इन प्राइवेट बस आपरेटर्स से सांठ गांठ रहती है । मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि आपको पैसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स को बढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप जो टैक्स बढ़ाते हैं उससे आमदनी १५.११ लाख की साल की आमदनी होती है जब कि करोड़ों रुपये का आज हर साल लीकेज हो रहा है । इसको रोकने लिए इस टैक्सेशन विभाग को सक्षम होना चाहिए । मेरा निवेदन है कि जो प्राइवेट बस आपरेटर्स हैं इनकी बसों के अन्दर जो सवारियों को टिकट दिये जाते हैं इसके ऊपर राज्य सरकार की तरफ से कोई देख रेख नहीं है, को प्रतिबन्ध नहीं हैजैसा । कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस टिकट के ऊपर टैक्स का टिकट लगना चाहिए । मैं भी उनके इस सुझाव से सहमत हूं लेकिन जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार पहले रजिस्ट्री के लिए लिफाफे के ऊपर टिकट लगवाया करती थी, उस पर जो खर्च होता था उसको रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने लिफाफे पर मोहर लगवा दी और रजिस्ट्री के टिकटों का पैसा लेना शुरू कर दिया । इसी प्रकार मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो प्राइवेट बस ओनर हैं, जिनकी बसें चलती हैं उनके द्वारा टैक्सों की चोरी रोकने के लिए आप टिकट न लगाकर ऐसी व्यवस्था कर दें कि या तो विभाग द्वारा टिकटों के ऊपर नम्बर लगा दिये जांय या फिर टिकटों पर मोहर लगा दें ताकि दूसरे टिकट वह सवारियों को न दे सकें ऐसा करते हैं तो पैसेन्जर टैक्स की जो चोरीप्राइवेट बसओनर करते हैं उस को आप रोक सकेंगे । इतना ही नहीं, जिन मार्गो पर रोडवेज की बसें चलती हैं उन पर दूसरी गाड़ियां भी चलती हैं । मैं उदाहरण के रूप में आपको कहना चाहता हूं कि जयपुर से कोटा के लिए रोड़वेज की बसें चलती हैं, लेकिन इसी मार्ग पर अवैधानिक रूप से मिनी बस भी चलती हैं, इल्लिगल रूप से गाड़ियां चलती हैं जिनके पास में कोई परमिट नहीं हैं । वह न तो सवारियों को टिकट देती हैं और न सरकार को पैसन्जर टैक्स का पैसा देती हैं, इससे एक तरफ जहां रोड़वेज का नुकसान होता है, दूसरी तरफ जो राष्ट्रीयकृत मार्गों पर गाड़ियां चलती हैं वह रोड़वेज के किराये से ऊपर किराया लोगों से रोजना लेती हैं लेकिन हजारों रुपये के पैसेन्जर टैक्स का चोरी करती हैं। इसको आप रोक क्यों नहीं पाते हैं ? मेरी जानकारी के अनुसार, माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी निश्चित मान्यता है कि जो मिनि बसें हैं, यह पुलिस अधिकारी की हैं मजिट्रेट की हैं और आई ए. एस. अफसरों की हैं । जयपुर से जो मिनी बसेंचल तो है । उनकी कोई ईमादारी से जांच करे तो उससे मालूम होगा कि इन मिनी बसों में से अधिकांश मिनी बसें राज्य के बडे बड़े अधिकारियों की हैं, संया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का । जब एस. पी. की मिनी बस चले, मजिस्ट्रेट को

(श्री देवीदत्त गडिया)
मिनी बस चले और नेताओं की मिनी बस चले तो फिर चालान कौन करेगा ? क्या थानेदार की हिम्मत है, कि जो मिनी बस एस.पी. की है उसका चालान कर दे ? क्या यह थानेदार की हिम्मत है क्या यह आर. टी. ओ. की हिम्मत है कि वह इन मिनी बसों का चालान कर दे। अब अगर रोडवेज के चेयरमैन दबाव डालें या रोड़वेज के व्यक्ति दबाव डालें तो यह पुलिस वाले एक दो दफा पकड़ने का नाटक कर देते हैं और फिर मजे करते हैं। अब अगर कोई मामला अदालत में भी जाता है तो उस पर जुर्माना क्या होता है, सौ रुपये क्योंकि मजिस्ट्रेट की भी मिनी बस चलती हैं। एस. पी. मजिस्ट्रेट और आई. ए. एस. आफीसर इन तीनों की सांठ गांठ से यह सब होता है, फिर आप अन्दाज लगाइये कि क्या चोरी पकड़ी जा सकती है तो इस प्रकार सबको मालूम है कि मिनी बसें चलती हैं, लेकिन उनके ऊपर रोक लगाने की राज्यसरकार ने कार्यवाही नहीं की और इसतरह से हजारों रुपये के पैसेंजर टैक्स की रोज चोरी होती है। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष जी राजस्थान में केवल आठ पर्सेन्ट मार्गों पर रोडवेज की बसें चलती हैं जबकि दूसरे प्रान्तों में, पंजाब को ले लें, हरियाणा को ले ले, मध्यप्रदेश को ले लें पचास प्रतिशत से रोड़वेज की बस नहीं चलती हैं। कई प्रान्त तो ऐसे हैं जहां पर शत-प्रतिशत रोडवेज की बसें चलती हैं, लेकिन हमारी सरकार हर मार्ग पर रोडवेज की बस नहीं चलाना चाहती है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है. चित्तौड़ हैं और दूसरे जिले हैं.... ..

श्री रामकिशन : आप राष्ट्रीय करण के पक्ष में हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरी बात सुनिये। आप बैठिये।

श्री रामकिशन : इसका जवाब तो दे दीजिये। बैठ क्यों जाऊं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं ऐसे राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हो सकता हूं, जिससे जनता का नुकसान नहीं हो, लेकिन यहसरकार है, यह +सरकार.....

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज्ड ? + शब्द एक्सपंज्ड।

श्री देवीदत्त गाड़िया : और यह सत्ता के लिए राष्ट्रीयकरण का नाजायज फायदा उठना चाहती है।

लेकिन कई ऐसे मार्ग हैं जहां रोड़वेज की बसेज इसलिये नहीं चल पाती है कि कहीं मुख्य मन्त्री जी उस क्षेत्र से आते हैं, कहीं प्रभावशाली एम. एल. ए. उस क्षेत्र से आते हैं कहीं सिंचाई मन्त्रीजी उस क्षेत्र से आते हैं यदि इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय तो इनको चन्दा कौन देगा ?

एक माननीय सदस्य: हमने लिखकर के दिया है कि भीलवाड़ा के बस रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : रामप्रसादजी यातायात मंत्री हैं, इसलिए भीलवाड़ा के बस रूट्स पर रोड़वेज की बसें नहीं चल सकती। इतना ही नहीं कई ऐसी बसें हैं........

श्री उपाध्यक्ष : ट्रांसपोर्ट का बिल नहीं चल रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मै पैसेन्जर्स टैक्स के बारे में निवेदन कर रहा हूं। राजस्थान के

+ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

Page No. 77

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
१७—१८ प्रतिशत मार्गों पर रोड़वेज की बसें चलती हैं. बाकी ८२ प्रतिशत मार्गों पर प्राइवेट बसेज चलती है, इनसे अलग अलग कितना पेसेंजर्स टैक्स मिलता है—

श्री उपाध्यक्ष : यह आप पहले कह चुके हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कई ऐसी बसें हैं जैसे कोटा से सोनपुर की बस चलती है और निर्धारित बस स्टोप्स हैं पर बीच में ही रुक कर सवारियां बिठाते है और टिकट नहीं काटते हैं, इस तरह पैसेन्जर्स टैक्स की चोरियां होती हैं । इन प्राईवेट बसेज के ऊपर कम्प्लेन्ट बुक्स भी नहीं रहती है, इसलिए शिकायते नहीं होती और टैक्स की चोरियां होती हैं ।

मैं मालवाहन टैक्स के सम्बन्ध में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। मालवाहन टैक्स के बारें में भी सरकार बहुत लापरवाह है इसलिए सरकार को बहुत कम आमदनी होती है। दूसरे प्रांतों में चले जाइये, बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में चले जाइये, वहां आप देखेंगे कि इनके बोर्डर में घूसेंगे, यदि राजस्थान का कोई ट्रक वहां पर माल लेकर गया तो बार्डर की चोकी पर वेइन्ग मशीन लगी हुई है। वे उस ट्रक को बेरीयर पर तौलतें हैं और यदि निर्धारित भार से अधिक भार होता है तो टैक्स वसूल करते हैं। पर हमारे यहां राजस्थान की सरकार इतनी निकम्मी है कि जितने हमारे सीमा के इलाके हैं, चाहे कोटा को ले लिजिये, चाहें अलवर को ले लीजिये, चाहे भरतपुर को ले लीजिए वहां वेईन्ग मशीने नहीं हैं। यदि दिल्ली का कोई ट्रक अपनी केपेसिटी से ज्यादा माल भर कर आ गया है तो उसको तौलने के लिए राजस्थान सरकार के पास कोई मशीन नहीं है, ट्रक को तोल कर ज्यादा भार हो तो टैक्स लेने का कोइ साधन नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंन्ट के पास लाखों रुपयों की कीमत की वेइन्ग मशीने खरीदी हुई जलेब चौक में पड़ी हुई हैं, उनके जंग लग गया है, पर यह सरकार इतनी निकम्मी है कि हमारी सीमा पर जो वेरियर्स लगे हुए हैं, वहां इन मशीनों को नहीं लगा सकी हैं। इस तरह से जो राजस्थान को हजारों रुपये की मालवाहन कर से आमदनी होनी चाहिए, उसकी चोरी हो रही है।

आज राजस्थान में कई ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके एक एक के पास आठ आठ दस दस मार्गों के परमिट हैं, उनको उन मार्गों पर न ले जा कर शादियों में और दूसरे कामों में ले जाते हैं और इस तरह से टेक्स की चोरी करते हैं।

यह सरकार समाजवादी सरकार होने का दम भरती है, क्या यही है इसका समाजवाद जो बसों के कन्डेक्ट्रस है, ड्राईवर्स है इन गरीब लोगों को यदि इन बस रुट्स के परमिट दे दिये जायें तो टैक्सों की चोरी नहीं होगी । जितने लखपति करोड़पति, धनवान होंगे, उतने ही वे ज्यादा बेईमान होंगे। टाटा, बिड़ला डालमियां ये बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने करोड़ों रुपया भूमिगत कर रखा है, इन्होंने करोड़ों रुपयों की चोरियां की है, लाइसेन्स परमिट लेकर लाखों करोड़ों रुपया इन लोगों ने कमाया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज आपकी अगली बेंच खाली है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो चीन के इशारे पर चलने वाले हिन्दुस्तान को गुलाम बनाना चाहते हैं, इस और चीन के पैसे से हिन्दुस्तान

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

में क्रांति लाना चाहते हैं पर आज हिन्दुस्तान में करोड़ों देश भक्त मौजूद हैं इसलिये आपके नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं हो सकेगें।

श्री विजयसिंह : माननीय सदस्य एकबात बता दें कि मुख्य मंत्री क्या बड़े आदमी नहीं हैं?

श्री देवीदत्त गाड़िया : कुछ आदमी तो थोथे नारे लगाते हैं, गरीबों का नारा लगाते हैं ताकि हिंदुस्तान, रूस और चीन के चंगुल में फंस जाय। लेकिन जब तक हमारे यहां करोड़ों देश भक्त मौजूद हैं तब तक भारत को रूस और चीन का गुलाम बनाने के उनके नापाक इरादे कामयाब नहीं होंगे।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि गरीब कन्डक्टर हैं, ड्राइवर हैं, इन लोगों को बसों के परमिट दे दिये जायें तो टैक्स की चोरी नहीं होगी। इसके अलावा कई कच्चे मार्गों पर बसों के परमिट दिये हुए हैं पर वहां पर बसेज चलती ही नहीं हैं। इससे राज्य सरकार को जो टैक्स की आय होनी चाहिये वह आय नहीं होती है। या तो उन कच्चे मार्गों के परमिट नहीं देने चाहिये, अगर देते हैं तो राज्य सरकार का नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि जिन मार्गों पर परमिट दिये हैं वहां बसें चलनी चाहिये। बसें चलेंगी तो राज्य सरकार को टैक्स की आमदनी होगी।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो पेसैन्जर्स टैक्स वसूल करने की राज्य सरकार की पद्धति है वह बिलकुल गलत है, वह व्यावहारिक नहीं है। इसके लिये मैं राज्य सरकार से अपील करुंगा कि एक कमेटी बैठाई जाय जो जांच करके रिपोर्ट करे कि पैसैन्जर्स टैक्स वसूल करने का क्या तरीका होना चाहिये। या इसमें आमूलचूल परिवर्तन करें तो यह जो भ्रष्टाचार आपके कर विभाग में चल रहा है, बसों के मालिकों से आपके अधिकारियों की सांठ गांठ है वह सब मिट सकता है। आपके अधिकारी कई महीनों का पैसैन्जर्स टैक्स बस ओपरेटर्स से वसूल नहीं करते हैं, लाखों रुपया पैसैन्जर्स टैक्स का बस ओपरेटर्स में बकाया है, मन्त्रीजी से मिल कर वे स्टे ले लेते हैं और पैसेन्जर्स टैक्स के उस पैसे को जिसकी कि वे चोरी करते हैं, उसको दूसरे व्यापार में लगा देते हैं। मै माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं पी. डब्लू. डी के इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के ठेके दिये जाते हैं तो उनसे अर्नेस्ट मनी लिया जाता है उसी तरह से बसों के ओपरेटर्स से अर्नेस्ट मनी ले लें तो राज्य सरकार के खजाने में पैसा आयेगा। और बस ओपरेटर्स भी जो पैसैन्जर्स टैक्स की चोरी करते हैं, उनको डर रहेगा कि यदि हमने पैसेन्जर्स टैक्स की चोरी की तो हमारा अर्नेस्ट मनी जब्त हो जायगा।

सेल्स टैक्स के अधिकारी जो टैक्स की चोरी करने वालों से रिश्वत लेते हैं, इसको रोकने के लिये यह किया जा सकता है कि बस ओपरेटर्स का पिछले तीन चार साल का टैक्स और उसी आधार पर अगले तीन चार सालों के टैक्स को असेस करके उन पर एक तरह का टैक्स मुकर्रर कर दिया जाय। इस प्रकार की व्यवस्था एक कर देने से जो टैकस की चोरी होती है वह भी बचेगी और आपके कर विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि हमें बिलकुल ही फुरसत नहीं मिलती है, हमारे पास बहुत अधिक काम है और इस तरह से वे कागजों को

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

निबटाने में अत्यधिक देरी कर देते हैं, तो उनको भी समय मिल जायगा, जो करोड़ों रुपयों का लीकेज होता है, चार करोड़ रुपयों का इस साल टैक्स का लीकेज हुआ है, पिछले चार सालों के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे यहां पैसेन्जर्स टैक्स की कितनी अधिक चोरी होती है। इस प्रकार की व्यवस्था कर देने से यह पैसेन्जर्स टैक्स की चोरी होती है वह भी खत्म हो जायगी।

इसी आधार पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम राजोरिया।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय. . .

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर यह पैसेन्जर टैक्स बिक्री कर की छाया से मुक्त नहीं हो पाया है जिस प्रकार से वित्त मन्त्री जी बिक्री कर को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं बिना यह विचार किये कि इसका भार राजस्थान की किस जनता पर पड़ता है उसी प्रकार से यात्रा कर भी लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सन् १६६१ में यात्री और माल कर की आमदनी ८५ लाख के आस पास थी आज इस साल के अन्दर ४०० लाख से भी यह आमदनी ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। इसका भार मोटर मालिकों और जिनको सरमायेदार कहते हैं उनके ऊपर पड़ने वाला नहीं है।

(१.५२ म. प.)

(श्री विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

बढ़ता हुआ जितना यह पैसेन्जर और गुड्स टैक्स है वह साधारण यात्री पर पड़ता है जो हवाई जहाज से सफर नहीं करता, जो रेल से फर्स्ट और सैकिन्ड क्लास से सफर नहीं करता है। जहां रेल नहीं है, और दूसरी सुविधायें नहीं है, कच्ची सड़के हैं और अपनी आजीविका और अन्य कार्यों के लिए जिनको गांवों से सामान खरीदने के लिये कस्बों अथवा अपनी तारीख पेशियों पर मजबूर होकर यात्रा करना पड़ता है उसके ऊपर जाकर इसका भार पड़ता है।

सभापति महोदय, जहां तक इस स्थिति का सम्बन्ध है रोडवेज में तो क्या और दूसरी जगह क्या यह किराया बढ़ते बढ़ते रेल के साधारण किराये से भी अधिक आगे बढ़ गया है। केन्द्र के अन्दर जो रेलवे का बजट आया, रेलवे के अन्दर सारे किराये बढ़ाये गये थे लेकिन केन्द्र के मन्त्री को जिन्होंने थर्ड क्लास के टिकिट का किराया बढ़ाया था उसको वापिस लेना पड़ा। केवल इसलिए कि थर्ड क्लास में ट्रैवल करने वाले मध्यम वर्ग के नहीं साधारण वर्ग

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

के लोग होते हैं। राजस्थान में मोटर बसेज चलती हैं। उनमें छोटे मजदूर साधारण किसान सफर करते हैं उसका उन पर जाकर असर पड़ता है। यात्री कर का भार पड़ा और वह सरकारी कोष में भी जमा हो जाय तो तसल्ली की जा सकती है। मोटर मालिक वसूल करते हैं वह फौरन राज्य कोष में जमा हो जाय न तो मोटर मालिकों से वसूली की और न ही राज्य कोष में जमा हुआ। पैसेन्जर टैक्स टिकिट के साथ सवारी से वसूल किया जाता है, लेकिन वह राज्य कोष में जमा नहीं कराया जाता। स्थिति यह है कि सन् १६६६-७० में ४७, ३०, ४६५ रुपये यात्री कर के बकाय निकल रहे हैं। मोटर के मालिक यात्री कर यात्री से वसूल कर लेते हैं उनको सरकारी कोष में जमा न करके अपने पास रखने का क्या अधिकार है? अमानती पैसा है। सरकार का पैसा है। यात्री से वसूल किया और सीधा सरकारी कोष में चला जाना चाहिये लेकिन नहीं, ४७, ४८ लाख रुपया पैसेन्जर टैक्स का मोटर मालिकों के पास पैसेन्जरों से वसूल किया हुआ पड़ा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह क्रिमिनल ब्रीच ओफ ट्रस्ट नहीं है? क्या यह ताजीरात हिन्दमें नहीं आता है? क्या सरकार ने कभी इस पर विचार किया है? जो पैसेन्जर टैक्स राज्य सरकारके नाम पर मोटर मालिक वसूल करते हैं वे अपने पास पैसा रख लेते हैं उन पर ताजीरात हिन्द में फौजदारी मुकदमा चलाया जाय। लेकिन आज तक सरकार ने किसी भी केस में सीधी सादी अमानत में खयानत के लिये किसी मोटर मलिक के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। राज्य सरकार इस पर विचार ही नहीं करना चाहती? स्थिति तो यहां तक आती है कि यात्री कर बकाया निकल रहा है, नोटिस जा रहे हैं जाब्ते की कार्यवाही चल रही है यह कहा जाता है लेकिन जिस मोटर मालिक में हजारों रुपया यात्री कर का निकलता है वह ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट से परमिट लेकर मोटर चलाता है, उसको रिन्यू करा लेते हैं। एक डिपार्टमेन्ट बकाया निकाल रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट उसको मोटर चलाने के लिये परमिट दे रहा है। दोनों विभाग अलग अलग होने से कोओरडिनेशन भी नहीं है। कार्माशयल विभाग और यातायात विभाग, कार्माशयल विभाग पैसा बाकी निकाल रहा है और अटैचमैन्ट कररहा है और यातायात विभाग मोटरों का परमिट दे रहा है। रिन्यू कर रहा है लाइसेन्स को। यह हालत राजस्थान में चल रही है। विधान सभा में कई बार प्रश्न आया। चन्द लोग हैं। सारे लोग नहीं हैं। आज तक राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।सरकार कार्यवाही को नहीं करना चाहती। उदयपुर केसेज ही बताये गये। कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का साला है। पेसेन्जर टैक्स बाकी निकल रहा है और राज्य सरकार वसूल नहीं करना चाहती। यह स्थिति कोटा की है। बस ओपरेटर्स में पैसा बाकी है उनसे वसूल नहीं कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी आप टैक्स बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले के जो टैक्सेज हैं, उन पर तो आप विचार करें कि वसूल कर पायेंगे या नहीं? यह टैक्स आप लगाते हैं वह साधारण आदमी पर पड़ता है। आज एक साधारण व्यक्ति रोजाना अपना खर्च नहीं चला सकता है। आप उस पर टैक्स लगाते हैं तो उस का बर्डन उस साधारण आदमी पर ही पड़ेगा। आवश्यकता इस बात की नहीं है कि टैक्स बढ़ाया जाय, टैक्स की दरें बढाई जांय। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इन सारे प्रश्नों पर राजस्थान की जनता का जनमत जागृत किया जाय।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरसिंह महता : बोल गये ।

श्री सभापति : श्री रामकिशन ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, यात्री कर और माल कर के सम्बन्ध में, मेरे विचार मैं सदन में रखना चाहता हूं ।

(२ म० ५०).

मेरे विचार से रेल्वे किराया और यह बस यात्रा किराया बराबर समान होना चाहिये । रेलों के मुकाबले में हमारे को बसों में इतनी सुविधा नहीं मिलती है और मैंने यह देखा कि निगम की तरफ से जो बसे चलती हैं और जो प्राइवेट बसे चलती हैं उनकी सुविधाओं को अगर हम देखें तो रेल्वे के मुकाबले में वे सुविधाएं बहुत ही कम हैं और बहुत कम सुविधाएं होने पर भी उनका किराया ज्यादा है । मैं तो यह चाहता हूं कि यह जो किराया, बस सर्विसेज का यह रेलों के बराबर, समान होना चाहिये और इसके लिये यह बात हो सकती है कि यात्रा और माल पर और कर, टैक्स नहीं लगाया जाये । इसलिये मैं इस टैक्स का विरोध करता हूं । मैंने बजट पर हुई बहस के अपने भाषण में भी इसका विरोध किया है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यदि यात्रा और माल पर कर बढ़ता है तो अवश्य ही वह पैसेंजर पर भार पड़ेगा और इससे किराया बढ़ेगा, मैं यह जानना चाहताहूं कि क्या वित्त मन्त्री महोदय मुझे यह यकीन दिलायेंगे, सदन को विश्वास दिलायेंगे कि इस कर के लगाने से पैसेन्जर पर किराया नहीं बढ़ सकेगा । अगर यकीन दिला सकते हैं और पैसेन्जर पर किराया नहीं बढ़ता है तो हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि हमारे प्रांत की जो वित्तीय स्थिति है वह अच्छी नहीं है परन्तु सदन को यह विश्वास पहले दिया जाना चाहिये ।

मैं विशेष तौर पर यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि जो बस सर्विस, प्राईवेट बस सर्विस है उनकी तरफ से कोई सुविधा नहीं है, न किसी तरह से पानी की सुविधा है, न वहां पर कोई बस स्टेन्ड है, न कोई प्लेटफार्म है और न किसी तरह की सुविधा ही है जबकि पैसेन्जरर्स टैक्स देते हैं और कोई भी बाड़मेर से चौहटन जाये तो कहीं पर भी, हमारे जिले में चले जाइये, कहीं पर भी जो प्राइवेट बस सर्विसेज हैं, उनकी तरफ से किसी तरह का कोई इन्तजाम नहीं है, पानी का भी इन्तजाम नहीं है, विश्रामालयों का तो प्रश्न ही नहीं है किन्तु शौचालय भी नहीं है । जहां पर पीने के पानी की भयंकर समस्या है वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं चाहता हूं कि जो यह प्राइवेट बसेज को परमिट दिये जा रहे हैं, वह उनको नहीं दिये जाने चाहिये और राष्ट्रीयकरण की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये और राष्ट्रीयकरण के बारे में हमको शिथिलता नहीं बरतनी चाहिये । मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि गुजरात में स्वतन्त्र पार्टी का शासन है- नहीं कांग्रेस पार्टी का शासन है, वहां की स्वतंत्र पार्टी ने जो कि अपोजिशन की पार्टी है, इस राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया है और

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

उन्होंने पूरी तरह से इसकी प्रशंसा की है। वहां पर काफी सुविधा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जबकि हमारे यहां भी कांग्रेस का राज्य है और हम इसको कर सकते हैं और हमारा विश्वास भी राष्ट्रीयकरण में है तो हमें इस पर अधिक से अधिक बल देना चाहिये। अब मैं हमारे बाड़मेर क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में रोडस् बन गई हैं परन्तु उस पर इस प्रकार की गाड़ियां चलती हैं जिसमें सीट्स की कोइ व्यवस्था नहीं है, बैठने की पूरी व्यवस्था नहीं है। वे गाड़ियां पुराने आदमीके जमाने की,२०वर्ष पुरानी गाडियां हैं वे आज तक वहां पर चल रही हैं। मरसिडीज और जो अच्छी गाड़ियां हैं वे उस क्षेत्र में चलनी चाहिये जबकि वहां पर टार रोडस् बन गई हैं हमारे क्षेत्र में पैसेन्जर को भी उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना कि दूसरे क्षेत्र के पैसेन्जर और जब टार रोडस् बन गई हैं तब इस प्रकार की अच्छी गाड़ियों की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप पैसेन्जर से टैक्स लेते हैं तो उनके लिये अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये और पूरी तरह से यह व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहूंगा कि वे रोड़वेज की बसेज के बारे में बोल रहे हैं या टैक्सेज के बारे में बोल रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं यह बता रहा हूं कि जब हम टैक्स दे रहे हैं तो हमको भी सुविधा मिलनी चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है तो हमारे टैक्सेज देने का क्या मतलब ? जब जनता को सुविधा नहीं मिलती है, गाड़ियों की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो टैक्स बढ़ाने का क्या सैंस हो सकता है ? इसलिए यह रिलेवंट है।

श्री सभापति : आप आरम्भ रखिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं एरियर्स के बारे में कहना चाहता हूं। मोटर मालिकों ने पैसेंजर से टैक्स वसूल कर लिया किन्तु इस पैसेंजर टैक्स को मोटर मालिकों से वसूल करने में सरकार ढिलमिल नीति अपना रही है। परमिट के बारे में मुझे यह कहना है कि परमिट जो दिए जाते हैं वे पोलिटिकल मोटिव से दिए जाते हैं क्या इसी प्रकार हम समाजवाद को अपना रहे हैं ? अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो राष्ट्रीयकरण को क्यों नहीं अपनाते ? अब वह दिन दूर नहीं है और न यह ज्यादा दिन चलने वाला ही है। हम कुछ व्यक्तियों को पोलिटिकल मोटिव से परमिट देते हैं और वे व्यक्ति उनको बेच देते हैं। इस तरह उन्होंने अपना एक धन्धा चला रखा है। इस तरह की कोशिशों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। इस सन्दर्भ में, मै वित्त मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक से ज्यादा एक व्यक्ति को परमिट नहीं मिलने चाहिये और यह कानून में प्रोविजन होना चाहिये कि वे किसी दूसरे व्यक्ति को बेच न सकें। बेचना अपराध हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधित प्रस्ताव रखता हूं।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, वैसे आम तौर पर मैं टैक्सेज का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं इस टैक्स का

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

विरोध कर रहा हूं कारण कि यह सीधा गरीब आदमी पर पड़ता है। गांवों में सिवाय मोटरों के और कोई सवारी नहीं मिलती है और बराबर आप इस पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, दिन पर दिन यह टैक्स बढ़ता हो जा रहा है और इन मोटरों में सवारियों को भेड़-बकरियों की तरह भरा जाता है और उनसे जो टैक्स वसूल किया जाता है वह भी सरकारी खजाने में जमा नहीं होता है। यह भी आप नहीं कर पाते हैं जो टैक्स मोटर मालिक पैसेन्जर से लेता है वह हर महीने के आखिर में सरकारी खजाने में जमा करा दे। आप एक महीने के बाद ही उससे टैक्स की वसूली क्यों नहीं करते हैं। और जब वह टैक्स जमा नहीं करता है तब भी आप उस की गाड़ी को नहीं रोकते हैं। उसकी गाड़ी, बस बराबर सड़क पर दौड़ती रहती है। इसके क्या कारण हैं? आप ऐसी व्यवस्था करें कि यह टैक्स हर महीने जमा हो और जो मैंने विरोध किया है टैक्स नहीं बढ़ना चाहिये उसका कारण यह है कि इसका सीधा गरीब आदमियों पर पड़ता है, आप रजिट्रेशन फी को बढ़ाइये। जो ८० हजार, ३० हजार, २५ हजार की कार खरीदते हैं उनमें भी आखिर पैसेन्जर बैठते हैं। उनका एक लम्पसम टैक्स आप लगा सक हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कार वालों के ऊपर जिसमें कि ५ सीट्स हैं और ५ आदमी बैठते हैं, उस हिसाब से उन पर टैक्स बढ़ाया जाना चाहिये। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो इनके ऊपर टैक्स को बढ़ायें। इन पर आप अगर टैक्स लगाते हैं तो मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन ऐसा है, जैसे गाय को दुह लिया और उसको सड़क पर छोड़ दिया। गरीबको इससे आराम नहीं मिलता इस लिये बसेज के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिये। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री आलम अली खां।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) : सभापति जी, इस बारे में एक दो बात कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य इधर बैठण वाला और उधर बैठण वाला जो हैं, उनमें से कोई कहे है कि टैक्स लगणो चाहिये, कोई कहे है नहीं लगणों चाहिये। सभापति जी, टैक्स चाहे जमीन पर हो, मोटर पर हो, रोटी पर हो वह सारा टैक्स गरीब आदमी पर पड़े है। करोड़ों किस्न का टैक्स आपने जमीन पर लगा दियो जिको काश्तकार देवे है और फिर बींके ऊपर यह टैक्स।

श्री सभापति : यह सरकार कैसे चलेगी?

श्री आलमअली खां : सभापति जी सरकार को तो नीचे से पेंदा ही फूट गयो है। जैसे बरतन को पेंदा फूट जाये और उण में मनों पानी डालो वह नहीं ठहरतो है।

मैं साफ केणों चाहूं हूं कि हर मुद्दा ने जो थे प्रेस्टीज पोइन्ट बणावो वा ठीक बात नहीं है। देश रे प्रति वफादारी री बात आप नहीं सोचो आप तो माथुर सांब के प्रति वफादारी बताणे में मशगूल हो, होड़ लगा राखी हो। पर अ माथुर साहब रा करतब तो देखो। माथुर साब रो घर देखो। पेलां काई हो, और आज काई होगा है।

श्री सभापति : आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री आलमअली खां : राज टैक्स सूं नहीं चल्या करे है। जठे टैक्स लगाया है उठे

(श्री आलमअली खां)

राज्य उल्ट्या है। जठे पेंदों फूट्यो होवे उठे टैक्स काम नी देवे। एक मिशाल मैंने याद आगी : एक ठाकुर साहब हा। घोड़ी पर चड़ियोड़ा जा रिया हा। घोड़ी ब्यावण वाली ही। सागे एक तेली हो। घोड़ी के बछेरो जद हुयो तो वो उठा लेग्यो। ठाकुर साब पूछ्यो जद कही कि ठाकुर आ बछेरी थारी कोनी, आ तो मारी है। मारे नेरे के जन्मी है। मारा बेल के जन्मी है। मामलो पंचायत में लेग्या। वैसी ही पंचायत करण्या हा जैड़ा माथुर साहब के है। सब पंच कह दीयो कि ओ बछरो तो बेल को ही है।

सभापतिजी, ठाकुर साब निराश होकर आगे चाल्या। उठे एक गाजडो टेकड़ी पर बैठो हो। ठाकर साब ने उदास देख ने पूछ्यो काई ठाकरां उदास क्यूंकर हो? ठाकर कयो गजब होग्यो? मारे सागे तो आ बीती। मारी घोड़ी का बछेरा ने तो बेल को बताय ने पंचायत वाला तेली ने दिवा दी।

श्री मूलचन्द डागा : उनके पास तो सेक्रेटरी है।

श्री सभापति : आपके पास बैठे हैं उनके लिये कह रहे हैं।

श्री मदनसिंह : रामानन्दजी को कह दिया और उनके एक दो कहीं से आ गई।

श्री मूलचन्द डागा : वे तो ठाकुर साहब का नाम ले रहे हैं।

श्री आलमअली खां : गादड़ा ने कहा कि मैंने छिपाकर ले चालो। मैं पंचां से कह सूं। पंचायत दुबारा शुरु हुई। ठाकर साहब बोल्या दरिया में आग लाग री ही जिने वे बुझा रिया हा। पंच कह्यो दरिया में आग आजतक भी लाकी है कठई। तो इतरा में वो गादडो कहण लाग्यो कि जब दरियाव में आग नी लागी तो कठई बेलां के भी बछेड़ो हुयो है? पंच केणे लाग्या। ओ तो नहीं हुयो। तो पछे उन बगत बयान केणे लाग गिया कि बेल के बछोरो होवे है। तो माथुर साहब री बातां री हां में हां मिलावण्या आज उठी ने बेठा है। इण में सार नहीं है। ऐ आज देश ने लोगों ने दुख दे रीया है। टेक्स तो आप लेयो हो, पर दुख ओ है कि ई सरकार को तो पेंदों ही फूट्योड़ो है ई री तो खजानो ही फूट्योड़ो है। ए तो सरकार का खजाना ने लूटण्या है। आप टैक्स वसूल करो। वो भी की सूं करो हो। गरीबां सूं। अमीरां सूं उ ने भी वसूल करणो नी चावो हो। मोटरां का टैक्स ने सरकार उगावे। मोटर मालिकां ने सरकार दोष देवे है। वें ने दोष देणों भी फिजूल है। वें सूं तो चौगुणो टैक्स आपरा नोकर वसूल कर लेवे है। पर खजाना में वो कोनी आवे। नी आपरो तरीको टैक्स वसूलणे रो गलत है। ई ने थे बदलो थे टैक्स सारा एक जगह ले लो। जो कैपेसिटी ऊ बसरी होवे ऊ हिसाब सूं एक साथ या तीन तीन महीना रो एक साथ वसूल कर लो। वो जमा करा देवे बैंक में जमा कराणे री व्यवस्था कर दो। तो न तो सरकार ने ए नोकरां री फोज राखणे री जरूरत न भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पैदा होवे और न जनता हैरान होवे न सरकार ने ज्यादा टैक्स लागणे री जरूरत पड़े। लोग अपणे आप जमा करा देवेगा।

हजारों तरह रा टैक्स। हजारों तरह री कलम ए कलमां ने काटो और सही काम करो। आज ए इन्सपेक्टरां में अफसरों में कितनो

(श्री आलमअली खां)

रुपीयो सरकार को खरच हुवे हैं। ई ने बचाओ।

माननीय मन्त्रीजी सूं एक और अरज करु'गा। थांरी खादी की वरदी है। गांधीजी के टेम में आप कठा सूं पहनता हो और किण तरह री पहनता हा। और आज नित नइ पोशाक थांरी आ बणीज ने कठा सूं आवे है आज तो साला जी ने कठई जगह नहीं मिली तो नयो महकमो खोल दियो। हजारों महकमा थें इस्या क्यूं खोलो हो ? मोटरां वालां पर एकठा ही टॅक्स लगादो।

श्री सभापति : सेल्सटॅक्स का महकमा केवल मोटरों के लिये नहीं है।

श्री आलमअली खां : चाहे सिनेमा री खातीर हो चाहे साड़ी री खातीर हो। सब पर एक टॅक्स लगादो। हजारों तरह रा टॅक्स मत राखो। हजारों टॅक्स तो हजारों ही चोर। तो ऐ चोरों ने किस तरह सूं टाल सकेगा। मारी बात थांकी समझ में आवे कोनी। क्योंकि थें तो लन्दन पढियोडा हो। थें तो सीधी साधी बात केण्यो हूं। अ' थें पोलिश पाउडर अंग्रेजा का तरीका कठा सूं लावा ? ई देश में तो ए नी होवे। का लिपस्टिक कठा सू आई है ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : देश की चीजों ही काम में लेते हैं मन्त्री जो, ये पाउडर लिपिस्टिक वगैरह यही होते हैं।

श्री आलमअली खां : अंग्रेजी में वता दिया। तो हजारों महकमा नहीं होना चाहिजें। कोई भी टॅक्स हो एक बार वसूल करलो एक महकमो ले लेवे। तो फेर तारा काम सही ढंग सूं चालसी।

श्री सभापति : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आप कई प्रकार के टॅक्स हर साल वसूल करते हैं लेकिन यात्री कर का आपको ध्यान रखना चाहिये कि इसका भार किस पर पड़ता है। इस बजट में यात्रीकर बढ़ाया। २५ से ३० कर दिया और २० से २५ कर दिया। पेंट्रोल पर भी आपने टॅक्स बढ़ाया। कुल मिला कर इसका भार तो उन्हीं गरीबों पर पड़ा है जो कारों से और जीपों से सफर करते, बसों में बैठकर जाते हैं। आप लगातार उन पर टॅक्स पर टॅक्स बढाते जा रहे हैं पर ऐसा न हो कि कभी यह असह्य हो जावे।

आप प्रति वर्ष यात्री कर बढ़ाते हैं और यात्री भी बढते हैं पर इससे वास्तव में सरकारी खजाने में कितनी बढ़ोतरी हुई है इस ओर भी नजर डाली है आपने कभी ?

दूसरी बात आपकी आमदनी यात्रीकर से बढ़ती है, इसमें या तो लोगों की यात्रा करने की आदत ज्यादा बढ़ गई है, रोड माइन्डेड हो हो गये है आपकी योजनाओं के कारण इसलिए कि उनके पास पैसा अधिक आ गया है या दूसरा यह भी हो सकता है कि आपने लीकेज को बन्द कर दिया हो अधिकांश में इसके कारण आपकी आमदनी बढ़ी हो या हरसाल काफी रेट बढ़ाने से बढ़ी हो तो इन कारणों में से कौनसा कारण प्रमुख है जिससे आपकी आमदनी बढ़ती है जहां तक लीकेज का सवाल है इसमें कोई ज्याता सफलता नहीं मिलती नजर आ रही हैं। ४७ लाख रुपया पैसेन्जर टॅक्स का लोगों में बकाया है। केबल उदयपुर में अकेले डिवीजन में लाखों की बकाया है।

इसका कारण क्या है ? छोटे लोगों पर

(श्री आलमअली खां)

कोई कर नहीं छोड़ता। जहां मोटी मोटी मुर्गियां है जिनसे वसूलियां नहीं हो पा रही हैं। अगर यह ४७ लाख बकाया ली जा सके तो हर साल आपको यात्रीकर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े और साथ ही लीकेज आप रोक सकें तो यह आमदनी वैसे ही अधिक बढ़ सकती है।

इसके दो तीन तरीके हैं। इनके बारे में आज ही नहीं, कई बार चर्चा हुई है। और आप लीकेज रोकना चाहते हैं तो दो तरह के तरीके काम में लावें या तो सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से लमसम तै कर दें कि इतना देना है वैसे तो सबसे अच्छा तरीका यही है। इसके बाद स्टाम्प की बात रह जाती है आप स्टाम्प लगाना शुरू कर दें। इसमें एक बात जरूर है कि इसमें बस मालिकों का पैसा पहले फंसेगा और इससे छोटी बस वालों को दिक्कत आवेगी, पर इसका रास्ता निकाला जा सकता है। बहरहाल इन दो तरीकों से ही आपका यह लीकेज रूक सकता है।

दूसरी बात, आज हमारे नवाब साहब यहां नहीं हैं। वे खानगी में कहना चाहते हैं। बड़ी अच्छी हालत करना चाहते हैं। मुख्य मन्त्री के लेबल पर भी वे जोर लगाते हैं पर उनको पैसा मिलता नहीं है। जब आप यात्री कर हर साल बढ़ाते है तो जो सड़कें खराब हालत में हैं, जिन्में खड्डे पड़े हैं कच्चे रूट हैं, सड़कें और भी खराब हालत में जहां है बीस-बीस बाईस-बाईस वर्षों से जिन रास्तों पर गाड़ियां चल रही हैं पर फिर भी सड़क पर वहां एक पैसा मरम्मत के नाम पर या अच्छी सड़क बनाने के नाम पर खर्च नहीं किया जाता वहां आप इसमें से पैसा काफी मात्रा में दें और उसका भी एक फेज्ड प्रोग्राम बनावें।

वे भरतपुर कई बार आते हैं, वित्त मन्त्री कम आते हैं। ज्यादा जाने से उनकी परेशानी बढ़ती है। देते तो कुछ नहीं। हैरान जरूर करते हैं। नहरों का बुरा हाल है, सड़कों का और भी बदतर हाल है। टैक्स सरकार लेती है पर सड़कें तो ठीक करायें : वित्त मन्त्री भी जावेंगे तो कुछ न कुछ करके आवेंगे।

भरतपुर में बाढ़ के नाम पर पैसा दिया था। पर सड़कों में आज भी गढ्ढे नजर आवेंगे, सड़कें और जगहों की तरह चमकती नजर नहीं आवेंगी सड़कों के टैक्स से आमदनी जो होती है उसका अधिकांश हिस्सा पी. डब्लू. डी. को देना चाहिये।

इसलिये निवेदन करता हूं कि यात्री कर हर बार बढ़ाते हैं तो इसके लिये आप सोचें कि इसका भार गरीब लोगों पर अधिक न पड़े। उन लोगों पर पड़ना चाहिये जो सम्पन्न हैं और जिन पर पड़ना आवश्यक है। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री जगन्नाथ।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : यात्री कर पर चर्चा चल रही है। काफी सदस्य इस पर बोले हैं। यात्री कर से सबसे अधिक हैरानी किसान को होगी। राजा महाराजाओं के जमाने में मन में १३ सेर छट थी। आज वह १३ से दस सेर रह गया। पर किसान दूसरी तरफ से बोझे के नीचे और आगया यात्री कर अधिकतर उसी पर पड़ेगा।

आपने एक तो रेवेन्यू लगान सैटलमेन्ट में पचास से ऊपर ७५ से ऊपर १०० से ऊपर करके लगान शुरू कर दिया पंचायत समिति का भी रूपया पांच पैसा कर दिया। अब ऐसा

(श्री जगन्नाथ पटेल)

एक कर ऐसा है। यात्री कर टोंक में जो उतरेगा उसको छः पैसे लगेगा और जगह से ज्यादा लगेगा। यह टोंक में ही है।

श्री सभापति : आप गाड़ी को टोंक से बाहर ही रूकवा दें।

श्री जगन्नाथ पटेल : यह शोभायमान नहीं होगा। यह यात्री कर एक तो टोंक के एरिया अधिक बढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। टोंक में बढ़ाया जाता है, सवाई माधोपुर से टोडा से मालपुरा से जयपुर से देवली से गाड़ियां आती हैं वे यात्री कर रख लेंगे और आपके खजाने में एक पैसा भी नहीं आवेगा। फिर आपने तो या फाग कर लगा दिया। किसान को सबसे पहले फिकर यह लग जायेगी कि एक आने में छः पैसा और लेकर चलो तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यात्री कर सुभीते से वसूल हो जावें वह कर दो। बाकी गाड़ियों पर नहीं लगावें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि रामानन्द जी अग्रवाल ने विशिष्ट रूप से टेक्स किस पर लगे किस ढंए से आप लगा रहे हैं और पेसेंजर ट्रेन और बस का डिफरेन्स भी बताया यह काफी कनविंसिंग है इसे वित्त मंत्री जी को समझ लेना चाहिये।

इसके साथ साथ दो चार सुझाव देना चाहता हूं सरकार आम तौर पर उन गरीब आदमियों पर टेक्स लगाती है जो हिसाब नहीं जानते। हिसाब वालों पर लगाने से डरती है क्योंकि वह जानती है कि हिसाब जानने वालों पर लगा दिया तो आन्दोलन हो सकता है।

वह गवर्नमेंट के ऊपर प्रेसर डाल सकते हैं लेकिन यह उस तबके के ऊपर टेक्स लगाते है जो पढ़ना नहीं जानता. . .

श्री सभापति : आन्दोलन भी हिसाब वाले नहीं करते। जो हिसाब करता है वह आन्दोलन नहीं कर सकता।

श्री मदनसिंह : वह हिसाब वाला तबका उस गरीब तबके को आगे कर लेता है। इसलिए यह जो टेक्स है यह उनके ऊपर लगता है कि जो गरीब होते है, जो हिसाब नहीं कर सकते और जिनके पास गाढ़ी कमाई का पैसा है। आम तौर पर ज्यादा केरके गरीबों पर टेक्स लगा देते हैं उससे दूसरे लोग अपने फाइनेन्शल स्टेटस को मेन्टेन करते हैं। असल में टेक्स उनके ऊपर लगना चाहिये जिनको फायदा होता हो, जो हमारी गवर्नमेंट से फायदा उठाते है। चाहे वह फायदा वह कान्ट्रेक्ट बेसिस पर उठायें चाहे किसी और ढंग से उठायें। अगर उनके ऊपर हैवी टेक्स होता है तो उनको बरदाश्त हो सकता है लेकिन टेक्स उनके ऊपर लगता है जो कि गरीब तबका है। जो समझता नहीं कि पान, बीड़ी से लेकर मोटर में बैठते तक का टेक्स लगता है। मेरा भी सुझाव है कि यह टेक्स लम्पसम रख दिया जाये। चाहे दांता से मौर जाती है और उसके अन्दर ३५ सीट हों या ४५ सीट हों उसके ऊपर लम्पसम टेक्स लगा दिया जाये। आप कहेंगे कि कभी १० पेसेंजर्स गये और कभी ५० गये तो कैसे हिसाब देठेगा लेकिन कभी कभी २०० भी जाते है। इसलिए जो रूट २०० या ५०० मील का है उसका एवरेज देख लें कि इसमें १५०-२०० आदमी रोज जाते हैं और उनका ५ पैसे के हिसाब से इतना रुपया होता है। वह टेक्स अगर गाड़ी मालिक पर लग जाये तो यह काफी अच्छा होगा। सभापति महोदय, इधर

(श्री मदनसिंह)

पैट्रोल पर पैसा बढ़ा है तो पैसेन्जर्स टैक्स के बजाय रिक्शा वाले और मोटर वाले कहने लग गये कि पैट्रोल का पैसा बढ़ गया है। पहले एक आटो रिक्शा वाला चांदपोल से विधान सभा तक का १ रुपया लेता था वह अब १.५० लेता है। वह कहता है कि पैट्रोल पर टैक्स लग गया है और पैसेन्जर टैक्स पर भी पैसा बढ़ गया है. . .

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

श्री सभापति : मैं मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज चार पांच दिन से रवैया हो रहा है, कोरम नहीं बन रहा है तो कृपया आप कोरम को मेन्टेन करिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, चुनाव में लग रहे थे इसलिए थोड़ी सी देर लग गयी।

श्री मदनसिंह : यह जो पैसेन्जर्स टैक्स है यह अगर गाड़ियों पर लगा दिया जाये, माइलेज के ऊपर चाहे तो उसमें कितने भी जायें उनके ऊपर यह टैक्स लगा दें। कोई कोई बस दो सौ पैसेन्जर्स ले जाती है और वह तो टैक्स पूरी सवारियों से लेते हैं और आपको कम देते है। और आप गाड़ी के ऊपर टैक्स लगा देते हैं तो जो गरीब तबका हैं उसके ऊपर नहीं लगेगा और जो अभी वर्तमान में टैक्स है उसको हटा लिया जाये। इसके लिए कई माननीय सदस्यों ने विविवत आये के आधारपर यह टैक्स कंपलीट हटाकर उन लोगों केऊपर टैक्स लगा देना चाहिए जो कि गवर्नमेंट से फायदा उठाते, जो गवर्नमेंट से गाड़ियों के परमिट लेते हैं। इस तरह से गाड़ियों पर आप टैक्स लगायें तो टैक्स की चोरी नहीं होगी। सभापति महोदय, अब का बजट समाजवाद को लाने का बजट है अगर उसके विपरित एक्शन देखते हैं जितना टैक्स है वह गरीब पर लग रहा है तो आपका समाजवाद सिर्फ कागजों पर ही रह जायगा और समाजवाद के लिए जो लोग साथ देने वाले हैं वह तो कहेंगे कि यह डाइरेक्ट टैक्स हमारे ऊपर हैं, बड़े लोगों के ऊपर नहीं लगेगा। जैसा रामानन्द जी ने कहा कि१००रु० भी गाड़ी वालेके ऊपर टैक्स लगे तो उस पर ठीक है क्योंकि वह ५०० रुपया उससे कमाता है। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : माननीय सभापति महोदय, यात्री कर के सम्बन्ध में बिल पर बहस हो रही है। उस पर माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है। सभापति महोदय, जैसा कि पूर्व वक्ता माननीय रामानंद जी ने कहा था कि हमारी सरकार टैक्स लागू करेगी आज से और उसकी वसूली करना ६ तारीख से चालू हो गया है। उन्होंने कई मिसालें दी कि पब्लिक अण्डरटेकिंग की बसेज चलती हैं उनका हवाला देते हुए कहा। मैं सभापति महोदय आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से जो रोडवेज कारपोरेशन की बसेज हैं वह बसेज चाहे जयपुर से आगरा जाने वाले हों, चाहे जयपुर से भरतपुर जाने वाली हो उन्होंने भी तारीख ६ से किराया बढ़ाकर जनता से वसूल करना शुरु कर गिया था। अब उसमें बहुत से कन्डक्टरर्स ऐसे थे जो कि बढ़े हुए किराये के साथ टिकट दे देते थे और कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने यह कहा कि अभी इस प्रकार के टिकट छपे नहीं हैं जिसके कारण से

(श्री श्रवणलाल)

हम पुरानी रेट से टिकट देकर जो ऊपर के पैसे थे वह अपनी जेब में रखते थे। तो हमारी सरकार की गलत नीति हैं जिसके द्वारा ९ तारीख से लिये जाने वाला टैक्स आज २७ दिन व्यतीत हो गये हैं उस टैक्स को अगर संभाला जाए तो बहुत बड़ी संख्या में जनता के खून पसीने की कमाई के पैसों को बटोरकर जनता के साथ एक मखौल बनाया है,यह क्रम आजभी चालू है और अभी भी चालू है आप चाहे किसी भी रूट पर जाकर देख लें, इसके साथ ही साथ सभापति महोदय मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो कि यहां टैक्स की सबसे बड़ी चोरी होती है उसका मुख्य कारण है। वह बस मालिक जिसके पास बसेस हैं चाहे एक से अधिक हो, चाहे वह कैसी भी हो, चाहे ५८ का ही मौडल क्यों न हो उनकी वह बसेस बदस्तूर चलती रहती है। यात्रियों को चाहे कितनी भी मुसीबत उठानी पड़े जिस प्रकार से ट्रकों में बोरियां भरी जाती हैं उस प्रकार से यात्रियों को उसके अन्दर भरते हैं और कोई भी अधिकारी चाहे आर० टी० ओ० हो या कोई भी हो मिल जाए तो वह परवाह नहीं करता क्योंकि वह हरा पत्ता तो उनको पहले ही पकड़ा देते हैं। चाहे बस कितनी भी ओवरलोड हो, चाहे टिकट कटे हुए हों या नहीं सभापति महोदय मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर में यह घटना आये दिन होती रहती है और इसके आगे वह यहां तक होता है कि कि ३ ४ टिकट यात्रियों को बना देते हैं नहीं तो जितने पैसेन्जर होते हैं उनको बिना टिकट दिये ही वह बसें चलती हैं। तो इस प्रकार के मामले हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आर० टी० ओ० या सम्बन्धित अधिकारियों के पैसे बंधे हुए हैं। एक हरा पत्ता दे दें चाहे सवारियां कितनी ही हों और वे उसको किसी प्रकार से चैक नहीं कर सकें। सभापति महोदय, आप जानते हैं। आप चाहे कहीं राजस्थान के अन्दर चले जायं और किसी भी रूट पर खड़े हो जांय जहां आर० टी० ओ० चैकिंग करता हो, या सेल्स टैक्स आफिसर चैकिंग करता हो, तो ठीक कागज होते हुए भी उनको इस प्रकार से डिले करता है कि उनको लाजमी तौर पर पैसा देना पड़ा है। वह किस बात के लिये देना पड़ता है? अगर मान लें कि किसी तरह से नहीं दें तो उनको दो घन्टे रोक देते हैं, दो घंटे उनके व्यतीत कर देते हैं तो उनका बड़ा भारी नुकसान होता है। तो अपने समय का सदुपयोग करने की दृष्टि से वे बन्धे हुए पैसे अलग से जो आदमी खड़ा रहता है चाहे वह चपरासी के रूप में हो, चाहे और छोटा अधिकारी हो, वह पैसे व्यापारी से ले लेता है। इसका मुख्य कारण इस यात्री-कर की चोरी का मुख्य कारण यह है कि यह विभाग कि ढिलाई, इस विभाग को लापरवाही है, इस विभाग के आफिसरों की मिल्लत है।

इसके साथ-साथ चाहे टिकट काटे हों और टिकट काटने के बाद भी, सभापति महोदय, यह देखा जाय बकाया के सम्बन्ध में तो वह बकाया भी लाखों के ऊपर पहुंचती है। पूरे आकड़े अगर उठाकर देखे जांय तो यात्री-कर की बकाया किसी प्रकार से जो दूसरी बकाया है उससे कम नहीं। आपके द्वारा मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि चाहे रायल्टी की बकाया हो तो उसमें भी एक-एक व्यक्ति के ऊपर ढाई-ढाई लाख की बकाया है, चाहे मनोरंजन टैक्स की बकाया हो तो एक-एक आदमी पर १०-१० हजार रुपया बकाया है। इसके बाद क्या होता है सभापति महोदय, आपने देखा

(श्री श्रवणलाल)

होगा कि शराब के ठेकेदारों के अन्दर जो बकाया थी उसको राइट आफ किया गया . .

श्री मदनसिंह : (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चण्डावत के मंत्री जी से बात करने पर) सभापति महोदय स्पीकर महोदय और मन्त्री के बीच में कोई भी खड़ा नहीं होना चाहिए। यह हाउस के डेकोरम के खिलाफ है।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि राइटग्रोफ किया गया। उसका कारण यह था कि वह मौसम ६७ के चुनाव का था। इसलिए उन ठेकेदारों को खुश करने के लिए वह राइट ग्रोफ किया गया। लाखों रुपया इस प्रकार से ठेकेदारों के अन्दर था, जो जनता का पैसा था उस पैसे को इस तरह से लैप्स कर दिया गया। इसी प्रकार से मैं कह रहा था कि यहां पर जो यात्री-कर और अन्य करों से पैसा आता है उसको ठीक ढंग से आफिसरों द्वारा वसूल नहीं किया जाता है। इसके साथ-साथ मैं यह कह रहा था कि विभाग उसकी वसूली करने में किसी प्रकार की निगरानी नहीं रखता है और आफिसरों की मिली भगत है जिसके द्वारा वह किसी भी प्रकार से नहीं आता है। चाहे वह किसी भी प्रकार की गाड़ी हो, चाहे खचड़ा हो, चाहे नया मोडल हो ये लोग किसी प्रकार की देखभाल नहीं करते हैं। तो, सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि जो जनता का पैसा है चाहे वह टैक्स के रूप में लिया गया हो उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। जो पैसा यहां के नियमों के द्वारा और आपने कानून जो बनाया है उसके द्वारा लगाया है। उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

इसके साथ साथ मैंने कहा था कि जो इस प्रकार से रूट है जिन पर प्राइवेट बसें चलती हैं तो छोटी छोटी रूटों पर जो बसें चलती हैं उन पर इतनी भरमार रहती है कि लोग छतों पर बैठते हैं और छतों पर बैठने के कारण क्या होता है कि आये दिन एक्सीडेंट होते है और ऐक्सीडेंट होने से जनता का बड़ा भारी नुकसान होता है। काफी आदमी मर जाते हैं। सभापति महोदय, आपको मालूम होगा कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ समय पहले एक बस दुर्घटना के अन्दर १७ आदमी मर चुके थे। कुछ समय पहले करवारा गांव के पास एक छोटी बस जो कि ५२ के मौडल की बस थी लेकिन सवारी उसमें इतनी ज्यादा तादाद में थी कि वह लौड को नहीं सम्हाल सकी और एक पुलिया से टकरा गई। उसके टकराने का कारण यह था कि पुलिया छोटी थी और बस में लौड इतना था कि ड्राइवर उसको सम्हाल नहीं सका और उसके कारण जो पेट्रोल की टंकी थी उस टंकी में आग लग गयी। उसके कारण कम से कम नहीं तो २२ आदमी इस तरह से जले कि एक भी किसी प्रकार की जान नहीं बच पायी। मैं यह कहता हूं कि जिस प्रकार से टैक्स वसूल करते हैं चाहे यात्री कर हो, चाहे टैक्स किसी भी प्रकार का हो, उस टैक्स के लिए यह देखना होगा वे जनता की सुविधाओं के लिए उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, बस के अन्दर की परेशानियों को दूर करने के लिए कोई इस प्रकार का चैकिंग होना चाहिए कि कोई गड़बड़ न कर सके। इस प्रकार की बसें जिनकी सीट ५२ की होती है उसमें १००-१२५ आदमी कैसे भर रखते हैं। यह निगरानी नहीं रखते हैं तो जो टैक्स का पैसा है उसका सदुपयोग नहीं होगा।

इस तरह से, सभापति महोदय, मैं यह

(श्री श्रवणलाल)

कहूंगा कि जनता पर लदने वाला (यह बढ़ा हुआ टैक्स अमान्य हो। इसके साथ-साथ मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि जिस प्रकार से सेन्ट्रल में जो थर्ड क्लास के अन्दर रेल्वे का किराया बढ़ाया था उसी तरह से वित्त मंत्री ने चेष्टा करके यह किराया बढ़ाया है। यह टैक्स गरीब जनता पर बढ़ा है क्यों कि कार किसी गरीब के पास नहीं है, फियेट, अम्पाला और न डिलक्स में वह बैठने वाला है। वह मजदूर है और महनत मजदूरी से अपने बच्चों का पेट पालता है, उनको कभी कभी इधर-उधर अपने काम के लिए या किसी सामान के लिए जाना पड़ता है तो उनकी सुविधाओं को देखते हुए जिस प्रकार से सैन्ट्रल के अन्दर थर्ड क्लास के पैसेन्जर टैक्स (बढ़ा हुआ किराया) वापिस लिया था, उसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय,से प्रार्थना करूंगा कि यह बढ़ाया हुआ यात्री कर जो है इसको आप वापस ले लें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत : श्री सभापति जी,

श्री सभापति : श्री शास्त्री।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : सभापति महोदय, यात्री कर के बारे में विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं कुछ मैं इसके बारे में मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। यात्री कर का जो टैक्स है वह जिस रूप में प्राप्त होता है और वह सीमित मात्रा में प्राप्त नहीं होता है। राज्य सरकार का शुरू से ही यह रवैया है कि कोई भी टैक्स हो उसके १२ पर्सेन्ट से १५ पर्सेन्ट और फिर २० पर्सेन्ट कर देती है। यात्री कर में भी २५ से ३० और ३० से ३५ कर दिया मैं साफ करना चाहता हूं कि इस रेट से जो भिन्न टैसेज के आंकड़ों को यदि जोड़ा जाय तो गरीब जनता के ऊपर वह इतना बोझ हो जायगा कि वह दिन दूर नहीं कि सेन्ट-पर्सेन्ट टैक्सेज लग जायगा। जो टैक्स लगाये जाते हैं प्रतिवर्ष तो राज्य सरकार और उसके अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि वापस वह टैक्स प्राप्त हो पूरा। अगर लगा हुआ टैक्स पूरा प्राप्त हो तो राज्य सरकार को दूसरा टैक्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। प्राइवेट चाहे बस को लें, चाहे टैक्सी को ले, माननीय सदस्यों को यह विदित होगा कि १० या ८ रुपये जयपुर से अजमेर का वे लेते हैं और अधिकारी रास्ते में मिलते हैं। टैक्सी चाहे एम्बेसेडर कार हो, चाहे फियेट कार हो उसके ८-७ रुपये जनता इसलिये देती है कि उसमें हमें सुविधाएं प्राप्त होती हैं और उस सुविधा के लिए वह देते हैं। हमारे राज्य परिवहन निगम की बसों का किराया ५-७ रुपये हैं। लेकिन उनमें ४ घन्टे का समय लग जाता है। आज जनता समय की कद्र जानती है और आज समय का काफी महत्व होने के कारण हर व्यक्ति १-२ घन्टे बचाने की दृष्टि से विचार रखता है, और ५ के बजाय ८ रुपये देकर जल्दी पहुंच जाय, यह चाहता है। मुझे किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है अगर परिवहन निगम किराया बढ़ाये परन्तु सुविधा होनी चाहिए जो प्राइवेट कारें इल्लीगली चलती हैं और जिनको आर० टी० ओ० देखता है वे जहां तक मुझे मालूम है ६० पर्सेन्ट बड़े बड़े लोगों की कारें चलती हैं और प्राइवेट नम्बर्स लगे हुए होते हैं और टैक्सी का नाम भी नहीं होता है। प्राइवेट नंबर से ६-७ पैसेन्जर्स को बैठा कर ले जाते हैं। विशेष तौर से मैं इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शरद् समय एक माथुर परिवार था जो कि हमारे यहां उच्च

(श्री भगवानदास शास्त्री)
कोटि का परिवार होता है तोउसमें बहिने उनकी माता -ीलवाड़े से आ रही थी तो टैक्सी उलटी हो गई और हमारे प्रिन्सीपल साहब डाक्टर कि-चलू उधर से निकले तो मैंने रोक कर उनका इलाज करवाया और एक लड़की की तो सवाई मानसिंह हास्पिटल में डेथ हो चुकी है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो यह यात्रा टैक्स है,इसको देने के लिए जनता ना नहीं कहती है लेकिन आपने जो इस टैक्स का पर्सेन्टेज बढ़ा कर रखा है, यह जो टैक्स बढ़ा कर रखा है इसका शत प्रतिशत बोझ गरीब जनता के ऊपर पड़ता है। जो बसों से यात्रा करते हैं उनके आंकड़े निकाले गए हैं उनसे मालूम पड़ता है कि ६० पर्सेन्ट ऐसे व्यक्ति यात्रा करते हैं जो गरीब और निर्धन हैं। ऐसे लोग बसों में यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें और कोई सुविधा यात्रा करने की प्राप्त नहीं हैं। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि बम्बई में गुलजारी लाल नंदा ने थर्ड क्लास में सफर किया था तब थर्ड क्लास में सफर करने वाली जनता के दुःख दर्द उनके सामने आये और उन्हे पता चला कि कौन कौन से थर्ड क्लास में सफर करने वाली जनता के दुःख दर्द हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय भी कभी प्राइवेट गाड़ियों में बैठ कर यात्रा करा करें तब उन्हें मालूम होगा कि टिकिट कितने इश्यू होते हैं, कितना टैक्स आता है और कितने टैक्स की चोरी होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि या तो राज्य सरकार की ओर से इनके लिए टिकिट छपवाये जांय और अगर प्राइवेट बस आनर्स टिकिट छपवायें तो उनके ऊपर राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार की सील लगवानी चाहिये। इसके अलावा आर. टी. ओ. के द्वारा गाड़ी का सबसे पहले चैकिंग होना चाहिए वह गाड़ी के मोडल को देखें क्योंकि आज पुरानी गायड़ियाँ, जिनमें गीअर कन्ट्रोल नहीं है, जिनकी मशीनरी बिगड़ चुकी है, वह चलती हैं और उनके इस हालत में होने के कारण कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। मैं आपको कहता हूं कि कोई ऐसी पुरानी गाड़ी है जो कि दस वर्ष से गेराज में बन्द रही है उसके बाद कोई चलता फुर्जा आदमी, शक्तिशाली आदमीउसको खरीद कर उसका री-मोडलिंग करके आर.टी.ओ. के सामने ले जाकर उसे पास करवा लेता है और उसको रोड पर चलाने की परमिट दे दी जाती है और उसके दस दस मालिक हो जाते हैं। उस गाड़ी के द्वारा कोई एक्सिडेन्ट हो जाता है और उसका कोई चालान कराकर केस चलाया जाता है तो मजिस्ट्रेट को पता नहीं चलता कि यह गाडी किसकी है एक व्यक्ति दूसरे का नाम ले देता है और दूसरा तीसरे व्यक्ति का नाम ले देता है। इसका कारण यह है कि जो अधिकारी काम करते हैं वह अपने नीचे के विभाग में लोगों से अपने प्रभाव से भ्रष्ट कार्य करवाते हैं और खुद मजे उड़ाते हैं और भ्रष्ट अधिकारियों को इस विभाग में रखने का कारण यह है कि अच्छे अच्छे जो रूट हैं उन पर प्राइवेट बस आपरेटर्स हैं वह मंत्रिगणों से सम्बन्धित हैं। जब यह उनसे सम्बन्धित हैं तो इसका मतलब यह होता हैं कि जो यात्रि कर की चोरी होती है उसको रोका नहीं जा सकता। इस यात्री कर की चोरी को रोकने के लिए मेरा सुझाव यह है कि लम सम पैसा लेकर आपको परमिट देनी चाहिए और उस समय जो गात्री की कण्डीशन है उसका अच्छी तरह से चैकिंग किया जाय, इसके बाद हर तीसरे महीने गाड़ी का चैकिंग कर लिया जाय और चैकिंग के लिए उसको गाड़ी को लेकर आर.टी.ओ.ओफिस में पहुंच जाना चाहिए। अभी होता क्या है कि हजार, दो हजार या तीन हजार की किसी ने टैक्स की चोरी की है और उस पर पांच

(श्री भगवानदास शास्त्री)

सौ रुपए की पैनल्टी होती है, या सात सौ रुपए की पैनल्टी होती है तो वह उस रकम को देने में हिचकिचाता नहीं है क्योंकि लाभ में तब भी काफी बड़ा हिस्सा होता है। इसका केवल एक कारण है कि राज्य सरकार की चैकिंग के सम्बन्ध में कमजोर व्यवस्था है।

सलिए जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं उनका कर्तव्य है, राजकीय परिवाहन के जो अधिकारी हैं उनका यह कर्तव्य है कि वह नेशनल हाईवेज पर राष्ट्रीय कृत मार्गों के चौराहों पर, लिंक रोड्स पर खड़े होकर बसों के टिकिट का चैकिंग करें और किसी ने लिमिट से ज्यादा टिकट इश्यू किये हैं, या अनैतिकता के रूप में टैक्स का पैसा हजम कर गया है तो उसका परमिट वहीं पर कैंसिल करना चाहिए। आज भीलवाड़ा जिला है, उस भीलवाड़ा जिले से अजमेर, *भीलवाड़ा से उदयपुर* प्राइवेट बसें चलती हैं। मेरा निवेदन है कि ऐस महत्वपूर्ण रूट को राष्ट्रीयकृत रोडवेज की बसें चलनी चाहिये। इसके अलावा मेरा निवेदन है कि यदि आप राज्य का उत्थान चाहते हैं और राज्य के भविष्य की बात करते हैं और जैसा कि मंत्री महोदय और बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं कि अगर हम टैक्स नहीं लगायेंगे तो राज्य सरकार का काम कैसे चलेगा टैक्सेज के बिना तो मेरा निवेदन हैं कि यह सही है, राज्य सरकार का काम टैक्सो के बिना नहीं चल सकता हैं लेकिन वह टैक्स आटे में नमक के बराबर होना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य अपने ताप से पानी को सोख लेता है लेकिन वापिस वर्षा के रूप में धरती को पानी दे देता है, उसी प्रकार राज्य सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। अगर सरकार को टैक्स लेना है तो राज्य सरकार सूक्ष्म रूप में टैक्स ले और अधिकाधिक फायदा जनता को उसके बदले में प्राप्त हो। मेरा विचार है कि जो टैक्सेशन की बात है उसमें यात्रि कर का विशेष महत्व है क्योंकि जितने नीचे तबके के लोग हैं उनसे यह पैसा आता है। जिस प्रकार से गांवों के अन्दर से कर का पैसा आता है उसी प्रकार उनको राहत देने के लिए शासन का यह कर्तव्य हैं कि जो भी परमिट लेने वाले व्यक्ति हैं उनसे परमिट देते समय नियमानुकूल एक साल के लिए पैसा इकट्ठा लेना चाहिए। इसके साथ ही मेरा विचार है कि जितना टैक्स का पैसा परमिट होल्डर्स से आना चाहिए उसके सम्बन्ध में कोई निपटारा सीधे डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं करना चाहिए और कोर्ट के माध्यम से, कचहरी में जाकर नियमानुकूल वह वसूल करना चाहिए। उनसे पूरा पैसा मिलेगा तो हर वर्ष जो आप टैक्स का पर्सेन्टेज बढ़ाते हैं उससे जनता को राहत मिल पायेगी। इसके साथ ही जनता को *सुख सुविधा के लिए अधिकारियों* को गाड़ी के मोडल का विशेष ध्यान रखना चाहिये। क्योंकि आज एक्सिडेन्ट इतने बढ़ चुके हैं कि रोज-रोज बसों में चलने वाले लोग मर रहे हैं, ट्रेन में चलने वाले लोग मर रहे हैं। कोई भी पैसेन्जर बस में चलता हैं तो वह बस में बीच में बैठना चाहता है क्योंकि अगर वह पीछे पैठता है तो पीछे बैठने से उसको ऐसे समय से काफी जोर से धक्का लगता है और ड्राईवर के पास बैठे तो वहां बैठने में उसकी जान को खतरा रहता है। और अब तो यह स्थिति हो गई है कि हर आदमी पैदल चलना अच्छा समझता है। आप एक तरफ हवाई जहाज में बैठ कर यात्रा करने की बात करते हैं वहां एक पैसेन्जर को बस में यात्रा करना भी खतरे से खाली नहीं है। इसलिए मेरी राज्य सरकार से प्रार्थना हैं कि यदि वह यह कह कर जनता से शत प्रतिशत लेना चाहती है तो उसके साथ ही ऐसी व्यवस्था

Page No. 94

(श्री भगवानदास शास्त्री)

करे कि जनता को कुछ राहत मिले। मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले वर्ष में जो बजट बनाएगी और उसमें जो कर का पर्सेन्टेज बढ़ायेगी तो उससे जनता को कुछ राहत भी मिलेगी इतना कह कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): माननीय सभापति जी, बजट पर हुई बहस रो जवाब देते हुए वित्त मंत्री महोदय ने कह्यो कि मैं तो समाजवादी बजट पेश कियो थो लेकिन इण सदन सारा सदस्यां ने मिल कर और दाल रोटी पर टैक्स को नाम लेकर मारे समाजवादी बजट के उपर पानी फेर दियो। म्हारो निवेदन है कि आपणा वित्त मंत्री जी जो समाजवादी बजट पेश कियो उणरो सबसे अच्छो और बढ़िया नमूनो ओ करारोपण है, जों ऊपर आज इण सदन में आपां वाद विवाद कर रया हों इणमें जो यात्री कर रो प्रावधान रखियो है उणरे बारे में माननीय वित्त मंत्री जी जाणे हैं कि बसों में जैसे गरीब आदमी नहीं चढ़े हैं, बसों के अन्दर अमीर आदमी ही चढ़ कर जावे हैं, जो मिल मालिक हैं और पैसे वाले हैं वे ही इन बसों में बैठे है। वित्त मंत्री जी आ बात माने हैं कि बसों में पैसे वाला ही चढ़े इण वास्ते ही वां बहुत सोच विचार कर टैक्स की दर बढ़ाई है। यह आंपणे वित्त मंत्री जी रो समाजवादी नजरियो है। इणरे लिए मैं उन्णों ने बधाई देणी चाहूं हूं। वे समाजवाद का बहुत अच्छा और उन्वा विचार राखे है। सभापति जी, आज जब इण करारोपण रे ऊपर आपां सोचरया हो तो आपां देखें हैं कि आज बसों के—ऊपर जो टैक्स लगायो है वह इतनो बढ़ा दियो है कि पैसन्जर टैक्स से, जो मेल गाड़ी से लोग जावे हैं उणों ने जो किरायो देणों पड़े है उणसूं बसां रो किरया ज्यादा हो गयो है। पैसेन्जर गाड़ी सूं इण बसां को किरायो पोन गुणो ज्यादा हो गयो है और डाक गाड़ी सूं ड्योढ़ो हो गयो है। वित्त मंत्री ने जो क्योंकि बसां सूं कहीं जाणे री जरूरत नहीं पड़े है इण वास्ते उणोंने मालूम नहीं है कि ओ कर कुण देवे है। बसां में वह लोग यात्रा करे है जो दो दो तीन तीन कोस दूर से गांवों से पैदल चल कर आवे है, क्योंकि वठे कोई सड़क नहीं है और उठा से आवण सारु कोई और साधन नहीं है। वे लोग धूल में चल कर आवे है और फिर इण बसां में बैठे इण लोगों पर आप कर भार बढ़ायो है और फिर आप केवो हो कि समाजवादी विचारधारा को बजट.......

श्री सभापति : आप कितनी बार विराजे हैं बस में ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुंडावत : महीने में दो चार दिन में बससूं यात्रा करुं हूं म्हारो ओ नियम है कि जब मैं अपणी कान्स्टीट्यूएन्सी में जऊं हूं तो बस में बैठ कर जाऊं हूं, इण वास्ते जाणूं हूं कि लोगों रे सामने आज कई दिक्कतां आवे हैं बसमें बैठणमें आज बसोंमें गंदगी होवे है, दुर्गन्ध से सिर भन्ना उठे लोगोरी भारी भीड़ रेवे है और मैं देखूं हूं कि बसों में लोग बोरियों की तरह भरयारेव हैं। मैं जब भी बस में जावूं हूं तो आगे जगह होणे पर भी आगे नहीं बैठूं हूं और मै बस में बीचमें बैठूं हूं ताकि मैं जान सकूं कि बसों में चलण वाला लोगां रे सामने कांई कांई परेशानी आती है.......

(३ म. प.)

ई वास्ते सभापति महोदय, मूं बस पर

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

सवारी करबावाली जनता री दुर्दशा सूं आछी तरे वाकफ हूं। यो समाजवादी बजट है, हैं सामाजवादी बजट में कर लगायो बसां पर मेल सूं डोडो ने पसेन्जर लूं पूं णदूं णो कर लगायो आप सोचो के सड़कां री इण तरीका सूं तरक्की कर सकोगा, आ कठा तांई सम्भव हो सकेला। गरीब जनता जो कर देवे वो बीच में ही रे जावे, राज रा खजानां में नी पूगे, एक बस में ५० आदमियां रे बंठण री जागा है पर ७५ ने भर ने ले.आवे, वो पीयो बीच को बीच में रे जावे, नीं तो जनता खने रेवे और नीं वो राज रा खजानों में ही पूगे। तो आ तो वह वाईज कहावत वी के :

"गाय दूय र गिडकड़ा ने नंकणों।"

न तो जनता कने रेवे और नीं राज में पूगे, यो तो जनता माथे बिना मतलब रो अणूंतो डंड है, ईं वास्ते जनता ईं ने बर्दास्त नीं कर सकेगा।

तो ईं समाजवादी बजट ने एक निजर सूं सोचां तो एक तो या तस्वीर है ईं री दूसरी तस्वीर ओर है। अठीली आड़ी तो राज रा टैक्स ने राज में जमा मत करावो, टैक्स री चोरी करो और बठोली आड़ी वांने आ छूट के वी टैक्स री चोरी रा पी सूं व्याज और कमावो। आ छट वांने है ज्यारे माथे मर्जी है, जीं की रावला तग व्है, वीं के ऊपर ही आ मेरबानी है, गरीब ने तो सूदो कर दे पादरो कर दे।

आ वित्त मन्त्री जी रा समाजवादी बजट री निजर री है। आज सरकार यो टैक्स वसूल करे और शेखी मारे, शान मारे, डंम भरे, मैं समाजवादी बजट पेश करियो। वेणो तो यो चावतो के जिती सीटां हैं, उत्ताईज बैठ सके। आप बता आदमीयों ने बंठाव देवो तो चालाण नीं करो। यो करियो वे तो के बत्ता भर दिया वे तो के चालाण कर दो।

श्री मूलचन्द डागा : पोइन्ट आफ आर्डर, माननीय सभापतिजी, अपने यहां आपने राजस्थानी को रीजनल लेंग्वेज मान लिया है क्या?

श्री सभापति : बिरजमान रहिये। यह कोई पोइन्ट आफ आर्डर नहीं है। राजस्थानी भाषा में बोल सकते हैं। राजस्थानी भाषा भी एक भाषा हैं।

श्री मदनसिंह : आप कौनसी भाषा बोलते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मै तो हिन्दी बोलता हूं।

श्री मदन सिंह : शुद्ध हिन्दी नहीं बोलते।

श्री मूलचन्द डाग : बिलकुल शुद्ध हिन्दी बोलता हूं।

श्री मदनसिंह : आप तो कई तरह की काबुली छांटते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान में कई तरह की बोलियां हैं, मकराना में और तरह की है, पाली में और तरह की है।

श्री सभापति : आप तो ऐसी बात करते हैं जैसे आप तो कभी इङ्गलिश के वर्ड यूज ही नहीं करते।

आप प्रारम्भ रखें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : माननीय सदस्य अबार सवाल उठायो, वीं सवाल पर, वारी जाणकारी माथे मने रहम आ रो

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

है, इण वास्ते जादा नीं केवणों चावूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह रहम काबिल प्राणि हैं डागाजी । छोड़िये इनको।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुडावत : आप समाजवादी बजट लाता तो ओ खयाल राखता के बसां में मुसाफरी करबावाला पेसेन्जर आज किण तराजे दुख पावे हैं, इसी इसी चौखटां रेवे के खटका ऊंचा नीचा नीं चढे, उनाला में तो काच चढ़ियोड़ा रेवे ने सियाला में सपाट खुला रेवे।

इणी तरं रो समाजवादी बजट नंदाजी सेंटर में भी रखियो रेल रा तीसरा दर्जा में में बैठबा वाला पर भाड़ो बढ़ावा को, सो वाने तो भगवान सद्‌बुद्धि दीवि, वे थर्ड क्लास रा डब्बां में मुसाफरी करबा वाला लोगां री तकलिफां ने समझी। भगवान् करे आपांणे अठारा वित्त मन्त्रीजी भी बस में बैठे और भगवान वांने सद्‌बुद्धि दे ....

श्री मथुरादास माथुर : आपने में साथे-साथे ही चालां।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंड़ावत : अबार ही चालो। ट्रांस्पोर्ट रो कर लगावणियां ने खुद ने बस में बैठर जाणों चाहिजे, बसां में जो तकलीफ होवे वी तकलीफ ने उठावो, भुगतभोगी होवो ने पछे कर लगावो। आप मेला में बैठा-बैठा गलियां री बातां करो तो वां बातां ने नीं समझ सको, आज का जो बंगला है वे महल हैं, एअरकण्डीशन किया थका, रेफरिजेटर, कूलर लागिया थका, कारां में बैठबा वाला, आंने पतों नीं के बसां में घड़धड़ाट किश्योक वे है। एक बार इश्यो हुकम निकल जाणों चावे के एक मीनां ताईं आंने बसां में ही फेरे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बसां ने छोड़र आंने जीपां में ही बैठांण दो, कारां छीन लो और जीपां दे दो तो पतो पड़ जावेला आंने सभापति महोदय।

श्री सभापति : मारा हाथ री बात व्हे तो मैं तो ऊंटां माथे ही फेरूं आंने।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : समाजवाद री नीति तो आ है के सबने समान निजर सूं देखे। अठीली आड़ी तो टैक्स लगाओ, दुनियां में सब बदनाम होवो, खजाना में पइसो पूगे नहीं, ईं सूं बत्ती गेली सरकार कोईं होवे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बिलकुल सांचो साची बतां केई रिया हो।

श्री केशरीसिंह हाडा : गेली सबसूं पेली।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : दूसरी बात मैं आ कहूं के बसां रा परमिट दिया जावे वणी में आज कतरी अन्धाधुंध धांधली बाजी है। जीं ओपरेटर पर मेरबानी व्हे वीं ने बस रो परमिट देवे ओ मोटो खोटो रासो है, ओ घर में रासो वे रियो है. जी पर खाबंदी को हाथ होवे वीने बस को परमिट मिले और जठे राष्ट्रीयकरण री बसां वेणी चावे वठे नीं वेवण देवे। राजस्थान में जोख मोटा सूं मोटा रूट है, जिण सूं सरकार ने ज्यादा फायदो व्हे वींने कायदा कानून बण वती बगत ऐड़ी खोट घाल देवे के वे झट दैणी हाई कोर्ट में पुग जावे, ईमें सब का फंस्या लग्या है, इश्या कानून कायदा बण्यां लग्या है के वी रूट पर राष्ट्रीय करण री बसां नीं चाल पावे। आपरा मरजीदानां रे नाव रा चार, चार पांच पांच परमिट काट देवे। जो

(श्रीमतीलक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

समाजवाद है। वित्त मन्त्रीजी आपरा समाजवादी बजट ने ईं समाजवादी नजर सूं देखे। गुजरात में कायदो बणाय राखियो है के ३ बरस रो परमिट मिले।

परन्तु अपांरे अठे तो एक मन्त्री नहीं, तो दूसरा मन्त्री दूसरी तरह से बिल पेस कर दे।

श्री मथुरादास माथुर : बिल को राजस्थानी भाषा में बोलें।

श्री लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत : नाम-वाम से बात ईं जगह पर नहीं उठावों, तंत को बात कहण दों। मैं कह रही थी कि ऐसा कानून कायदा क्यों नहीं लागू करो? सभापति महोदय में यहां पर जो कर लगाया है यी रा अन्तरमन से विरोध कर रही हूं। समाजवाद री वात हूं करो किन्तु समाजवाद है कठे इण बात नन्दाजी समझ्या है और भगवान वह इनके हृदय में भी बिठादे और ये इन टैक्स ने वापीस करे और जो बराबर टैक्स की चोरी कर रया हैं उणे सूं टैक्स आप बराबर वसूल करें। जैसा कि ५८ लाख रुपया आपने बकाया बताया है।

(मूल भाषण राजस्थानी भाषा में है अतः जैसा समझा गया उसका हिन्दी रूपान्तर किया गया)

श्री सभापति : वित्त मन्त्री महोदय।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : सभापति महोदय, अगर आप इजाजत दें, तो मैं भी राजस्थानी में जवाब दूं।

श्री सभापति : दे सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : चूंकी अब सभापति महोदय का हुकूम हो गया है तो कोई ऐतराज की बात नहीं है। अभी अभी घणा घणा मान री बायसा ने कुछ बातें कहीं। और भी कई सदस्यों ने इस सदन के अन्दर चोखी-चोखी वातें कहीं जो ऊपर से दिखावटी बाते कही और समाजवाद शब्द का अपने भाषण में २१५ बार उपयोग किया जैसे कि समाजवाद को समझने वाले वे ही हैं और तो कोई समाजवाद को यहां समझता ही नहीं है सिवास बायसा के और इन मेम्बरों के।

श्री पी. के चौधरी : सभापति महोदय, एक मेम्बर कोई भी भाषा बोल सकता है लेकिन मिनिस्टर जो रिकोग्नाइज्ड भाषा है उसी भाषा को बोल सकता है अगर मिनिस्टर उस भाषा को नहीं जाने तो वह दूसरी भाषा जो वह जानता है बोल सकता है।

श्री मदनसिंह : बंगाल में कौनसी भाषा बोलते हैं। जो मेम्बर बोल सकता है वह मिनिस्टर भी बोल सकता है।

श्री सभापति : बोल सकते हैं।

श्री पी.के. चौधरी : सवाल यह है उसको सुनिये...

My point of order is this that the Minister can address the House in the regional language which is recognised.

श्रीमतीलक्ष्मी कुमारी चूडावत : सभापति महोदय, यह जो आपने कहा है यह दो करोड़ राजस्थानियों का अपमान है।

श्री पी. के. चौधरी : अपमान की बात नहीं है। पहले रीजनल लैंग्वेज को आप

(श्री पी. के. चौधरी)

कांस्टीटशूशन में स्थान दिलवा दीजिये ।

श्री सभापति : Gentleman, you have raised your point of order under which rule ?

श्री मदनसिंह : यहां भी एक वातावरण बन जायगा । बंगाल में बंगाली भाषा बोली जा सकती है तो राजस्थान में राजस्थानी भाषा क्यों नहीं बोली जा सकती है ?

श्री मूलचन्द डागा : विधान में भी है..

श्री सभापति : आपने पूरा नहीं पढ़ा है?

श्री पी. के. चौधरी : आप संविधान देख लीजिये ।

श्री मदनसिंह : भाषा पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं जानते हो तो देख लीजिये ।

श्री सभापति : माननीय डागा । Don't try to complicate this issue.

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय मैं इस भाषा के विवाद में नहीं पड़ना चाहता..

श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आप दो मिनिट ही राजस्थानी में बोलें नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे ।

श्री सभापति : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है । यह रिक्वेस्ट हो सकती है ।

श्री शंकरलाल (कपासन) : यहां भाषा का विवाद नहीं खड़ा करें इसलिए सभापति महोदय आपकी ओर से ऐसी व्यवस्था हो जाना चाहिये । यहां पर विवाद नहीं खड़ा किया जाना चाहिये ।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री मथुरादास माथुर : सभापतिजी, सदन में इस विषय को लेकर चर्चा हुई । माननीय सदस्यों ने भी कई विचार रखें । दो चार मुद्दे ऐसे हैं जिनकी सफाई और उत्तर दिया जाना आवश्यक है, मैं सदन में देने की कोशिश करुंगा । कई माननीय सदस्यों ने भी कई बातें कही । जो इस बिल से सीधा सम्बन्ध नहीं रखती है और न मेरे विभाग से है । मगर फिर भी दौरान बहस के जो कुछ भी चर्चाएं की गई मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करुंगा ।

सबसे पहले यह धारणा माननीय सदस्यों के दिमाग में फैल रही है, उसकी सफाई मैं पेश करना चाहता हूं कि इस विभाग के अन्दर एरियर्स बहुत हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके जो कुछ आंकड़े दिये गये हैं आप लोगों को वे ३०-६-६० तक के हैं और ४७ लाख रुपये का एरियर्स है । इसके बाद में यह फिगर और कम हो गई है और करीब दिसम्बर के एण्ड तक यह फिगर ४७ से घटकर ४२ हो गई है । अब यह ४२ लाख की जो फिगर है उसमें भी और कमी हो गई है जिसके आंकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है । मेरा निवदन यह है. . .

श्री देवीदत्त गाड़िया : वह रुपया कितना है जिसको आप एडवांस के रूप में लेते हों ।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें एडवांस नहीं हैं । माननीय सभापति महोदय, अब यह ४७ लाख, ४५ लाख, ४२ लाख जो भी एरियर्स

(श्री मथुरादास माथुर)

हैं, उस एरियर्स पर आप गौर करें. . .

श्री कृष्णकुमार गोयल : कौनसे ईयर तक का है ?

श्री मथुरादास माथुर : ६९-७० तक इसमें है । यह सब जोड़ दीजिये तो यह कम रह जाता है । यह कोई बड़ी बात नहीं है । यह जो एरियर्स हैं यह कोई एक साल का नहीं है । साढे तीन, चार करोड़ की आमदनी में से ४२ लाख रुपये का एरियर है वह कोई बड़ा नहीं है । यह १९६० से लगाकर जबसे राजस्थान में यह टैक्स लगा, लागू कर दिया था ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सन् ५२ से हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं ५९-६० से है । तो मैं यह कह रहा था कि यह टैक्स एरियर ५९-६० से लगाकर ६९-७० तक का है । इस अवधि का कुल टैक्स मिलावें तो वह २० करोड़ रुपया हमने इन पिछले वर्षों में वसूल किया । यह हमारा एस्टीमेटस् था और उसमें से ४० लाख रुपया रह गया । २० करोड़ रुपये में से ४० लाख रुपया बाकी रह गया तो इसका कितना परसेन्टेज हैं इसको खुद आप केलकुलेट कर सकते हैं । मैं दावे के साथ कह सकता हूँ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप नहीं बता सकते कि कितना परसेन्ट है ?

श्री मथुरादास माथुर : २० करोड़ में से ४० लाख . . . कितना पर्सेन्ट . . . आप मदद कीजिये । खैर, जितना भी परसेन्ट हो वह नेगलीजीवल है । मैं हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों से, जहां पर कि यह कर लगता है, इसका मुकाबला करने के लिये तैयार हूं । यह सब से कम है । इसलिये एक दो मिसालें आपको मिल गई और उसको आप पकड़ लें और यह कह दें कि मिनिस्टर के रिश्तेदारों ने टैक्स नहीं चुकाया। तो आप मुझे नाम बतावें किस मिनिस्टर रिश्तेदार ने नहीं चुकाया है, या उसमें बकाया है, उसको मै वैरीफाइ करने के लिये तैयार हूं । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं मै इस हैसियत में तो नहीं हूं कि आपको चैलेन्ज करू और कहूं मैं तो नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हू कि आप जो यह कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों में टैक्स बाकी है या ठेकेदारों में बाकी है यह बात आम दवाम में कहने लायक है यहां यह नहीं कही जानी चाहिये ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोटा की ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के बारे में कहिये ना ?

श्री मथुरादास माथुर : बीस करोड़ जो इस टैक्स से आय हुई है उसमें से केवल चालीस लाख रहा है उसका भी मैं ब्रेक अप बता देता हूं । हाई कोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड में मुकदमें चल रहे हैं जो ४ लाख के मामले हैं । लैण्ड रेवेन्यू की जो वसूली हो रही है वह १५ लाख की है । जिन पर कानूनी कार्यवाही चल रही है उस पर न आपका वश है और न मेरा। इसके अलावा एक लाख रुपया ऐसा है जो राइट आफ करना है । मिनख मर गये हैं उनका बकाया है । इस तरह से डिपार्टमेंन्ट के पास कुल मिलाकर २१ लाख की जवाबदारी है । अभी हमने वसूल करने को ताकीद की है लेकिन रेवेन्यू बोर्ड ने दस लाख की उगाही पर स्टे कर दिया है । इसके बारे में हमारे और इनके बात चीत चल रही है । ये आंकड़े रखनेके बाद ये जो आंकड़े मैंने बताये हैं वे कोई गम्भीर चिन्ता वाली बात नहीं है । खास तौर से इन पिछले तीन चार वर्षो में काफी उगाही की है ।

सभापति महोदय, दूसरा पहलू जो माननीय सदस्य ने कहा है टैक्स की चोरी बहुत होती है।

Page No. 100

(श्री मथुरादास माथुर)

इसको रोकने के लिये कुछ सुझाव भी दिये हैं मेरा उनसे निवेदन है कि मैंने भी इस बिल के खण्ड ४ में यह रखा है कि इन पर लम्पसम रूप में लगाकर वसूल कर लेना चाहिये ! एक बार स्टाम्प देकर भी लेने का था स्टाम्प छपे पड़े है मगर उसमें क्या हुआ गम पेपर जो होता है वह हिन्दुस्तान में नहीं बनता । विदेशों से मंगाना पड़ता है इसलिये डिले हो गई । इसके बाद जितने भी ओपरेटर्स हैं उन सब ने मिल कर रिप्रजेन्ट किया उसके बाद में उनके कहे अनुसार हमने लम्पसम् कर दिया । उनके साथ में हमारी बातचीत हुई और उसके बाद में लम्पसम करने का फैसला कर लिया ।

(३.२३ म० प०)

(श्रीमती कान्ता कथूरिया, सभापति पदासीन)

लम्पसम लगा देने से कोई कम्पलंसिटी पैदा नहीं होती है माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि लम्पसम मुकर्रर किया जायगा तो उस का फार्मूला यह है कि सेन्ट परसेन्ट को मलटी प्लाई करके एक एक की बसेज पर हम मुकर्रर करेंगे । हम भी नहीं चाहेंगे कि स्टाम्प वे लें । अगर वें इस तरह से नहीं मानते हैं तो फिर स्टाम्प खरीदें पहला रुपया जमा करावें हमने अपने संशोधन में दोनों बातें मन्जूर की हैं । इससे यह हम उम्मीद करके चलते हैं कि हमारी कर की चोरी की जो धारणा है वह काफी कम हो जायगी । यह सुझाव आपका मन्जूर है ।

सभानेत्री महोदया, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी की कुछ बस आपरेटर्स और रोडवेज बसेज के अन्दर बढ़े हुए दर से किराया लेने लग गये हैं । मैंने अभी रोडवेज के सहायक प्रबन्धक से पूछा है उनकी जो चिट्ठी आयी है वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं.

"The Government of Rajasthan has in its budget proposals for 1970-71, proposed an increase in the rate of passanger tax from 25·/. to 30 ./· of the fare. This enhanced rate of pass-anger tax will be charged frcm the public to be intimated later on. In the meantime you are directed to get the fare tables prepared according to the enhanced rate of passanger tax and send a copy this office for approval. the facilitate the calculations, a ready reconer is enclosed here with."

यह जनरल मैनेजर ने पत्र लिखा है । रोडवेज में कोई टैक्स बढ़ाने के लिये नहीं लिखा था केलकुलेशन्स कर टेबिल्स बनाकर रखने के लिये तैयारी रखने के लिये कहा था । प्राइवेट बसेज के बारे में मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है अगर ऐसी बात हैं तो उसकी जांच करायेंगे ।

श्री मदनसिंह : आप इसकी अनाउन्समेंट कर दीजिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप सरकूलर जारी कर दो जो पैसे इन तारीखों के बाद वसूल किये जा रहे हैं वह गैर कानूनी हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : आपने जो बातें कही है उसको लेकर के पूछा जायगा और अगर

(श्रीमथुरादास माथुर)

इस तरह से टैक्स वसूल किया है तो कानूनी कार्यवाही की जायगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कम से कम इतना तो अनाउन्समेंट हो जाय कि अब तो वसूल न करें इस टैक्स को ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह कह देना चाहता हूं इस बिल पर राष्ट्रपति की असेण्ट से पहले जो भी कर वसूल किया जा रहा है वह गलत किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिये । राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद गजट नोटिफिकेशन के बाद यह कर लागू हुआ माना जायगा ।

श्री विट्ठलभाई : जो वसूल कर लिया है उसके लिये ?

श्री मथुरादास माथुर : इसकी जांच की जायगी ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : यह जो क्लेक्शन किया है इसको इल्लीगल आप मानते है ?

श्री मथुरादास माथुर:मैंने कह दिया है यह वसूल नहीं कर सकते जब तक यह बिल यहाँ से पास होकर राष्ट्रपति की असेंट होकर न आजाय और गजटनो टिफिकेशन न हो ।

सभापति महोदय, इसके अलावा दो तीन मुद्दे और उठाये थे जिनका मैंने जवाब दे दिया है, एरियर्स की वसूलीके बारे में टैक्स की वसूली अनाउन्समेंट के पहले, इन बातो का जवाब दे दिया है । जो मेन चीज थी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पैसेन्जर टैक्स जो वसूल किया जाता है बस ओपरेटर्स तो ले लेते हैं लेकिन वह गवंनमेंट की ट्रेजरी में जमा नहीं होता यह ब्रीच आफ ट्रस्ट नहीं हुआ ? इसको आपने एग्जामिन कराया है ?

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक मेरे से सम्बन्धित है मैं यह कह सकता हूं कि यह उनकी लायबेलिटि है जमा कराने की । मेरे पास ऐसे भी रिप्रेजेन्टेशन आये बस वाले कहते है कि आप खुद ही पैसेन्जर टैक्स को वसूल करो । हमने परमिट हांसिल कर दिया है हम तो इस रूट पर बस चलायेंगे टैक्स वसूली के लिये आप अपने आदमियों को रक्खें । वे इसके लिए भी एतराज करते हैं ।

श्री मदनसिंह : जो टैक्स उन्होंने वसूल कर लिया है वह तो आपको जमा करावें यह तो एक प्रकार से नहीं जमा करवाना एम्बेजलमेण्ट है ।

श्री मथुरादास माथुर : अगर इस तरह की रकम किसी में रहती है वह टेकनिकली एम्बेजलमेंट हो भी सकता है । हम यह समझते हैं यह निन्दनीय काम है ।

इसके अलवा माननीय सदस्यों ने बसेज की कण्डोशन का जिक्र जिया एक माननीय सदस्या ने यह भी शिकायत की कि बस स्टेण्ड्स पर ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है आदि बातों का जिक्र किया । क्योंकि टिकट के दो हिस्से हैं पैसेन्जर टैक्स और पैसेन्जर की अमेनिटीज ।

तो अमेनिटीज के लिये तो डियाण्ड के वक्त जिक्र करते ।

श्री मदनसिंह: आपने सारे पर ठंडा पानी डाल दिया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो बोतल की प्याऊ लगवा सकते हैं पानी की नहीं ।

श्री मथुरादास माथुर : यह ठीक है कि टैक्स सभी जाकर आखिर तो कामन मैन पर पड़ते है। फिर मैं कोई टैक्स की थियोरी को इस समय डिसक्स करने तो खड़ा नहीं हुआ हूं। माननीय सदस्य इसको जानते हैं। यह पेसेंजर पर गिरता है तो आपकी इजाजत से गिरता है आपकी इजाजत पहले २० परसेन्ट या २५ परसेन्ट थी। मैं तो आपकी इजाजत के लिए पांच परसेन्ट की बात और लाया हूं। आज तक २५ परसेन्ट की इजाजत आपने दी है और इससे कोई पाप हुआ है तो इसके भागी आप हैं।

श्री मनोहरसिंह महता : अब तो अधिक पाप आप भी मत करो और हमें भी उस पाप में अब अधिक मत घसीटो। जो आज तक पाप किये वे ही बहुत हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो चलता है। आपकी इजाजत से ले रहा हूं और आपका इतना बड़ा दिल है कि आप इस पांच परसेन्ट के लिये क्या विचार करोगे ?

मैं समाजवादी नहीं हूं। तो मैंने कब कहा कि आप मुझे समाजवादी कहें मुझे तो मेरी कांस्टीट्यूएन्सी वाले कह देंगे कि वोट तुमको देंगे तो में खुश हो जाऊंगा। आप मुझे गैर समाजवादी कह दो। अभी कम्यूनिस्ट चीन रूस का जिक्र आवेगा तो मैं गैर समाजवादी हो जाऊंगा। इसलिए मुझे चिन्ता इसको नहीं है। चिन्ता इस बात की है कि धनराशि वसूल करके खजाने में आती है उसका सदुपयोग होना चाहिये। यह डेमोक्रेसी का फोरम-सदन है, और वह वक्तन फवक्तन गाइडेन्स देती रहती है इसके लिये मैं सदन का आभारी हूं। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कारों पर टैक्स लगाने का, बढ़ाने का आपने कुछ नही फरमाया।

श्री मथुरादास माथुर : जितनी टैक्सीयां हैं उन पर लगाया है। मेरी बजट स्पीच पढ़िये। जो खुद के घर की गाड़ी है,उस परकम है,बाकि मोटर विहिकल टैक्स जो लगता है, वह सब पर लगता है, बाकी तो बात पेसेन्जरटैक्स की है वह पेसेन्जर टैक्स की डेफीनेशन में नहीं आती हैं। इसलिये पेसेन्जर टैक्स उस पर नहीं लगा सकते।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप चूंकि कार में बैठते हैं इसलिये नहीं लगना चाहिये उस पर टैक्स। यही चाहते हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इसे छोड़ो आप।

श्री मथुरादास माथुर : रानी साहिबा ने कह दिया कार की बात मत करो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिसकी क्षमता है उससे आप अधिक टैक्स क्यों नहीं लेते ?

श्री मथुरादास माथुर : वह तो पेसेन्जर टैक्स है मेरी गाडी में आप अगर अलवर भी जाना चाहोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। हां अगर आप से मैं किराया लूंगा तो लगेगा। फिर तो मेरी कार भी टैक्सी हो गई। टैक्सी पर पेसेंजर टैक्स लगेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : एक्स्ट्रा लोगों को बसों में भरकर ले जाते हैं उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं।

श्री मथुरादासमाथुर:उनके लिये फ्लाइङ्ग स्क्वेड हैं,पुलिस है और अगर माननीय सदस्य ऐसा

(श्री मथुरादास माथुर)

बतायेंगे तो अवश्य कार्यवाही की जावेगी ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि विधेयक के लिये आये संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किये जावें ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल:किसका प्रस्ताव?

श्रीमती सभानेत्री : यह शिवनाथसिंह मूलचन्द, रामकिशन, गोकुलप्रसाद शर्मा वगैरह माननीय सदस्यों का संशोधन प्रस्ताव है जनमत जानने के लिये प्रसारित करने के बाबत उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया

ना पक्ष जीता

श्री मनोहरसिंह मेहता : आज तो हां पक्ष जीता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाज : आवाज हमारी जोर की थी ।

श्री नत्थीसिंह : आज नो पक्ष को चलने दो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम तो कांग्रेस वालोंका साथ देरहे हैं वे ले नहीं रहे हैं।

श्री मदनसिंह : आपने सभापति महोदय हां पक्ष जीता कहा है ।

आप प्रोसीडिंग्स देख लें ।

श्रीमती सभानेत्री : देख लें । आपको तसल्ली हो जावेगी ।

प्रश्न यह है कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे इसका एक संशोधन सर्व श्री बाढ़दार, रघुनाथ विश्नोई का है उसे स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया

श्री नत्थीसिंह : विचारार्थ का प्रश्न है । नो आपने नो नहीं कहा ।

श्री रामकिशन : नो राजकीय भाषा नहीं हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया

विधेयक को विचारार्थ लिया गया

श्री मथुरादास माथुर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पैसेन्जर गुड्स टैक्स ७० को पारित किया जावे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्लाज बाई क्लाज डिसकस होने के बाद यह स्टेज आवेगी ।

श्रीमती सभानेत्री : सोरी प्लीज । अमेण्डमेन्ट चूंकि इसमें नहीं हैं इसलिये सीधा पारित हो सकता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्लाज बाई क्लज लेने पड़ेंगे ।

श्रीमती सभानेत्री : इसमें निवेदन करू कि रुल्स बने हुए हैं । ८५ है वह क्लीयर है ।

(श्रीमती सभानेत्री)

'When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the member in charge may at once move that Bill be passed."

इसलिये खण्डवाइज लेने की आवश्कता रहती नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आवश्यकता तो नहीं है। पर देखना चाहते थे कि दोनोंमें से ज्ञान किसका ज्यादा है।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जावे।

श्री पी. के. चौधरी: पाइन्ट आर्डर प्लीज मैं बोलना चाहूंगा इस पर सभापति महोदया।

सभापति महोदया, यह जो सदन में टैक्स की बात आती है तो दोनों तरफ से मेम्बर विरोध करते हैं। टैक्सों का विरोध नहीं करना चाहिये पर होता है। क्यों होता है? उसका रीजन यह है कि हम जो टैक्स लगाते हैं उसके लियें हम टैक्स पेयर को यह अहसास नहीं करा पाते हैं कि इससे उसको फायदा मिलने वाला है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इस पैसेन्जर टैक्स को सारे को जनरल रेवेन्यू में न ले जाकर जैसे रेल्वे में होता है उसका कुछ हिस्सा जन हित में उसी विभाग में जनता को अमेनिटीज के लिए खर्च किया जाना चाहिये। रेल्वे का रेट आफ फेयर बढ़ता है तो सारा फाइनेन्स डेफिसिट में नहीं जाता है। अमुक परसेन्टेज देते हैं। बाकी पैसेंजर के कम्फर्ट के काममें वे लेते हैं व्हिकल्स टैक्स इनडाइरेक्ट टैक्स नहीं है, It is a sart of direct tax पैसेन्जर पर सीधा टैक्स लगता है। उस धन राशि का उपयोग पैसेंजर की सुविधा के लिए होना चाहिये। आगे जाकर कहूंगा जिस एरिया का जितना टैक्स आता है उस एरिया में उसका मेजर शेयर का उपयोग होना चाहिये।

सभापति महोदया, पंसेन्जर और गुड्स टैक्स है उसका इस साल का एस्टीमेट ३। करोड़ रुपये का है और १.४५करोड़ रु.जयपुर डिविजन के न.६ डिस्ट्रीक्ट्स से आवेगा। २५ परसेन्ट टैक्स बाकी के देते हैं और ४४ परसेन्ट जयपुर डिविजन देता है। उसका मेजर पोर्शन जयपुर रीजन की रोड्स के डवलपमैंट के लिये काम में लेना चाहिये।

सभापति महोदया, रोड्स डेवलपमैन्ट की जब हम बात करते हैं तो ३१हजार किलोमीटर राजस्थान की रोड्स हैं फेयर वेदर और मेटल और सब मिलाकर के है,जयपुर जिले में १४०० किलोमीटर है और जयपुर डिविजन में ८५०० किलोमिटर है। ४४ परसेन्ट टैक्स देता है। बाकी की रोड्स से २५ परसेन्ट होता है। रोड़ डेवलपमैन्ट का है वह २५ परसेन्ट है। ३१ हजार किलोमीटर दो करोड़ आदमियों के बीच में है तो ६०० आदमियों के पीछे एक किलो मीटर पड़ता है। जयपुर रीजन में ६५० आदमियों पर एक किलोमीटर पड़ता है। सारे राजस्थान को लिया है पर्टीकुलर एरिया में३५० आदमियों पर एक किलोमीटर आता है। और जयपुर रीजन में ६५० आदमियों पर और कहीं कहीं तो १२०० आदमियों पर एक किलोमीटर आता है। इस प्रकार के टैक्सेज हैं, डाइरेक्टली लिये जाते हैं टैक्स पेयर से उसको अहसास नहीं कर सके हैं आप इसको उस प्रकार से लेना चाहिये। पंसेन्जर गुड्स टैक्सेज को रोड्स के

(श्री पी.के. चौधरी)

डवलपमेन्ट में काम में लेना चाहिये । जनरल रेवेन्यू में २५ पर्सेन्ट इसकी आमदनी लेनी चाहिये । उस इलाके में ही लगने चाहिये तो टैक्सेज का विरोध नहीं होगा । पंचायतों के लिये कहा कि रिसोर्सेज पैदा करें । डाइरेक्ट टैक्सेज आप लेते हैं और पंचायतों की आड़ लेते हैं और उसको उसी पर्पज के लिये काम में ले लें जिससे लोगों को डिस्ट्रस्ट न हो, हार्टबर्निंग न हो । The taxes should directly by be releted to the development असेंस नहीं होता है । यदि आप ऐसा कर देते हैं तो अच्छी डामर की सड़कें बन जावेंगी । लोगों को उत्साह होगा । नहीं तो लोग ग्रेम्बल करते हैं । डाइरेक्ट टैक्सेज हैं उनको डाइरेक्टली उसी काम में लेना चाहिए और जिस इलाके से जो टैक्सेज आते हैं उस इलाके पर ८० प्रतिशत खर्च करना चाहिये । वरना आमनीअस का उपयोग होना चाहिए वह नहीं होगा । हम चन्दा भी देते हैं । एक-एक-दो दो रुपया स्कूल-भवन वगैरह के लिए गांव में चन्दा दे देते हैं । उसमें ग्रेम्बल नहीं करते हैं । एक मिडिल स्कूल बनाना है, दवाखाना बनाना है । गांवों में कहते हैं तो व्यक्ति दे देते हैं । किसी प्रकार का ग्रेम्बल नहीं करते हैं । इसलिए दे देते हैं कि उससे अच्छा इलाज होगा । मेरा निवेदन यह कि आपके जो डाइरेक्ट टैक्सेज हैं, जिस पर्पज के लिए टैक्स लगाए गए हैं उनको उसी काम में उसी डवलपमेन्ट के काम में लेना चाहिए और जिस एरिया से जो टैक्स आते हैं, उस एरिया के डवलपमेन्ट के लिए होना चाहिए । नहीं होता है तो हार्ट बर्निंग होता है । रोड डवलपमेन्ट का दूसरों के मुकाबले में हमारे यहां २५ पर्सेन्ट है । इसलिए मेरा सुझाव है कि डेड डे रोड डेवलपमेन्ट के लिए 80 percent of the taxes should be utilised for the development of the roads af the reigon.

श्री रामकिशन (बैर) : माननीय चौधरीजी ने बात कही । मैं सरकार का बचाव नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस इलाके से टैक्स आते हैं तो उस इलाके पर ही वे खर्च होने चाहिए इससे सुविधा होगी । इसको संपूर्ण रूप से मान लें तो राष्ट्र की, देशी, राज्य की, प्रान्त की कल्पना ही नहीं चल सकती ।

श्री पी. के. चौधरी : मेरी बात नहीं समझे । २५ पर्सेन्ट ले लें बाकी दे दें ।

श्री रामकिशन : मूल सिद्धान्त का प्रश्न है । जहां से टैक्स आते हैं उस इलाके पर लगायेंगे तो संतोष होगा । किसी राज्य अथोरिटी के लिए ऐसा संपूर्ण रूप से करना संभव नहीं है राज्य सरकार कई टुकडों में बंट जाय । राजस्थान जैसे पिछडे इलाके की बात को छोड भी दें तो महाराष्ट्र का बम्बई कहेगा कि अधिक टैक्सेज आते हैं इसलिए वहाँ खर्च होना चाहिए, कलकता की आमदनी अधिक है इसलिए वहां खर्च होनी चाहिए । हमारे जैसे अविकसित राज्य के लिए किसी प्रकार की इस सिद्धान्त से मदद मिलती हो-यह संभावना नहीं है । जहां तक उनका यह कहना है कि जयपुर डिविजन की उपेक्षा होती है, राजनैतिक दृष्टि से नहीं आर्थिक, दृष्टि मैं कहता हूं । कल्पना नहीं कि जयपुर जोधपुर, उदयपुर कोई अलग अलग डिविजन है । जहां ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो तो सड़कों की दशा अच्छी होनी चाहिए यह ठीक बात है । आज सब तरफ से कीमतें बढ़ रही हैं और केन्द्रीय करों के कारण भी कीमतों में ऊंचाई आई है । हर कीमत पर राजस्थान में भी असर पडेगा ।

(श्री रामकिशन)

वित्त मंत्रीजी भी पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने भी पैसेन्जरों पर टैक्स बढ़ाया है। ५६ लाख की आमदनी का जरिया आना चाहिये इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया। यात्रा करने वाले ९० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको आमदनी कम है। जो दूसरे वाहनों में जा नहीं सकते। या तो वे पैदल चलते हैं या वाहनों में चलते हैं। प्रशासन के खर्चे कम करके या और कोई तरीका बिठा कर ५६ लाख रुपया निकाल नहीं सकते? जहां दूसरे सम्पन्न वर्ग पर टैक्स लगाया जा सकता है इस टैक्स से बचने के लिऐ जहां छोटे लोग हैं या कम आमदनी वाले लोग हैं उनको हम बचा सकते थे या तो प्रशासन में खर्च में कमी करके और आज भी हमारे कई विभाग ऐसे हैं क्योंकि वित्त मंत्रालय भी माननीय मंत्री महोदय के पास है वह खुद देखें कि कई विभाग आज हमारे यहां ऐसे हैं कि जिनकी आवश्यकता ही नहीं रही। अपने खर्चों में कमी करने के लिए जैसे गजेटियर विभाग आदि का आपने किया है ऐसे ही दूसरे विभाग हैं जो बिलकुल पेपर पर ही हैं। ललित कला अकादमी और संगीत कला अका- का हिसाब मैं देख रहा था तो जो पैसा देते हैं वह स्टाफ पर ही खर्च हो जाता है। संगीत पर केवल पांच हजार हैं और १ लाख में से ५५ हजार, तो स्टाफ ही पर खर्च हो जाता है। मैं उसे तोड़ने के पक्ष में नहीं हूं। यह कहना नहीं है मेरा। इस समय कई ऐसे विभाग हैं जो कि पेपर पर हैं और उनकी उपयोगिता आज के समय में कुछ नहीं है—अगर हम उन विभागों को तोड़ दें या उनके खर्चों को टाइट कर दें तो मैं समझता हूं कि बिना टैक्स लगाए ही राजस्थान में काफी बचत हो सकती है और जो टैक्स अब लगाए हैं उनके लगाने की आवश्यकता नहीं होती।

दूसरी स्थिति, सभानेत्री जी, यह है कि जो राजस्थान की आर्थिक स्थिति है जैसा कि कई दिनों की बजट बहस से साबित हो गया है कि जितना उपभोक्ताओं के ऊपर बोझा पड़ेगा उतना ही जो छोटे इनवेस्टमेन्ट हैं और जहां इन्सेन्टिव तेज होना चाहिए वह तेज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज जो हमारा राज्य तंत्र है वह प्राइवेट इनवेस्टमेन्ट के ऊपर भी ९० प्रतिशत निर्भर करता है। तो हम टैक्स लगायें तो टैक्स लगाने के दो तीन उद्देश्य हुआ करते हैं। एक तो टैक्स लगाने का उद्देश्य यह होता है कि जो लोगों की आमदनी में अन्तर है उसको कम करना और जिनके पास आमदनी ज्यादा है उनके ऊपर टैक्स लगता है तो राज्य की जनता को लाभ तो होता ही है लेकिन दूसरा बड़ा लाभ यह है कि जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं उससे असमानता कम होती है। मेरा ऐसा मानना है जैसा कि वित्त मंत्री जी ने मजाक में ही कहा है, धीमे ही कहा है और हंसी हंसी में ही पास कराना चाहते हैं कि जब २० पर्सेन्ट ही बढ़ा दिया तो ५ पर्सेन्ट के लिए फिर हल्ला क्यों हो। वैसे मैं भी सोचता हूं कि वाकई राजस्थान के लोग कहेंगे कि राजस्थान विधान सभा के लोगों के ज्ञान की कमी है कि जब २० पर्सेन्ट के ऊपर ही कुछ नहीं किया तो फिर ५ पर्सेन्ट के ऊपर ही क्यों किया।

असल सवाल यह है कि आप टैक्सेज कब तक बढ़ाते जायेंगे। उसकी भी सीमा होगी। ५ पर्सेन्ट से ३० पर्सेन्ट, ३० पर्सेन्ट से ५० पर्सेन्ट और ५० से ६० पर्सेन्ट। अब की साल का आपने केन्द्रीय बजट देखा होगा कि ए

(श्री रामकिशन)

हिस्से पर जहां टैक्स बढ़ा है वहां दूसरे वर्ग पर रिलीफ देना भी शुरू किया है। राजस्थान की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बहुत बड़ा कदम उठाना सम्भव नहीं है लेकिन किसी एक वर्ग के लिए यह बजट अधिवेशन कहने की स्थिति में नहीं है कि टैक्स की सीमा अब ज्यादा नहीं हो पायेगी। क्योंकि हमने आमदनी के दूसरे तरीकों का विकास कर लिया।

सभानेत्री महोदया, मैं अन्त में यही कहना चाहूंगा कि २० पर्सेन्ट का जो २५ पर्सेन्ट का जो बढ़ा हुआ भार है उसे ही काफी समझो। आप अपने उन बेकार के विभागों को बन्द कर सकते हैं, उनको किसी दूसरे विभागों के साथ जोड़ सकते है और इस प्रकार से बचत कर सकेंगे। कुछ खर्चे ऐसे हैं कि जो कि सीधे खर्चे हैं। आप बजट को देखिये। मैं यह नहीं कहताकि आपने बजटदेखा नहीं,आपने बजट पढ़ा नहीं। मगर आपने जो पढ़ा है मैं समझता हूं रंगीन चश्मा लगाकर पढ़ा है। अगर नजर वाले चश्मे को लगाया है तो इस टैक्स की आवश्यकता नहीं थी। हर जगह फिजूलखर्ची नजर आयेगी। तो मैं अन्त में यही कहूंगा कि ५ पर्सेन्ट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव जो आप लेकर आये हैं उसको आप वापिस ले लें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की अकाल से पीड़ित जनता के साथ, बढ़ती हुई मंहगाई की दृष्टि से और प्राइवेट इनवेस्टमेंट के लिए जो लोग इनवेस्टमेंट करें उसके अनुकूल हवा बना सकें। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं और चौधरी जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं समझता हूं कि एकदम इस सदन की कार्यवाही से वापिस करा देने चाहिए नहीं तो यह महाराष्ट्र और बंगाल वाली बात हो जाएगी।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभानेत्री जी मैं समझता था कि इस बिल के तृतीय वाचन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और माननीय वित्त मन्त्री जी सदन में माननीय सदस्यों की भावनाओं और दलीलों को देखकर अपने इस बिल को वापिस ले लेंगे लेकिन वह बात नहीं हुई। सभानेत्री जी, सर्वप्रथम तो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो डवलपमेंट के सम्बन्ध में व्याख्या की थी जिस थ्योरी को प्रस्थापित करने के लिए कहा उसको मैं माननीय रामकिशन जी के शब्दों में बहुत खतरनाक मानता हूं और उसको रिफ्यूट करता हूं, अपोज करता हूं। मैं समझता हूं कि जब जनरल बजट पर बहस हुई थी और एप्रोप्रियेशन बिल पर हुई थी तो मैंने आंकड़े देकर बताया था कि जिस प्रकार से जिसे पुराने जमाने में जोधपुर स्टेट कहते थे उस इलाके में रहने वाले मरु प्रदेश की मांग कभी कभी उठाते हैं उनका आज इतना बड़ा क्षेत्रफल होते हुए सारे बजट का इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के केवल १२ पर्सेन्ट ही हमने उनमें खर्च किया है जब कि वहां का क्षेत्रफल करीब साढ़े ३० प्रतिशत क्षेत्रफल के हिसाब से और यदि जनसंख्या लें तो जनसंख्या बहुत थोड़ी है। अगर यह आधार जनसंख्या का बनायें तो जहां डेन्सिटी आफ पापुलेशन अधिक है जयपुर डिवीजन में या और बड़े बड़े शहरों में तो यह असन्तुलन और भी ज्यादा बिगड़ जायगा। जहां सड़कें नहीं हैं वहां पैसेन्जर्स टैक्स वसूल होगा नहीं और वहां सड़कें भी नहीं बनेंगी। मै समझता हूं यह पूंजीवादी दृष्टिकोण है और जिस संस्था में वह रहते हैं वहां इससे अच्छे विचार और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हो नही सकते । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इसलिए कि वह बुनियादी दुरुस्त नहीं है। उस दिशा में टैक्सेस को वसूल करके उसके उपयोग करने का रास्ता सरकार को दूसरा ही अपनाना चाहिए ।

सभानेत्री जी दूसरी बात जो, मैं निवेदन करना चाहता हूं— मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने भी जो भी हमने अपने विचार व्यक्त किए थे और उन विचारों का उत्तर देते हुए स्वीकार किया है कि इस टैक्स का बोझ आम साधारण जो भी सफर करने वाले हैं उन लोगों के ऊपर पड़ेगा । केवलमात्र साधनों को इकट्ठा करने की मजबूरी ही इस टैक्स को बढ़ाने की दलील के रूप में वह पेश कर सके हैं । अगर वास्तव में मजबूरी है. अगर वास्तव में दूसरा रास्ता नहीं है, अगर वास्तव में ईमानदारी से आपने तमाम साधनों को टटोल डाला है और उनका यूटीलाइजेशन कर डाला है तो आपकी दलील ठीक है और हम भी आपका समर्थन करते हैं । परन्तु क्या यह बात सही है ? माननीय सभानेत्री जी, बजट भाषण के समय भी इस बात की ओर मैंने संकेत किया था कि किन्हीं वर्गों को राहत देने के बजाय और सामान्य आदमियों को कुछ पुराने टैक्सों के बोझों से रियायत देने के बजाय आपने नीचे के तबके के लोगों पर ही बोझा डाला है । जो दिशा केन्द्र के बजट में है चाहे वह संकेतमात्र ही है और जो एफोर्डिंग सेक्शन है, ज्यादा वल्दी सेक्शन है उस पर बोझ डालने की दिशा में कदम बढ़ाते तो वह बात एप्रीशियेट की जा सकती थी लेकिन आपने इसी बजट के अन्दर जो लेण्ड लार्ड तबका है जिनके बड़े बड़े प्लाट्स हैं नगरीय भूमि के पुराने टैक्स वसूली के ६४ से ७० की वसूली के उस टैक्स की माफी देकर जिसको कानून नवसूल करने का हक है जिसकी मिकदार १।। करोड़ रुपया पहुंचेगी वह तो गिफ्ट दे दी बड़े लोगों को जो कि आलीशान मकानों में रहते हैं । जहां इन शहरों के विकास होने की वजह से जिनकी जमीनों की कीमत ५ रुपए गज की १०० और १५० रुपया गज हो गई उन लोगों पर आपने ५ पर्सेन्ट टैक्स लगाया था सन् ६४ में और उसका आज तक असेसमेन्ट नहीं कराया इसलिए नहीं कि आपके पास स्टाफ नहीं था लेकिन इसलिए कि उनका आपके उपर प्रेशर था ....

(४ म. प.)

....वह आपके ऊपर दबाव लाते थे इसलिए आपने उनको टालने की कोशिश की है, और इसी बजट के अन्दर आप अपनी मजबूरी की बात करके हमारे सामने आते हैं और यह कह कर आते हैं कि राजस्थान के डवलपमेंट के लिए पैसा चाहिये, तो हम कहना चाहेंगे कि आप डेढ़ करोड़ रुपए की छूट इन बड़े बड़े लोगों को क्यों दे रहे हैं ? जो कानूनी तौर पर लगा हुआ है. जिसको वसूल करना चाहिए था आपने आज तक वसूल नहीं किया है । इस सदन ने कभी मना नहीं किया था, इस सदन ने कभी एतराज नहीं किया था, इस सदन का चारों ओर से उसको समर्थन मिला था । इस प्रकार के टैक्स को आप वसूल करना नहीं चाहते । आपने कार्मशियल और इन्डस्ट्रियल बिल्डिंग्स पर टैक्स लगाने के लिए बिल सदन में रखा था उसको प्रवर समिति में भेजकर जो डायलेट्री टैक्टिक्स

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के जरिये उसको जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किन्तु यह टैक्स उन प्रापर्टीड तबके पर पड़ने वाला है इसलिये यह आपको मन्शा है, मजबूरी नहीं है। इसलिए टैक्स को नहीं लगाना चाहते हैं आप कि राजस्थान के निर्माण के लिये आप पैसा चाहते हों और राजस्थान के निर्माण के लिए दूसरे सोर्सेज नहीं हैं, बल्कि वास्तविकता यह है कि कुछ गरीब तबके जिनको आप यह समझते हैं कि वे असंगठित हैं, गवर्नमेंट का विरोध नहीं कर सकते हैं और डट कर मजबूती के साथ आपकी खिलाफत नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर टैक्स थोपने की आपकी इच्छा रही है। दूसरा तबका जो प्रापर्टीड तबका है जिनसे राजनैतिक तौर से आप बन्धे हुऐ हैं, अपनी घोषणाओं के बावजूद उनसे नाता नहीं तो तोड़ सकते हैं और अपनी नीतियों में बदलाव करके उनसे साधन उपलब्ध नहीं कर सकते हैं।

सभानेत्रीजी, मै निवेदन करूंगा कि बावजूद हमारे कहने के आपकी गवर्नमेंट यह व्यवस्था नहीं ले सकी कि हम इस टैक्स को वसूल करेंगे इस टैक्स को छोड़ेंगे नहीं। आपने कह दिया कि अभी तक एसेसमेंट नहीं हुआ तो क्या उसकी मयाद खत्म हो गई और गवर्नमेंट के ड्यूज मयाद के बाहर वसूल नहीं कर सकते हैं। क्या आपको यह कानूनी सलाह मिली है आपके आफिसर्स से? आप किसी तबके को रियायत देते हैं और डेढ़ करोड़ रुपया छोड़ देते हैं तो आज जो यह स्थिति है कि उस टैक्स का पर्सेन्टज बढ़ सकता था और पहले वाला डेढ़ करोड़ रुपया वसूल किया जाता तो आज आप इस टैक्स से ५६ लाख रुपया प्राप्त कर रहे हैं तो नगरीय भूमिकर की सीलिंग रेट को बढ़ाते तो आपको ५६ लाख के बजाय एक करोड़ रुपया ज्यादा मिलता। डेढ़ करोड़ रुपया पिछला और एक करोड़ आज आप इस तरह से वसूल करें अगर राजस्थान का निर्माण आप करना चाहते हैं तो। आप केवल बहाने बाजी कर लोगों का आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभानेत्रीजी, कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि आहने २० पर्सेन्ट की इजाजत दी और बाद में २५ पर्सेन्ट की इजाजत दी और अब ५ पर्सेन्ट में आप इस तरह हिचक रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह महसूस करेंगे कि जनता कब तक बर्दाश्त करती चली जायगी? आखिर आप उस पाइंट पर पहुंच गए हैं दीवाल के अंतिम कोने में फेंकते जा रहे हैं जिसके सामने सिवाय आपका डट कर मुकाबला करने के और कोई रास्ता नहीं रहा। मैं कहना चाहूंगा कि बंगाल की जनता सहन करती चली गई। सन् ४५ में करीब ४५ लाख आदमी सड़कों पर मारे गए, भूखके कारण नही बंगाल की जनता थी कि एक पैसा बढ़ाया किरायों में तो बंगाल की जनता ने विद्रोह किया, लड़ी और मुकाबला किया और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया और ट्रामवे पर एक पैसा भी किराये का उनको नहीं बढाने दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप का यह आसान टैक्स बढ़ाने का रास्ता हो चुका है यानी पैसेन्जर टैक्स जिसका सीधा बोझ साधारण नागरिक पर पड़ता है . . . .

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

यह आसान रास्ता आपको दिखाई दे रहा रहा है। हमने और भी सुझाव आपको दिए

(श्रीरामानन्द अग्रवाल)
थे कि सेन्टर आपसे यह कह रहा है कि अरबन प्रापर्टी पर सीलिंग लगाई जाय और माननीय सदस्य कहते हैं कि देहाती जमीन पर आपने लगाई है तो शहर की जमीन क्यों नहीं लगाते हो ? हम इस सदन के इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य कहते हैं और केन्द्र ने कह दिया तो यह सब सिटीज पर क्यों नहीं लगाते हैं ? कौन आपके हाथ रोकता है ? आपको इससे बहुत बड़ी आमदनी मिल सकती है। महाराष्ट्र ने शायद नहीं बनाया तो आप बनायें। आप किसका बहाना कर रहे हैं ? आप पहलकदमी क्यों नहीं करते हैं ? आपको टैक्स की ज्यादा जरूरत है। आपको इसमें पहल कदमी करना चाहिये। हमने सजेशन दिया था आपको इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी के बारे में कि जिसका क्वान्टम आफ कन्जम्पशन ज्यादा है तो उस पर आपने कम हुई की है। ज्यादा खर्च करने वाले पर कम रेट है। उसके बारे में आप उनके साथ कान्ट्रेक्ट से बन्धे हुए हैं तो टैक्स के जरिये उनके कन्जम्पशन की मात्रा पर सरचार्ज लगा दें, लेवीज लगा दें ताकि वह जो बड़े बड़े हैं उन पर भार पड़े।

इस तरह से बहुत से साधन हो सकते हैं। तो मैं यह पूछता हूं कि आपका इरादा क्या है ? आप चाहते हैं कि ५६ लाख का डेफिसिट पूरा हो जाय तो जैसी सेविंग्स है तो वास्तव में सारी सेविंग्स की यह स्थिति है कि २६ करोड़ का आपका घाटा है तो घाटा तो फिर भी रहेगा। घाटे को लेकर नही चल रहे हो और इससे आपका घाटा पूरा हो जाता हो और यहसिद्धांत आपने बनालिया हो कि घाटे का बजट नहीं हम बैलेन्स्ड बजट लेकर चलते हैं और अगर दुनिया में आपकी यह दलील है तो कोई बात समझ में आती है। अन्तिम तौर से हम बुनियादी हल सोचें और रिलेशनशिप सेन्टर और स्टेट्स की हैं फाइनेन्शियल अरेन्जमेंट्स में उनमें बुनियादी परिवर्तन करके इसका हल निकालें। आप इन्तजार इस रूप में करते हैं कि कहीं यह लोन वाइप आउट हो जाय या यह इन्ट्रेस्ट जो पे करना पड़ता है वह नहीं लिया जाय इस तरह का हल होकर फाइनेन्स कमीशन कोई निकाल कर रखे और सोचे कि इन तरह गैप्स को मीट करें। अगर आपकीयह बुनियादी नीति है तो गरीबों पर चोट क्यों लगाते हो ? उनके उपर बोझ क्यों डालना चाहते हैं ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान की गरीब जनता असंगठित और कमजोर (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दिखाई पड़ रही है,लेकिन आप याद रखें यदि आपकी यही रविश रही और समाजवाद का ढोल पीटकर अपनी असलियत को छिपाना चाहते हैं तो आपके समाजवाद के बाद कुछ बदलाव चाहते हैं यह वही पिछले २२ वर्ष की पुरानी बातें नई बोतल में रखकर पेश करते हैं, यह जनता देख रही है। यही आपका रवैया रहा और आपकी जबर दस्तियां जनता को सहन करनी पड़ती रहीं तो राजस्थान में बड़े पैमाने पर आपको हानि उठानी पड़ेगी। जनता संगठित होकर, हो सकता है कि इसी टैक्स पर मुकाबले में खड़ी हो जाय और अब आपकी गाड़ियों को जिन पर आप टक्स वसूल करना चाहते हैं वह वसूल करना आपके लिए मुश्किल कर दें, नामुमकिन कर दें।

इन्हीं शब्दों के साथ में आपके इस बिल का घोर विरोध करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : सभानेत्री महोदया, बिल की तीसरी रीडिंग में दो तीन माननीय सदस्यों के भाषण हुए हैं। जहां तक फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री मथुरादास माथुर)
के विचार थे उससे मैं और राज्य सरकार कतई असहमत हैं, और मैं इस तरह के विचारों का प्रचार और प्रसार हो इसका हामी भी नहीं हूं। यह बहुत खतरनाक विचार हैं, और हमारे यहां जो प्रजातंत्र है और जो सिस्टम आफ गवर्नमेंट है उसके लिए यह बहुत भारी खतरा बन सकता है। इसलिए इस सदन में इस सम्बन्ध में ज्यादा चर्चा न करके मैं इस विचार का विरोध करता हूं। राज्य सरकार ऐसे विचार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती है। यह उनका खुद का विचार है, न तो पार्टी का इस विचार से कुछ लेना देना है और न सरकार का कुछ लेना देना है।

दूसरी बात, अभी बहुत जोर से कही गई, सभानेत्री जी, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा समझ लिया है कि जैसे समाजवाद का ठेका उन्हीं का है और समाजवाद के बारे में वह समझते हैं कि उन्हीं को चर्चा करने का हक है छोटी मोटी बातों को लेकर समाजवाद पर चर्चा करने का उनको एक हक है। मेरा निवेदन है कि समाजके नाम को लेकर बड़े बड़े मौलिक अधिकारों की बात कह कर समाजवाद के बारे में तकरीर देने से न तो किसी देश में समाजवाद आया है और न आ सकता है . .

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो उनका काम है।

श्री मथुरादास माथुर : समाजवाद के बारे में दूसरे व्यक्ति भी समझते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो पूंजीपतियों के प्रति सरकार के राजनैतिक रूख की बात की तो आजहमारी राजनीति न किसी तरह सेपूंजीपतियोंसेबंधी हुई है,नकिसी तरह की पूंजीपतियों की विचारधारासे हमारी राजनीति बंधी हुई है, अरे, अरे, आप बैठिये, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिये . .

श्री रामचन्द्र आर्य : ६८,३५२ टेलीफोन पर खर्च किया है-यह समाजवादी विचारधारा है ? इसी को कहते हैं समाजवाद?

श्री मथुरादास माथुर : सभानेत्री जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं . .

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको तो बोलने का अधिकार है ही नहीं समाजवाद पर।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य को सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। जब वह इतनी बात इस सदन में कह देते हैं तो उसमें सुनने की क्षमता भी होनी चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : सुनने की क्षमता तो है लेकिन आप जो गलत बात कह रहे हैं उसके लिए कह रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं जो निवेदन कर रहा हूं, वह अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही थी उसका जवाब दे रहा हूं। हमने इस सदन में जो नगरीय भूमि कर या उसके बाद में टैक्स ग्रोन इन्डस्ट्रियल टेनामेंट कानून जो कुछ पेश किया था, वह सिलेक्ट कमेटी में रेफर हुआ था, माननीय सदस्य उस सलेक्ट के मेमम्बर थे। सलेक्ट कमेटी में इस पर विचार हुआ, चर्चा हुई और यह प्रस्ताव हुआ सलेक्ट कमेटी में कि सभी कर जो अलग अलग म्यूनीसिपैलिटी वसूल करती हैं और राज्य सरकार वसूल करती है इनको कन्सोलिडेट कर दिया जाय और जब तक कन्सोलिडेटेड बिल न आ जाय तब तक इसको वसूल न किया जाय उस समय जयपुर शहर में असेसमेन्ट हो गया था और दूसरे शहरों में असेसमेंट का काम चालू था,सिलेक्ट कमेटी के इस प्रस्ताव को ध्यान में रख कर उसको रोका गया, और कोन्सोलिडेटेड बिल लाया जाय इस सम्बन्ध में

(श्री मथुरादास माथुर)

मैं बजट भाषण के दौरान कह चुका हूं और इस समय उस सारी बात को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन माननीय सदस्य से चर्चा करके सिलेक्ट कमेटी में सारी बातों पर विचार करके कोई बात तय की जाय उसके बाद भी माननीय सदस्य इस सदन में राजनैतिक तौर पर इस सरकार तोहमद लगाने की कोशिश करें

श्री रामानन्द अग्रवाल : सिलेक्ट कमेटी ने यह तय किया था कि पिछला छोड़ दो ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं बता रहा हूं आप सुनिये। सिलेक्ट कमेटी ने कहा कि इसकी वसूली को रोक दो, फिर तीनों को कन्सोलिडेट करके बिल लाया जाय। हम बिल लाये, उस पर इस सदन में चर्चा चालू हुई, उसी समय आक्ट्राय बिल लाया वह सिलेक्ट कमेटी में गया और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में आगई। म्यूनीसिपैलिटी में इसके ऊपर जो चर्चा उसमें सिलेक्ट कमेटी में यह कहा गया कि म्यूनीसिपैलिटी के पास हाउस टैक्स नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी के पास में आक्ट्राय नहीं रहे तो इसका मतलब यह है कि म्यूनिसिपैलिटी को बन्द कर रहे हैं। अगर आक्ट्राय को हटा दिया जाय तो यहकर म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा वसूल कराया जाय। मैंने बजट भाषण में घोषणा की थी कि इस साल से वसूल करेंगे. लेकिन जैसा कि आपने कहा कि असैसमेंट जहां का हो गया तो वहां का पिछले पांच साल का वसूल करें तो मेरा निवेदन है कि जो भी यह कर देंगे वह सब पूंजीपति ही नहीं देंगे। इसके बारे में बहुत गलतफहमी है कि केवल पूंजीपति ही देंगे। आज जो ओपन प्लाट्स हैं वे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पास ज्यादा हैं और यह कर वे ही लोग ज्यादा देंगे। जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े उनके पास कुछके पास होंगे जो यह कर देंगे. ऐसी हालत में इसका मार सैलेरीड आदमी और मिडिल क्लास के आदमियों पर ज्यादा पड़ेगा, अब उनसेमें पिछले पांच साल का वसूल करूं तो आप ही कहेंगे, और अलवरसे आने वाले माननीयसदस्य ही पैरवी करेंगेकि पांचसाल का वसूल करना तो बहुत भारी वजन उन पर डालना है। इसलिए मैंने कहा कि पिछले सालों का वसूल न करके कार्यवाही चालू की जाय और उसके आधार पर ही आमदनी को मैंने जोड़ा है इसलिए मैं समझता हूं कि अगर सरकार का कोई एक्शन गलत है तो आप उसको गलत कहिये, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन जो एक्शन डिस्कशन के बाद, चर्चा के बाद लेना तय किया जाय उसका भी आप रांग इन्टरप्रिटेशन करके पोलिटिकल कलर देने की कोशिश करते है तो हमें दुःख होता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जब सिलेक्ट कमेटी में बैठे थे और सबने विचार करके निर्णय किया था तो उस पर उनको डटे रहना चाहिए।

मैं अब दूसरी बात पर आता हूं। मैं यह मानता हूं, और जो पहले भी कह चुका हूं कि कर का भार अन्ततोगत्वा लास्ट में कामन मैन पर पड़ता है, चाहे इन्डायरेक्टली पड़ता हो—

श्री रामनारायण चौधरी : खर्च भी तो कामन आदमी के लिए हो रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : न पैसेन्जर टैक्स प्राइवेट बस आपरेटर देता है और न सेल्स टैक्स वसूल करने वाला व्यापारी देता है, यह लास्ट में आकर पड़ता है कामन आदमी पर। वैसे यह अलग से प्रश्न है और इस पर ज्यादा चर्चा

(श्री मथुरादास माथुर)

करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात यह कही गई कि इस सेल्स टैक्स के अन्दर पिछले पांच सालों से निरन्तर बढ़ोत्तरी की गई है। मैंने जैसा आपको कहा, और भी साधन हो सकते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि हमारे पास और साधन नहीं हैं। और साधन की हमको जरूरत हो तो उस पर और भी सोच सकते हैं। साथ ही हमारा जो खर्चा है उस में इकानामी भी हो सकती है, जिस प्रकार कि लास्ट ईअर में १ करोड़ ७८ लाख की इकानामी की गई, और भी इकानामी हो सकती है। मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता। अब यह जो घाटे का बजट है, इस घाटे को भारत सरकार के ऊपर दबाव डालकर ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें केवल ५६ लाख का प्रश्न ही नहीं है। इस ५६ लाख के प्रश्न को हम छोड़ सकते हैं यह मैं नहीं कहता लेकिन भारत सरकार से जब कहते हैं तो वह कहती कि पहले तुम्हारा परफार्मेन्स बताओ, तब रुपया देंगे। यह ठीक है कि आज जो फेडरल स्टेट के फिसकल रिलेशन्स हैं वह चेंज हो जायं, जो हमारा कांस्टीट्यूशन है उसमें तरमीम हो जाँय तो टैक्सेशन के और साधन हमें मिल जाय। लेकिन आज जो रेस्पांसिबिलिटी हमारी है यह भारत सरकार की नहीं है क्योंकि हमारी टैक्सेशन की लिस्ट है वह बहुत तंग है, जबकि भारत सरकार के पास जो टैक्सेशन हैं वह फ्लेक्सिबल हैं। उतने फ्लेक्सिबल टैक्स हमारे पास नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात आप मजाक में कभी कहते हैं और कभी सीरिअसली कहते हैं कि वित्त मन्त्री के लिए सेल्स टैक्स कामधेनु है। अब आप जो कांस्टीट्यूशन में टैक्सेशन के स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उनको देख लीजिये, हमउसके अनुसार कोशिश करते हैं और दिमाग लड़ाते हैं तो या तो हमारा प्रापर्टी पर दिमाग टिक जाता है, या फिर सेल्स टैक्स पर। इस लैंड और सेल्स टैक्स के अलावा दूसरा साधन स्टेट के पास कौनसा है। हमने जब कांस्टीट्यूशन बनाया था उस समय योजना का युग नहीं था और यह पता नहीं था कि स्टेट के डवलपमेंट के लिए स्टेट को अधिक टैक्सेज लगाने की

(४.१८ म० प०)

श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जरूरत पड़ सकती है। इसलिए जो कांस्टीट्यूशन के फ्रेमर थे उन्होंने ऐसे जो रिसोर्सेज थे जो फ्लेक्सिबल थे वह केन्द्र के पास में रखे और जो फ्लेक्सिबल नहीं थे वह स्टेट लिस्ट में हमारे पास आगये, इसलिए आज स्टेट के लिमिटेड रिसोर्सेज है और लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं। यह एक बड़ा अहम प्रश्न है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो फेडरल स्टेट के फिसकल रिलेशन्स हैं उन फिसकल रिलेशन्स में चेंजेज आनी चाहिए। अब अर्बन प्रापर्टी पर सीलिंग लगानी पड़े या और कुछ कदम उठाने पड़ें इसके लिए मैंने आपसे कहा कि अगर कान्टीट्यूशन के अन्दर तरमीम करनी पड़े तो वह कर देनी चाहिए। इतनी बात कहते हुए ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रस्ताव पास क्यों नहीं करवाते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपके विचारों को जानता हूं। इसलिए जब मैंने बजट भाषण के अन्दर इस बात को कहा था तब खास तौर से आपकी तरफ देखा था। उस समय आपके चेहरे पर मुस्कराहट थी और आपके हाथ टेबल पर थे और आप मेज थपथपा रहे थे. . ,

श्री रामानन्द अग्रवाल : बीस दिन से मोशन पड़ा हुआ है आप उसको लाते क्यों नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : हमने स्पीकर महोदय को कहा है अब यह उनके ऊपर है. .

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट इन्सिस्ट क्यों नहीं करती है ?

श्री मथुरादास माथुर : लेकिन इतना में कह सकता हूं कि आपका मोशन सदन में आये तो हम उसको सपोर्ट करेंगे ।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि और इकानामी की जाय और जितने रिसोर्सेज के साधन मिल सकते हैं उनका उपयोग किया जाय । यह जो डेफिसिट है बजट के अन्दर उसको हमें पूरा करना है, वह चाहे भारत सरकार के सहयोग से हो और चाहे सेविंग से हो ।

मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो विचार रखे हैं, आपके अच्छे विचार हैं, मौलिक विचार हैं । मैं आपके विचारों की कद्र करता हूं । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो राज्य सरकार करना चाहती है और जो राज्य सरकार के विचार हैं वह प्रतिक्रियावादी नहीं हैं और न ही प्रतिगामी हैं । आज के हालात में हमें सब बातों को प्रेक्टिकल शक्ल में देखना पड़ेगा, और फिर उनको वर्केबल शेप देनी पड़ेगी । आज की राजनीति के आधार पर राज्य सरकार के विचार. मैं माननीय सदस्य को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, न तो प्रतिगामी हैं और न प्रतिक्रियावादी । ऐसी स्थिति में भी आप राज्य सरकार को प्रगतिशील नहीं मानते हैं तो फिर आपकी प्रगतिशीलता आपको ही मुबारक हो । हम तो जो कुछ हैं वह आपके सामने हैं । इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जो बिल पेश किया है उसको पारित किया जाय ।

श्री रामकिशन : वित्त मन्त्री जी, हम आपके हाव भाव देख रहे थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कत्थक नृत्य हो रहा हो ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह राज्य चलेगा नहीं. .

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

(विधेयक पारित किया गया)

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १६६६ को विचारार्थ लिया जाय ।

इस विधेयक पर निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

(१) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (वि० सं० १६४)	ने
(२) श्री मूलचन्द डागा (वि० सं० ११३)	
(३) श्री रामकिशन (वि० सं० १२६)	क्रमशः
(४) श्री वृद्धिचन्द्र जैन (वि० सं० ८६)	प्रस्ताव

(श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल)

(५) श्री कृष्णकुमार गोयल (वि० सं० १६)	किया
(६) श्री श्रवणलाल (वि० सं० १६१)	
(७) श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (वि० सं० ३१)	कि:-
(८) श्री हरिवल्लभ शर्मा (वि० सं० १७६)	

राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६९ को तीन माह एक सप्ताह/एक माह/तीन माह/एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

(१) श्री दुर्गालाल बाढ़दार (वि० सं० ५०)	ने क्रमशः प्रस्ताव
(२) श्री रघुनाथ विश्नोई (व० सं० १२१)	किया कि

"राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६९ को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे" (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)।

(१) श्री रामचन्द्र आर्य (वि० सं० १३०)	ने क्रमशः प्रस्ताव
(२) श्री देवीदत्त गाड़िया (वि० सं० ५२)	किया कि:-

३. राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६९ को छः माह/तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

(१) श्री डूंगाराम राजोरिया (वि० सं० ४५)	ने प्रस्ताव किया कि-

४. "राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६९ को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे" (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री मूलचन्द डागा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६९ को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय, इस सिलसिले का एक प्रस्ताव में सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं।

उपाध्यक्षजी, इस कांग्रेस की हुकूमत में जिस समय यह विधेयक इस सदन में पारित करवाया था, उस समय भी इस सदन में इसका हम लोगों ने काफी विरोध किया था। आज संसदीय प्रणाली हमने इस देश में अपनाई है और उस संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत जो लोकतन्त्र की शासन व्यवस्था है उसमें जो स्वायत्त शासन की इकाइयां हैं, उन इकाइयों पर हमारे देश के लोकतन्त्र का भवन खड़ा है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज राजस्थान में इस राज्य सरकार की जो नीतियां रही हैं, उन नीतियों का यह परिणाम निकला है कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राजस्थान के अन्दर यह स्वायत्तशासन संस्थाऐं आखिरी दम ले रही हैं। इन स्वायत्त संस्थाओं के प्रति राजस्थान सरकार की दमघोटू नीति के कारण राजस्थान की नगरपालिकाएं और राजस्थान की ये पंचायतें हैं, उनकी आर्थिक स्थिति आज अत्यन्त दयनीय और शोचनीय हो गई है। राजस्थान सरकार की यह नीति राजस्थान में इन स्वायत संस्थाओं का गला घोट रही है, राजस्थान की सभी स्वायत्त शासन संस्थाएं आज अर्थ के अभाव में अविकसित हैं उपाध्यक्ष महोदय हालत यहां तक पहुंच गई है कि राजस्थान की अनेकों नगरपालिकाएं अपने सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह और वेतन मदों का भुगतान करने में असमर्थ हैं।

पिछले वर्षों में नगरपालिकाओं के आमदनी के जरिये राजस्थान सरकार ने अपने हाथ में लिये हैं। मैंने और विरोधी पक्ष के सदस्यों ने सरकार की इस नीति का घोर विरोध किया है। चाहिये तो यह था कि जैसे संविधान में कुछ केन्द्र के और कुछ राज्यों के विषय हैं, उसी प्रकार इन स्वायत शासन संस्थाओं के विषय होने चाहिये, आर्थिक दृष्टि से इन्हें मजबूत बनाने के लिये संवैधानिक गारन्टी होनी चाहिये। आज जिस प्रकार राज्य सरकार के आमदनी के जरिये केन्द्र सरकार कुछ शर्तों पर मदों पर जो टैक्सेशन वसूल करती है, उसके लिये फाइनेन्स कमीशन की व्यवस्था की है और फाइनेन्स कमीशन की सिफारिश पर राज्य सरकारों को अंश मिलता हैं उसी तरह से स्वायत शासन संस्थाओं के लिये कांस्टीट्यूशनल गारंटी होनी चाहिये और भारतके संविधान के अन्तर्गत इनको आमदनी का जरिया निर्धारित किया जाना चाहिये। जब तक यह नहीं किया जायगा तब तक इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय ही रहेगी। इन स्वायत शासन संस्थाओं की आमदनी के जरियों पर राज्य सरकार पिछले वर्षों में डाका डालती गई है, और इन कड़े शब्दों का, मैं प्रयोग नहीं करना चाहूंगा। आज राजस्थान में स्वायत शासन संस्थाएं अनुदान के लिये राज्य सरकार का मुंह ताकती हैं जो स्वायत शासन संस्थायें उनके फेवर की हैं, राजनैतिक आधारपर राजस्थान की नगर पालिकाओं को और पंचायतों को राज्य सरकार अनुदान देती आई है। इसलिये राजस्थान में नगर पालिकाओं को और पंचायतों की आर्थिक हालत दयनीय है। इसलिये मैं मांग करना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में जो नगर पालिकाएं, पंचायतें हमारे लोकतन्त्र की बेसिक यूनिट्स हैं. मौलिक इकाइयां हैं आधारशिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिये केवल वे राज्य सरकार की दया पर निर्भर नहीं रहें और वे निष्पक्ष रूप से काम कर सकें, इस तरह की व्यवस्था करने की महती आवश्यकता है। इस सिलसिले में राज्य सरकार ने जो एन्टरटेनमेंट टैक्स नगरपालिकाएं वसूल करती थीं अपने हाथ में ले लिया है, हाउस टैक्स का कानून आने वाला है, वह अधिकार भी राज्य अपने हाथ में लेना चाहती हैं, चुंगी मिटाकर सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार अपने हाथ मे लेना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रेशन की फीस को लेने का अधिकार राजस्थान की सरकार के पास है. स्टेम्प्स से जो आमदनी होती है वह राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले रखी है। नगरपालिकाओं के क्षेत्र में इम्मूवेबल प्रोपर्टी के सेल से होने वाली आमदनी राज्य सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। रजिस्ट्रेशन की फीस, स्टेम्प्स की फीस, एन्टरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राय, हाउस टैक्स

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विहिकल टैक्स, ये सब आमदनी के जरिये नगरपालिकाओं के थे पर आज राजस्थान की हुकूमत और राजस्थान के वित्त मन्त्री इन पर डाका डाल रहे हैं, इसलिए मैं राज्य सरकार की घोर निन्दा करता हूं और राज्य सरकार की इस मंशा की मैं घोर भर्त्सना करना चाहता हूं।

आज राजस्थान में नगरपालिकाओं की हाल बड़ी खराब है और अर्बन डवलपमेंट की बड़ी प्रोब्लम एक और खड़ी हो गई है। जयपुर शहर को ही ले लीजिये, जयपुर शहर की आबादी ७ लाख हो गई है, फिर भी जयपुर शहर आज बड़ा गन्दा पड़ा है, सड़ रहा है, नालियां टूटी हुई हैं, फ्लश के तहारत नहीं हैं, सफाई कर्मचारियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी नहीं हुई है, सिर पर मेला ढोने की व्यवस्था है। एक जयपुर शहर की नगरपालिका की ही यह हालत नहीं, इसी प्रकार की हालत सभी नगर पालिकाओं की है! लोकतन्त्र की इन मूल इकाइयों को जब तक हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं करेंगे तब तक नगरपालिकाएं शहरों के विकास के लिए कोई योजना हाथ में नहीं ले सकती। राजस्थान के १२ बड़े नगरों में अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाये हैं। जमीनों की बिक्री से प्लाटों की बिक्री से जो इन नगरपालिकाओं को आमदनी होती थी, उसे आपने अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स, नगर न्यासों को दे दिया, कुछ सरकार ने ले लिया तो क्या ये नगरपालिकाएं केवल यह काम करेंगी कि कहीं आग लग गई हो तो फायर ब्रिगेड को भेज दें, किन्हीं मन्त्रीजी के घर शादी हो तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को छिड़काव कराने के लिए भेज दें, या होली के मौके पर फाग खेलने के लिए उनके घर पर उन गाड़ियों को भेज दें?

यह एन्टरटेनमेंट टैक्स जिस समय विधान सभा में पास किया था तो राज्य सरकार ने कहा था कि सारी आमदनी नगरपालिकाओं में बांट देंगे। पर यह आज तक आपने नगरपालिकाओं को नहीं दिया। दो रुपये सिनेमा टिकट पर १।। रुपया एन्टरटेनमेंट टैक्स, १।। रुपये के टिकट पर १। रुपया एन्टरटेनमेंट टैक्स राज्य सरकार ले लेती है और इसलिए कि आपका मनोरंजन हुआ है। आखिर आपकी कोई पोलिसी होनी चाहिए, आप आज कोई भी चीज को बगैर टैक्स नहीं छोड़ना चाहते, आज हर चीज पर टैक्स। टैक्स का स्ट्रक्चर. .

श्री रामानन्द अग्रवाल : भ्रष्टाचार पर कोई टैक्स है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसका इनको पता नहीं चलता है, नहीं तो उस पर भी टैक्स लगा देते।

श्री रामचन्द्र आर्य : उस पर १० पर्सेन्ट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आखिर मनोरंजन कर लगाया है तो मेरा सुझाव है कि और कुछ हो नहीं हो, एक संशोधन और कर देना चाहिए, वह संशोधन यह है कि राजस्थान के मन्त्री मण्डल के सदस्य जिस किसी सभा में भाषण देने जांय तो वहां भी मनोरंजन टैक्स होना चाहिये। राजस्थान के मन्त्रियों से मनोरंजन होता है, वित्त मन्त्री महोदय बैठे हैं, उनसे कितना मनोरंजन होता है। ऐसी स्थिति में माधोसिंहजी भैंसवाड़ा बोलते हैं तो कितना मनोरंजन होता है और मुझे डर लगता है कि राजस्थान की आर्थिक हालत गिरती जा रही है। राजस्थान में कुछ मन्त्री ऐसे हैं जिनके

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

भाषण यहां हुआ करेंगे तो मनोरंजन कर से आर्थिक आमदनी करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह मनोरंजन की जगह है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इस विधान सभा को मनोरंजन के लिए सभा नहीं कह सकता। मन्त्री जरूर मनोरंजन के पात्र हैं। विधान सभा के लिये कहना तो विधान सभा का कन्टेम्प्ट हो जावेगा।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : टैगोर सिनेमा है, वहां जाकर प्रोग्राम रखें। तो एन्टरटेनमेन्ट टैक्स लग सकता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सदन के अन्दर आंख मारते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मैंसवाडा साहब भाषण देते हैं तो आंख मारते हैं। उस पर भी टैक्स लगाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में निवेदन कर रहा था कि कुछ एक्जम्पशन्स हैं। राजस्थान सरकार ने कानून के अन्तर्गत कुछ चीजें अपने हाथ में ली हैं। गजट नोटिफिकेशन हैं, निकाल कर देखिए। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई शो होता है, परफोमेंन्स होती है....

श्री शंकरलाल : ओन ए पाइन्ट आफ ओर्डर सर, माननीय सदस्य ने कहा है कि सदन में आंखें मार कर भाषण करते हैं

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई अपमानजनक बात कही जाय तो है।

श्री शंकरलाल : आपने यह आरोप लगाया है कि उपमंत्री आंखें मार कर बात करते हैं।

श्री रामकिशन: उसकी पत्नी को मालूम हो जाय कि आंख मारते हैं तो हालत खराब हो जायगी।

श्री मूलचन्द डागा : देखते ही आंख मारते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल । आपको अफसोस है कि आपकी तरफ नहीं मारते।

यह मनोरंजन कर की व्यवस्था है। इसमें एक्जम्पशन का अधिकार कानून के द्वारा सरकार को दिया गया है। खेद के साथ कहना पड़ता है है कि सरकार ने बड़ा भारी मिस्यूज किया है। उदाहरण के लिए रवीन्द्र मंच पर कोई कार्यक्रम हुआ, एक्जम्पशन होता नहीं है। एन्टरटेनमेन्ट टैक्स वसूल होना चाहिए कानून यह कहता है। कागज सेक्रेटेरियट में चलते रहते हैं और वर्षों के बाद एक्जम्पशन हो जाता है। ६८ में प्रोग्राम हुआ। एक्जम्पशन आर्डर्स नहीं निकाले। एन्टरटेनमेन्ट टैक्स वसूल होना चाहिए लेकिन वह किस प्रकार से वसूल नहीं किया गया गया ? इसलिए आप अपने अधिकारों का जो कानून के अन्तर्गत अपने पास रखते हैं सही उपयोग नहीं करते हैं। एक्जम्पशन देना है तो आडर होने के बाद ही एक्जम्पशन माना जावेगा वरना टैक्स वसूल होना चाहिए।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस सिलसिले में एक बात और कहना चाहता हूं। राजस्थान में एन्टरटेनमेंट टैक्स की क्या पोजीशन है? रामकिशनजी इस फिलोसफी के मास्टर हैं और वे अपने विचार रखेंगे कि सिनेमा किनको देखना चाहिए और किनको नहीं देखना चाहिये। एन्टरटेनमेंट की किनको आवश्यकता है और किनको नहीं? वे अपना प्रवचन इस सदन में रखेंगे। मैं उनके इस अधिकार को छीन कर अनाधिकार चेष्टा नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस इलाके में हालत खराब है, खास तौर से राजस्थान के पश्चिम हिस्से की, वैस्टर्न डिविजन में जो स्थिति है वह अकाल की है, पीने को पानी नहीं और खाने को अन्न नहीं, पशुओं को पानी नहीं और चारा नहीं, भूखे आदमी मुश्किल से पेट भरते हैं और २२ साल के बाद भी कांग्रेस की हुकूमत में जिस इलाके को खाने को अन्न न मिल सके और पीने को पानी न मिल सके, अपने गम को भुलाने के लिये कई मन्त्रिमण्डल के सदस्य शराब के नशे में अपने को डुबा सकते हैं, लेकिन वह गरीब कहां जावेगा? वह सिनेमा घर में जाकर बैठता है अपने गम को भुलाने के लिये। सरकार कहती है कि एन्टरटेनमेंट टैक्स दो। मनोरंजन कहां है? वह तो अपना गम भुलाने के लिये गया। सीढ़ी आती है मनोरंजन करने की भी। एक स्टेज के बाद जब जीवन की आवश्यकता पूरी हो जाती है और उसके बाद एक्स्ट्रा एन्टरटेनमेंट करने की बात होती है तो उसको टैक्स कर सकते हैं चाहे बालकनी हो, ड्रेस सर्किल हो, नौबल सर्किल हो, बोक्स हो, फर्स्ट क्लास हो, सैकिन्ड क्लास हो, थर्ड क्लास हो, सारी क्लासेज में आपने एन्टरटेनमेंट टैक्स की व्यवस्था की है। राज्य सरकार इस पहलू पर विचार करे कि बालकनी, ड्रेस सरकल, नोबल सरकल, इन पर टैक्स लगायें लेकिन थर्ड क्लास में गरीब तांगे वाले, मजदूर लोग जाते हैं, गरीब तबके के लोग देखने जाते हैं, नीचे की श्रेणी पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। राज्य सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी। वे लोग मनोरंजन के लिये नहीं जाते हैं। अपने गम को घटाने के लिये जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बेकार हैं। जिनके पास काम नहीं है। वे वहां पर जावेंगे नहीं तो चोरी डकैती भी कर सकते हैं। कहीं से बारह आने के पैसे जुटाये और सिनेमा देखने के लिये गये। बेकारों को आप भत्ता तो दे नहीं सकते। उनके खाने पीने का इन्तजाम आप नहीं कर सकते। बारह आना जुटा कर गरीब ने मनोरंजन कर लिया तो क्या गैरवाजिब हुआ? हम समझते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान की जो हालात हैं, उन हालात में ये सारी चीजें चल रही हैं, आप एन्टरटेनमेन्ट टैक्स लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आज सिनेमा घरों की हालत क्या है? इन्सपेक्शन की कोई परम्परा नहीं है। सुविधाओं का विचार तो दूर रहा, पूरा इन्तजाम नहीं है, लाइट, गायब तमाम जगह गन्दगी जमी रहती है। आपका इस ओर ध्यान नहीं। गंदगी में बैठ कर कहीं मनोरंजन हो सकता है? राजस्थान सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। राजस्थान का सिनेमा रेगुलेशन एक्ट पुराना हो चुका है। उसके प्रावधानोंमें संशोधन किया जाय और सिनेमाघरों का चैकिंग कराया जाय और उनकी हालत में सुधार कराया जाए। बैठने के लिये कुर्सियां, सीटें, लाइट पानी का और सफाई का इन्तजाम इतना अच्छा बनाया जाय कि लोग बैठ सकें।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, इसी सिलसिले

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आज कई शहर और कस्बे ऐसे हैं कि जिनमें मनोरंजन के कोई साधन नहीं हैं। दो शब्द इस सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा। बड़े बड़े शहरों में सिनेमा घर खोलते हैं। छोटे २ कस्बों में ओपन थियेटर भी नहीं सरकार लाइसेन्स देती नहीं। सरकार लाइसेन्स देने फेवरेटिज्म के आधार पर चलती है। उदाहरण के लिये धौलपुर अच्छा कस्बा है। एक सिनेमाघर खुला हुआ है। प्रभावी व्यक्ति का है। दूसरा व्यक्ति लाइसेन्स लेना चाहता है तो सरकार उसको नहीं देगी। उसका सिनेमा बन्द हो जावे इस लिये दूसरे को लाइसेन्स नहीं देती। राजस्थान की हुकूमत को चाहिये कि जिन शहरों में कस्बों में सिनेमा घर नहीं हैं, एन्टरटेनमेन्ट नहीं है, वहां पर सिनेमाघर खोले और एण्टरटेनमेन्ट मुहैया करावे।

लोगों के एण्टरटेनमेंट का एक साधन सिनेमा ही है जो गरीब तबके लोग हैं, मजदूर हैं वे सिनेमा में ही जाकर अपना एण्टरटेनमेन्ट करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे जयपुर में एक सिनेमा घर है जिसमें माननीय उपाध्यक्ष आपतो कभी गए ही नहीं होंगे और माननीय सदस्य भी नहीं गए होंगे, अपने विधान सभा के पास है रामप्रकाश सिनेमा जो राजस्थान सरकार का है और किराये पर दे रखा है, माननीय मूलचन्द जी आप कभी गये हैं क्या ? नहीं गये होंगे क्योंकि आप जाना भी पसन्द नहीं करेंगे। एक तरफ तो यह सरकारी सिनेमा है और दूसरी तरफ प्राइवेट सिनेमाज जेम टाकीज मयूर टाकीज प्रेमप्रकाश, गंगा टाकीज आदि ऐसे माघसिनेर-- हैं

श्री मूलचन्द डागा : आप सब टाकीज में घूमे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने ये सब सिनेमा देखे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : घर में सन्तोष नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्रअग्रवाल : मैं सब सिनेमाज में गया हूं। इस रामप्रकाश को जनता खटमल टाकीज के नाम से पुकारती है। विधान सभा के पास है, फिर भी कोई माननीय सदस्य अपना समय काटने के लिए इसमें नहीं जायगा। यह सरकारी सिनेमा घर है। इसकी बिल्डिंग जिस प्रकार की खस्ता हालत में है उतनी अन्य किसी सिनेमा घर की नहीं है। इसीलिए इसको खटमल टाकीज कहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आप क्यों नहीं उसका फरनीचर रिमूव करते हैं। रामप्रकाश की बिल्डिंग लाखों रुपयों की है जिसका आक्शन किया जायतो दस बाहर लाख रुपया मिल सकता है। आपने इस टाकीज को मय फरनीचर के डेढ लाख रुपये में दे रखा है। मुझे ऐसा भी पता चला है कि किसी मिनिस्टर के बीच और उस पार्टी के बीच एक लाख रुपए का सौदा भी हुआ है। मैं सरकार पूछना चाहता हूं रामप्रकाश सिनेमा कितने साल के लिए लीज पर दिया गया किसको दिया गया ? उसकी डेट कब एक्सपायर हो गई आपने उसको बेचने के बारे में इकरार किया है वह कितने रुपए में किया है। आप इसे पब्लिकली आक्शन क्यों नहीं करते ? उस व्यक्ति से आपने सौदेबाजी क्या की है ? मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं अगर इसे पब्लिकली आक्शन किया जाय तो

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

इसका दस लाख रुपया मिल सकता है आप उस व्यक्ति को डेढ़ लाख में देने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय इस बारे में स्पष्ट करेंगे और जांच का आश्वासन देंगे।

इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय ताकि लोगों की भावनाएं इस संबन्ध में मालूम हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जब हजारों व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से थकान का अनुभव करते हैं तो रिक्रीएशन के लिए सिनेमा जाते हैं, मनोरन्जन के लिए सिनेमा जाते हैं। इस बारे में माननीय सदस्यों ने दो तीन बातें रखी हैं वह विचार के लायक हैं। या तो आप नगरपालिकाओं को खत्म कर दीजिये, जो भी आप मनोरंजन कर या जो साधन नगरपालिकाओं के पास आमदनी के होने चाहिए उनसे जितना भी धन पाते हैं वह सब आप शहरों में लगाना चाहते हैं, राजस्थान सरकार कहती है कि हम शहरों को टूरिस्टों के आकर्षण के लिए हम सुन्दर बनाना चाहते हैं इसलिए जितनी भी आमदनी इस प्रकार के टैक्सेज से होती है वह सब आप शहरों की सुन्दरता बढ़ाने के लिए खर्च कर देते हैं। आपने चालिस पचास हजार की आबादी के जो कस्बे हैं उनको बिल्कुल भुला दिया है आखिर आप उनको आमदनी के क्या साधन देना चाहते हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या आप इसमें इन्टरेस्टेड नहीं है कि म्यूनिसिपलिटी को उनका प्रोपर शेयर दिया जाय ? एन्टरटेनमेंट की जो आमदनी होती है क्या उसमें से राज्य सरकार ने कुछ शेयर म्यूनिसिपैलटीज को या नगर परिषदों को देने का कार्य आरम्भ किया है ?

श्री मूलचन्द डागा : आज हालत नगरपालिकाओं की यह है कि उनके कर्मचारियों को वेतन चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। साल के आखिरी दिनों में ३१ मार्च जब होता है नगरपालिका के अधिकारी दौड़ते हैं और वे एन्टरटेनमेंट का टैक्स का हिस्सा प्राप्त करने के लिए आते हैं। उस दिन बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ कर वे ले लेते हैं। आज नगरपालिकाओं की हालत यह हो गई है कि उनके पास पैसा तक नहीं है, आमदनी के जो साधन थे चुंगी के साधन आपने खत्म कर दिए, ओक्ट्रोय को एबोलिश कर दिया। हाउस टैक्स आप देना नहीं चाहते। आप सिनेमा घर है नाटक है उन पर भी आप ही टैक्स वसूल करेंगे, मनोरंजन कर भी आप ही लेंगे। आज होता क्या है कि सिनेमा घर में अच्छी तस्वीर आजाय तो बड़े बड़े अधिकारी टैक्स उगाहने वाले अधिकारी पास लेकर मुफ्त में देखने चले जाते हैं। आज म्यूनिसिपैलिटी का कोई अधिकार नहीं कि वह चैक कर सके। आज हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी अपनी फेमिली सहित फ्री चले जाते हैं कलेक्टर, एस.डी.ओ. तहसीलदार फ्री चले जाते हैं थानेदार फ्री चले जाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब आप म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमेन थे तब तो आपके पास भी पास आ जाते थे?

श्री मूलचन्द डागा : पाली में मैं कभी

(श्री मूलचन्द डागा)

सिनेमा गया ही नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जब आप यहां आते हैं तभी आपको मौका मिलता है।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय गाड़िया जी के पास मनोरंजन का समय नहीं होने के कारण बीच में बोल जाते हैं गाड़िया साहब मनोरंजन के लिए बाहर जाते नहीं हमेशा अपने क्षेत्र के कामों में लगे रहते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप कभी अपनी पत्नी के साथ गये हैं क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक बात और कहना चाहता हूं आज हालत यह है कि नगरपालिकाओं को लोन नहीं मिलता उनको आप सबसिडी नहीं देते। आप उनके साधन भी छीन रहे हैं वैसी हालत में आत्म निर्भर कैसे हो सकती हैं ? आज म्यूनिसिपेलिटियों के पास इतनी भी आमदनी नहीं है कि वे अपने हरिजनों की पगार चुका सकें। आप मनोरंजन कर के बारे में भी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि पचास हजार और चालीस हजार के कस्बे को म्यूनिसिपेलिटियां है उनको टैक्स का पूरा हिस्सा मिलना चाहिये।

मुझे एक बात ठीक लगी है और वह यह कि जो मजदूर लोग रात दिन महनत करते हैं जिनके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं ऐसे मेहनतकश लोग सिनेमा जाते हैं। इसलिए उनके लिये ये मनोरंजन के साधन रखना जरूरी है इन सिनेमा घर में ज्यादातर मजदूर लोग ही जाते हैं। इसलिये इन पर एन्टरटेनमेंट टैक्स नहीं होना चाहिये। राजस्थान के ऐसे स्थानों पर जहां मजदूर लोग रहते हैं उनमें एन्टरटेनमेंट टैक्स नहीं होना चाहिये। बालकोनी और ड्रेस सर्कल आदि में टैक्स बढ़ाइये। राजस्थान के अन्दर छोटे छोटे जगहों पर लेबर रहते हैं, उनके जीवन में सुधार हो इसलिये आवश्यक है कि वे सिनेमा जांय और इसलिये छोटी श्रेणियों पर टैक्स नहीं होना चाहिये।

सिनेमाघरों में भी परिवर्तन होना चाहिये ओपन थियेटर होने चाहिये। रामप्रकाश टाकीज की जो बात माननीय सदस्य ने कही है वह ठीक ही कही है यह सिनेमा घर ऐसा है जैसे अन्धेरी कोठरी हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि खुली रोशनी में सिनेमा घर कायम किये जांय।

एक गरीब आदमी जो दिन भर में दो तीन रुपया कमाता है और अपनी थकान को मिटाने के लिये कुछ पैसा खर्च करके सिनेमा जाता है उस पर यह टैक्स है, वह नहीं होना चाहिये।

आप क्या चाहते हैं ? आप रंग रेलियां करें खब जी भर कर और वह मशीन के पास रहता रहता थका हारा अपनी थकान मिटाने के लिये और थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिये सिनेमा भी न देखें। तो ये जो श्रीमानजी बार बार कहते हैं कि क्या जरूरत है, तो जरूरत तो उसे पूछो जो रात और दिन तन तोड़ मेहनत करता है। सिनेमा एक सस्ता मनोरंजन का साधन है इसका टैक्स नगरपालिका को मिलना चाहिये। नीचे की श्रेणियों पर कम रेट रखिये और ऊपर की श्रेणियों पर उसे आप जितना चाहें बढ़ा दीजिये।

वित्तीय समितियों के उम्मीदवारों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष : एक आवश्यक सूचना।

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जनलेखा समिति १९७०-७१, प्राक्कलन समिति १९७०-७१ एवं राजकीय उपक्रम समिति १९७०-७१ के चुनावों के हेतु निम्नलिखित उम्मीदवारों के नामजदगी पर्चे पेश किये गये हैं :

जनलेखा समिति

श्री देवीलाल बुरासिया
श्री मुकुटबिहारीलाल
श्री चुन्नीलाल जेलिया (३४)
श्री फूलचन्द बाफणा
श्री दौलतराम सारण
श्री बालसिंह सोढ़ा
श्री नत्थीलाल (५६)
श्री नन्दलाल बैरवा
श्री गुलाबसिंह
श्रीमती कान्ता खतूरिया
श्री सहदेव शर्मा
श्री पुखराज कालानी
श्रीमती मदन कौर
श्री दीपचन्द
श्री मजलिसखां
श्री हंसराज आर्य
श्री नाथूलाल करौल
श्री कल्याणमल
श्री शिवनाथसिंह
श्री कृष्णकुमार गोयल

प्राक्कलन समिति

श्री नाथूदास
श्री किशनलाल शाह
श्री रामप्रसाद बोहरा
श्री नाथूलाल करौल
श्री रूपसिंह
श्री नत्थीलाल (५६)
श्री कालूराम आर्य
श्री जवाहरमल
श्री अब्दुल हादी
श्री रतनलाल रौत
श्री जयनारायण (४०)
श्री रामकुमार
श्री दीपचन्द छंगाणी
श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
श्री पी० के० चौधरी
श्री रामकुमार नन्दवाणा
श्री नाथूराम (६५)
श्री आलम अली
श्री सुरेन्द्रसिंह
श्री कल्याणमल
श्री रणजीतसिंह
श्री शिवनाथसिंह
श्री पृथ्वीराज
श्री नत्थीसिंह
श्री लाभचन्द वैद
श्री देवीदत्त गाड़िया
श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल

राजकीय उपक्रम समिति

श्री नत्थीसिंह (६०)
श्री अमीलाल यादव
श्री सुमेरसिंह
श्री रामानन्द अग्रवाल
श्री सुवालाल चौधरी
श्री दुर्गालाल बाढ़दार
श्री रोशनलाल
श्री देवीलाल (५४)
श्री शीशराम पूनिया

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
श्री वृद्धिचन्द जैन
श्री बिरदाराम फुलवारिया
श्री बीरबल
श्री शंकरलाल जैतारण
श्री भैरोंसिंह शेखावत
श्रीमती शिवकुमारी

जो माननीय सदस्य अपने नाम वापिस लेना चाहते हों वे सदन में वक्तव्य द्वारा जिसमें केवल इस तथ्य को ही व्यक्त किया जाना चाहिए कि "मैं अपना नाम उम्मीदवारी से वापिस लेता हूं" ६ अप्रेल ७० को पांच बजे तक वापिस ले सकते हैं।

सदन की अनुमति से बैठक का समय आधा घण्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है।

एक माननीय सदस्य : प्रवचन

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में बात न करें।

श्री रामकिशन : जनमत जानने के लिए इसको भेजा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस मुद्दे को उठाया है। राजस्थान सरकार को उस मुद्दे पर किसी न किसी प्रकार से विचार करना ही चाहिए। हमारी स्वायत्त शासन संस्थाऐ, नगरपालिका या दूसरी जो हैं अगर उनके अस्तित्व को कायम रखना है और चाहें कि वे स्वतन्त्रतापूर्वक काम करें तो उनको किसी न किसी प्रकार का आर्थिक साधन उनको उपलब्ध कराना ही होगा।

अगर नहीं कराते हैं तो इसका साफ अभिप्राय यही है कि लोकराज में या विकेन्द्रीकृत सत्ता में हमारा विश्वास नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जितनी स्वायत्त संस्थाऐं हैं उनके स्रोत आमदनी के सूख चुके हैं करीब करीब और इसकी जिम्मेवारियां कई प्रकार से बढ़ती चली जा रही हैं। आज से २५ साल पहले और आज के जयपुर में बहुत अन्तर है और आगे आने वाले १५ सालों वाले जयपुर में बहुत फर्क होगा। एक तरफ बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई शहरीकरण की प्रवृत्ति, और उनके होने वाले परिणामों से शहर में बढ़ती हुई गन्दगी और सफाई के साधनों की वृद्धि का अभाव। आज इन कारणों से हर शहर की दुर्दशा हो रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस गति से आबादी बढ़ रही है लोग आकर शहरों में अनाप शनाप तरीके से बसते चले आ रहे हैं उसके अनुपात में सफाई रोशनी और पानी का अभाव। इन साधनों के लिये पैसे का अभाव। यह सत्य है।

तो राजस्थान सरकार से इस सम्बन्ध में निवेदन तो एक यह करूंगा कि क्या यह सरकार सारे साधनों में स्वयं अपने हाथ में ही लिये रखना चाहती है जैसे वित्तमन्त्री ने कहा कि राज के साधन सीमित हैं। हम भी मानते हैं सीमित हैं पर राजस्थान सरकार की इस कठिनाई का हल, इन साधनों की बहुलता केन्द्र और राज्यों के साधनों का दुबारा इस सन्दर्भ में बटवारा हो तभी हो सकता है पर जब तक यह

(श्री रामकिशन)

नहीं होता है तब तक क्या इन शहरों की बढ़ती हुई आबादी की समस्या को हल करने की अवहेलना करना चाहते हैं या उनको यह साधन देकर नागरिकों को जिन्दा रखना चाहते हैं। इस पर आपको गंभीरतासे विचार करना होगा, और अगर इसपर गंभीरतासे विचार नहीं किया जाता है तो इसका साफ मतलब यह है कि हम नहीं चाहते कि सत्ता विकेन्द्रित हो या लोकसत्ता का विकास जन मानस में हो। जो तथ्य रखे गये हैं उनकी अवहेलना की जरूरत नहीं है।

आज एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के बारे में जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने और पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि जो गरीब लोग वहां मनोरंजन के लिये जाते हैं उन पर टैक्स लगाकर वंचित करना यह कितनी बड़ी क्रूरता और निर्दयता है। यह सच हो सकता है। सच भी है। पर एक निवेदन मुझे और करना है। जिस प्रकार से दुनिया का विकास हो रहा है, हिन्दुस्तान का विकास हो रहा है उस विकास के क्रम में निश्चित ही समझिये कि....

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, समय समाप्त हो रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस इससे अन्दाज लगावे कि मुख्य सचेतक महोदय कितने जागरूक हैं और ११। सौ रुपये भत्ते का और मोटर भत्ते का क्या परिणाम सामने आ रहा है।

एक माननीय सदस्य : उनका वेतन बन्द कर दिया जावे।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : जब प्रस्ताव करना चाहिए तब तो गैर हाजिर रहते हैं और प्रस्ताव होकर समय बढ़ा दिया गया तो आपको जानकारी नहीं, आपका ध्यान और तरफ लगा रहता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको याददाश्ती कराने में तकलीफ हो रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह कह रहा हूँ कि मुख्य सचेतक सोते न रहें, समय तो बढ़ाया जा चुका है आसन द्वारा पहले ही।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको तो बहुत अनुभव है कई बातों का।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अब भी आप बोलते ही जा रहे हैं। समय पर बोलना चाहिए था आपको।

(५ म० प०)

श्री रामकिशन : जिस प्रकार से हमारे मुल्क की प्रवृत्ति जिस ओर प्रवाहित हो रही है उससे निश्चित मानकर चलिए कि एन्टरटेनमेंट में सिनेमा एक प्रमुख भाग अदा करेगा। हमारे पास आमोद प्रमोद के और भी साधन हो सकते हैं, अपने अपने समय में अपने अपने मुल्क में अपने अपने समाज में हर प्रकार के आमोद प्रमोद के साधन रहे हैं पर आज के युग में और आने वाले पचास साठ वर्षों में आने वाली सारी दुनिया में सिनेमा एक प्रमुख आमोद प्रमोद का साधन रहेगा इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता। तो एक तो निवेदन यह करना है कि हिन्दुस्तान के लोग सिनेमा जावें या नहीं इस पर इस समय जाना नहीं चाहता, जाना चाहिए यह विचारधारा मेरी नहीं है, पर किनको किस उम्र में जाना चाहिए यह दूसरा प्रश्न हो सकता

(श्री रामकिशन)

है । पर सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि समाजवाद को जब हम जीवन में तसलीम कराने जा रहे हैं तो सिनेमा, रेल की श्रेणियों के मामले में और मृतक को जलाया या दफनाया जाता है इनमें समान दृष्टिकोण होना चाहिए । यानी इनमें समानता कैसे लाई जाय इसके बारे में केन्द्र की सरकार को और राज्य सरकार को विचार करना चाहिए ।

मैं सबसे पहले वित्त मन्त्रीजी आपसे निवेदन करूंगा कि सिनेमा में श्रेणी भेद को समाप्त करना चाहिये । दुनिया में जब समानता का वातावरण बनाना चाहते हैं आप तो आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं कई अन्य क्षेत्रों में भी आपको कई प्रकार के प्रयास करने होंगे ।

जैसे रेल में कई श्रेणियां हैं । प्रथम श्रेणी के नागरिक प्रथम श्रेणी में और बाकी के जन साधारण तीसरी श्रेणी में । आज का बदलता समय इन श्रेणी भेदों को बर्दास्त नहीं कर सकता ।

इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है राजस्थान सरकार के लिए और मैं समझता हूं कि इस पर विचार करना चाहिए सिनेमाओं में भी श्रेणियां नहीं रहनी चाहिए । अगर सभी लोग एक दूसरे के नजदीक बैठेंगे और मजदूर और उद्योगपति, कलक्टर और मंत्री और सामान्य नागरिक एक दूसरे के पास पास बैठना शुरू करेंगे तो इसमें एक दूसरे के दृष्टिकोण का विचारों का आदान प्रदान होता है । समाजवाद केवल आर्थिक कार्यक्रम नहीं है, यह जीवन के सभी अंगों में प्रभावित होना चाहिए अगर हम इसके लिए कोशिश नहीं करेंगे तो समाजवाद नहीं ला सकते । इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि मजदूर और व्यापारी व्यवसायी, कलक्टर, शासक और शासित और दूसरे लोग साथ साथ बैठेंगे तो सारे लोगों के विचार में आदान प्रदान आवेगा, नजदीक आवेंगे और उनके बीच की भिन्नता की दिवारें टूटेंगी । निश्चित तौर से हम समाजवाद को सही दिशा की तरफ ले जावेंगे । आज जैसी हालत है, आज जैसा टैक्स देते है, मैं इस विचार का विरोध नहीं कर सकता । यह दूसरे ढंग का विचार है । पर टैक्स टिकट खरीदने के समय में विभाजित कर दिया जाता है तो मन में रंज पैदा होता है कि कुछ लोग तो शिखर पर बालकनी में बैठते हैं और कुछ निम्न श्रेणी उनके चरणों में बैठते हैं । तो जो विचार समाज के सभी वर्गों को देना चाहते हैं वे नहीं दे पा रहे हैं । तो मेरा कहना है कि रेल में सभी श्रेणियां, सिनेमा की सभी श्रेणियां समाप्त की जावें । इसी तरह दाह संस्कार या दफनाने के मामले में भी श्रेणी भेद समाप्त कर दो । इन तीन बातों को जल्दी नहीं करते हैं तो समाजवाद का वातावरण बनाने की स्थिति में आ नहीं पावेंगे और उससे जिस प्रकार से उत्साहित करना चाहिए नहीं कर पावेंगे । तो क्या वित्त मन्त्रीजी चाहे आज सीधा यह सबजेक्ट नहीं है उनका, पर इस विचार के लिए राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है, समाजवाद लाने का प्रयास कर रही है, उसके लिये अगर कुछ इस दिशा में कर सकते है तो टैक्स इतना बुरा नहीं है । पर इसकी वजह से दूसरी समस्यायें पैदा हो रही हैं वे बुरी हैं । सिनेमा में कैसे लोग जाते है, एक तरफ तो वे फटे टूटे कपड़े पहनकर मजदूर जाते हैं, कारखाने से निकल कर सीधे सिनेमा में जाते हैं । जाना चाहिए या नहीं, यह दूसरा विवाद का विषय हो सकता है, दूसरी तरफ उच्च श्रेणियों वाले सबसे ज्यादा सज धज कर आकर्षक बनकर

(श्री रामकिशन)

और बनाव शृङ्गार करके जाते हैं। तो इनको देखकर समाज के अन्य वर्गों में उत्तेजना और नाराजगी पैदाहोती है और यही वर्गसंघर्षके लिए बीज बोने का काम करता है। तो आर्थिक वर्ग संघर्ष भी यहीं से शुरू होता है। नफरत पैदा होती है मनुष्य मनुष्य के बीच में कि हम अलग अलग दो रास्तों से आये हुए प्राणी हैं। तो इसलिए एक तो सुझाव मेरा यह है कि सरकार इस पर विचार करे और सिनेमा में इस श्रेणी भेद को समाप्त कर दें। अगर यह नहीं करते हैं तो समाज में किसी भी हिस्से में समाजवादी आन्दोलन को गति देने के लिए प्रयास नहीं कर पावेंगे।

टैक्स से सिनेमा द्वारा आमदनी सरकार की बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा जिस धन का नियोजन हुआ है उसका कहीं न कहीं तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। यह सही है कि इसका रिफ्लेक्शन छोटे वर्ग पर कम हुआ है, पर बड़े सम्पन्न वर्ग के पास काफी पैसा पहुंच रहा है। यह आमदनी में वृद्धि तो स्वाभाविक है, होगी। आज तो बल्कि यह वृद्धि कहीं न कहीं कम है, अन्यथा तो यह वृद्धि ज्यादा होनी चाहिये थी। और भी ज्यादा पैसा आना चाहिए। हम देखते हैं कि ६१-६२ में केवल ३२ लाख ४६ हजार की जहां आमदनी होती थी सरकार को इस टैक्स से वहां ६८-६९ में वह आमदनी १२७ लाख होने लगी है। पर यह भी साथ साथ में देखना होगा कि आया यह आमदनी सिनेमाओं की संख्या के बढ़ने से हुई है या जाने वालों की संख्या में वृद्धि होने से हुई है या दोनों ही कारणों से हुई है या रेट ज्यादा से ज्यादा बढ़ती गई है इससे हुई है। इस सम्बन्ध में कहूंगा कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनसे एक राशि से अधिक टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, अगर श्रेणी भेद नहीं मिटता है तो जो टिकट ज्यादा कीमती होतो उसका परसेंटेज भी बढ़ाना चाहिये टैक्स का। बल्कि मैं तो कहता हूं श्रेणी भेद को आप पूरा का पूरा ही समाप्त कर दीजिए। पर यह आपसे सम्भव नहीं है। शायद आप कर नहीं पावें या उच्च श्रेणी के लोग हैं। कई तरह की उनकी आमदनियां है। व्यापारी हैं तो चोर बाजारी का काला धन है अधिकारी हैं तो रिश्वतखोरी का और कई तरह की चोरियों का पैसा है तो इन टैक्सचोरों और रिश्वतखोरों की आमदनी कई तरह की हैं। तो यह काला धन हो या सफेद धन हो किसी प्रकार का धन हो तो मैं तो कहता हूं वे ही लोग ऊंची श्रेणी में जाना पसन्द करेंगे। तो उन पर आप ज्यादा टैक्स बढ़ाइये। अगर आप यह कहें कि इससे उनकी आमदनी गिर जावेगी तो आप विश्वास रखिये कि जिस तरह से पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाने से कोई इनमें से कार बेचने वाला नहीं हैं, उसी तरह से सिनेमा देखने वालों की संख्या भी कम होने वाली नहीं है। बल्कि और ज्यादा जावेंगे।

अगर नहीं जाते हैं और छोड़ देते हैं तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है वे समान लोगों के बीच में बैठेंगे कम दाम का टिकट लेकर अगर पैसे की वजह से नीचे बैठकर उन लोगोंके साथ हिलमिलकर देखेंगे तो दूसरा उद्देश्य है हमारा समता वाला, बराबरी वाला, गैर बराबरी मिटाने वाला, वह पूरा हो जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उच्च श्रेणियों वालों पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा देना चाहिए

(श्री रामकिशन)

और यह एक ऐसा टैक्स है जिसका न उद्योग-पति विरोध करेगा न व्यापारी और न दूसरा अधिकारी वर्ग विरोध कर सकता है। सब इसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे।

श्री मदनसिंह : लेडीज और पुरुष। इनका भेद भी मिटना चाहिये फिर आपकी थ्योरी से तो ? क्या आप सिनेमाओं में सबको स्त्री और पुरुष को साथ साथ पास पास बैठकर देखने की इजाजत आप देदेंगे ?

श्री रामकिशन : पति पत्नी साथ बैठकर देखते हैं। आपका अगर यह विचार हो कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग बैठें यह माननीय दांता साहब ने कहा। आपका अपना विचार अपने तरीके से हो सकता है। मेरे जैसा आदमी तो चाहेगा कि साथ साथ बैठें दोनों। और इसके बाद चरित्र का जिक्र अगर करते हैं तो थोड़ा मैं इसे स्वीकार करता हूं। वैसे नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : आप भी इसे स्वीकार करते हैं क्या ?

श्री रामकिशन : आप मेरे ज्ञान के बारे में अन्धकार में हैं। दांता साहब वाली बात आज के युग के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं इसे चरित्र की गिरावट का प्रश्न जरूर समझ सकता हूं और नहीं। पर वह सिनेमा से ही दूर नहीं होगा। इसके अन्य कई कारण हैं। तो मेरा सुझाव है सिनेमाओं की श्रेणियां मिटा दी जावें और सबको साथ बैठने दिया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सुझाव और है। हमारे आमोद प्रमोद के साधन शहरों में और प्रकार के हैं पर कभी कभी देहातों में मेले लगते हैं उनमें छोटे मोटे तमाशे होते हैं। शहर में एक वर्ग ऐसा है जो हर नई पिक्चर के आने पर उसे देखने अवश्य जाता है, परिवार सहित भी जावेगा। पर गांवों के बारे में यह बात नहीं है। वे कभी कभी मेले में जाते हैं और वहां भी केवल आमोद प्रमोद के लिए नहीं जाते, काम के लिए भी जाते हैं, अपने मवेशी साथ लाते हैं। पशुओं की बिक्री होती है उनका हाट लगता है। थियेटर भी वहां आते हैं। नाटक नौटंकी आदि भी होते हैं उनमें भी जाते हैं। पाली से आने वाले माननीय सदस्य जिनकी रूचि का विकास नहीं हो पाया है अभी तक माडर्न टैकनोलौजी का जिनको ज्ञान नहीं है ऐसे लोग, गांव में जब किसी प्रकार का शो हो प्रदर्शन हो, नाटक हो तो काफी रूची के साथ जाते है उनमें। तो वहां इनकी प्रमुखता रहनी चाहिए। अब इनको रिलीफ देने का सवाल है तो उनको देने का है जो कभी साल में एकाध बार जाते हैं। दूसरे शहरों की आमदनी भी ज्यादा है। अब जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं हैं, वे सिनेमा में जा नहीं सकेंगे। तो मेरा सुझाव है कि एकेडेमिक संगीत नाट्य लोकनृत्य के लिए जिनके लिए हम अलग से उनको प्रोत्साहन देते हैं वे लोक जीवन का तरह तरह का प्रचार करते हैं। उनको हम फण्ड देते हैं, आमदनी देते है उदयपुर में साइन बोर्ड लगा देते हैं तो उनमें तरह तरह के साइन बोर्ड की जरूरत नहीं जीवन के विकास का यह क्रम है उसमें खुद इस प्रकार के तत्व मौजूद हैं जिनको हमें विकसित करना चाहिए और ग्रामीण समाज को आर्थिक दुखों के कारण में अपना जीवन कष्ट में बिताते हैं वे कभी कभी इस प्रकार के प्रदर्शनों को देखने आवें। इसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिये। कम आमदनी वाले लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो छोटी श्रेणी में जाते हैं उनके बैठने आदि की

(श्री रामकिशन)

व्यवस्था करनी चाहिये और उनमें सुधार करना चाहिये। सिनेमा वालों को मजबूर करना चाहिए कि सिनेमाओं में बैठने वाले मामले में श्रेणी में विभक्त करते हैं तो बराबर लाना चाहिए। एक सुझाव तो मेरा राज्य सरकार के लिये यह है।

इसी प्रकार के सिनेमाओं को देखने आयें तो मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी ध्यान दें और ऐसे छोटे मोटे मेले जहां इस प्रकार के नाटक वगैरह किये जाते हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हिन्दुस्तान और राजस्थान का केवल एक उद्देश्य इतना ही नहीं है कि हम टैक्स वसूल करें परन्तु इसका एक नैतिक पक्ष भी है, सामाजिक पक्ष भी है और राजनैतिक पक्ष भी है। हर राज्य का इतना ही काम नहीं है कि टैक्स लेते रहे और सड़कें बनाते रहें। टैक्स और सड़क का बन्धन है लेकिन हमारे सामने यह समस्या भी है कि नए मनुष्य का निर्माण किस तरीके से किया जाए। अगर मनुष्य ठीक नहीं बन पाया तो निश्चित समझिए कि एक तरफ तो पैसा लेते हैं और दूसरी तरफ आप मनुष्य को बिगाड़ते हैं और जब मनुष्य बिगड़ता है तो प्रशासन पर उतना ही वजन पड़ जाता है। हमारे सिनेमाओं की जो हालत है हमारे वित्तमंत्रीजी कहेंगेकि यह हमारा विषयनहीं हम सेंसर नहीं कर सकते,मेरे ख्यालसे वित्तमन्त्री जी काफी शौकीन तबियत के हैं और आप सिनेमा जरूर जाते होंगे...

श्री मथुरादास माथुर : ७ साल में नहीं गया।

श्री रामकिशन : इसका मतलब यह है कि आप अभी जवान हैं। बुढ़ापे में तो जाना चाहिए। नहीं गए होंगे लेकिन मैं भी बहुत कम सिनेमा जाता हूं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सिनेमा में तो वह जाते हैं जिनके घर पर एन्टरटेनमेन्ट नहीं मिलता।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सिनेमाओं का स्तर क्या है ? अभी वित्त मन्त्री जी कह सकते हैं कि इस पर हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन जब हम टैक्स लेते हैं तो जब हम अपने नागरिकों से पैसा लेते हैं तो उनकी जिन्दगी को सामाजिक बनाना और नयी दिशा देना हमारे राज्य का कर्तव्य है। आज सिनेमाओं का किस प्रकार का स्तर है ? मैं पुराना साधु महात्मा नहीं हूं कि स्त्री और पुरुषों के मिलने से या जो प्रदर्शन होते हैं उससे घबराता हूं। एक निवेदन करना चाहता हूं कि धीरे धीरे सिनेमाओं की जो हालत होती चली जा रही है वह एन्टरटेनमेंट नहीं है, वह कोई आमोद प्रमोद नहीं है बल्कि मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से आकर्षित करके पतन के रास्ते पर ले जा रहे हैं। आज यह स्थिति है कि नग्न चित्रों का प्रदर्शन हो उसमें भीड़ ज्यादा से ज्यादा रहेगी और इन चित्रों में सामाजिक नीति क्या है, राजनैतिक नीति क्या है, गृहस्थ नीति क्या है इन सबको ध्यान से देखेंगे तो नतीजा शून्य निकलेगा। अंगों का अधिक से अधिक प्रदर्शन कौनसा कलाकार या अभिनेत्री करती है उसको वह देखने जाते हैं। तो क्या इन सब बातों पर राज्य की सरकारें और देश की सरकार नये ढंग से विचार नहीं कर सकती। वित्त मन्त्री कहेंगे कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है खोसला समिति

(श्री रामकिशन)

बनी और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी चुम्बन के बारे में हिंदुस्तान में बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी क्या राय है उसके बारे में ?

श्री रामकिशन : आप तो इतने अधीर हो जाते हैं मेरी राय के लिये। आप जरा सुनिये।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इस मामले में राज्य सरकार को अपनी राय सेन्सर बोर्ड को भेजनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, चुम्बन भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी स्थितियां अलग अलग होती हैं। सभी बुरे हों इसे मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज हम अपने बच्चों को भी चूमते हैं, अपनी बहन या मां मिलती है तो भी करते हैं और अगर चुम्बन का अर्थ केवल एक ही लगाते हैं तो गलत अर्थ है। सीधी बात यह है कि प्रदर्शन करते समय ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि जिससे उत्तेजना का वातावरण पैदा हो। एक उम्र होती है अपने आप उत्तेजना आती है। सवाल यह है कि उस ज्ञान को चेनेलाइज किस बात के लिए करना चाहते हैं ? कौनसी दिशा आप लोगों को देना चाहते हैं ? क्या राज्य सरकार के लिए ऐन्टरटेनमेन्ट टैक्स आ जाय और उद्योगपतियों को पैसा आ जाए ऐसी स्थिति है तो सिनेमाओं के प्रदर्शन के बारे में हमें नयी दिशा के बारे में सोचना पड़ेगा कि जिस तरह का वातावरण बन रहा है इससे हम कहीं के न रहेंगे। आजकल हम सारे नौजवानों के असंतोष पर चर्चा करते हैं इस सम्बन्ध में कल यूनिवर्सिटी पर बहस होगी। आज यह हमारी विचारधारा के क्रम में नहीं है। लेकिन नौजवानों में जो असंतोष है उसका कारण क्या है? उसका कारण शिक्षा भी है और कई कारण हैं लेकिन उनका एक बड़ा कारण सिनेमा भी है क्योंकि सिनेमाओं में २०-२५ साल पहले एक सामाजिक दर्शन होता था। शहीद जैसे पिक्चर भी पहले बने और भाभी जैसे चित्र भी बने। भाभी चित्र भी हमने देखा था। उनका दूसरा अर्थ भी होता था लेकिन आज तो बस पिक्चर में घुस जाइये और निकल आइये कुछ नहीं मिलेगा। बस तांगे में आये, आंखें मिल गयीं और प्यार हो गया उछल कूद और फिर अंगों का प्रदर्शन। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि सेन्सर पर अभी खोसला समिति की रिपोर्ट है। मैंने उसको पूरा पढ़ा है और आपने उसका केवल एक अंग ही पढ़ा है और उसी के आधार पर या तो उसका कभी विरोध कर देते हैं या कभी समर्थन कर देते हैं। उसमें कई चीजों के बारे में सुझाव दिये गये हैं। हमें इन बातों पर सोचना चाहिए।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा अंत में कि आज मैं दूसरे प्रसंगों पर नहीं बोलकर हमारे यहां धौलपुर में, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया, सिनेमा खुलने का है। सिनेमा खुले या नहीं यह तो सरकार जाने लेकिन सिनेमा के लिए आबादी की जमीन को धौलपुर स्टेट के कानून के अनुसार परिवर्तित कर दिया गया है। राजस्थान की एग्रीकल्चरल लैण्ड को आबादी में कन्वर्ट कराने के लिए नियम बन गए। इसकी जानकारी भी है लेकिन आज से साल भर पहले क्योंकि उन नियमों के तहत हम जमीन को कन्वर्ट नहीं कर सकते थे और वहां के जिलाधीश ने शायद राज्य सरकार को लिखा है कि इस प्रकार से

(श्री रामकिशन)

राजस्थान सरकार को ४० हजार रुपये का नुकसान हो गया है। धौलपुर का पुराना नियम था उसके अनुसार साल भर पहले जमीन को आबादी जमीन में परिवर्तित कर दिया गया। हमारी चिन्ता यह है कि हमारी सरकार जब एक एक पैसे के लिए परेशान है, एक एक पैसा चाहती है उस समय धौलपुर रियासत के सारे कानून जो कि रिपील हो गये और फिर उनके अनुसार उस समय के जिलाधीश ने उस जमीन को आबादी जमीन में सिनेमा बनाने के लिए परिवर्तित कर दिया किसी आदमी को आब्लाईज करने के लिए। इससे सरकार को ४० हजार का नुकसान हुआ है। अगर उस जमीन को कन्वर्ट ही करना है तो उसके पूरे पैसे उनसे लिये जाने चाहिए जो कि सिनेमा खोलने के लिए जमीन चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं जो दो तीन बातें कही हैं श्रेणी भेद और वर्ण भेद को मिटाया जाए और सभी प्रकार की श्रेणी चाहे वह सिनेमा की हों या दूसरों की हों इनको एबालिश करें। अगर आप एबोलिश नहीं करेंगे तो समाजवाद की दिशा के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बन सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि जो अमेंडिंग बिल है इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये और इसके ऊपर गम्भीरता से विचार किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६९ जो सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसके बारे में, मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। जो राज्य सरकार संशोधन ला रही है वह बहुत ही साधारण सा संशोधन है और उस एक्ट के अनुसार सैनिकों, नाविकों और प्रतिरक्षा दलों के कर्मचारियों को मनोरंजन कर की जो पहले ही छूट थी और पहले वर्दी होना लाजमी था तो अब इस कानून के अन्तर्गत वह वर्दी पहनना जरूरी नहीं होने के बारे में ही यह संशोधन विधेयक सरकार लाना चाहती है। इसके बारे में कोई भिन्न राय नहीं है लेकिन मेरा यह मत है कि जितने भी संशोधन लाने हैं वह एक साथ ही लाए जायें और उनको जनमत जानने हेतु परिचालित करना भी आवश्यक है। मैं पहले इस बात पर जाना चाहता हूं कि क्या नगरों में क्या गांवों में स्वायत्त शासन दिन प्रतिदिन जिसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते थे उसका ह्रास हो रहा है और हमारा डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाईजेशन की तरफ कदम था हम यह स्थिति देख रहे हैं कि पंचायत समितियां दिन प्रति दिन कमजोर होती जा रही हैं और उसी प्रकार से नगरों में म्यूनिसिपैलिटीज कमजोर होती जा रही हैं और उनकी आमदनी का स्रोत दिनों दिन कम होता जा रहा है, और हम उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगरों में और शहरों में कहीं भी ठीक तरह से सफाई नहीं हो रही है, और उसका मुख्य कारण यह है कि नगरपालिकाओं के पास पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं हैं। इन वित्तीय साधनों को बढ़ाने के लिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिनके पास जो भी वित्तीय साधन हैं वह जल्दी से जल्दी लेने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो भी एन्टरटेनमेंट टैक्स हैं अगर नगर पालिका कलैक्ट करती

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

तो क्या वह नहीं कर सकती थी, कर रही थी और उनसे अच्छी इनकम होती थी, और राज्य सरकार का यह कहना है कि एन्टरटेनमेंट टैक्स इकट्ठा करके म्यूनिसिपैलिटीज को दे देगी, परन्तु यह देखेगें कि जो एन्टरटेनमेन्ट इकट्ठा करके जो इमेकन वहां पर इसमें हो रही है जो १६६६ में इनकम एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की बाड़मेर नगर में हुई है तो क्या उतनी की उतनी वसूल करके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्स-पैन्सेज को निकालकर, क्या वह सभी दी जा रही है ? नहीं दी जा रही है। इसके बारे में गवर्नमेन्ट को क्लीयर होना चाहिए कि जो भी इनकम जिस साल की है वह इनकम अगर पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज निकालकर दे दें तो एक सैटिस्फैक्शन हो सकता है, परन्तु दृष्टिकोण राज्य सरकार का यह नही है। राज्य सरकार नगरों के विशेष रूप से पीछे पड़ हुई है कि नगरों का कमजोर किया जाय और गांवों को भी यही हाल है, तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है यह मेरी समझ में नहीं आता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : तूम्बी पकड़ाना च हती है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यदि गवर्नमेन्ट यह महसूस करती है कि मनोरंजन टैक्स में किसी विशेष चल चित्र पर एक्जेम्पशन दिया जाय तो एक्जेम्पशन के बारे में जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार प्रकट किये हैं कि एक्जेम्पशन यदि करना चाहते हैं तो तुरन्त आर्डर दे दें। पहले एक्जेम्पशन का लाभ उठायें और उसके बारे में निर्णय देर से करें तो निर्णय देरी से कराने में वहां पर यह शंका उत्पन्न होती है कि कोई न कोई गड़बड़ी करने का अन्देशा है। जिनको एक्जेम्पट करना चाहते हैं उनका क्लीयर कट मेन्शन होना चाहिये। यह पावर्स मिनिस्टर को हों या बड़े अधिका-रियों को पावर्स हों तो वह अधिकारी इतनी चीज भी नहीं समझते हैं कि जिनसे इतना समय ले लेते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए। यह बात साफ होनी चाहिए। मैं सिनेमा के लिए विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि आजकल के जो सिनेमा हैं वे शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत कम उपयोगी हैं। मैं यह चाहता हूं कि जब हम अपने देश का उत्थान करना चाहते हैं, अपने देश के नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश में अच्छे नागरिक पैदा करना चाहते है, यह सिनेमा जिनके जरिये जो एन्टरटेनमेंट आप करना चाहते हैं तो यह एन्टरटेनमेंट उनका होता है या नहीं, यह मैं नहीं जानता, परन्तु उनका चरित्र जरूर बिगड़ जाता है और उनमें ऐसी अनुशासनहीनता बढ़ जाती है, और छोटे छोटे बच्चे अश्लील गाने सीखने लग जाते हैं–अब कुछ चलचित्रों के लिए यह तय कर दिया गया है कि बच्चे न देखें, परन्तु उसका भी पालन नहीं होता है। उससे बच्चों का दिमाग बहुत कुत्सित हो जाता है, और उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और वे सब गलत रास्ते पर चलने लग जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे ऐसे गानों की नकल करते हैं, और उनके हृदय, उनके दिमाग और उनके चरित्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि हम राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो सिनेमा के जरिये जो अपने देश के नागरिकों का चरित्र बिगड़ रहा है तो इसके लिए हमें सोचना है। इससे जो आमदनी हो रही है वह पूंजीपतियों को हो रही है और बड़े बड़े पूंजीपतियों को हो रही हैं, क्योंकि इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। मैं तो यह चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार यह सोचे क्योंकि यह उनका विषय है। जब

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, जनरल इन्श्योरेन्स के राष्ट्रीयकरण के बारे में सोच रहें हैं तो विशेष रूप से जोर देता हूं कि सिनेमाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। अगर सिनेमाओं का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया तो सिनेमा हमारे देश को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, और देश नीचे गिरेगा, हमारा चरित्र बिगड़ेगा और हमारे में अनुशासनहीनता आएगी। वे कैसी कैसी गन्दी कहानी, लव अफेयर्स और चुम्बन के बारे में इजहार करते हैं। इस प्रकार के गन्दे चुम्बन वगैरह की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में पार्लियामेन्ट में भी बहुत डिस्कशन हुआ है उसको सिनेमा में क्या आवश्यकता है चुम्बन के बारे में ? अभी तक लव अफेयर्स सिनेमा में ऐसे होते हैं कि अगर देखते हैं तो बहुत ही बुरा असर पड़ता है। हम शिक्षा के बारे में सोचते हैं और उसमें परिवर्तन करने के बारे में सोचते हैं परन्तु सिनेमाओं के बारे में नीति निर्धारित नहीं करते हैं। तो हमें कोई न कोई नीति निर्धारित करनी पड़ेगी ...

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के आपस में बात करने पर) आपस में बात न करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यदि हम देश का सर्वनाश नहीं देखना चाहते हैं, यदि प्रजातन्त्र को देश में सफल बनाना चाहते हैं प्रजातंत्रको मजबूत बनानाचाहते हैं तो महत्वपूर्ण बातों के लिए सोचना पड़ेगा, कुछ महत्वपूर्ण बातों के लिए चिन्तन करना पड़ेगा। इस प्रकार से सिनेमाओं में लव अफेयर्स दिखाकर इस प्रकार से हमारे नौजवानों की प्रवृत्तियों में कुत्सित भावनाएं जाग्रत करते हैं उनके प्रति उदासीनता ही नहीं बरतनी होगी बल्कि उनको बन्द करना होगा और उन पर प्रतिबन्ध लगाना होगा। अगर हम यह नहीं करेंगे तो दिनोंदिन हम हमारे देश का विनाश करेंगे। हम महात्मा गांधी को मानते हैं और महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं परन्तु उनके उपदेशों पर चलते कहां हैं ? उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की निकम्मी कहानियां और उपन्यास जब पढ़ते हैं तो अपने आपको बरबाद करते हैं और अपनी आदतों को बरबाद करते हैं और इस प्रकार की प्राप्त पूंजी से राष्ट्र को बनाना चाहते हैं तो वह नहीं होना चाहिए। हम टैक्स इसलिए लगाना चाहते हैं कि राष्ट्र का विकास हो। हम इसलिए टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं कि जिससे राष्ट्र का विनाश हो। इसलिए हमें राष्ट्र के विकास के लिए हमें इस पर चिन्तन करना चाहिए। इन सिनेमाओं का राष्ट्रीयकरण करने के लिए राजस्थान गवर्नमेन्ट केन्द्र पर दबाव डाले, विधानसभा दबाव डाले कि चलचित्रों के द्वारा हमारी धर्मनिरपेक्षता की जो नीति है उसका प्रचार करें, राष्ट्रीयता की भावना पैदा करें, नवयुवकों में अनुशासन पैदा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इस प्रकार के सिनेमा होंगे तो मनोरंजन होगा हमारे राष्ट्र का भी भला होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मेरे विचारों पर विचार होकर उन्हें मान्यता दी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय आधा घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि विषय पर ही बोलें और समय सीमा पर आप लोग पूरी तरह से चलेंगे। एक दो माननीय

(श्री उपाध्यक्ष)

सदस्यों ने शुरूग्रात की और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी शुरू कर दिया कि मानों विचारणीय विषय यही हो। इसलिए मुख्य जो अपना सीमित विषय है उससे बिल्कुल हटकर दूर चले गये। इसलिए चुम्बन और सिनेमा इन सबसे वापिस हों और विधेयक के ऊपर जो संशोधन ग्राए हैं उन पर ग्रा जाना चाहिए। समय-सीमा १० मिनिट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चुम्बन और सिनेमा में ग्रासन की रूचि नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : कुछ खामियां हैं।

ग्रार्डर प्लीज,

श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, एन्टरटेनमेन्ट टैक्स स्वायत्त संस्थाग्रों को सौंपा जाय-इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के विचार ग्राये हैं, मैं विषय में अधिक न जाते हुए केवल राज्य सरकार को यह कहना चाहूंगा कि प्रारम्भ के ग्रन्दर जिस समय राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि एन्टरटेनमेंट टैक्स की वसूली कार्मशियल टैक्सेशन डिपार्टमेंट अपने हाथ में ले, उस समय यह निश्चित मान्यता थी और सदन को इस प्रकार का विश्वास दिलाया था कि जो आय एन्टरटेनमेन्ट टैक्स से प्राप्त होगी वह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज निकालने बाद में नगरपालिकाग्रों को सौंप दी जायगी। लेकिन बड़े दुःख के साथ, कहना पड़ता है कि १९६१-६२ के ग्रासपास जिस समय इस एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की वसूली सरकार ने अपने हाथ के ग्रन्दर ली उस समय तीन साल का एवरेज निकाल कर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज निकाल कर नगरपालिकाग्रों को सौंप दी। ग्राज १९६१-६२ के बाद में १९७० चल रहा है, इस बीच नौ दस साल का समय निकल चुका है, लेकिन नगरपालिकाग्रों को जो ग्राज शेयर दिया जाता है, वह १९६१-६२ में जो एवरेज निकाला गया था उसी के ग्राधार पर ग्राज तक दिया जाता है। १९६१-६२ के ग्रन्दर इस एन्टरटेनमेन्ट टैक्स से ग्राय राज्य सरकार को थी वह ३२ लाख ४१ हजार की थी, जब कि ग्राज १९७०-७१ में वह ग्राय बढ़ कर १०५ लाख हो गई है, लेकिन ग्राज भी नगरपालिकाग्रों को जो शेयर दिया जाता है वह केवल ३२ लाख के ग्राधार पर दिया जा रहा है, इस बढ़ी हुई ग्राय १०५ लाख के ग्राधार पर नहीं दिया जा रहा है, अगर शेष ७३ लाख का शेयर नगरपालिकाग्रों को दिया जाय, जिसके अधिकारी वह हैं और जिसको वसूल करने का अधिकार नगरपालिकाग्रों का है, तो मैं समझता हूं कि नगरपालिकाग्रों की स्थिति काफी सुधर सकती है। मेरा निवेदन है कि एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की वसूली सबसे साधारण है, जिसकी वसूली सबसे साधारण है क्योंकि उसकी वसूली चन्द पूंजीपतियों से करनी होती है, उसको वसूल करने का अधिकार तो राज्य सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है और जो हाउस टैक्स है और दूसरे दूसरे टैक्स हैं उनको वसूल करने का जिम्मा नगरपालिकाग्रों के ऊपर डालना चाहती है। इसके पीछे तर्क क्या है? वह टैक्स ग्रासानी से वसूल किया जा सकता है, कम से कम लोगों से वसूल किया जा सकता है और जिससे ग्रामदनी काफी हो जाती है उसका तो राज्य सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है लेकिन जो दूसरे टैक्सेज हैं, जो काम्प्लीकेटेड हैं और इलेक्टेड पर्सनल जो गली और बाजारों से ग्राते

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

हैं, वहां रहने वाले लोगों से जिसका सम्बन्ध है उसको वसूल करने का अधिकार नगरपालिकाओं के हाथ में रखना चाहते हैं और एन्टरटेनमेन्ट टैक्स को वसूल करने का अधिकार नगरपालिकाओं के हाथ में नहीं रखना चाहते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि १०५ लाख की आमदनी है वह सारी आमदनी वास्तविक अधिकारी होने के आधार पर नगरपालिका को ट्रांसफर नहीं किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक स्थिति है कि १९६१ ६२ के आधार पर एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की जो वसूली है उसका शेअर नगरपालिकाओं को दिया जाता है और उस टैक्स को राजनैतिक आधार पर नगरपालिकाओं को ट्रांसफर नहीं किया जाता है और इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको वसूली राज्य सरकार अपने हाथ में रखे और उसे वसूल करने का अधिकार लोकल बाडीज को दे दे।

दूसरा मेरा निवेदन है कि आज एन्टरटेनमेंट टैक्स की रेट के बारे में विचार चला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम दर की बात करते हैं, दर को घटाने बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इस बिल के अन्दर जो है इसको गम्भीरता से देखा जाय तो पता चलता है कि नौकरशाही राज्य सरकार के ऊपर कितनी हावी है और अपनी इच्छा से इस कानून में संशोधन लाकर उसको अपने पक्ष में विधान सभा से पास कराना चाहती है। मैं नहीं जानता कि वित्त मन्त्री जी ने इसको गम्भीरता से देखा है या नहीं, इसलिए मैं क्लाज तीन की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके अन्दर जो संशोधन चाहा है इसके पीछे मन्शा क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, आज तांगे वाले रिक्शा वाले गरीब आदमी जो टिकट कम पैसे का लेकर सिनेमा देखने जाते हैं उनको भी एन्टरटेनमेन्ट टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ जो नौकरशाही के लोग हैं जिनको फ्री पास मिलते हैं, जिनको अभी एप्रोच के कारण, जिनके दबाव के कारण फ्री पास मिलते हैं सिनेमाघर में जाने के लिए उनको अभी एन्टरटेनमेन्ट टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इस कानून में एक समाजवादी संशोधन मन्त्री जी यह लाए हैं कि यह जो प्रेक्टिस अभी है उसके अन्दर संशोधन करके उनको एन्टरटेनमेन्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पास लेकर सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, उनके लिए इस क्लाज तीन के द्वारा वित्त मन्त्री जी यह अधिकार लेना चाह रहे हैं विधान सभा से कि यह डब्ल्यू.टी. सिनेमा में जाने वाले लोग हैं उनको एन्टरटेनमेन्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं इस क्लाज की ओर, आपकी मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पहले जो सेक्शन पांच था उसके अन्दर इस प्रकार से था:

(५.३५ म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

"..the entertainments tax shall be levied in respect of each person admitted to the entertainments."

यह धारा थी जिसके अनुसार कोई व्यक्ति सिनेमा घर के अन्दर टिकट या बिना टिकट एडमीशन ले लेता है तो उसको एन्टरटेनमेंट टैक्स देना लाजिमी था, अनिवार्य था, लेकिन अब क्लाज लाया गया है इसके अन्दर यह संशोधन किया गया है, जो इस प्रकार से है :

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

"5. Manner of payment of tax.—Subject to the other provisions of this Act, the entertainments tax shall be levied in respect of each person admitted to the entertainment on payment."

अब आप यह चाहते हैं कि पेमेन्ट देकर जो एडमीशन लेगा उस पर एन्टरटेनमेंट टैक्स लगेगा लेकिन जो फ्री पास लेकर सिनेमा घर में जायेगा उसके ऊपर एन्टरटेनमेंट टैक्स नहीं लगेगा। मैं समझता हूं कि नौकरशाही की तरफ से जो यह संशोधन बिल आपको दे दिया गया है इस पर आपने गौर नही किया है, वरना आपके पास क्या तर्क है, एक आदमी दिन भर मजदूरी करके थक कर, महनत करके सिनेमा देखने जाता है उसको तो एन्टरटेनमेंट टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन नौकरशाही के लोग जो अपने दबाब से, अपने रौब से, अपने कारनामों से फ्री टिकट लेकर पास लेकर सिनेमा देखने चले जाते हैं उनका एन्टरटेनमेंट टैक्स आप माफ करना चाहते हैं ? मैं समझता हूं कि इसको आप किसी प्रकार भी तर्कसंगत नहीं बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह बिल के अन्दर क्लाज तीन है, इसका पार्ट १ है, इसको आप विथड्रा करेंगे—यह आशा लेकर मैं चलता हूं।

सभापति महोदय, स्थिति यहां तक ही नहीं है, सिनेमा के बारे में जो बात कही गई है....

श्री मथुरादास माथुर : (वित्त मन्त्री): मैं कह दूं जिससे गलतफहमी न रह जाय। Section 4 sub part (iv) of the manual..

श्री कृष्णकुमार गोयल : आफ वी ?

श्री मथुरादास माथुर : Section 4 Sub part IV of the manual है उसमें लिख दिया गया है : "The entertainments tax shall be levied and paid to the State Government also on every complimentary ticket issued by the proprietor for every entertainment as if full payment had been made for admission.. ." बिना उस पास के उसको बैठा लें तो हमारे टैक्स के पर्पज के लिए it shall be deemed to have been on payment. आपको गलतफहमी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप बता रहे हैं वह समझ में आता है लेकिन क्लाज ५ में जो संशोधन किया गया है, फर्स्ट पार्ट के अन्दर वह है :

"Subject to the other provisions of this Act, the entertainments tax shall—

(i) be levied in respect of each person admitted on payment."

यह जो शब्द इस्तेमाल किये हैं. .

श्री मथुरादास माथुर : आन पेमेन्ट है Now what is 'on payment' for the purposes of this Act ? उसमें आगे साफ कर दिया गया है :

Those not paying shall also

(श्री मथुरादासमाथुर)

be deened to have been admitted on payment.

श्री कृष्णकुमार गोयल : अगला सेक्शन।

श्री मथुरादास माथुर : सुनिये। कोई सिनेमा चला जाता है, वह अपने भाई को ले जाता है, आप सरकारी आफिसर को छोड़ दीजिये, वह अपने भाई को ले जाता है तो वह सिनेमा का टिकट नहीं लेगा लेकिन मैं तो अपना टैक्स लूंगा। इसको साफ कर दिया गया है। फ्री पास ले, उसके लिये तो मै प्रेस नही कर सकता, न आप कर सकते हैं लेकिन मेरा एन्टरटेनमेंट टैक्स तो देना पड़ेगा, यह स्पष्ट किया गया है : "The entertainments tax shall be levied and paid to the State Government also on every complimentary ticket..."

श्री सभापति : कौनसा सेक्शन ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : सेक्शन पढ़ दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर इस क्लाज में कन्फ्यूजन क्रियेट करने का मतलब क्या है ?

श्री शंकरलाल : यह वर्ड्स 'on payment' क्यों लिखे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो सब्सटेंटिव क्लाज है वह कवर करेगा, जो सप्लीमेंन्ट्री क्लाज है वह मेन क्लाज को गवर्न नहीं कर सकता।

श्री मथुरादास माथुर : यह देखियेगा, मेन क्लाज।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कौनसा ?

श्री : मथुरादास माथुर : "The entertainment tax shall be levied and paid to the State Government also on every complimentary ticket issued by the proprietor for every entertainment as if full payment had been made for admission."

श्री कृष्णकुमार गोयल : सेक्शन ?

श्री मथुरादास माथुर : ९७ पेज।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सेक्शन कौन सा है ?

श्री मथुरादास माथुर : ४।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पढ़ दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : "The entertainment tax shall be levied and paid to State Government also on every complimentary ticket issued by the proprietor for every entertainment as if full payment had been made for admission." वेरी क्लीयर।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज जो भी सिनेमा हो, यह सिनेमा हमारे राष्ट्र के चरित्र के लिए बहुत आवश्यक हैं। आज जिस प्रकार के चित्र देश के अन्दर चलेंगे उसी प्रकार का चरित्र निर्माण देश के अन्दर होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आज जिस प्रकार की

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पिक्चर होती हैं वह हमारी भावनाओं पर असर डालती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रकार के चित्र हों और इस प्रकार के नहीं हों। आज इस प्रकार की पिक्चर होती हैं जो हमारे चरित्र और मानस पर असर डाल कर चलती है। आपको पता होगा, प्रेम पुजारी चित्र है उसमें कोई चीज आब्जेक्शनेबल नहीं थी कि जिसके कारण कहा जा सके कि लोगों द्वारा तोड़ फोड़ की जायगी। लेकिन आपको पता है कलकत्ता में सिनेमा घरों में प्रेम पुजारी पिक्चर को लेकर क्या घटनायें हुई उसी पिक्चर में चीन का नाम आने से, चीन के चरित्र को बतलाने से कलकत्ता के सिनेमा घरों में तोड़ फोड़ हो सकती है बहुत से चित्रों में जिस प्रकार की कहानी होती है, जिस प्रकार के उसमें कथानक होते हैं और जिस प्रकार के उसमें वार्तालाप होते हैं वह हमारे राष्ट्र के चरित्र पर अवश्य असर डालते हैं।

सभापति महोदय, इसके सम्बन्ध में अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज राम प्रकाश सिनेमा की बात चली थी, वित्त मंत्री महोदय मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जैम्स सिनेमा में लाखों का घोटाला चल रहा है जमीन को ले कर और वह सरकार के सामने विचाराधीन है...

श्री मथुरादास माथुर : Is it within the scope of this Bill? I want to know. I have no facts to reply to the hon. Member's allegations.

श्री सभापति : यह कठिनाई सही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह कठिनाई सही है पर इस विधेयक का सीधा सम्बन्ध सिनेमा से है इसलिये मैं इतना कहना चाहूंगा कि जेम्स सिनेमा के सम्बन्ध में लाखों का मामला सरकार के विचाराधीन है, मुख्य मंत्री जी से रिश्ता हो रहा है. इस लिये इसका अवश्य ध्यान रखें कि कहीं उल्टा दहेज लड़के वाले के यहां से लड़की वाले की तरफ नहीं चला जाय। यह लाखों का मामला वाइप आउट हो जाय, ऐसा नहीं हो।

(श्री रामानन्द अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री मथुरादास माथुर : समाजवाद आ गया है अब काफी है, मैं उत्तर दे दूं।

श्री सभापति : श्री गोकुल प्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री हरिवल्लभ शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : माननीय सभापति महोदय, एन्टरटेनमेंट टैक्स के संबंध में, जो यह संशोधनबिल लायागया है, उसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिये मेरा भी प्रस्ताव था। सन् १९६२ में जिस समय यह बिल पहले पहल सदन में लाया गया था तो उस

(श्री श्रवणलाल)

समय में नगरपालिकाऐं यह एन्टरटेनमेंट टैक्स वसूल करती थी, उसे सरकार ने यह कह कर अपने हाथ में ले लिया था कि उसकी आमदनी का औसत निकाल कर इस टैक्स से होने वाली आय का एक निश्चित हिस्सा नगरपालिकाओं को दे दिया जायगा। पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। सभापति महोदय, आज नगरपालिकाओं की हालत सारे राजस्थान में बड़ी दयनीय है। पहले नगरपालिकाएं, उनके क्षेत्रों में सिनेमा चलते थे उनसे मनोरंजन कर वसूल करती थीं, चुंगियों के द्वारा उनको आय होती थी और इस तरह से होने वाली आमदनी को नगर पालिकऐं शहरों की गन्दगी को दूर करने के लिये, नये नये प्लान बनाने के लिये खर्च करती थी और उसकाकाम सुचारू रूपसे चलता था। पर ६२ से सरकार ने नगर पालिकाओं को जो मनोरंजन कर से आमदनी होती थी, उसको अपने हाथ में लेकर नगर पालिकाओं की माली हालत को बड़ा भारी धक्का पहुंचाया है। इस आमदनी का हिस्सा सरकार उन्हीं नगर पालिकाओं को देती है जिसमें सरकार की किसी प्रकार की ड्यूज न हों। आज नगर पालिकाओं में अनेकों प्रकार का पैसा नल बिजली आदि का पैसा बकाया होता है, तो इस कर से जो सरकार को आमदनी होती है उसका हिस्सा उन नगरपालिकाओं को न देकर इस बकाया में एड्जस्ट कर लिया जाता है। नगरपालिकाओं को चुंगी से भी आमदनी होती थी वह आमदनी भी सरकार ने अपने हाथ में ले कर नगर पालिकाओं को बिल्कुल निरर्थक और पंगु बना दिया है। ६२में मनोरंजन कर से २० लाख की आमदनी होती थी वह आज १०५ लाख हो गई है लेकिन नगरपालिकाओं को ३२ लाख ही देते हैं, जब कि १०५ लाख की आय होती है, उसके अनुपात से देना चाहिये, अगर नगरपालिकाओं को इस १०५ लाख की आय के अनुपात से दिया जाय तो नगर पालिकाओं की हालत ठीक हो सकती है।

आज प्रश्नकाल में एक नगरपालिका के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया था, मन्त्री महोदय ने बताया कि नगर पालिकाओं में जो स्वीपर्स थे। उनकी बकाया के सम्बन्ध में, वेतन भत्ते के सम्बन्ध में कर्मचारियों को कोर्ट से कुर्की करवानी पड़ी, पर कुर्की के बाद भी वह नगरपालिका अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं चुका पाई। ६२ से ७० तक उस नगरपालिका में मजदूरों का स्वीपरों का जो रात दिन महनत करते हैं, उनका पैसा बकाया है, उसको नहीं चुका पाये। क्योंकि उस नगरपालिका की हालत जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया ठीक नहीं है। ठीक इसलिये नहीं है कि जो नगरपालिकाओं के साधन थे, हाउस टैक्स, चुंगी, एन्टरटेनमेंट टैक्स आदि वे सब सरकार ने अपने हाथ में ले लिये हैं।

मेरा यह सुझाव है इस कि प्रकार का मनोरंजन कर चाहे म्युनिसिपैलिटियां दूसरे टैक्स लगाती हैं, उनमें राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का दखल नहीं करना चाहिये ताकि नगर पालिकाएं इन टैक्सेज़ से अपनी आमदनी कर के अपने क्षेत्रों की सफाई आदि योजनाओं कोपूरी कर सकें। आज सिनेमा में किस प्रकार टैक्सेज की चोरी होती है। हो सकता है कि यहां जयपुर में सर्विस टिकट लगाये जाते हों पर जयपुर के बाहर जो नगरपालिकाओं में सिनेमा घर हैं उनमें सर्विस टिकट नहीं चिपकाये जाते हैं और धांधलेबाजी चलती रहती है, इस तरह से इस टैक्स की चोरी होती है। नगर-

(श्री भवरलाल)

पालिकाओं की माली हालत को सुधारने का एक मात्र तरीका यही है कि मनोरंजन कर से आज तक जितनी आय सरकारको हुई है वह सारी की सारी नगरपालिकाओं को दे देनी चाहिये, जिससे कि वे अपने यहां सफाई रख सकें और अपनी योजनाओं को पूरा कर सकें।

इसके साथ ही साथ सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे छोटे शहरों को लें, चाहे बड़े शहरों का लें, उन सिनेमाघरों की इस प्रकार की हालत है कि लोग सिनेमा देखने जाते हैं, वहां सिनेमा घरों में किसी प्रकार लाइट का इन्तजाम नहीं होता है, बाथरूम लेट्रिन की व्यवस्था नहीं होती है, और सिनेमा घर के पास गार्डन होना चाहिए वह गार्डन नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था होते हुए भी आप दिन ब दिन टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, यह शोभा की बात नहीं है।

आज मजदूर सबसे ज्यादा सिनेमा देखने जाते हैं, मजदूर चाहे फैक्टरी में काम करने वाले हों, चाहे रिक्शा चलाने वाले हों, चाहे ठेला चलाने वाले हों, वे अपने काम से आते ही सिनेमा में जाते हैं, अपने थके हुए माइन्ड को शान्ति देने के लिए, दो तीन घन्टे मनोरंजन करने जाते हैं, वहां उनको धक्के खाने पड़ते हैं। तो मेरा यह कहना है कि जो छोटी क्लासेज हैं उनके टिकट पर किसी प्रकार का एन्टरटेनमेन्ट टैक्स नहीं होना चाहिए और उनको यह सुविधा होनी चाहिए कि जिस प्रकार कई फिल्म्स सेल्स टैक्स से मुक्त होती हैं उसी तरह से इन छोटी क्लासेज को एन्टरटेनमेंट टैक्स से मुक्त कर देना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आज सिनेमा मालिकों में लाखोंकी टैक्सेजकी बकाया है। टैक्सेज की बकाया के मामले जोधपुर, जयपुर, बीकानेर कहीं चले जाईये, सिनेमा के मालिकोंमें लाखों रुपया बकाया हैं। गवर्नमेंट के दिए हुए आंकड़ों को देखने से मालूम होगा कि एक एक पिक्चर पर ४३-४३ हजार रुपये टैक्स के बकाया हैं। यह टोटल बकाया कम से कम दो लाख के करीब है। यह बकाया अब से नहीं काफी समय से चली आ रही है। राजस्थान में या किसी विभाग में कार्यवाही चल रही है मुझे यह दीख रहा है कि जिस प्रकार से शराब के लिए दो लाख का राइट ओफ हुआ उसी प्रकार से जेम सिनेमा से सम्बन्ध होने से यह भी राइट ओफ हो जावेगा। ढिलाई

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

नहीं होनी चाहिए। ढिलाई होने से हरएक को कहने का मौका रहता है। शराब के ठेकों की बकाया माफ हो गयी तो हमारा भी माफ होगा इसलिए तुरन्त इस पर विचार किया जाय।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि टैक्स की चोरी होती है और वह नहीं पकड़ी जाती है। लेकिन उसका कारण होता है सिनेमा ऐरे गैरे के नहीं होते हैं। लखपति ही चलाते हैं। रेंड हैन्डेड पकड़े जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, दबाव के कारण छूट जाते हैं। गंगापुर का टाकीज है। नाजायज तौर से जमीन पर कब्जा करके बना लिया, पैसा नहीं चुकाया। कोई कार्यवाही नहीं करते। केसेज कोर्ट में चालान किये हों, उसकी परवाह नहीं करता। हमारा विधायक राज्य सरकार में बैठा है इसलिए कुछ भी करें। जमीन का कुछ नहीं दें। लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस-

(श्री श्रवणलाल)

लिए, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि सिनेमा में टैक्स की चोरी होती है उसको राइट ग्रोफ न किया जाय और सख्ती से कार्यवाही करके वसूल किया जाय।

श्री सभापति : श्री गोकुल प्रसाद।

(अनुपस्थित)

प्रवर समिति को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में :

श्री हरिवल्लभ शर्मा

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय....

श्री सभापति : श्री आर्य आप बोलना चाहते हैं ? पांच मिनिट बोल लीजिए।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सभापति महोदय, राजस्थान मनोरंजन कर तथा विज्ञापन संशोधन विधेयक, १६७० के सम्बन्ध में मैंने भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय इस सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मनोरंजन कर जिस प्रकार से राजस्थान में लगा रखा है और अब इसमें नया संशोधन किया जा रहा है....

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, टाइम सदन का बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि इस बिल के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

इस के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, मेलों में छोटे छोटे तमाशे दिखाये जाते हैं जिनका टिकट बहुत कम होता है उनसे भी टैक्स लिया जाता है, तो इस प्रकार के मनोरंजन के जो साधन हैं उन पर टैक्स नहीं लगने चाहिये। उनकी फीस दो चार आना होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में और कोई साधन ऐसा नहीं है कि जिससे मनोरंजन मिले। क्योंकि शहरों में तो सिनेमा भी होते हैं, थियेटर भी होते हैं, नाचघर भी होते हैं और दूसरे प्रकार के साधन होते हैं देहातों में और खास तौर से मेलों में जो छोटे २ साधन हैं मनोरंजन के उन पर आपने टैक्स लगा रखा है उनको समाप्त कर दिया जाय ताकि छोटे कस्बों में मनोरंजन के साधनों का फायदा उठा सकें। सरकार को इससे विशेष कोई फायदा नहीं होता। मिल मिला कर आधा टैक्स भी सरकार के खजाने में नहीं जाता। सिनेमा घर में जो थर्ड क्लास की टिकट लेते हैं उन पर कोई मनोरंजन टैक्स नहीं लगना चाहिये। इसके बारे में सतीशचन्द्रजी ने कह दिया है। यदि समाजवाद सरकार घोषणा करती है तो गरीब का ख्याल करना चाहिये और मनोरंजन के रूप में जो छोटे २ साधन हैं उन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। यह होने वाला तो नहीं है क्योंकि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। राजस्थान

(श्री रामचन्द्र आर्य)

सरकार दुहाई देती है समाजवाद की और काम ऐसा करती है जो समाजवाद से कोसों दूर है। वित्त मंत्री जी ने टेलीफोन के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। समाजवाद की बात करते हैं। ६८ हजार रुपया टेलीफोन पर खर्च होता है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे टेलीफोन पर कई बातें हुई।

श्री रामचन्द्र आर्य : चुनाव में टेलीफोन पर आपका ३५ हजार का खर्चा है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं मौका ही चाहता था, सभापति महोदय, क्योंकि यहां पर उत्तर के अन्दर मेरे टेलीफोन बिल्स पर यह जवाब दिया गया और उत्तर में कहा गया कि ६५ हजार के बिल हैं जनवरी से अप्रेल तक के। माननीय सदस्य ने भी कहा। दो तीन दफा कह चुके हैं। मैंने वेरिफाई कराया है। ये आंकड़े गलत हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन महीनों में ३४,७१७ रुपये मेरे टेलीफोन के बिल हैं। ६५ हजार के आंकड़े बताये वे गलत हैं। पुराने बिल्स जो पेमेन्ट नहीं किये थे वे भी इस पीरियड में पेमेन्ट किये गये। उसको जोड़ कर ६५ हजार कह दिया।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने बार बार पूछा मैं आपको चेलेन्ज करता हूं। आप यह गलत उत्तर दे रहे हैं। जिस तरह से प्रश्नोत्तर दिया गया है इतना ही टेलीफोन का खर्च है और चुनाव के दिनों में दो महीनों में ३५ हजार का खर्चा किया है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं टेबिल पर रख देता हूं।

श्री श्रवणलाल : तो माननीय मंत्री यह एग्री करते हैं कि जो लिखित में उत्तर दिया गया है वह गलत दिया गया है।

श्री मथुरादास माथुर : यही तो मैं कहता हूं।

श्री श्रवणलाल : तो वह किसकी जिम्मेदारी थी ?

श्री मथुरादास माथुर : करेक्शन का तो अधिकार है।

श्री रामचन्द्र आर्य : चुनाव के दौरान में आपके टेलीफोन बिलों का खर्चा ३५ हजार का आया है। इस प्रकार से आपके जो अनाप शनाप खर्चे होते हैं वे सब जनता पर पड़ते हैं। आज आप जो मजदूरों के मनोरंजन के साधन हैं उन पर भी टैक्स लगाने जा रहे हैं। यह आपको नहीं करना चाहिये। आप जिस प्रकार रहते हैं मानो बादशाह रहते हैं राजा लोग रहते हैं। जब गरीबों का सवाल आता है, गरीबों पर टैक्स माफ करने का तो नाम ही नहीं, लेकिन उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। आपको इसके लिये अपने दूसरे खर्चों में कमी करनी चाहिये और सरकारी खजाने में जिस सीगे से आमदनी ज्यादा है उस पर टैक्स लगना चाहिये आज गांवों में जो डोलर हिण्डा,चकरी आदि जो मनोरंजन के साधन हैं उनको भी आप नही छोड़ रहे हैं। आपके जो इस प्रकार के तौर तरीके हैं वे अच्छे नहीं है। इस प्रकार के जो छोटे छोटे टैक्स हैं उनको हटा देना चाहिये। ताकि गरीबों को सहूलियत मिले। आप एक तरफ तो समाजवाद की घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ गरीबों को जो मनोरंजन के साधन हैं उन पर

(श्री रामचन्द्र आर्य)

भी टैक्स लगाने जा रहे हैं आपकी कथनी और करनी में अन्तर रहता है। सभापति महोमय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह मनोरंजन कर बढ़ाया गया है वह इन को वापिस लेना चाहिये और इस तरह से जितने भी छोटे छोटे मनोरंजन के साधन हैं जिन पर टैक्स लगाया है उनको हटाया जाय।

टेलीफोन के बारे में आपने जो जवाब दिया है वह गलत है। आप लिखकर दे दीजिये। हम इन्क्वायरी करायेंगे।

श्री सभापति : श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय सभापति महोदय, यह जो मनोरंजन कर के संबन्ध में जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय इस प्रकार का मैंने प्रस्ताव रखा है।

सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप समाजवाद की बात करते हैं और उसके साथ साथ इस समाजवाद को विकेन्द्रित करना चाहते हैं तो फिर यह मनोरंजन कर लेने की इजाजत नगरपालिकाओं को क्यों नहीं देते? अगर आप वास्तव में लोकतान्त्रिक शासन के अन्तर्गत स्वायत्त शासन संस्थाओं को अधिक से अधिक अधिकार देंगे तो यह सबल हो सकेंगी। इससे यह भी होगा कि जो सेल्स टैक्स के अधिकारी हैं वे कहते हैं कि हमारे पास अधिक काम है उनसे यह काम हटा कर आप नगरपालिका को दें तो उनके पास भी कम काम हो जायगा। इस तरह से आप समाजवाद के अन्दर लोकतान्त्रिक व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं तो आपको ये विकेन्द्रित करने की योजना को आपको हाथमें लेना होगा, लेकिन आज आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

वित्त मंत्री महोदय यह आपको याद होगा कि हमने यह सुझाव दिया था कि सिनेमा के ऊपर कर और पेसेन्जर टैक्स जो आप वसूल करते हैं, वह नगरपालिकाओं को दे देने चाहिये इसके साथ साथ हमने यह भी कहा था कि रियासतों के समय के जो सिनेमा घर हैं या कुछ अन्य फैक्ट्रीज हैं वे रियासतों के समय में लीज पर दी हुई थीं। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करु कि कोटा के अन्दर जो उस समय सिनेमा हाल था वह लीज पर दिया था। आप की सरकार की लापरवाही के कारण जो लीज पर दिया गया था आज उसी व्यक्ति ने उस पर धीरे धीरे सारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। जो सरकारी अधिकारी हैं, वे उस ओर ध्यान नहीं देते हैं अगर आप जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियासतों के समय के सिनेमा घर और फैक्टरीज है, जिनको लीज पर दिया गया है। अगर उन की भूमि को नीलाम किया जाय तो लाखों रुपये की आमदनी हो सकती है।

आपने जिस समय यह एन्टरटेनमेंट टैक्स लगाने की बात कही थी उस समय आपने यह कहा था कि हम अपना एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा निकाल कर बाकी नगरपालिकाओं को देंगे लेकिन आप ऐसा करते नहीं है। इसी प्रकार से पैसेन्जर टैक्स के लिये भी आपने कहा था कि हम अपना एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा निकाल कर वह रोड्स कीमैंटीनेन्सके लिये पी.डब्ल्यू.डी. देंगे लेकिन वह भी नहीं दिया। सुगर चेरिटी फण्ड का जो रुपया है वह भी सरकार ने अपने काम में लिया है, जोधपुर जिलेकी सुगर चैरिटी फण्ड का रुपया है वह जिले के काम पर न लगाकर उसको जोधपुर की नल योजना पर

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

लगा दिया। जो पैसा गांवों में दिया जाना चाहिये था वह न देकर आपने अपने शहरों में उसको लगा दिया। आप इस तरह से अधिकार लेकर दुरुपयोग करते हो। गांव की जनता शक्कर खरीदती है अतः उनसे इकट्ठा किया हुआ पैसा है वह उनको मिलना चाहिये। आपने यह पैसा जोधपुर नगर में खर्च किया है....

श्री मथुरादास माथुर : यह गलत है।

श्री रणजीतसिंह : वह सहकारी समिति में रह गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपको चाहिए कि इस तरह से जो पैसा इकट्ठा हो वह ग्राम पंचायतों को दे देना चाहिए। आप अपने हाथ में उसको लगाने का न रखें।

श्री मथुरादास माथुर : (वित्त मन्त्री) सभापति महोदय, एन्टरटेनमेंट अमेंडमेंट बिल के सम्बन्ध में बिल के स्कोप के बाहर चर्चा हो गई खास तौर से दो तीन मुद्दे इस सिलसिले में उठाए गए। एक तो यह कि जो इस प्रकार से टैक्स वसूल करते हैं वह म्यूनिसिपैलिटीज़ को दे देना चाहिए और दूसरी बात यह कि जो कुछ राज्य सरकार ने वादा किया उसको राज्य सरकार पूरा नहीं कर रही है। इसी बिल पर बोलते हुए माननीय सदस्यों ने म्यूनिसिपैलिटीज के रेवेन्यू रिसोर्सेज की भी चर्चा करदी, यू० आई० टी० का भी जिक्र आ गया। यह चर्चा म्यूनिसिफल अमेण्डमेंट बिल पर होती तो ज्यादा अच्छा होता।

राजस्थान सरकार ने जब एन्टरटेनमेंट टैक्स लागू किया था उस वक्त इस बात का आश्वासन दिया गया था और तब हमने यह प्रोजोजन भी रखा १९५७ में जब यह एक्ट लागू किया गया कि जो म्यूनिसिपैलिटीज एन्टरटेनमेंट टैक्स लगाती थी उन म्यूनिसिपैलिटीज को जो लेवल आफ टैक्सेशन उस वक्त था हम उनको पेमेन्ट करते रहेंगे। उस पर अब भी हम चल रहे हैं।

आप उचित और गैर कानून की बात कहते हैं मैं यह भी कह सकता हूं कि भारत सरकार जो हमारे यहां के लोगों से इनकम टैक्स लेती है उसका बहुत थोड़ा हिस्सा हमें देती है। हमें वह पूरा मिलना चाहिये। लेकिन यह बात नहीं हो सकती।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वे गलती करते हैं तो आप क्यों गलती करें।

श्री मथुरादास माथुर : सवाल तो राइट्स और प्रिविलेजेज का है जिन म्यूनिसिपैलिटीज की आर्थिक हालत खराब है उनको ज्यादा फण्ड दिया जाय तो उसके लिए कई तरीके हैं जिनके आधार पर वे ले सकती हैं और लेती भी हैं। यह अलग से प्रश्न है। आज जो राजस्थान सरकार के कर हैं जो कुछ आपने कानून के अन्दर प्रावधान कर दिया है जिस पर सदन ने अपनी मुहर लगा दी है उससे अगर हम हटे हों तो आप कहिए। इस बारे में, मैंने अपने पड़ोसी राज्यों से भी जानकारी प्राप्त की है उनसे जो जवाब आया है वह मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात से हमने पूछा था कि आप एन्टरटेनमेंट टैक्स म्यूनिसिपैलिटीज़ को देते हैं क्या? उनको पूछा गया तो

Relevant information has been received from U. P., M.P., Punjab and Gujrat and in none

(श्री मथुरादास माथुर)

of these States Share of the entertainment tax is given to the Municipalities.

वह एक कोड़ी भी नहीं देते। यह मैंने म्यूनिसिपैलिटीज को लिखकर पूछा था। सभापति महोदय, इस प्रश्न को बहुत जोरों से उठाया था....

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन वह तो प्रजातन्त्र में भरोसा नहीं रखते। आप रखते हैं इसलिए यह पैसा नगरपालिकाओं को दे देना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : इनफर्मेशन जो आई तो आज के दिन उत्तर प्रदेश, पंजाब मध्य प्रदेश और गुजरात सभी हमारी बोर्डर स्टेट्स हैं।

In none of these states, share of the entertainment tax is given to the Municipalities. वह सिर्फ शो टैक्स लगाती हैं म्यूनिसिपैलिटीज और वह अपना ले लेते हैं। वह अलग बात है। गुजरात आज सरप्लस स्टेट है,पंजाब भी सरप्लस स्टेट है। तो मेरा निवेदन है कि हमारे पास की स्टेट्स भी यह टैक्स अपने पास ही रखती हैं और म्यूनिसिपैलिटीज को कुछ भी नहीं देतीं..

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह तो दूसरी स्टेट्स की तुलना में है। प्रारम्भ में राजस्थान के अन्दर तो यह एन्टरटेनमेन्ट टैक्स भी सोर्स आफ इनकम म्यूनिसिपैलिटीज का था और स्टेट्स में भी ऐसा हीं था....

श्री मथुरादास माथुर : फाइनेन्स कमीशन की फर्स्ट रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय हो गया था कि यह लेजीटीमेट राइट स्टेट का है। संविधान में जो तीन लिस्ट हैं स्टेट लिस्ट और सेन्ट्रल लिस्ट, और कानकरेन्ट लिस्ट। लोकल लिस्ट नहीं है। कोई लोकल लिस्ट बनाई जाये वह अलग बात है। नगरपालिकायें आज अपनी रेवेन्यू का हिसाब लेने की हकदार हैं। तो पंजाब मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश इसमें से एक पैसा भी नगरपालिकाओं को नहीं देते और ये चारों स्टेट अपने पास रख लेते हैं। नतीजा यह हुआ कि यहां पर भी लोगोंने कहना शुरु कर दिया कि जब वह स्टेट्स नहीं देती तो हम भी नहीं देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इनके अलावा बाकी स्टेट् तो देती हैं।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न था जो कि इस बिल से संबंध नहीं रखता था लेकिन फिर भी उसको यहां उठाया गया। उसके बारे में मैं थोड़ा सा कह देना चाहता हूं। फिल्मों में सेन्सर की बात है, रामकिशन जी चले गये, फिलासफी आफ सो मैनी थिंग्स से उन्होंने कहा उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। उनकी भाषा में तो वही कह सकते हैं लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि जो बिल मैं लेकर आया हूं वह दो तीनों को लेकर आया हूं, एक तो जो असेसमेंट हो जाता है अगर कम आ गया तो उसके लिए री असेसमेंट की पार्वस नहीं थी। तो एक तो यह री-असेसमेन्ट की पार्वस मांगी है। इसके अलावा सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं वह चाहे आर्मी में हों या नेवी में हों यूनीफार्म में नहीं हों और अगर आइडेन्टीफिकेशन कार्ड है तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाये। इसके अलावा और छोटे मोटे कान्सीक्वेन्शल अमेण्डमेन्ट्स हैं। इस बिल का कोई

(श्री मथुरादास माथुर)

बहुत बड़ा स्कोप नहीं है लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों ने नगरपालिकाओं पर भी चर्चा कर ली, पंचायती राज पर भी चर्चा कर ली और यू० आई० टी को भी बीच में लाकर उसके ऊपर भी चर्चा कर ली। अब कर ली तो अच्छा किया लेकिन मेरा निवेदन है कि एन्टर-टेनमेन्ट टैक्स लेजीटीमेटली प्राविन्शल स्टेट सबजेक्ट है।

अब सुझाव दिया गया और रामप्रकाश सिनेमा की बात कही गयी कि यह बिकने वाला है अभी तो इजेक्शन के लिए कोर्ट केस चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर कोई राज्य सरकार का बेचने का या नेगोसियेट करने का इरादा नहीं है। दूसरी बात माननीय सदस्यों ने जेम वाली बात कही तो वह तो हमारे कोर्ट्स में चल रहा मामला और अदालत का फैसला होगा वह मन्जूर किया जायगा। इसलिए इस पर ऐसी चिन्ता की बात नहीं है, यह दो बातें व्यक्तिगत तौर पर उठाई गई और मैंने उनके बारे में कह दिया। बाकी मेरा यह कहना है कि यह बिल बड़ा इन्नोसेन्ट है। यह कहा गया कि गांवों के अन्दर टैक्स नहीं लिया जाये। तो गावों में कहां है एन्टरटेनमेंट। मेरा मकसद तो सिनेमाओं से टैक्स लेना है।

इसके अलावा मैंने सदन में कह दिया था कि चार वर्षों में मैंने ३ फिल्मों को एग्जम्प्शन दिया है और वह भी भारत सरकार की रिक-मन्डेशन पर दिया है। उसके साथ ही साथ मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि रिट्रोस्पेक्टि-वली स्कूलों में कल्चरल प्रोग्राम्स हो जाते हैं या कोई एक्टीविटी हो जाती वह सी० टी० ओ० सप्लाई करते हैं तो मैंने सदन से पावर्स ली हैं। मैंने कभी किसी को एग्जम्प्शन नहीं दिया है क्योंकि रेवेन्यू में पहले ही बहुत शार्टफाल है। क्योंकि मैं मानता हूं कि लोग देखेंगे तो पैसा देकर और जो सिनेमा के टिकट का पैसा दे देगा तो टैक्स का भी पैसा देगा। यह बिल बड़ा इन्नोसेन्ट है इसलिए इसको पास किया जाये।

श्री सभापति : जो संशोधन के प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं उनको कोई वापिस लेना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो मेरे ही संशोधन हैं।

श्री सभापति : वह तो क्लाज बाई क्लाज आयेगा।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६९ में जनमत जानने हेतु प्रसारित किए जाने के संबंध में जो संशोधन के प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किए हैं उनको स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

(संशोधन प्रस्ताव गिर गए)

प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञा-पन कर (संशोधन) विधेयक, १९६९ को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

(विधेयक विचारार्थ लिया गया)

खण्ड २ और खण्ड ४ में कोई संशोधन नहीं हैं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड २ और ४ पारित किये जायें ?

(स्वीकृत)

(खण्ड २ और ४ पारित किये गये)

खण्ड-३

वित्त मन्त्रीजी अपना संशोधन पेश करें

श्री मथुरादास माथुर : In section 5, proposed to be substituted by this clause, after sub-section (2) add the following sub-section namely "(3) The proprietor shall submit such returns relating to payments for admission to an entertainment to such authority, in such manner and within such period as may be prescribed."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ३ में जो संशोधन का प्रस्ताव . .

श्री रामकिशन : अंग्रेजी में किया है समझ में नहीं आता क्या कर दिया है

श्री मथुरा दास माथुर : अंग्रेजी का एक्ट इसलिए अंग्रेजी में आना था ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ३ में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

(संशोधन स्वीकार किया गया)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड ३ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड-५

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, इसमें यह संशोधन है :

(1) In section 5 B proposed to be inserted bp this clause—

(a) omit the words 'returns and' occurring in the marginal heading;

(b) omit sub section (1);

(c) renumber sub—section (2), (3) and (4) as sub-section 5(1),(2) and (3) respectively;

(d) in sub-section (1) and (2) as so re-numbered for the expression "sub—section (1)", substitute "sub-section (3) of section 5 and sub-section(1); of secton 5A' and

(e) in sub-section (3) as so re-numbered for the expression "sub-section (2)'

(श्री मथुरादास माथुर)

substituted expression "this section;

(2) In section 5c proposed to be inserted by this clause, omit the word 'for' occurring between the words "entertainments or" and "exchibition."

In section 5 c proposed to be inserted, after the words "the financial year to which it pertains", the expression" and where it pertains to a period preceding the commencement of the Rajasthan Entertainments and Advertisemeut Tax (Amendment(Act, 1970, within a period of three years from the date of such commencement". shall be inserted.

श्रीसभापति · प्रश्न यह है कि खण्ड ५ में जो संशोधन के प्रस्ताव वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किए हैं वह स्वीकार किए जायें ?

(स्वीकृत)

(संशोधन स्वीकार किए गए)

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ५ संशोधित रूप से स्वीकार किया गया। खण्ड ६।

खण्ड ६

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है:--

In part a after sub part ii add the following sub part, namely—

(iii) providing for the rectification of mistakes apparent from the record of any assessment,appeal or revision and the period within which such rectification may be made."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ६ में जो संशोधन माननीय वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ६ संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लाज १ प्रिएम्बल टाइटल वगैरह, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लाज १ प्रिएम्बल, टाइटल आदि स्वीकार किये गये।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय मैं वह प्रस्ताव करता करता हूं कि राजस्थान एन्टरटेनमेंट एण्ड एडवंटाइजमेन्ट एमेंडमेंट बिल १६६६ को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही ६ बजकर २१ मिनिट पर दिनांक ३ अप्रेल, १६७० के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 280 की सूची)

स्टेटमेंट नगरपालिका छापर के हरिजन कर्मचारियों के
1 मार्च 1969 से 15-10-69 के बकाया वेतन का

क्रमांक	नाम कर्मचारी	कुल वेतन का योग
1-	श्री कालूराम सफाई जमादार	747-36
2-	श्री छानाराम झाड़ूकश	685-79
3-	श्री त्रिलोकाराम ,,	730-15
4-	श्री चौथूराम ,,	726-99
5-	श्रीमती सुखी ,,	730-12
6-	,, मनोहरी ,,	730-15
7-	,, लिछमा ,,	730-15
8-	,, भगवती ,,	730-15
9-	,, सरजू ,,	730-15
10-	,, गुन्नि ,,	713-42
11-	,, सुन्दर ,,	730-15
12-	श्री चौथू गाडिवान ,,	823-12
13-	श्री तबताराम ,,	827-30
		9856-03

नोट :—वर्ष 1966 के बकाया वेतन के रुपये 13,546 की डिग्री कोर्ट से हो चुकी हैं।

परिशिष्ट-2

(अ. प्र. सं. 513 की सूची)

क. सं.	नाम लेखक	नाम पुस्तक	तारीख स्वीकृति
१-	श्री गौरीशंकर गोस्वामी, सहायक शासन सचिव	कमपाईलेशन आफ कमपेडियन फोर गवर्नमेंट सर्वेन्टस्	15-5-65
2-	श्री तेजसिंह, उप नियोजन अधिकारी	दि एम्पलाइमेंट एक्सचेन्जेज् (कम्पलसरी नोटीफिकेशन आफ वेकेन्सीज्) एक्ट 1959 एण्ड रूल्स अलोंग विथ एक्सप्लेनेटरी नोट्स।	6-7-66
3-	श्री पी० सी० अग्रवाल, आर० जे० एस०	आर० जे० एस० परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर	10-1-67
4-	श्री जीवराज कानूनगो, आर० जे० एस०	1-सांभर झील में खेती 2-सांपों द्वारा चोरी	27-6-67
5-	श्री नगराज मेहता, आर० जे० एस०	सोल्व्ड् आर० जे० एस० एक्जामिनेशन पेपर्स।	23-6-69
६-	श्री डी० डी० गोस्वामी उप शासन सचिव, नियुक्ति	ला रिलेटिंग टू सर्विस एण्ड डिसीप्लिनरी प्रोसीडिंगस	21-5-69
7-	श्री जयकुमार जैन, आर० ए० एस०	लाज आफ सेल्स टैक्स एण्ड परचेज टैक्स इन राजस्थान	28-12-64
8-	श्री प्रहलादराय, आर० ए० एस०	1-आफेन्सेज एण्ड पेनल्टीज इन सेल्स टैक्स लाज। 2-वर्क्स कोण्ट्रेक्ट्स इन सेल्स टैक्स लाज।	19-1-70

———

परिशिष्ट 3
(अ० प्र० सं० 514 की सूची)

THERE ARE 31 KOTARIES UNDER RAJASTHAN GOVERNMENT IN THE BIKAOER HOUSE NEW DELHI WHICH ARE ALLOTED AS UNDER

S.No.	Name of the occupant	Designation & office	Kotaries occupied	Date from which occupied	Remarks,
	Staff-Rajasthan House, Bikaner House, New Delhi				
1.	Shri Ramesh chander former A/c clerk, Rajasthan House, New Delhi, Manager, C. H. Alwar.		3	July, 1966	
2,	Shrimati Amerjit Kapoor	-do-	2	(with kitchen & store etc,) April, 1959	
3,	Shri Ghanshyam driver	Motor Garage	1	(with kitchen & open space) April, 1965	
4.	Shri Madan Singh driver.	Motor Garage	1	(with Kitchen & open space) 1964	
5.	Shri Asha Ram driver	„	1	(with Kitchen & open space July,69.	
6.	Shri Chagan Lal cleaner	„	1	June, 69	
7.	Shri Raishi Prasad Farrash Bikaner House. Rajasthan		1	May, 64	
8.	Shri Durga Singh Deshi Cook	-do-	2	Jan., 55	
9.	Shri Ram Chandra Farrash	-do-	1	Oct., 60	
10.	Shri Swami Nath Gardener	-do-	1	Aug., 63	

S.No.	Nome of the occupant	Designation & office	Kotaries occupied	Date with occupied	Remarks.
11.	Shri Ram Niwas	„ -do-	1	Match, 65	
12.	Shri Suraj Singh Farrash	-do-	1	Oct., 65	
13.	Shri Vijay Singh Cowkidar.	-do-	1	March, 65	
14.	Shri Kisan Lal Waiter.	-do-	1	May, 64	
15.	Shri Mashi Charan Sweeper.	-do-	1 stable.	April, 68	
16.	Shri Shatrughan Singh Waiter	-do-	1	April, 60	
17.	Shrı Nanak Chanp Cycle Sawar	-do-	1	Oct., 55	
18.	Shri Sohan Sweeper.	-do-	1	March. 54	
19.	Shri Jhandn Washerman.	-do-	1 1	Since ers-twhile state of Bikaner,	
20.	Rajasthan State Roadways Corporation for their staff coming from Jaipur with the buses.		1		
21.	Shri D K., Rajasthan Emporium, Delhi		1	June, 68	
23.	Shri Rampal Peon	-do-	1	April, 62	
23.	Shri Rampal Peon.II	-do-	1	April, 62	
24.	Shri Bahadur Singh Peon	-do-	1	April, 62	
25.	Shri Kundan Singh Peon	-do-	1	April, 62	
26.	Shri Lal Chand	-do-	1	May, 68	
27.	Shri Chand sweeeper.		—	—	

Bikaner Houses- Garages 4,

Garage 3 for Rajasthan State Motor Garage's Cara.

Garage. 1 with the Rajasthan Emporium on rent of Rs. 50/- P.M-

Manager Residence. one (Shri Madan Gopal Vyas w.e.f. Nov., 1968) Three rooms, one Kitchen, Laterin and bath rooms ect. and one

room behind Bikaner House, Nain Building facing to circular garden.

Officer' Quarter-1

Shri R K. Vijay Jan, 1968
Marketing Officer of Rajasthan Emporium.
Four rooms, Kitchan 2, bathrooms 2, laterins 2.

In a temporary tinshed in Bikaner House,
Shri Shiv Murty Singh,Electrician P.W.D.Rajasthan Government hasbeen living since 1964.

———

परिशिष्ट ४

(प्र.प्र.सं. 517 की सूची)

Statement showing the irrigation and un-irrigated area in Hecteras

	Name of District	Irrigated area	Unirrigated area
1.	Ajmer	85,405	3,63,209
2.	Alwar	85,358	5,91,680
3.	Banswara	8,961	2,35,016
4.	Barmer	15,076	13,01,844
5.	Bharatpur	1,49,377	5,28,209
6.	Bhilwara	1,23,049	2,46,400
7.	Bikaner	150	6,08,461
8.	Buudi	80,215	1,72,752
9.	Chittor	75,904	3,11,717
10.	Churu	236	12,65,410
11.	Dungarpua	13,255	1,39,202
12.	Ganganagar	5,71,052	10,37,105
13.	Jaipur	1,29,285	7,08,979
14.	Jaisalmer	326	2,00,248
15.	Jalore	65,841	6,88,350
16.	Jhalawar	28,205	2,90,024
17.	Jhunjhunu	15,391	5,34,741
18:	Jodhpur	28,044	11,33,413
19.	Kotha	1,05,905	5,22,678
20.	Nagour	20,342	11,90,601
21.	Pali	1,22,125	5,26,504
22.	Swai Madhopur	65,369	4,81,110

	Name of District	Irrigated area	Unirrigated area
23.	Sikar	34,963	5,51,444
24.	Sirohi	51,645	1,42,566
25.	Tonk	68,200	4,24,514
26.	Udaipur	1,12,333	3,28,250
	Total :	21,40,758	1,45,15,943

Note : The area unirrigated has been calculated by substituting the area irrigated from total croppe area.
Source-Board of Revenue, Ajmer.

परिशिष्ट 5

(अ. प्र. सं 521 की सूची)

दिनांक ४-९-६८ को "ए" ब्रान्च, पी० एच० क्यू० से फाईल पी. एच. क्यू. (ए) इस्ट। डी० ई। (१६)। ६८ डी ई विरूद्ध श्री के०एन० गुप्ता आई० पी० एस० (२) एफ० सी० बंशीलाल नं० ३ की एस० आर० तथा पी० .एफ० फाइल (३) कोनफिडेन्सियल फाइल (४) बंशीलाल एफ० सी० नं. १६२ की एस० आर० व पी० एफ० फाइल अतिरिक्त अधिकारी अधीक्षक आरक्षी (अभियोजन), अपराध अनुसंधान शाखा, जयपुर के पास प्राप्त हुई थी। जिसका सम्बन्ध सर्व श्री के० एन० गुप्ता, आई० पी० एस० (२) रोशनसिंह, इन्सपेक्टर (३) जुगल किशोर, उप निरीक्षक से था और यह विभागीय जांच की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी। एफ० सी० बंशीलाल की एस० आर० पी० एफ० फायलें थी। जो इनकी टेबल पर पड़ी थी। दि० ९-११-६८ को ढूंढने पर नहीं मिला जिस पर अभियोग सं० ४६५ दि० २-१२-६८ धारा ३८०। २०४ भा द० सं० अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र मानक चौक, जयपुर में पंजीबद्ध हुआ। अभियोग का अनुसंधान राज्य अपराध शाखा में मुत्तकिल किया जाकर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसका अनुसंधान करवाया गया। अनुसंधान से अभियुक्तगण का कोई पता नहीं चलने के कारण दिनांक १९-३-६९ को अन्तिम प्रतिवेदन 'अदम पता' में दिया जा चुका है।

Page No. 158

परिशिष्ट ६

(अ.प्र.सं. १०७ की सूची)

ट्रैक्टरों के लिए आवेदन पत्रों की संख्या जिलेवार

क्रमांक	जिले का नाम	लीटर	रूमानिया 50अश्वशक्ति	आर.एस.09 25अश्वशक्ति	डी टी 14	60-65 अश्वशक्ति	35 अश्वशक्ति
1.	अजमेर	[illegible]	6	4	7	1	-
2.	अलवर	119	11	50	200	1	-
3.	बाडमेर	1	2	-	4	-	-
4.	बांसवाडा	1	2	1	2	-	-
5.	भीलवाडा	10	12	5	2	-	1
6.	बीकानेर	-	12	9	1	2	-
7.	बूंदी	4	14	4	8	-	-
8.	भरतपुर	448	18	41	232	-	13
9.	चित्तोड़गढ़	4	1	9	8	-	-
10.	चूरू	11	13	2	2	1	-
11.	डूंगरपुर	-	-	-	-	-	-
12.	गंगानगर	130	344	64	42	-	2
13.	जयपुर	219	59	60	165	1	14
14.	जैसलमेर	-	2	2	8	-	-
15.	जालौर	7	8	5	17	-	-
16.	झुंझनू	7	10	3	17	-	1
17.	जोधपुर	27	18	14	212	-	-
18.		30	5	17	40	-	3
19.		30	22	11	40	-	1
20.	पाली	10	16	9	93	-	-
21.	सवाईमाधोपुर	27	4	1	13	-	-
22.	सीकर	33	9	19	43	-	-
23.	सिरोही	2	1	1	2	-	-
24.	टोंक	10	1	5	13	-	2
25.	उदयपुर	3	1	3	6	-	-
26.	झालावाड़	-	1	3	-	-	-

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 370 की सूची)

सूची परिशिष्ट "क"

सूची साहूकारान तहसील झालरापाटन (जिला झालावाड़) जिनको लाइसेन्स अभी जारी नहीं हुऐ हैं।

क्र० सं०	नाम साहूकार	ग्राम का नाम
1-	मैसर्स ओंकारलाल हीरालाल	झालावाड
2-	मैसर्स शिवनाथसिंह अमरसिंह	झालावाड
3-	मैसर्स सत्यनारायण श्रीनाथ प्रसाद	झालावाड
4-	मैसर्स रामनिवास आनन्दीलाल	झालावाड
5-	मैसर्स कन्हैयालाल नन्दलाल पालीवाल	कनवाडा
6-	मैसर्स देवीलाल ओंकारलाल	परासली
7-	मैसर्स मोतीलाल मुकन्द कसारा	झालरापाटन
8-	मैसर्स टीकमचन्द्र माणकचन्द्र	बकानी
9-	मैसर्स चन्दरलाल भेरूलाल	बकानी
10-	मैसर्स चन्दरलाल सूरजमल	बकानी
11-	मैसर्स अगरचन्द पूनमचन्द	बकानी
12-	मैसर्स चम्पालाल तेजमल	बकानी
13-	मैसर्स शिवजी रामलाल	बकानी
14-	मैसर्स बालचन्द्र रखबचन्द	बकानी
15-	मैसर्स गेन्दमल बालचन्द	बकानी
16-	नारायण नन्दलाल	बकानी
17-	रूपचन्द्र मेघराज	बकानी
18-	देवलाल दीपचन्द	बकानी
19-	जड़ावचन्द्र रकमचन्द	बकानी
20-	मगनलाल गोरधनलाल	बकानी
21-	कन्हीराम रामलाल	बकानी

क्र.सं.	नाम साहूकार	ग्राम का नाम
22-	किशनलाल हजारीमल	झालरापाटन
23-	रामप्रसाद मांगीलाल	रटलाई
24-	मैसर्स पूरीलाल शंकरलाल	सलावद
25-	मैसर्स बापूलाल शंकरलाल	सलावद
26-	मैसर्स भैरुलाल जगन्नाथ	उछालों
27-	रतनलाल हजारीलाल	झालरापाटन
28-	मोहनलाल रमेशचन्द्र	बकानी
29-	शिवनारायण मदनलाल	बकानी
30-	रामचन्द्र बालकिशन	बकानी
31-	नाथूलाल कैलाशचन्द्र	बकानी
32-	नन्दलाल मांगीलाल राठौर	बकानी
33-	मुरली मनोहर बैंस गोपाल	बकानी
34-	भंवरलाल रामगोपाल	बकानी
35-	बालचन्द्र भवानीलाल सोनी	झलरापाटन
36-	किशनलाल प्रभूलाल कुरमी	जूना टोडा
37-	सीताराम सर्राफ	झालरापाटन
38-	राम प्रकाश रामनिवास	रटलाई
39-	शोभलाल रामविलास	बकानी
40-	नन्दराम नाथूलाल कुरमी	उण्डल
41-	भंवरलाल सांवरलाल	बकानी
42-	रामनारायण देवलाल	रटलाई
43-	पूरालाल रूपा लोधा	सलावद
44-	अमरचन्द रामलाल	सलाहवद
45-	लक्ष्मीनारायण श्रीकृष्ण	हरीपुरा
46-	भवंरलाल सरेमल	बकानी
46-	रतनलाल शंकरलाल	सलावद
48-	हरिशंकर कन्हैयालाल	बड़बड़
49-	रखबचन्द कासलीवाल	झालरापटन

क्र.सं.	नाम साहूकार	ग्राम का नाम
50-	रतनलाल नन्दकिशोर	नसीराबाद
51-	भैरूलाल मदनलाल	असनावर
52-	गजाधर मदनलाल	असनावर
53-	भूरलाल पूनमचन्द	रीछ्वा
54-	कल्याणमल हरीशंकर	झालरापाटन
55-	मैसर्स दलजी मनीराम	झालरापटन
56-	घीसालाल रामप्रसाद	रोछोना
57-	देवलाल हरप्रसाद	रीझोना
58-	नारायण बालचन्द	बकानी
59-	लल्लूसिंह घूलचन्द	सेमली
60-	नारायण दीपचन्द	बकानी
61-	रामनारायण भवानीलाल	घटोद
62-	श्री कृष्ण जगन्नाथ	दीहयोड़ी
63-	ओंकारलाल रामनारायण	मण्डावर
64-	मथरालाल जगन्नाथ	उखली
65-	रामप्रताप बद्रीलाल	मण्डावर
66-	प्रभूदास नानकबास	नसीराबाद
67-	सियाराम बसन्तीलाल	नसीराबाद
68-	पन्नालाल जयसिंह	सलावद
69-	गुलाम अब्बास एण्ड सन्स	झलरापाटन
70-	घासीलाल गोविन्दाजी सोनी	झालरापाटन
71-	जमनालाल मुकुन्दराम	झालावाड़
72-	नारायण मांगीलाल	बकानी
73-	केसरीलाल मांगीलाल	बकानी
74-	भैरुलाल सीताराम	रीझोना
75-	भंवरलाल पुरुषोत्तम	बकानी
76-	ओंकारलाल नारायण	मोतीपुरा

Page No. 162

क्र. सं.	नाम साहूकार	ग्राम का नाम
77-	लक्ष्मीचन्द नारायणलाल	मोतीपुरा
78-	बालचन्द कान्हा	सलावद
79-	लक्ष्मी नारायण मोतीदास	सलावद
80-	छोगालाल जीतमल	झालावाड़
81-	भंवरलाल मदनलाल	झालरापाटन
82-	मन्नालाल पन्नालाल	बकानी

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक 2 अप्रेल, 1970)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
2		10	चहिये	चाहिये
2	अन्तिम से	8	(कृपया आगे देखिए अनुपस्थित)	(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)
2		4	करेंगे ।	करेंगे:--
3		11	खेर्तासह	श्री खेर्तासह
6		22	अमानुदीन	अमीनुद्दीन
6		10	बय	बया
7		18	को	की
7	अन्तिम से	7	उनकी	उनको
11		8	सिंह	सिंह)
12	अन्तिम से	13	है	हैं
12		11	मिटिग	मिटिंग
12		11	लाती	जाती
14		3	राशी	राशि
14		6	इन	ये
14		6	को	--
14		7	आई	आईं
18	अन्तिम से	10	पहुंचई जती	पहुंचाई जाती
18		5	डें	है
21		शीर्ष	(देवीलाल बुरासिया)	(श्री देवीलाल बुरासिया)
22		6	बत	बात
25	अन्तिम से	1	निलश्वित	निलम्बित
33		10	सिफारिस करेंगे	सिफारिश करेंगे
34		9	भुगताक	भुगतान
36		4	श्री उपाध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
36		4	हें	है
38		2	गई	गईं

Page No. 164

1	2	3	4
-38	14	तालीका	तालिका
39 अन्तिम से	17	नियोजत	नियोजन
40	12	भरोंसिह्	भैरोंसिह्
40	8	निज्ञापन	विज्ञापन
63-64	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर-2 अप्रेल, 1970-तारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के-2 अप्रेल, 1970-तारांकित प्रश्नोत्तर
87	6	बिकानेर	बीकानेर
90	8	साजिस	साजिश
96	13	कस्टोडियम	कस्टोडियन
98	14	पत्र	पत्र
99 अन्तिम से	9	इन्सतेक्टरों	इन्सपेक्टरों
103	1	लायलेन्स	लायसेन्स
104	3	रउदी	रखदी
104 अन्तिम से	3	बानसर	बानसूर
105	17	न	से
105	1	क्तयव्य	वक्तव्य
106 अन्तिम से	1	गभे	गये
110	7	कुड़ी	कुड़ी :
110 अन्तिम से	11	स्थगत	स्थगन
112	9	उससे	उसने
112 अन्तिम से	4	दौरण	दौरान
113	3	महानिरीक्ष	महानिरीक्षक
113	12	महत्यपूर्ण	महत्वपूर्ण
114	3	क्रुमार	कुमार
118 अन्तिम से	1	मानीय	माननीय
121	9	उपस्थान	उपस्थापन
121 अन्तिम से	2	शर्मा	शर्मा
122	17	प्रस्तुत	प्रस्तुत
124	13	यालूम	मालूम
125	17	बढ़ेयी	बढ़ेगी
136	15	पोर्ट फोलिवो	पोर्ट फोलियो
141	13	लूपोरोल	लूपोल
142 अन्तिम से	10	हल्टीपल	मल्टीपल

1	2	3	4
143	अन्तिम से 2	देविदत्त	देवीदत्त
146	12	की	कि
152	12	उठना	उठाना
162	19	पैसेन्जरर्स	पैसेन्जर्स
163	8 व 16	रोडस्	रोड्स
163	10	कोइ	कोई
163	12 व 14	गाडिया	गाड़ियां
163	16	वन	बन
164	3	सं स	सेन्स
164	अन्तिम से 11	मे	में
167	2	मिशाल	मिसाल
168	3	लाकी	लागी
168	4	लग्यो	लाग्यो
168	21	नो	तो
171	अन्तिम से 12	अच्छी	अच्छी
172	9	गढ़े	गढ्ढे
172	अन्तिम से 8	छुट	छूट
173	10	ढंए	ढंग
175	,, 3	आये	आय
176	16	(हिन्डोन)	(हिन्डोन)
176	अन्तिम से 5	गिया	दिया
176	,, 4	कन्डक्टरर्स	कन्डक्टर्स
177	,, 5	३ ४	३-४
178	11	पड़ा	पड़ता
178	अन्तिम से 4	ढई	ढाई
181	,, 14	चूडावत	चूण्डावत
182	अन्तिम से 3	मैं	—
183	,, 2	चकिग	चैंकिग
183	1	गयड़िां	गाड़ियां
184	6	फ़ुर्जा	पुर्जा
184	अन्तिम से 8	गात्री	गाड़ी
185	18	ऐस	ऐसे
185	17	को	पर
186	12	पंठता	बंठता
186	11	से	में

1	2		3	4
187		5	नक्तव्य	वक्तव्य
187		8	चूडावत	चूण्डावत
191		4	चुडावत	चूण्डावत
195		1	कान्स्टीटशूशन	कान्स्टीट्यूशन
195	अन्तिम से	1	शकरलाल	शंकरलाल
198		6	बकादा	बकाया
198		8	मै	मैं
201	अन्तिम से	10	गजटनो टिफिकेशन	गजट नोटिफिकेशन
202		14	मकता	सकता
202		6	डियाण्ड	डिमाण्ड
204		15	नथुरादस	मथुरादास
206	अन्तिम से	3	क्लज	क्लाज़
207		11	अतास	अट्टहास
208		1	sart	sort
214		7	भावाओं	भावनाओं
214		8	वपिस	वापिस
214	अन्तिम से	14	वुए	हुए
214		6,8 व 10	ता	तो
214		6	आार	और
215		शीर्ष	अग्रवात्र	अग्रवाल
218		10	आहने	आपने
218	अन्तिम से	8	नों	नहीं
218		2	रहा	—
220		8	गेम्प्स	गैप्स
220	अन्तिम से	9	टक्स	टैक्स
221		17	समाज.	समाजवाद
222		5	आाय	आर्य
222	अन्तिम से	12	मेमम्बर	मेम्बर
223		16	चर्चा	चर्चा आई
226		10	श्री	(श्री
226		13	पलेबिसबल	पलेबिसबल्ट
226		15	स्वेट	स्टेट
230	अन्तिम से	17	जयपर	जयपुर
233		8	हाल	हालत

1	2		3	4
235	अन्तिम से	13	मैंसवाड़ा	भेंसवाड़ा
235	,,	10	उपाध्गाक्ष	उपाध्यक्ष
236	,,	3	एक्जम्पशग	एक्जेम्पशन
237		8	सरेंगे	करेंगे
239		शीर्ष	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
239	अन्तिम से	1	माघसिनेर	सिनेमाज्
240	,,	10	सरकार	सरकार से
241	,,	9	हम	--
241	,,	1	श्रा	श्री
241		12	का	--
245		13	सोढ़ा	सोढ़ा
245		14	नत्थीलाख	नत्थीलाल
245		17	खतूरिया	कथूरिया
247		2	श्री	श्री
247		5	जैतारए	(जैतारए)
248		3	उनकों	--
248		5	ता	तो
248		15	दुई	हुई
250		3	श्रोर	श्रौर
251		4	भृतक	मृतक
251		18	वर्दास्त	बर्दाश्त
252	अन्तिम से	1	श्राकषक	श्राकर्षक
253		1	जते	जाते
256	अन्तिम से	6	में	से
263		6	इमेकन	इनकम
263		18	का	को
263		19	को	का
263		23	चहती	चाहती
264		2	पवर्स	पावर्स
267	अन्तिम से	6	नगरपालिकाश्रो	नगरपालिकाश्रों
271	,,	14	दबाब	दबाव
273		2	decned	deemed

1	2	3	4
278 अन्तिम से	13	है इस कि प्रकार	है कि इस प्रकार
282	12	सक	सकें
285	3	महोमय	महोदय
286 अन्तिम से	6	पी० डब्लयू० डी०	पी० डबल्यू० डी०
288	1	प्रोजीजन	प्रोवीजन
298 अन्तिम से	3	(तवन्तर	(तवनन्तर
300	5	सवर्नमेंट षर्वेन्टस	गवर्नमेंट सरवेन्ट
301	4	BIKAOER	BIKANER
304	12	Buvdi	Bundi
,,	15	Dungarpua	Dungarpur
308	4	सची	सूची

———